JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 **ISSN : 2394-2878**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

भारत में स्वतंत्रता पूर्व एवं बाद में सामाजिक सुधार

शोध छात्रा
रुची कुमारी राय

सारसंक्षेप

कल्याणकारी राज्य में, सामाजिक नीति की आवश्यकता और मूल्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हमारा संविधान एक कल्याणकारी राज्य बनने की जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जहां सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और खुशी का पीछा करने का मौलिक अधिकार है। व्यापक अर्थ में देश में सभी पुरुषों को मौलिक मानवाधिकारों का अधिकार है, जैसे जीवन का अधिकार, आवास, काम पर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का अधिकार आदि। इन विशेषाधिकारों को अब केवल राज्य के हस्तक्षेप से ही संरक्षित किया जा सकता है। सामाजिक कानून हमें इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त औपचारिक विधायी प्रणाली प्रदान करता है। जैसे–जैसे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, यह एक ज्ञात वास्तविकता है कि नई चुनौतियाँ और माँगें सामने आती हैं जिन्हें नियंत्रण से बाहर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कल्याणकारी कानूनों को युवा अपराध, हिंसा के उभरते हुए तरीकों, सामाजिक–आर्थिक अन्याय, सामाजिक–आर्थिक असमानता और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों जैसी चिंताओं को ठीक करना चाहिए।

प्रस्तावना

भारत में ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक मामलों में कानून की सर्वोच्च शक्ति विकसित की, कानून और सामाजिक व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित की जो भारत में तब तक नहीं थी। पिछली शताब्दी में, एक ओर, हमारे पास महिलाओं, लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अन्य हाशिए के समूहों की स्थिति में बड़े बदलाव लाने के लिए कई कानून बनाए गए थे, जबकि दूसरी ओर, सुधार लाने के लिए कानून थे। सामाजिक संरचनाओं जैसे परिवार, विवाह आदि में आजादी के बाद से कई सामाजिक कानून पारित किए गए हैं। हम जानते हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह आदि जैसी कई कुरीतियां अभी भी जारी रह सकती थीं यदि उन्हें समय पर पर्याप्त कानून द्वारा सीमित नहीं किया गया होता।

सती प्रथा का उन्मूलन

भारत में, ब्रिटिश अधिकारियों और ब्रिटिश मिशनरियों ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया और उस समय के रूढ़िवादी हिंदुओं के तीव्र प्रतिरोध के सामने संसद द्वारा इसे समाप्त करने की मांग की। इस दुर्भाग्यपूर्ण विधवा के कारण, राजा राममोहन राय सबसे पहले आगे आए और उदार और दूरदर्शी गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक से हिंदू विधवाओं की इस बर्बर हत्या से बचने का आग्रह किया। इस प्रकार, 4 दिसंबर, 1829 को एक अध्यादेश ने श्सतीश की बर्बर प्रथा को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और जाति विरोधी ध्यान के बावजूद भारत के कुछ प्रांतों में यह बदसूरत परंपरा जीवित रही, और ऐसा ही एक उदाहरण रूप कंवर की मृत्यु का मामला था।हालाँकि, जो असामान्य है वह यह है कि समय के लंबे अंतराल के बाद यह बर्बर गतिविधि राष्ट्र के विशिष्ट हिस्सों में वापस आ गई थी। चौथे सितंबर 1987 को राजस्थान के देवराला के रूप कंवर ने सती प्रथा का प्रदर्शन किया। उनके निधन के समय वह महज 18 साल की थीं। इस अवसर के बाद उन्हें सती माता का दर्जा दिया गया। जयपुर की विशेष अदालत ने सती

प्रथा का जश्न मनाने के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया था। सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987 सरकार द्वारा पारित किया गया था। सती का अस्थिर कार्य भारतीय धरती से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

1929 का बाल विवाह निरोध अधिनियम

भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। सरकार ने संभावित खतरों को समझा, बाल विवाह की इस बुराई से महिला और पुरुष दोनों के जीवन पर असर पड़ा। यौन अनभिज्ञता की कमी, मासिक धर्म स्वास्थ्य और विवाहित जीवन के तनाव ने बाल विवाह के नुकसान को बढ़ा दिया है।

स्वतंत्रता के बाद के कानून जो सामाजिक परिवर्तन लाए

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955

भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा 1955 में श्अस्पृश्यता अपराध अधिनियमश पारित किया गया था जिसमें अस्पृश्यता की अक्षमता को मजबूर करने वाले किसी भी व्यक्ति को छह महीने के कारावास या रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। 500/– या दोनों उसके पहले अपराध के लिए। बाद के प्रत्येक अपराध के लिए सजा में जेल की सजा और जुर्माना दोनों शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर सजा को बढ़ाया भी जा सकता है। यह अधिनियम अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिरों या पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोकना, पवित्र झीलों, तालाबों, कुओं आदि से पानी की निकासी को रोकना। सभी प्रकार की सामाजिक अक्षमताओं को लागू करना जैसे लोगों को एक के उपयोग से रोकना धर्मशाला, कोई भी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, सार्वजनिक अस्पताल, होटल, शैक्षणिक संस्थान या सार्वजनिक मनोरंजन का कोई अन्य स्थान किसी भी सड़क, नदी, कुएं, पानी की चोटी, नदी तट, श्मशान भूमि आदि के उपयोग से इनकार करते हैं।

कानून न्याय को संरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आदर्श साधन है कि समाज में अराजकता का शासन जारी न रहे। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एक उछाल शुरू हो गया है क्योंकि कानूनी निर्णय प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से हैं। कानून का केवल एक उदाहरण जो सामाजिक सुधार को प्रेरित कर सकता है, वह एससी का अभूतपूर्व निर्णय है जो अपराधियों को चुनाव में भाग लेने से रोकता है। कानून में सार्थक सामाजिक परिवर्तन शुरू करने की बहुत अधिक संभावना है। पूरी दुनिया में कई संस्कृतियों का चेहरा कानूनी परिवर्तनों से बदल गया है। कई विकासशील देशों में, इस मुद्दे से निपटने के लिए कानूनी ढांचे के कारण साक्षरता के निम्न स्तर और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को हटा दिया गया है। विधान में सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की शक्ति है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए है जहां मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है।

सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कानून को एक उपकरण के रूप में

कानून को केवल नियमों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग किसी समाज को विनियमित करने या इसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक समाज को नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है क्योंकि समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि वे अन्योन्याश्रित रूप से सह–अस्तित्व में रह सकें जो बदले में सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करेगा। समाज एक विषम स्थान है जहाँ सभी वर्ग, जाति, पंथ, रंग, लिंग, पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। यह आवश्यक है कि इन लोगों के बीच कोई अंतर पैदा नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उनकी पहचान में एकरूपता हो, जो केवल कानून के विषय द्वारा ही किया जा सकता है।

सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रत्येक समाज और उसके लोग तत्पर रहते हैं क्योंकि अच्छे के लिए परिवर्तन हमेशा स्वागत योग्य होता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में कानून एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। एक कानूनविहीन समाज में लोगों और समाज के बीच सद्भाव और शांति का अभाव होता है।

चूंकि एक समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं, धन, शक्ति और स्थिति जैसे कुछ कारकों के कारण लोगों के एक समूह के अधिकार और प्रभुत्व की स्थिति में होने की संभावना हमेशा अन्य समूहों पर शासन करने के लिए होती है जो अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। . यह परिदृश्य हर समाज के लिए कोई नई बात नहीं है, जिसने कभी–कभी इस तरह के सेटअप का अनुभव किया हो। इतना ही नहीं समाज को कई अन्य मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ उल्लेखनीय गरीबी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, लिंचिंग, बाल विवाह, एसिड हमले, बाल श्रम, जाति, जाति, रंग, लिंग आदि के रूप में भेदभाव हैं। कानून समाज के लिए एक ड्राइविंग व्हील के रूप में कार्य करता है। कानून और क़ानून लाकर सभी प्रकार की बाधाओं को खत्म करना जो वर्तमान और भविष्य के समाज में बदलाव लाने में मदद करेंगे। पिछले वर्षों में समाज कई संशोधनों के माध्यम से रहा है और कानून वास्तव में बदलाव लाने में मददगार रहा है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक मुद्दे पूरी तरह से गायब नहीं हो रहे हैं, इसके विपरीत वे तेज हो रहे हैं। समय आ गया है कि समाज उन कानूनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करे जो प्रभावी रूप से विद्यमान हैं ताकि कानून अपने वास्तविक अर्थों में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी हो सकें। इसलिए इस सवाल का समाधान कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून को एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समाज और उसके लोगों में ही निहित है।

कानून और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध

सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाजशास्त्र जैसे कई विषयों में किया जाता है। यह कहता है कि सामाजिक परिवर्तन कार्य करने के लिए कई क्षेत्रों से प्रभावित होता है। उपरोक्त में से कानून का विषय सबसे आवश्यक है क्योंकि कानून एक ऐसी संहिता है जो समाज को नियंत्रित करती है। समाज में क्या सही है और क्या गलत है, इसे नियंत्रित करने के लिए कानून राज्यों के हाथों में सर्वोच्च अधिकार है। कानून न केवल समाज को नियमों का एक सेट प्रदान करने के लिए मौजूद है जिसके अनुसार एक समाज को कार्य करना चाहिए, बल्कि ऐसे नियम भी हैं जिन्हें समाज को अपने तरीके से अपनाने के लिए वहां रहने वाले लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए माना जाता है।सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत– सामाजिक परिवर्तन का यह सिद्धांत बताता है कि समाज में सुधार और उन्नति तब होती है जब समाज धीरे–धीरे उच्च सभ्यता की ओर बढ़ता है। इसलिए समाज में लोगों के परिवर्तन के साथ, समाज खुद को बदल देता है।सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत– सामाजिक परिवर्तन का यह सिद्धांत बताता है कि समाज में होने वाले परिवर्तन चक्रीय रूप में होते हैं और इसलिए बार–बार होते हैं। इसलिए यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को किसी भी निरंतरता की अवधि के बिना प्रकृति में निरंतर होने के लिए कहता है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, इसलिए, कानून की मदद की जरूरत है। कानून क्या करता है यह इन सिद्धांतों को प्रक्रियाओं से गुजरने में मदद करता है ताकि उन्हें लागू किया जा सके। इस प्रकार कानूनी नियमों के बिना, सामाजिक आंदोलनों को नहीं चलाया जा सकता है।

सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में भारतीय संविधान

भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया था ताकि एक परिवर्तित भारत को जन्म दिया जा सके। संविधान में संविधान के भाग प्प् में निहित मौलिक अधिकारों

का एक समूह शामिल है जो नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिन्हें पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विनियमित किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्रता से पहले कई वर्षों तक भारतीयों पर अत्याचार किया गया था और इसलिए संविधान को एक बुनियादी क़ानून के रूप में लाया गया था जो देश में अन्य सभी विधियों के आंदोलन को नियंत्रित करेगा। देश के तत्कालीन मौजूदा सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान किसी भी सामाजिक पहलू को नहीं छोड़ेगा जो संरक्षण के दायरे में नहीं आता है। जैसा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, भारत के संविधान में संविधान के मूल ढांचे के अलावा जब भी समाज इसकी मांग करता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसे भी ध्यान में रखा गया है जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के प्रसिद्ध मामले को देख रहा था। यह मौलिक अधिकार है जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करने वाले अवयवों में से एक है। इसके दायरे में मौलिक अधिकारों में कुछ बुनियादी अधिकार शामिल हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो

संविधान का अनुच्छेद 14

कानून की नजर में समानता के अधिकार और समान संरक्षण की बात करता है। संविधान का यही अनुच्छेद संविधान के सार के रूप में कानून के शासन का वादा करता है। अनुच्छेद 14 के साथ–साथ संविधान कई अन्य अनुच्छेद भी प्रदान करता है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल मौलिक अधिकार है जो संविधान प्रदान करता है बल्कि सिद्धांतों का एक समूह भी है जिसका पालन राज्य द्वारा राष्ट्र में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को विनियमित करने के लिए किया जाना है। इन सिद्धांतों को संविधान के भाग में प्रदान की गई राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में जाना जाने लगा। यद्यपि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि ये सिद्धांत जो स्पष्ट रूप से राज्य को अपनाने और पालन करने के लिए प्रदान करते हैं, कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं, ये सिद्धांत आवश्यक हैं ताकि राज्य अपने लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने में विफल न हो। गरीबी, भेदभाव, जबरन मजदूरी, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मुद्दे भारतीय समाज में कई वर्षों से गहराई से जड़े हुए हैं। संविधान लागू होने के बाद, इन सामाजिक मुद्दों को हल करने की चिंता में लिया गया और यह वास्तव में सच है कि भारत ने लोगों और राष्ट्र को प्रभावित करने वाली कई सामाजिक समस्याओं को दूर किया है। भारतीय संविधान प्रमुख रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र में सामाजिक न्याय की घोषणा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लाया गया था। यह कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से संविधान का भाग प्प् और भाग प्ट मिलकर देश में एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक प्रेरक शक्ति रहा है और इसलिए उन्होंने संविधान के लिए एक अंतरात्मा का गठन किया।

जब कोई कहता है कि कानून समाज में बदलाव ला रहे हैं तो उसका मतलब है कि कानून समाज को पहले से मौजूद माहौल में बदलाव या बदलाव लाने के लिए इसका पालन कर रहा है। उदाहरण के लिए, अस्पृश्यता एक लंबे समय से खींचा गया सामाजिक मुद्दा रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसलिए कानून ने एक तरह से सामाजिक मुद्दे को काफी हद तक खत्म कर एक सामाजिक बदलाव लाया। अब यदि कोई अस्पृश्यता का आचरण करता है, तो उसे देश के कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। जबकि जब समाज कानून में बदलाव लाता है तो इसका मतलब है कि समाज खुद को कानून के अनुसार समायोजित कर रहा है जैसा वह चाहता है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसने पत्नियों को अपने मृत पति के साथ जिंदा जलाने के

लिए मजबूर किया। हिंदुओं के बीच इस प्रथा का पालन करना अनिवार्य था। इस प्रथा को खत्म करने के लिए समाज ने सुधार लाए। इसलिए समाज ने एक तरह से मौजूदा कानून में बदलाव लाया।

कानून सामाजिक परिवर्तन के लिए आदर्श

ऐसे कई सामाजिक पहलू हैं जिनसे कानून चिंतित है और इसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने एक बार कहा था कि जीवन प्रदान करने और कानून की संरचना में रक्त डालने की जिम्मेदारी एक जीवित तत्व बनाने के लिए है जो जरूरतों को पूरा कर सकता है। समाज जजों पर टिका है। एक विषय के रूप में कानून अपने आप में कानून निर्माताओं की मदद के बिना सामाजिक परिवर्तन को विनियमित या ला सकता है। इसलिए एक तरीका जिसके द्वारा कानून को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वह है न्यायाधीश जो कानून के धारक हैं। संपूर्ण विश्व को कुछ सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो दुनिया में हो रहे विकास के लिए एक दोष रही हैं। कानून किस तरह से समाज की गाड़ी का चालक रहा है, इसकी ओर बढ़ने से पहले, कुछ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है, जिनके लिए कानून ने वास्तव में काम किया है और इस मुद्दे को पूरी तरह से दुनिया से मिटाने के लिए और अधिक काम करना चाहिए। इनमें से कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दों के बारे में नीचे चर्चा की गई है, जिनके लिए कानून को धरातल पर लाने और सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बनने की आवश्यकता है।

नस्लीय भेदभाव

नस्लीय भेदभाव एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो अब तक दुनिया के कई हिस्सों को सता रहा है। नस्लीय भेदभाव में त्वचा के रंग या उनके जातीय मूल के आधार पर लोगों के दो समूहों के बीच असमानता फैलाना शामिल है। जैसा कि अधिकांश अमेरिकियों ने कहा है कि नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया को अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, आंकड़े भी यही बताते हैं। अमेरिका, अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्से नस्लीय भेदभाव का गंभीर आधार पर सामना कर रहे हैं। नस्लीय भेदभाव समाज में असमानता का स्वागत करता है जो अनुचित है और सही नहीं है। अमेरिका की एक तस्वीर को ध्यान में रखते हुए, लोगों ने खुलासा किया है कि कानून कुछ लोगों के लिए प्रभावी रहा है जबकि नस्लीय भेदभाव के संबंध में कई लोगों के संपर्क में आने में भी अपेक्षाकृत असफल रहे हैं। अमेरिकियों का कहना है कि जबकि डेमोक्रेट्स का विचार होगा कि रंग के मामले में समानता अभी तक हासिल नहीं हुई है, रिपब्लिकन का विचार होगा कि कानून ने पहले से ही अश्वेतों और गोरों के बीच समानता लाने का अपना काम किया है। कई देशों ने नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए भेदभाव–विरोधी अधिनियम भी लाए हैं।

महिलाओं और बच्चों का शोषण

महिलाओं और बच्चों का शोषण पूरी दुनिया के लिए एक आम सामाजिक मुद्दा रहा है। यह एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो वास्तव में चक्रीय सिद्धांत का अनुसरण करता है। पुरुषों द्वारा अपने ऊपर प्रभुत्व जमाने के कारण महिलाओं को हमेशा दमन का शिकार होना पड़ा है। इसने पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि की शुरुआत की है। बाल श्रम, बाल शोषण, बाल विवाह, बाल तस्करी के मामले में बच्चों का शोषण आम अंतर्दृष्टि है। ऐसे कई कानून हैं जिनके द्वारा इन कारकों को एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विनियमित किया गया है और बच्चों के अधिकारों को बरकरार रखा गया है ताकि उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जा सके जहां वे राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ऊपर जिन सामाजिक मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उन्हें कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका दुनिया अब सामना कर रही है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है।

भारत में सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून

भारत एक विविध राष्ट्र होने के कारण, इसमें रहने वाले लोगों के विभिन्न समूह हैं और भारत में, लोगों पर समाज का प्रभाव अन्य देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी परंपराएं, रीति–रिवाज और संस्कृतियां मौजूद हैं। जो जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। अतीत और वर्तमान दोनों में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कानून राष्ट्र के लिए एक बहुत प्रभावशाली साधन रहा है। भारतीय अदालतों द्वारा सामाजिक मुद्दों से संबंधित कई फैसले भी पारित किए गए हैं, जिन्होंने लोगों को मौजूदा कानूनों से अवगत कराया है ताकि खुद को सामाजिक मुद्दों से प्रभावित होने से रोका जा सके। कुछ सामाजिक परिवर्तन जो कानून द्वारा उसी के एक साधन के रूप में किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार वास्तव में सामाजिक परिवर्तन को भटकाने के लिए एक साधन के रूप में कानून का प्रतिबिंब रहे हैं। मौलिक अधिकारों को लागू किया गया अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार और कई अन्य अधिकार जो मौजूदा समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक साबित होते हैं। मौलिक अधिकार कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं जो कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो लोग अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 21। के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में जीवन के अधिकार के तहत एक नया अतिरिक्त था। समाज ने अपने बच्चों को अपने आसपास हो रहे सामाजिक परिवर्तन के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की। जिस तरह से इसे किया गया था वह कानून द्वारा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता बनाने के लिए किया गया था।

जनहित याचिका

जनहित याचिका एक ऐसा तंत्र रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की ओर से कानून के प्रति एक अलग दृष्टिकोण बनाने के लिए नागरिकों को उपहार में दिया है। जनहित याचिका एक साधन के रूप में कार्य करती है, जिसके उपयोग से लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अदालत में इस आधार पर जा सकता है कि वे किसी ऐसी चीज से प्रभावित हैं जिसे आगे के कष्टों से बचने के लिए रोका जाना आवश्यक है। नागरिकों के लिए जनहित याचिका की पेशकश करके, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की सीमा को कम करने में सक्षम किया है, जिससे कोई भी जन–उत्साही व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यह वास्तव में भारतीय न्यायपालिका द्वारा लाया गया एक महान सामाजिक परिवर्तन था, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि समाज को जब भी आवश्यकता हो, सामाजिक परिवर्तन हो सके। जनहित याचिका कई मामलों में समाज पर एक बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम रही है। उन सभी के बीच एक उल्लेखनीय एमसी है। मेहता बनाम भारत संघ। इस जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट से लोगों को पानी, हवा और आसपास के मामले में स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण में रहने के लिए प्रदान करने का आग्रह किया गया था और यह माना गया था कि ये आवश्यकताएं अनुच्छेद 21 के दायरे में आती हैं। संविधान।

बाल विवाह

भारत विभिन्न धर्मों का घर होने के कारण कई परंपराओं और रीति–रिवाजों को देखा है जो कई वर्षों तक कानून बन गए, भले ही रीति–रिवाज या परंपराएं ईमानदार और निष्पक्ष न हों। बाल विवाह एक ऐसी

अनुचित प्रथा है जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के आने तक प्रचलित थी। इस अधिनियम को वर्ष 2006 में और संशोधित किया गया और इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के रूप में जाना जाने लगा। बाल विवाह बालिकाओं का एकतरफा शोषण हो रहा है। एक ऐसे युग में जब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, माता–पिता और समाज की जिम्मेदारियों को दूर करने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है। इसका प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। इस सामाजिक मुद्दे को समाज से दूर करने के लिए कानूनी बल आवश्यक था क्योंकि समाज को इसकी आवश्यकता थी। इसलिए सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए समाज का पालन करने के लिए कानून लाया गया।

बलात्कार

बलात्कार सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा होने से ज्यादा देश में लोगों की मानसिकता के कारण होता है। यह वर्गीकृत करने के बजाय कि इसे कौन करता है और कौन पीड़ित है और मुख्यधारा की चर्चा को बनाए रखते हुए, बलात्कार को दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि के लिए एक व्यक्ति के यौन शोषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कानून के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों की मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है ताकि इस तरह के जघन्य अपराध को रोका जा सके। भारत में महिलाओं के बीच बलात्कार के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है जो यह भी कहती है कि हमारे समाज की लड़कियों को जागरूक करने से पहले, हमारे शरीर को बड़े हिस्से में शिक्षित करना आवश्यक है। लोगों के दिमाग में बदलाव लाकर एक सामाजिक परिवर्तन अपराधियों के लिए एक मजबूत निवारक बनाकर लाया जा सकता है जो उनके लिए डर के रूप में भी काम कर सकता है और इस तरह का कुछ भी करने से पहले उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है।

निष्कर्ष

हमने पहले इस तथ्य पर विचार किया है कि कैसे कानून को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तथ्य के साथ कि कानून समाज में प्रभाव पैदा करने में कैसे उपयोगी रहा है। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में कानून की कमियों को उजागर करना अब आवश्यक है ताकि सामाजिक अंतर लाने में कानून को एक कुशल साधन के रूप में सक्षम करने के लिए ऐसी कमियों का ध्यान रखा जा सके। हमने कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है जिन्हें कानून के प्रवर्तन द्वारा नियंत्रित किया गया है लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। चूंकि सामाजिक मुद्दों को दूर होने में समय लगता है, इसलिए उस बदलाव को तेज करने के लिए कानून काफी मजबूत होना चाहिए। रेप के कानून तो बने हैं लेकिन रेप कम नहीं हो रहे हैं. अखबार में हर दूसरे दिन कोई न कोई रेप की घटना होती ही रहती है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जो कानून पहले से मौजूद हैं वे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। नस्लीय भेदभाव और जातिगत भेदभाव का सामना दुनिया आज तक कर रही है। विरोध, जनसभा, सब कुछ विफल हो रहा है क्योंकि जो कानून मौजूद हैं, वे सामाजिक प्रभाव लाने के लिए मजबूत जड़ नहीं हैं। समलैंगिकता को मुख्यधारा में लाया गया है लेकिन बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि यह सामाजिक मानदंडों के खिलाफ है। इसलिए, इन सामाजिक मुद्दों को मजबूत कानून प्रवर्तन के साथ संबोधित करना आवश्यक है ताकि लोग कानूनों को गंभीरता से और सावधानी से लेना शुरू कर दें। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून का उपयोग कैसे किया जाता है, इस बारे में चर्चा के अंत में आते हुए, यह कहा जा सकता है कि कानून पहले से ही एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मौजूद एक उपकरण है और सटीक रूप से यह बहुत कुछ लाया है सामाजिक परिवर्तन लेकिन सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Kane, Pandurang Vaman, History of Dharmasastra, Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. II, Part I, 1941.
2. Mahmood, Tahir, Principles of Modern Hindu Law , Universal Law Publications, 2014.
3. Kumar, Vijendra, Equal Property Rights of Daughter under Hindu Law: A Socio-Legal Study, Journal of Indian Law Institute (JILI), Vol.62 July-September, 2020 p.217-238.
4. Singh, Rakesh Kumar, Urgent Need to Amend Law of Succession in case of Female Hindus Dying Intestate, AIR 2014 May, Vol.101 Jour.p.81-88.
5. Kumar, Vijendra, Quest for Prenuptial Agreement in Institutuion of Marriage: A Socio-Legal Approach, Journal of Indian Law Institute (JILI), Vol.60 July-September, 2018 p.406-426.
6. Diwan, Paras., Ancestral Property after Hindu Succession Act, 1956: Joint Family Property or Separate Property, Journal of Indian Law Institute (JILI), Vol.25 Jan-March,
7. Kumar, Vijendra, Matrimonial Property Law in India: Need of the Hour, Journal of Indian Law Institute (JILI), Vol.57 July-September, 2015 p.499-522.
8. Indira Jaising, Womens Inheritance Rights in Contemporary Jurisprudence in Nitya Rao and Luise Rurup (eds.), A Just Right: Women‟ s ownership of Natural Resources and Livelihood Security 11021 (1993).
9. Misra, Dr. Preeti, Constitutional and judicial affirmative Responses towards Gender justice some reflections, Article Published in legal Rights of women in India, Academic and Research Publication, Ghaziabad (2017) first Edn. P-5.
10. Bhatta, Kulluka, Manu Smriti, Edited by J.L. Sastri, Motilal Banarasidas, 1983.

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 **ISSN : 2394-2878**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

नरी सशक्तिकरण मे डॉ. अम्बेडकर की भूमिका

शोधकर्त्री
प्रियंका राय
एम. ए. समाजशास्त्र

सारसंक्षेप

भारत के इतिहास के पन्नो पर हम जब नजर डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएँ एवं आन्दोलन हुए है जिनसे समाज मे नया परिवर्तन हुआ था। समाज व सम्पूर्ण मानव जाति मे नया परिवर्तन होने के बावजदू भी समाज में सबसे अधिक चिन्ताजनक स्थिति दलित महिलाओं की थी। वे धर्म की कुरीतियो की बेड़ियों मे जकड़ी तथा सभी प्रकार के प्रतिबन्धो से प्रताड़ित थी। उनमे अशिक्षा, पर्दा–प्रथा, अस्पृश्यता घरेलु हिंसा व अनेक धार्मिक एव सामाजिक रूग्ण प्रथाएं व्याप्त थी। ब्रिटिशकाल मे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध मुहिम मे भारतीय पुरूषो के साथ–साथ महिलाएँ भी सक्रिय भागीदार बनी थी, किन्तु महिलाओं के प्रति समाज का रवैया हमेशा से ही तानाशाहपूर्ण था तथा उनको घर की चारदीवारी मे कैद ही रखना चाहते थे। 20***वी शताब्दी मे होने वाले भारतीय समाज को पुनर्जागरण के फलस्वरूप ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त कर अनेक महापुरूषो एवं सुधारको का उद्भव हुआ। इन महापुरूषों मे एक ऐसी हस्ती डॉ. अम्बेडकर थे, जिन्होने अपने विचारो द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं पारिवारिक सभी स्तरो पर पुरूषो के समान महत्व व स्थान देने की बात कहीं तथा वैज्ञानिकता के साथ उनके आत्मगौरव व आत्मसम्मान को उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया।***

मुख्य शब्द– आन्दोलन,परिवर्तन, समाज, महिलाओं, प्रथाएं, प्रथाएं, हाशिए

प्रस्तावना

हालांकि यह सत्य है कि स्त्रियों का संघर्ष उतना ही पुराना है जितना की उनका उत्पीड़न। अगर हम इतिहास देखे तो अवश्य ही उनकी उपस्थिति की झलक देख पायेगे क्योंकि इतिहास लेखन की प्रक्रिया मे हाशिए पर जीने वाले तबको को राजनीतिक कारणो से सत्ताधारी वर्ग से दूर रखा जाता है। यह एक तरह के सत्ताधारी वर्ग की राजनीति है जो शोषित वर्ग को इतिहास मे जगह नहीं देना चाहता है। यहां तक कि इतिहास लेखन मे उन जन उभारो को नहीं दर्शाया गया जो विशेषतः अपनी अस्मिता और वजूद की लड़ाई हाशिए पर रहकर भी सड़को पर लड़ रहे थे। डॉ. अम्बेडकर के समय मे भारत मे स्त्री–मुक्ति आन्दोलनो एवं सुधार कार्यक्रमो का आरम्भ हो चुका था। फिर भी जनसामान्य मे अंधविश्वास एवं धार्मिक प्रतिबन्धो का प्रभाव था, जिससे महिलाओ की स्थिति दयनीय थी। अम्बेडकर ने भारत के शोषित वर्ग के साथ–साथ नारी समुदाय को भी अपने संघर्ष अभियान मे शामिल किया। उनका मानना था कि स्त्री व अन्य शोषित वर्ग दोनों की दयनीय स्थिति हेतु भारत के कुछ धार्मिक ग्रन्थ जिम्मेदार है, जिसमे मनुस्मृति सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

अम्बेडकर ने 1916 मे अपने एक लेख "भारत मे जातियाँ इनकी संरचना उत्पत्ति एवं विस्तार" में उन्होने बताया कि भारत मे दलितों के समान ही स्त्रियो की वर्तमान दुरावस्था का कारण भी जाति व्यवस्था है। अम्बेडकर ने दलित व गैर दलित महिलाओ को समाज परिवर्तन के आन्दोलन मे सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उनका विशेष ध्यान इस बात पर था कि घर और समाज मे नारी की हीनतर स्थिति मे क्रान्तिकारी परिवर्तन परिवार व समाज में नारियो को विशेषाधिकार देकर ही किया जा सकता था।

अम्बेडकर के अनुसार स्त्री व समाज की उन्नति शिक्षा के बिना नहीं हो सकती। समाज मे प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक है कि पुरूषो की शिक्षा के साथ–साथ स्त्रियो की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही भारतीय समाज की महिलाएं दलित महिलाएं समाज परिवर्तन की प्रक्रिया मे शामिल हो सकेगी और तभी रूढ़िगत परम्पराओ से महिलाओं की मुक्ति हो सकेगी।

इस पर चर्चा करते हुए अम्बेडकर ने 1942 में महिला परिषद के भाषण मे कहा कि विवाह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विवाह करने वाली प्रत्येक नारी को अपने जीवनसाथी के पक्ष मे खड़ा रहना चाहिए यह आवश्यक है किन्तु महिलाओ को पति की दासी नही अपितु बराबरी के नाते अथवा मित्र के रूप में। महिलाओ को सम्बोधित करते हुए अम्बेडकर कहते है कि यदि महिलाएं ऐसा करती है तो अपने साथ समाज का भी अभ्युदय करेगी और सम्मान पायेगी। इस हेतु सभी स्त्रियो को पुरूष के बराबर हिस्सेदारी कर खुद को शासक की जमात बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए । अम्बेडकर के ये विचार स्त्रियो की समाज मे दशा को उन्नत करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए। अम्बेडकर महिलाओ को केवल समाज अथवा देश ही नहीं अपितु परिवार मे उचित सम्मान पाने के लिए संघर्ष करने करने के लिए प्रेरित करते थे। यदि महिलाओ को अपनी आगे की पुश्ते सुधारनी हैं तो उन्हे शिक्षा ग्रहण करना होगा।

वस्तुतः स्त्री कोई सम्पति नहीं है जिस पर सतत् किसी का आधिपत्य बना रहें। उनका मानना था कि शिक्षा और आत्म विकास के अवसर की दृष्टि से पुरूष एवं स्त्री मे कोई भेद नहीं किया जा सकता है। अम्बेडकर का मानना था कि वह समाज आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकता जो अपनी पत्नी और पुत्री को हीन समझते हो और यही मुख्य कारण है कि डॉ. अम्बेडकर ने आर्थिक उत्थान मे महिलाओ के नेतृत्व का विकास किया। इसके लिए जरूरी है कि उनको स्वच्छन्द जीवन जीने दिया जाए उन्हे दुराचारो से मुक्त रखा जाए और शिक्षा की अनिवार्यता रखी जाए। समाज मे महिलाओ के प्रति दूषित एवं निम्न स्तरीय विचारधारा को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएं पारिवारिक खर्चे मे योगदान दे व्यवसाय मे भागीदारी निभाएं तथा आर्थिक प्रबन्ध जिसमे पुरूष का वर्चस्व होता है उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। अम्बेडकर के अनुसार स्त्रियां किसी भी समाज की प्रगति का दर्पण होती है उनके अनुसार जब तक स्त्रियो को सामाजिक भूमिका नहीं दी जाती आर्थिक स्वावलम्बन नहीं दिया जाता आत्म उन्नति का अवसर नहीं दिया जाता तब–तक किसी भी प्रकार के समाज सुधार कार्यक्रम अपने उदेश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते है।

जनवरी 1938 को नागपुर के धरम पीठ मे दलित महिलाओ ने बड़ी सभा की, जिसमे हजारो दलित महिलाओ ने भाग लिया। इस आन्दोलन में दलित महिलाओ को स्वाभिमानपूर्ण स्वालम्बी होकर जीने की शिक्षा दी। इस परिषद मे रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई 1942 को आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन मे 25 हजार महिलाओ ने भाग लिया। इस सम्मेलन मे स्वयं अम्बेडकर के आहवान पर पूरे भारतवर्ष दलित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्ययक्षता सुलोचना डोगरे ने की और सभा की मुख्य सचिव इन्दिरा पाटिल तथा स्वागताध्यक्ष कीर्ति पाटिल थी। इस दौरान जनरल सैक्रेटरी इन्दिरा पाटिल ने दलित महिलाओ की शिक्षा पर जोर दिया। महिलाओ की सोचनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हिन्दू धर्म की विरोध करते हुए कहा हिन्दू धर्म के पालन की वजह से ही हम पतियो के सामने सिर झुकाना घर और बच्चो की देखभाल करने को ही हम अपना काम समझते है। इस सभा मे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये जो दलित महिलाओ की स्थितियो मे सुधार लाने की दृष्टि से अनमोल थे। पति–पत्नी का तलाक देने का अधिकार होने का कानून सरकार से बनवाना एक से ज्यादा

पत्नियो का विरोध कोयला खान मे अन्य असंगठित क्षेत्रो मे काम करने वाली मजदूर किसान महिलाओ के लिए 21 दिन की छुट्टी चोट आने पर मुआवजा 20 साल की नौकरी होने

पर कम से कम हर एक महिला को 15 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन तथा काम के घंटे निश्चित कर कामगार महिलाओ के हित मे प्रस्ताव पारित किए गए।

हिन्दू कोड बिल

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत मे उस समय साम्प्रदायिकता अपने चरम पर थी तथा सभी के लिए समान नागरिक संहिता होने पर यह आग मे घी डालने जैसा कृत्य होता क्योंकि कोई भी अपने धर्म नियमो पर दुसरे का कटाक्षेप बर्दास्त नहीं कर सकता था। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने भारत के बहुसंख्यक निवासी हिन्दू जिसके अन्तगर्त जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, हिन्दू शामिल थे के लिए एक हिन्दू कोड बिल बनाया। इस बिल की अधिकांश धाराएँ व कानून महिलाओ से सम्बन्धित है। क्योंकि डॉ. अम्बेडकर महिलाओ को राष्ट्रनिर्मात्री का दर्जा देते थे। उनका कहना था कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक किसी महिला की गोद मे पलता है। साथ ही यदि किसी राष्ट्र या समाज की महिलाओ की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना है तो सर्वप्रथम राष्ट्र की महिलाओ की सामाजिक स्थिति देखना चाहिए।

अतः नारी को जागृत किये बिना राष्ट्र का विकास असम्भव है। डॉ. अम्बेडकर ने 11 फरवरी 1950 ई. को सिद्धार्थ कालजे बम्बई के छात्र अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए अपने भाषण मे कहा था कि भारत के गणतंत्रीय संविधान ने सरकार को यह निश्चित आदेश दिया है कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की विधि संहिता तैयार करे। इसीलिए हिन्दू कोड बिल तैयार किया गया। बिल का उद्देश्य हिन्दुओ के परम्परागत कानून की कुछेक शाखाओ को कानूनी रूप देना और उनका आधुनिकीकरण करना देश की एकता के दृष्टिकोण से यह लाभकारी होगा कि हिन्दुओ के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर एक ही प्रकार के कानून लागू हो।

हिन्दू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य

डॉ. अम्बेडकर भारतीय स्त्री खासकर हिन्दू स्त्री जिसमे सवर्ण तथा दलित दोनों की सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक स्थिति मे क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। उनकी दशा सुधारने के लिए वो एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे जो विशुद्ध रूप से उनकी सामाजिक कानूनी स्थिति सुधारने मे संजीवनी बूटी की तरह काम करे। इसलिए उन्होने सौ फीसदी औरतो के हक मे हिन्दू कोड बिल बनाया। इस बिल की वजह से हिन्दू स्त्री को विवाह तलाक आदि मे पुरूषों जैसा ही हक दिया गया था। इस बिल मे आठ अधिनियम बनाए गए।

1- हिन्दू विवाह अधिनियम

2- विशेष विवाह अधिनियम

3- गोद लेना दत्तकग्रहण अल्पायु–संरक्षण अधिनियम

4- हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम

5- निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यो का भरण–पोषण अधिनियम

6- अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम

7- उत्तराधिकारी अधिनियम

8- हिन्दू विधवा को पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम

9- हिन्दू कोड बिल पिता की सम्पति मे अधिकार आदि

हिन्दू कोड बिल द्वारा किसी भी जाति की लड़की या लड़के का विवाह होना अवैध नहीं था। हिन्दू कोड के अनुसार पत्नी और पति एक समय मे एक ही विवाह कर सकते थे। अगर कोई पति अपनी पहली पत्नी के रहते और पत्नी पहले पति के रहते विवाह करते हैं तो उसे कानूनी दण्ड मिलेगा। हिन्दू कोड मे पति के मर जाने पर हिन्दू स्त्री को पति की सम्पति मे उसकी सन्तान के बराबर हिस्सा या अंश देने का नियम बनाया। हिन्दू धर्म शास्त्रो में विधवा के लिए दूसरी शादी का कोई विधान नहीं था और न ही जायदाद मे उसे कोई मे हिस्सा या अंश मिलता था। हिन्दू कोड बिल से पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्री को भी भाईयो के बराबर जायदाद का वारिस बना दिया गया था। इसी तरह दत्तक या गोद लेने का अधिकार अपने कुल मे से पैदा हुये बच्चे को ही प्राप्त था, किन्तु कोड के अनुसार किसी भी हिन्दू परिवार मे जन्मी लड़की या लड़के को गोद लिया जा सकता था और वह लड़का या लड़की चाहे वह किसी भी हिन्दू जाति के हो, गोद लिए जाने वाले की जायदाद के वारिस बन जाते हैं। मजे की बात यह थी कि अब न केवल लड़का ही दत्तक बन सकता था, बल्कि लड़की भी दत्तक ली जा सकती थी। इसलिए संक्षिप्ततः कहा जा सकता है कि हिन्दू कोड ने हिन्दूओं के पुराने धर्मगढ़ को भस्मसात करके रख दिया था। हिन्दू कोड बिल मे इन आठो अधिनियम को पास कराके डॉ. अम्बेडकर स्त्रियो की स्थिति मे कानूनी रूप से आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे। हिन्दू कोड बिल द्वारा परिवार व समाज मे महिलाओ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सृदृढ़ हो, इसलिए उन्होने परिवार मे पुत्री के हैसियत पुत्र के बराबर तथा पत्नी की हैसियत पति के बराबर रखी। तलाक देने की स्थिति मे पति को पत्नी के गुजारे के लिए गुजारा भत्ता देना पड़गेा तथा सम्पति बंटवारे में पुत्री को पुत्र के बराबर हिस्सा मिलेगा। महिलाएं भी अपनी मर्जी से बच्चा गोद ले सकती है। बच्चे को गोद लेने का अधिकार मिलने पर जिन स्त्रियो के बच्चे नहीं होते थे, उनको परिवार और समाज द्वारा दिए जा रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से छुटकारा मिल जायेगा ।

महिला सशक्तिकरण के लिए अम्बेडकर के विचार

डॉ अंबेडकर ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके अधिकारों को क़ानूनी संरक्षण के प्रावधान के लिए सरकारी संस्थाओं में हमेशा आवाज उठाई। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में डॉ अम्बेडकर के विचारों को देखा जाए तो संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। मुंबई जैसे नगर में ऐसे बहुत से संगठित असंगठित कार्य क्षेत्र थे जहां महिलाएं काम करती थी। जिसमें डिप्रेस्ड क्लास की महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी। इन जगहो पर कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति बहुत अमानवीय थी उनके अधिकार के लिए उन्होंने मुंबई लेजिसलेटिव काउंसिल में एक सदस्य के नाते मातृत्व लाभ विधेयक प्रस्तुत किया।

डॉ अंबडेकर ने संविधान निर्माण कर मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद–14 एवं अनुच्छेद–16 का निर्माण किया। संविधान के माध्यम से बच्चों व स्त्रियों की बिक्री तथा उनसे बेगार लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। संविधान द्वारा महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार प्रदान किए जाने से सिद्धांततः महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार तो अवश्य आया, किंतु स्वतंत्रता एवं समानता की संवैधानिक सुरक्षा देने से भी सदियों से उपेक्षित महिलाओं को परंपरात्मक दासता से मुक्ति नही मिल पाई।

डॉ अंबेडकर का सोचना था कि विवाह और संपत्ति पर अधिकार सबंधी प्रचलित कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन ला कर ही महिला मुक्ति संभव है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डॉ अंबेडकर द्वारा किए संवैधानिक प्रावधान संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ अम्बेडकर ने संविधान में ऐसे अनुच्छेद

का प्रावधान किया जिससे भारत के सामाजिक व्यवस्था में समानता स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। संविधान की प्रस्तावना भाग 3एवं 4 में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के द्वारा डॉ अंबेडकर ने स्त्री पुरुष को समान नागरिक एवं समान अधिकार से युक्त किया। अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42 द्वारा स्त्रियों को किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त एवं समान अधिकार की गारंटी का प्रावधान किए। अनुच्छेद 14 जिसके द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक–आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अवसर की समता का अधिकार प्रदान किया गया। आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15। के लिए विशेष व्यवस्था की गई है महिलाओं की स्वभाविक प्रकृति के कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 23, 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत 1956 में महिलाओं एवं बालिकाओं की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। आर्टिकल 39 स्त्रियों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए उनकी जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं आर्टिकल 39क समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है। आर्टिकल 42 के अनुसार महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है आर्टिकल 46 शिक्षा प्राप्त करने का अवसर स्त्रियों को दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा डॉ अम्बेडकर ने स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष लाकर उन्हें सशक्त करने का दूरदर्शिता वाला कार्य किया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। डॉ अम्बेडकर द्वारा आधी आबादी को हर तरह से सशक्त करने के उनके संवैधानिक उपायों का ही विस्तार 73 वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन जिससे अनुच्छेद 243 द्वारा ग्राम पंचायतों में स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। डॉ अंबेडकर ने संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिए पश्चिमी देशों में स्त्रियों को मतदान करने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था लेकिन बाबा साहब ने समानता को लागू करते हुए संविधान के साथ ही यह अधिकार महिलाओं को दे दिया ।

2014 के लोकसभा चुनाव में 67.1 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान 65.95 प्रतिशत था। देशव्यापी राजनीतिक तंत्र में अब भी काफी हद तक पुरुषों का दबदबा कायम है और वह पितृसत्ता का गढ़ बना हुआ है। संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व काफी कम है। महिला लोकसभा सदस्यों की संख्या 1952 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 11.4 प्रतिशत हो गई है। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 2014 में 15 प्रतिशत थी। 17वीं लोकसभा में 76 महिलाएं लोकसभा में अपने हक की आवाज को बुलंद करेंगी। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे देश की पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है लेकिन महिला वोटरों एवं महिला उम्मीदवार की संख्या में बढ़ोतरी महिलाओं के अधिकार के प्रति एवं राजनीति के प्रति उनकी बढ़ती रुचि को आंकता है। महिलाओं के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बावजूद काफी कम प्रतिनिधित्व का यह विरोधाभास पंचायत चुनाव में नहीं दिखता क्योंकि पंचायतो में महिला शिक्षा, जागरूकता, संवेदनशीलता, सोच में परिवर्तन जैसे–जैसे समाज में महिलाओं के प्रति समाज के सोच में इन चीजों की वृद्धि होगी वैसे–वैसे स्त्री मुक्ति की बहस कम होती जाएगी। आजादी के समय एवं उसके बाद वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं।

निष्कर्ष

सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि नारी जाति के शोषण एव अत्याचार को देखकर डॉ. अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' विधेयक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन जो किया है, उसमे ही नारी समाज को सोचने, समझने और अपनी स्थिति का मूल्याकंन करने की जो भावना उत्पन्न हुई, उसी के फलस्वरूप वर्तमान युग मे नारी समाज मे क्रान्तिकारी रूप मे राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना ने उन्हे संदियो पुरानी गलुामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की राह दिखाई, जिसका श्रेय निश्चित रूप से डॉ. अम्बेडकर को जाता है। वास्तव मे आज सामान्य नारी व दलित महिलाएं जिस स्वतंत्रता व समानता का उपभोग कर रही है तथा उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर जो अधिकार मिले हुए है, उन्हे इस स्थिति तक पहुँचाने की एक महत्वूपर्ण कड़ी के रूप मे थे डॉ. अम्बेडकर ने उस समय महिलाओ की प्रगति की आवाज को उठाया, जब नारी सामाजिक, राजनैतिक एव आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपक्षित का शिकार थी और उनके प्रयासो के परिणामस्वरूप ही दलित महिलाओ को दासता की बेड़ियो से मुक्ति मिली तथा उन्होने स्वच्छन्द वातावरण मे मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ समाज मे अपनी अस्मिता एवं वजदू को स्थापित किया। आज वर्तमान युग मे दलित महिलाएं हर क्षेत्र मे कार्यरत् है। उनका शैक्षिक उत्थान हुआ है वे शिक्षित होकर समाज के हर क्षेत्र मे अपनी भूमिका निभा रही है। बाबा साहेब के अथक प्रयासो के कारण आज दलित महिलाएं अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Ambedkar, B.R. (1936). Annihilation of Caste: The annotated Critical Edition, Edited and annotated by S. Anand, Introduced with the essay The Doctor and the Saint by A. Roy. New Delhi, Navayana.
2. Ambedkar, B.R. (1946). What Congress and Gandhi have done to the Untouchables, Bombay: Tracker.
3. Ambedkar, B.R. (1947), States and Minorities, what are their rights and how to secure them in the constitution of Free India, Bombay, C. Murphy for Thacker.
4. Ambedkar, B.R. (1948), The Untouchables; Who were They? And why they became Untouchables, New Delhi, Amrit Book Co.
5. Ambedkar, B.R. (1951), The Rise and Fall of Hindu Women; Who is Responsible for it? Calcutta, Mahabodhi.
6. Ambedkar, B.R. (1968), Annihilation of Caste with a reply to Mahatma Gandhi; and Castes in India: their mechanism, genesis, and development, Jullundur City, Bheem Patrika Publications.
7. Ambedkar, B.R. (1979), Dr. Babasaheb Ambedkar, Writing and Speeches, Vol. 1, Bombay, Department of Education, Government Maharashtra.Research Journey International multi-disciplinary, ISSN 2348-7143, April 2018, Page 77-79.
8. Nahar, Emanual, (2017), Dr B.R. Ambedkar's Philosophy in Contemporary India, Kalpaz Publication, Delhi.
9. Pai, Sudha (2002), Dalit Assertion and the Unfinished Democratic Revolution, The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh, Cultural Subordination and the Dalit Challenge, Vol.3, Sage Publication, New Delh.

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 **ISSN : 2394-2878**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

असुर जनजाति एवं उसमें हो रहे परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

मधु कुमारी
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग.
राँची विश्वविद्यालय राँची)
Phone no- 8340678934,
gmail – kmadhu.barbie@gmail.com

सारांश

असुर भारत का एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है।जिसको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी भी टी जी) की श्रेणी में सामिल किया गया है। पुराणों में उल्लेखित असुर जनजाति की बोली भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। असुरो को 'पूर्वदेवा' कहा गया है असुर का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। ऋग्वेद में असुरो के द्वारा निर्मित पुरो का वर्णन है और ये पुर तीन धातु –सोना– चाँदी और लोहा–से निर्मित अलग–अलग अस्तित्व वाले थे।

परिवर्तन सामाज का वो पहिया है जो निरन्तर चलता है। परिवर्तन की इस धारा ने किसी सामाज को अछूता नहीं छोड़ा है। अर्थात जिस प्रकार परिवर्तन अन्य समाजों में होता है उसी तरह परिवर्तन आदिवासी सामाज में भी होता है। लेकिन ये परिवर्तन अन्य सामाज की अपेक्षा आदिम सामाज में धीमी गति से होती है। परिवर्तन के इस धारा में असुर में भी परिवर्तन आया है।

मुख्य बिंदु : असुर जनजाति, परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक ।

असुर जनजाति

असुर भारत के उन 700 आदिवासी समूहों में से एक है, जिन्हें विशेष विलुप्तप्राय जनजाति (पीवीटीजी) घोषित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की पहचान के लिए निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं: (1) आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता (2) कृषि–पूर्व समाज (3) स्थिर या गिरती जनसंख्या (4) साक्षरता का निम्न स्तर व (5) निर्वाह अर्थव्यवस्था ।

इन आदिवासियों के जीवन जीने के आदिम तरीके और उनके सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन के चलते सन 2006 तक इन्हें 'आदिम जनजाति समूह' कहा जाता था। उसके बाद इस शब्द को अपमानजनक मानते हुए उसकी जगह "विशेष विलुप्तप्राय जनजाति" शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा।[(1)]

असुर भारत में रहने वाली एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुर जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः झारखण्ड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है झारखण्ड रमें असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेदार जिलो में निवास करते है। [(2)]

असुर जनजाति आदिम जनजाति है। असुर मुख्यतः नेतरहाट के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते है। यह पठारीक्षेत्र छोटानागपुर के उतरी पश्चिमी कोणों में फैला हुआ है। इसकी चोटी कहीं कहीं समतल है जिसे पाट कहते है। यह क्षेत्र 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसमें असुर के लगभग 25 गांव है। असुरो की सबसे अधिक संख्या गुमला जिला में ही है।

वनर्जी, शास्त्री के अनुसार, असुर एक शक्तिशाली समुदाय था जिसे वैदिक आर्य सम्मान देते थे। लेकिन आगे चलकर आर्यो ने अपनी छल–कपट एवं भ्रष्ट नीति के तहत शारी संख्या में असुरो के वंशजों को मारा। वनर्जी, शास्त्री के अनुसार प्रागैतिहासिक युग में असुर आसरियन के रूप में प्रकट हुए। आसरियन

मिश्र और बेबी लॉन की सभ्यता के अनुरूप थी। उन दिनों आसरियन सभ्यता चरम सीमा पर फल फूल रही थी। असुर समुद्री यात्री के रूप में प्रसिद्ध रहे जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में पहचाने जाने लगे। इस प्रकार राय ने असुरों को सिंधुघाटी निर्माता माना इन्होंने यह भी कहा है असुर नवपाषण युग से होते हुए लौह युग तक आए है।

खुदाई के क्रम में असुरो के बहुत उपकरण प्राप्त हुए है जो पत्थर, तांबा, लोहा, सोना से बने हुए है। राँची जिले में असुर के किलो एवं समाधि स्थल पाये गये है। मजुमदार ने भी स्पष्ट किया है कि आर्यों के समय काफी ताकतवर एवं बलवान के रूप में असुरो को जाना जाता था। मजुमदार ने भी आर्यों और असुरो के बीच युद्ध की बात को स्वीकार किया है।

संकालिया 1971 ने कहा है कि रामायण प्रारम्भिक लौहयुग की धाना है। आधुनिक विचारों में रूपने, एलवीन, हट्टन, थापर, गुप्ता आदि मुख्य है इनका मानना है कि असुर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। परन्तु कब कैसे ये जंगली और शिकारी हो गये यह अभी भी शोध का विषय है। (3)

हरि मोहन के मतानुसार, ''असुर प्रोटो अस्ट्रोलायड है तथा इनकी असुरी भाषा आस्टोएशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। 4)

असुरो को 'पूर्वदेवा' कहा गया है असुर का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। ऋग्वेद में असुरो के द्वारा निर्मित पुरो का वर्णन है और ये पुर तीन धातु –सोना– चाँदी और लोहा–से निर्मित अलग–अलग अस्तित्व वाले थे।

वैदिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि ये असुर ही पुर व्यवस्था के जन्मदाता थे और वर्त्तमान पुरातवेत्ताओं का एक वर्ग भी निश्चित रूप से मानता है और प्रमाणित करता है कि हड़प्प–मोहनजोदड़ो की संस्कृति असुरों की संस्कृति थी और वे नगर उन्ही के पुर थे। इनकी संस्कृति को मय–संस्कृति कहा गया है। असुर जनजाति शिल्प कला, भवन निर्माण की कला में ये अप्रतिम थे। असुरो के पास अनेक रहस्मयी विधाएँ थी। 'जल–बंध' विधा में ये माहिर थे।

भूगर्भ में इनकी आलीशान महल होते थे। संगमरमर कला का भी असुरों को ज्ञान था। इसके अतिरिक्त अस्त्र–शस्त्र निर्माण व लौह विद्या में निपुण एवं प्रवीण थे। महाभारत काल में पांडवों के मायावी महल का निर्माण करने वाला '' मय असुर ''था।

ऋग्वेद में असुरों के साथ आर्यों के संघर्ष की चर्चा है और असुरों की समारिक सता का सुनिश्चित संकेत मिलता है। संघर्ष के एक बिंदु पर आते–आते आर्य हताश निराश हो गए और सहायता याचना करने इंद्र की शरण में गए। इंद्र ने असुरों के साथ अंतिम युद्ध में एक लाख असुरों को मार डाला और इतने ही प्राण बचाकर लिए पर क्षेत्रों में लुक छुप गए। जिन के वंशज कालांतर में मध्य दिशा (मध्य प्रदेश) नारे और यहां से उत्तर प्रदेश से होते हुए मगध में प्रवेश किए जहां उन्हें स्थायित्व मिला।असुरों का अधिपत्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रारंभिक काल में था। आर्यों ने भी पहले वही आकर अड्डा जमाए और असुरों को परास्त करने के बाद आर्यों का राज्य शतद्रु के पास स्थापित हुआ।

असुर आर्यों के पूज्य थे। सम्मिलित रूप से देव और असुर दोनों की पूजा होती थी कालांतर में देव और असुर की श्रेष्ठता को लेकर मतभेद हुआ। देवासुर संग्राम भी हुआ आर्यों का एक परिवार ईरानी असुर पूजक और दूसरा वर्ग देवीपूजक हो गया आज भी रानियों ने मुख्य देवता अहुर मज्द अर्थात असुर को ही पूछते हैं। ईरानी स का उच्चारण ह के रूप में करते हैं अर्थात असुर को वह अहुर कहते हैं जैसे सिंधु को हिंदू कहते हैं।आरिफ उसे परास्त होने के बाद असुर पलायन कर गए और दुर्गम पर्वत अरण्य में अपना आवाज बनाया। (5)

जाति दृष्टिकोण से असुर प्रोटो आस्ट्रोलॉयड श्रेणी में रखा जाता है। शारीरिक लक्षणों में यह मुंडा संथाल हो फिर हो आदि से मिलते जुलते हैं। इनका रंग गहरा सावला के काला तक होता है। इनके बाल काले होते हैं कद छोटा से मध्यम तक होता है। इनकी नाक धसी हुई होती है। असुर में बी रक्त समूह की बहुलता है। आंख का रंग गहरा भूरा से काला और यह समानता पाली होते हैं अर्थात इन का माथा बड़ा होता है।

बोट्स का कथन है कि इनका इतना सम्मिश्रण हुआ है कि आस्ट्रोयड लक्षण क्षीण हो गया है।

इनकी भाषा असुरी है जो आस्ट्रोएशियाटिक (आग्नेय) भाषा परिवार से संबंध रखती है। ये नागपुरी और हिन्दी का भी प्रयोग करते है।

असुर जाति की तीन उप जातियां है–

1. बीर असुर– जंगलों में निवास करने वाले असुर बीर (वीर) असुर कहलाते हैं।
2. बिरजिया अुसर– घूम–घूम कर कृषि करने वाले बिरजिया असुर कहलाते है।
3. अगरिय असुर–आग का काम अर्थात् लोहा गलाने का काम करने वाले अगरिया असुर कहे जाते है।(6)

असुर जनजाति के आर्थिक संगठन – आदिकाल से असुर लौह कर्मी रहे हैं। लोहा गलाना भी उनका पारंपरिक पेशा और आजीविका का एक मात्र साधन था। जिस परिवेश में इनका निवास–स्थल है वहाँ लोहा और भट्ठी में जलाने के लिए लकड़ी कोयला उपलब्ध हो जाता था।

असुरों की तीन तरह के लौह अयस्कों की पहचान करने की क्षमता के संबंध में डा0 सत्यप्रकाश गुप्ता (1976) ने अपनी पुस्तक दि असुर में जिक्र किया है। ये लौह अयस्क है– पीजा (मैग्नेटाइट), बिच्छी (हेमाटाइट), गोटा (लेटेराइट)। कालांतर में हय लौह उद्योग कमजोर होता गया। स्थानातंरित खेती, संग्रह और शिकार जीविकोपार्जन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। असुरों के पेशा का मुख्य स्रोत कृषि है उसके बाद शिकार एवं कंद मूल संग्रह मजदूरी भी इनके आय का उपस्रोत बना हुआ है। कुछ असुर कारीगरी का कार्य भी करते है। जंगल से असुरो का गहरा रिस्ता है। जंगल इनकी आजीविका और आय के स्रोत रहा है। जंगल में ही इनके बोंगा (देवता) निवास करते है। पेड़ों से रस्सी, टोकरी, डलिया, हरका, सूप आदि बनाते है। जंगल से ही बीज, फल, फूल, साग सब्जी, कंद मूल आदि उपलब्ध हो जाता है। ये सब बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। असुर जंगल से परिचित हैं इस कारण इन्हें जड़ी बूटी का भी ज्ञान होता है।[7]

असुर के पूर्वजों को आज की तरह जंगल के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता था। इनके पूर्वज जंगल के जमीनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे। बाहर की दुनिया से इनका संबंध न के बराबर था। इनकी आवश्यकता बहुत कम थी। आज की तुलना में इनके पूर्वजों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आज इन्हें जंगल के प्रतिबंधों से बंधना पड़ता है तथा इनका संबंध बाहरी दुनिया से होने के कारण इनकी आवश्यकताएँ भी बढ़ी है। जिसकी पूर्ति इनकी खराब आर्थिक स्थिति में नहीं हो पाती। पलामू के राजस्व पदाधिकारी श्री एल.आर. फोर्वस द्वारा छोटानागपुर के आयुक्त श्री पी.टी. डाल्टन को प्रतिवेदन भेजा। प्रतिवेदन के अनुसार असुर जनजाति आदिम औद्योगिक एवं अस्थायी कृषक थे। उनका आवास जंगल था और ये अपना जनजातीय नाम जंगल से प्राप्त किये थे। ये वहीं असुर थे जो पत्थर के चुर्ण को गलाकर लोहा निकालने का कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें जंगल में लकड़ी पर्याप्त मिल जाती थी। जिसका चारकोल बनाकर ये लोहा गलाया करते थे। वर्ष के शेष अवधि में ये अस्थायी कृषि, जंगल के कन्दमूल बटोरने, शिकार करने आदि में संलग्न रहते थे। प्रारंभ में इनका चरित्र नोमेडिक था परन्तु बाद में ये गांवों में स्थायी रूप से बस गये। प्रारंभिक अवसस्थ में जंगल जलाने के बाद कुछ दिन उस जमीन में कुछ पैदावार होता थ। बाद में पैदावार नगन्य होने पर ये दूसरी जगह जाकर कृषि करते थे। इनकी कृषि वर्षा पर निर्भर थी।

सरकार के नियम एवं जंगलों से दूर होने के कारण इनकी आर्थिक स्वरूप में बदलाव आया है। असुरों में आर्थिक बदलाव दो प्रकार के हुए हैं। जमीन एवं राजस्व बन्दोबस्ती की पद्धति के कारण इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन इनके लोहा गलाने वाला तथा सिफ्टिंग कृषि पर पड़ा है। उद्योग के विकास तथा व्यवसाय के विकास के कारण असुरो के लोहा गलाने के एकाधिकार पर प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा जंगलों के संबंध में लगाये गये प्रतिबंध एवं जंगलों के सुरक्षित किये जाने से इन्हें कठिनाई हुई है। आधुनिक पद्धति के समाने इनकी पुरानी पद्धति टिक नहीं पाई जिसे इन्हें अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ा। परिवर्तन के युग ने असुरों के अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है।[8]

असुर स्थायी कृषि को मुख्यतया अपना चुकी है। कृषि एक व्यक्ति से नहीं हो सकता अतः परिवार के सभी सदस्य उसमें अपना योगदान करते है। इस तरह असुर परिवार में समुचित श्रम विभाजन की व्यवस्था है। पुरूषों और स्त्रियों के कार्य बंटे हुए है बच्चे और वृद्ध भी सरल कार्यों को सम्पन्न करते है असुर जनजाति में पुरूष का कृषि में विशेष स्थान होता है। जैसे खेत तैयार करना, हल चलाना, इसके आलावा घर का छप्पर तैयार करना, जंगल से लकड़ी आदि लाना उपकरण बनाना, रस्सी बनाना, धार्मिक विशेषा भी पुरूष ही होते हैं। घर का काम, पानी लाना, खाना पकाना, धान कूटना, फल –फूल लाना, साग सब्जी लाना, खेत में रोपनी, कटाई, बुनाई आदि कार्य भी स्त्रियाँ करती हैं। बच्चों की देख रेख बाजार से खरीदारी, झाड़ू निर्माण पत्रल निर्माण का जिम्मा भी स्त्रियों का होता है। बच्चे और वृद्ध मिलकर घर के पशुओं की देख–रेख करते हैं इस तरह सब मिलजुल कार्य करतें है।

असुरो की आर्थिक स्थिति ठिक नहीं इसलिए कृषि से समय मिलने पर ये लोग मजदूरी भी करते है। असुर लोग लोहा बाजार से खरीदने लगे है। उसका निर्माण करना बन्द कर चुके है। चुंकि वर्तमान में भी असुर वन के करीब है और अपनी परम्परा को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे है। मार्च माह से जून तक असुर जंगलों में बरहा, खरगोश, गिलहरी, साही जैसे पशुओं का शिकार करते है। शिकार प्राय पुरूष द्वारा सामुहिक रूप में होता है। असुरो में कारीगरी भी देखने को मिलता है। ये लकड़ी के उपकरण बनाकर बाजार में बेचते है।

बिशुनपुर के तीन असुर परिवारों ने तेल पेरने हेतु लघुकुटीर उद्योग के तहत कोल्हू लगा रखा है। जिसमें वे सरसों का तेल निकालते हैं। कोल्हू का निर्माण उन्होंने स्वंय खैर, कटहल, महुआ की लकड़ी से किया है। सरसों तेल के अलावे कुसुम, करंज से तेल प्राप्त कर बाजार में बेचने लगे हैं।

गरीबी के कारण ये लोग खानों में भी काम करते है। छोटानागपुर के पाट क्षेत्र में बाक्साइट की खाने है इन खानों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर असुर जनजाति के ही है। बाक्साइट खोदने से लेकर ट्रकों में लादने तक का कार्य स्त्री पुरूष दोनों करते हैं। यही मजदूर शहरों में भी मजदूरी के लिए जाते है। वर्षा आते ही ये वापस गाँव लौटकर कृषि कर्म में लग जाते हैं। पाट क्षेत्र में 1952 ई0 से ही असुर समुदाय के लिए आश्रम विद्यालय खोले गये, परन्तु शिक्षा की दृष्टि से ये समुचित लाभ नहीं पा सके। सरकार के द्वरा प्रत्येक पढ़े–लिखे असुर को नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है। कुछ गिने चुने लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे है। गुमला के बिशुनपुर प्रखण्ड के कार्यलय में भी असुर जनजाति के लोग कार्य कर रहे है। सरकार के तरफ से सरकारी अनुदान के रूप में असुर समुदाय को पशुपालन की सुविधा प्रदान की जा रही है। ताकि इनमें आर्थिक समृद्धि आ सके। प्रतिवर्ष प्रति असुर परिवार को दो बैल दिया जा रहा है। 1992 में प्रति परिवार को पाँच असुर प्रदान किये गये थे। इनमें एक नर और चार मादा थी इनकी प्रजनन क्षमता ज्यादा होने के कारण गाँव में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। 1992 ई0 में प्रति असुर परिवार को 10 मुर्गियाँ मिली थी। लेकिन इनकी संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई। इसके आलावा इन्हें बकरी, बतख भी दिये गये।

असुर जनजाति अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठिक करने के लिए वनों के उत्पाद पर भी निर्भर होता है। वन से साल बीच, कुसुम बीज, महुआ फूल, खुखड़ी, रूगड़ा, बॉस करेल प्राप्त होता है। जो तेल एवं खाद्य पदार्थ के काम आता है। इसके आलावा वन से लकड़ी और पत्ता भी ला कर उपयोग करते हैं। सखुआ पत्ता दोना बनाने के लिए और केन्दु पत्ता बीड़ी बनाने के लिए।

असुर जनजाति वनों के जंगली फल को भी खाते है। वन सामग्रियों के स्वंय उपभोग के साथ बाजार ले जाने पर ब्रिकी भी करते हैं। इस तरह हम पाते है पाट क्षेत्र में निवास करने वाले असुर जनजाति का एक अच्छा आर्थिक स्रोत वन भी है। असुरों के क्षेत्र में दैनिक बाजार की जगह अन्य जनजातीय क्षेत्रों की तरह साप्ताहिक बाजार लगता है। ऐसे साप्ताहिक बाजार बिशुनपुर, बनारी आदर, नेतरहाट तथा जो भी पाट में लगता है।

असुर अर्थव्यवस्था में इन बाजारों का विशेष महत्व यहाँ अधिकतर वस्तु विनिमय ही मुख्य रूप से प्रचलित है। बाजारों में वन से प्राप्त लकड़ियों से निर्मित सरलतम उपकरण अन्य वन्य सामग्री यथा खाद्योपयोगी फल–फूल, साग पशु, शहद, दतुअन, रस्सी के अलावे खेतों की उपजे अनाज यथा धान, मकई, सरसो, धान से बनाई मुरही इत्यादि का विनिमय होता है। असुरों के बाजार में खरीद ब्रिकी से अधिक विनिमय होता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त होती है। परन्तु सिर्फ विनिमय कहना गलत होगा। क्योंकि वर्तमान में पैसो से खरीद बिक्री की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है। विनिमय व्यवस्था में सरसों के बदले नमक, मकई के बदले, घड़ा और चिरौंजी के बदले चावल मिलता है। इन सबका एक निश्चित अनुपात भी तय होता है जैसे एक किलो चिरोंजी में 12 किलो चावल मिलता है।[9]

असुर जनजाति के सामाजिक संगठन

समाज आदिम हो या आधुनिक सभी समाज में सामाजिक संगठन पाया जाता है। उपाध्याय एवं शर्मा के अनुसार, मनुष्य स्वभाव से समूह में रहना पसन्द करता है। इन समूहों के संगठन को समाज कहते है। जनजातीय समाज सरल समाज है इसमें किसी व्यक्ति का समाज में स्थान, उनके अधिकार, कर्त्तव्य और सम्पतिपर अधिकार प्रायः दूसरे सदस्यों के साथ उसके जन्मजात सम्बन्धों पर निर्भर होते हैं। इन समाजों के संरचना के मुख्य तत्व कुल समूह गोत्र, भ्रातृदल या गोत्र समूह तथा युग्म संगठन है।

विद्यार्थी के अनुसार, भारत की सर्वाधिक जनजातियाँ व्यक्ति, परिवार, गोत्र, उपजाति, जनजाति श्रेणी में आती है। अन्य जनजाति की तरह असुर जनजाति का भी समाज है और इस समाज के भी संगठन हैं।

असुर जनजातियाँ तीन उपजातियों में विभक्त है

1) बीर असुर बीर असुर सोयका, धुरतु, जाट और घोल के नाम से जाने जाते है। बीर असुर की महिलाएँ गोदाना नहीं कराती और न ही नाक छेद कराती है।

2) अगरिया असुर

3) बिरजिया असुर – बिरजिया असुर को आजकल एक स्वतंत्र अलग जनजातीय समुदाय बिरजिया के नाम से जाना जाता है।

अन्य जनजातियों की भाँति ही असुरों में गोत्र को विभाजित किया गया है। असुरों में 12 गोत्र पाये जाते है। विवाह गोत्र के बहार होता है।

गोत्र के प्रकार निम्न है–

1. बेंग (मेढ़क), – इसको भी बारह उपभागों में बांटा है जैसे– राधा बेंग, सिन्दुरिया बेंग, पनी बेंग।
2. इन्दवार (मच्छली) ये तीन उपभागों में विभक्त है। छोटा इन्दवार, बड़ा इन्दवार मध्यय इन्दवार।
3. टोप्पो–ये तीन उपभागों में है। जैसे बामहन टोप्पो, छड़ टोप्पो जाई टोप्पो
4. खुसर

5. केरे केतीय (केरकेट्टा)

परिवार – प्रत्येक समाज में परिवार का एक समान नहीं होता है। परिवार विवाह एवं वंश के आधार पर होता है। नेतरहाट के पाट क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति के लोगों में परिवार का भेद परिवार के सदस्य की संख्या पर किया जाता है।[10]

असुर विवाह – विवाह नामक संख्या प्रत्येक समाज में पायी जाती है। चाहे वह समाज आदिम हो या आधुनिक सभ्य समाज हो। विवाह, संस्कृति का आवश्यक अंग है क्योंकि यह वह साधन है जिनके आधार पर समाज की प्रारम्भिक इकाई परिवार का निर्माण होता है। समाज द्वारा सामान्य प्राप्त तरीके से स्त्री पुरूष में यौन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उसे नियंत्रित करने एवं स्थिर रखने और परिवार को स्थाई रूप देने के लिए विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ।सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व बच्चों को जन्म देना और समाज की निरन्तरता को बनाये रखना है। इसी कारण विवाह नामक संस्था सभी समाजों ने पायी जाती है। असुर जनजातियों में विवाह की विधि अन्य जनजातियों की तरह नहीं होती है।
असुर जनजाति में विवाह की व्यवस्था दृ असुर जनजाति में विवाह की मुख्य व्यवस्था विधिवत विवाह को मानी जाती है इसके अतिरिक्त इदी .. मी विवाह ढुकू विवाह ।
विधिवत विवाह – इस प्रकार के विवाह में अधिक खर्च होने के कारण यह विवाह असुरों में कम पाया जाता है। असुर अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। जब लड़के और लड़की की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो जाती है। तब लड़के के माता–पिता अपने सगे सम्बन्धी से विवाह के सम्बन्ध में बात करते है और लड़की का पता लगाते हैं। लड़की का पता लग जाने के बाद लड़का के तरफ से अगुआ लड़की के घर जाता है और लड़की के पिता से कहता है कि छप्पर पर कोहड़ा फल गया है इसे देखकर मैं आपके घर आया हूँ। इसके बाद लड़की के पिता अगुआ को आदर के साथ घर में बैठाता है फिर कुछ खाने पीने को देता है। अगर लडकी के पिता को अपनी कन्या का विवाह करना होता है तो वह लड़के पक्ष से कहता है कि फल आपका है इसे ले जाइए। अगुआ के लौटने के बाद लड़के के माता–पिता एवं अगुआ लड़की के घर जाते हैं। फिर लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के परिवार का स्वागत किया जाता है। जल पान करा कर सम्बन्ध तय किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद लड़कीके माता–पिता लड़के के घर जाते है और उनका स्वागत होता है। खान–पान के बाद दोनों पक्ष अपने सामने बैठते है। लड़का और लड़की भी बैठते हैं लड़का और लड़की की अनुमति के बाद विवाह का दिन निश्चित किया जाता है।
विधिवत विवाह की विधियाँ एवं रस्म
डाली टाका (कन्या मूल्य) रस्म – विवाह निश्चित हो जाने के बाद दूल्हा के तरफ का अगुआ लड़की के घर डाली टाका लेकर आता है। डाली टाका में अरवा चावल, दूब हल्दी, का पाँच टुकड़ा साथ में दुल्हन का कपड़ा, दुल्हन के माँ और भाई के लिए कपड़ा एवं उसमें कन्या मूल्य रूपया के रूप में होता है यह रूपया पहले 5 से 7 रूपये तक होता था। यह रस्म सबकी उपस्थिति में होता है। दूल्हा पक्ष का अगुआ डाली टाका को एक थाली में रख कर सभी के सामने रख देता है। फिर लड़की की माँ पैसे गिनती है और कहती है कि पैसा कम है। इतना पैसा में मैं अपनी लड़की की मौसी गिनती है तो वह कहती है कि पैसा पूरा है। इसके बाद लड़की को लड़का के अगुआ के पास लाया जाता है। लड़की पूरब तरफ मुँह करके बैठती है। लड़का का अगुआ लड़कर के बाएँ हाथ में एक बेड़ा पहना देता है। बेड़ा पहनाने के बाद डापली टाका की रस्म समाप्त हो जाती है। अर्थात् पूरा हो जाता है।
छेका रस्म – लड़की पक्ष वाले लड़का का छेका करते है। इसमें लड़की पक्ष के अगुआ लड़का को अपने पास बैठा कर उसके दाएँ हाथ में एक बेड़ा पहनाता है। फिर खान–पान होता है। असुर जनजाति में डाली

टाका के समय ही जब बेड़ा लड़की के हाथ में पहनाते है तो वह छेका की तरह ही होता है चूँकि उसे ये लोग डाली टाका के नाम से सम्बोधित करते है। ये लोग चन्द्रकला के आधार पर निद निश्चित करते हैं और विवाह की तिथि इस प्रकार तय हो जाती है।

मण्डप (मड़वा) रस्म – विवाह निश्चित हो जाने के बाद दोनों पक्ष के लोग आपस में मिलकर विवाह का कार्यक्रम बनाते है। उसी कार्यक्रम के अनुसार लड़का और लड़की के घर में मड़वा गाड़ा जाता है। मड़वा को बीच में गाड़ कर उसके चारों तरफ बल्ली गाड़ा जाता है तथा इसके ऊपर बल्ली डाला जाता है। फिर, बॉस और पत्ता से ढका जाता है। मड़वा के लिए समस्त सामान अपने जाति के लड़के जंगल से लाते हैं और अच्छे से खुद बनाते हैं। मड़वा तैचार हो जाने के बाद रात में मुर्गी के बच्चे को मड़वा में छोड दिया जाता है। और फिर उसे मड़वा में काटा जाता है। चेंगना की बलि देने के बाद मटकोड़वा का काम आरम्भ होता है। माटी कोड़ने का काम बैगा करता है। वह तीन कुदाल माटी काटता है और माटी लेने का काम अविवाहित लड़कियाँ करती है। उस माटी को मड़वा में रखा जाता है। उसके बाद सवई की रस्सी से आठो बल्ली को बांधा जाता है।

उवटन और तेल की रस्म–मण्डप के तैयार हो जाने के बाद लड़का और लड़की को सरसो का तेल लगाया जाता है। तेल मलने का काम उसकी बहन करती हैं। फिर गाँव की औरते मंगल गीत गाती है। उबटन तेल के साथ ही लगाया जाता है। उबटन में हल्दी, सरसों तेल मिलाकर लगाया जाता है। इससे लड़का और लड़की का रूप निखर जाता है। तेल और उबठन लगाने के बाद लड़का कुआँ या तालाब पर जा कर नहाता हैं और अपना कपड़ा पहन कर आँगन में बैठता है। कुच्छ लड़के बाजा बजाते है। लड़कियाँ गाना गाती है।

उसके बाद बरात की तैयारी होती है, जिसमे दो लड़कियाँ दो कलश को उठा कर लाती है। कलश के मुख पर धान की बाली बँधी रहती है। उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ होता है। उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया जाता है। एक टोकरी भी तैयार की जाती है। उसमें तेल, हल्दी, उबटन, माचिस, सिन्दुर रखा हुआ रहता है। दोनों लड़कियाँ कलश और टोकरी उठा कर नाच कर बाराती के साथ चलने लगती है। इसके बाद अगुआ दूल्हा को अपनी पीठ पर चढ़ा कर बाहार लाता है। उसके बाद दूल्हा बराती के साथ पैदल चलने लगता है। जब बारात दुल्हन के गाँव के पास पहुँच जाती है तो वहीं पर आग जला दिया जाता है। वहीं पर बारात रूक जाती है। उसके बाद दोनों तरफ के अगुआ मिलने लगते है। दूसरी तरफ दुल्हन को भी नहला कर तैयार किया जाता है। बारात के आने के बाद विवाह के नियम शुरू होते है। ये छोटे–छोटे रस्म बहुत प्यारे होते है ये सारे रस्म को ये लोग अपनी परम्परा के अनुसार करते है।

फिर विवाह के मुख्य रस्मे शुरू होती है जिसमे दुल्हा और दुल्हन को अगुआ के द्वारा उठा कर लाया जाता है। घर के अन्दर तीन पिढ़ा होता है जिस पर दुल्हा दुल्हन और दुल्हन की बहन बैठती है। वहाँ पर लड़का और लड़की को उबटन लगाया जाता है। इस समय गाँव की औरते मंगल गीत गाती है। उसके बाद दुल्हन अपने दाहिना हाथ के अनामिका अँगुली से लड़का के माथे पर सिन्दुर लगाती हैं। उसके बाद दूल्हा भी अपने दाहिना हाथ की अँगुली से सिन्दूर लगाता है। सिन्दूर लगाने के बाद दोनों को पति–पत्नी घोषित किया जाता है। इसके बाद लड़का लड़की के सामने एक छोटा सा घड़ा में हड़िया रखा जाता है। आम के पत्ती से बना दोना होता है। फिर लड़का एवं लड़की को हड़िया पिलाया जाता है। पहले दुल्हन को पिलाया जाता है। फिर दुल्हा को पिलाया जाता है। फिर लोग कहते है दुल्हा ने दुल्हन का जुटा पिया है। इस प्रकार हँसी का माहौल बन जाता है। इसके बाद दुल्हा को हल्दी मिलाकर चावल खिलाया जाता है।

विवाह समाप्त होने के बाद एक चटाई पर दूल्हा–दुल्हन को मड़वा में बैठाया जाता है। फिर चुमावन का काम किया जाता है। चुमावन का काम औरते करती है। वहीं पर तीन व्यक्ति बैठे होते है। एक व्यक्ति

लिखता है दूसरा व्यक्ति नगाड़ा बजाता है और तीसरा आवाज लगाता है कि किस औरत ने चुमावन में कितना पैसा दिया है। चुमावन के समय प्रत्येक परिवार को की एक महिला एक घड़ा हड़िया और पाँच पैला चावल ले कर आती है। इसी के साथ कुछ पैसे भी चुमावन के स्थान पर रख दिया जाता है। चुमावन के चावल और हडिया को गाँव के सभी लोग खाते–पीते हैं। इसके बाद लड़का और लड़की को घर के अन्दर कर दिया जाता है। असुर जनजाति में विवाह के बाद लड़की के पिता लड़का को मुर्गा देता है लड़का मुर्गा बना कर सास–ससुर को खिलाता है। इस रस्म के बाद विदाई की रस्म होती है। इस रस्म में अगुआ लड़का लड़की नाचते हुए उठा कर ले कर आता है। लड़की का अगुआ लडका को उठाता है लड़का का अगुआ लड़की को उठाता है। फिर दूल्हा दुल्हन और बाराती के साथ अपने घर लौट आते है। दूल्हा के घर में भी चुमावन होता है। चुमावन के बाद गाँव वालों को भोज दिया जाता है।

लौट बहुर विधि – विवाह होने के बाद दूल्हा–दुल्हन के साथ एक दोस्त हड़िया और रोटी लेकर आता है हड़िया और रोटी को अपनी सास को देता है। रोटी और हड़िया को पूरे गाँव बाँटा जाता है। इसके दो तीन दिन बाद लड़के के घर का एक व्यक्ति लड़का को लाने जाता है। अर्थात् यह लौट बहुर की विधि लड़की के घर में सम्पन्न होती है। जब लड़की विवाह के बाद अपनी माँ के घर वापस लौटती है।

इस प्रकार से असुर जनजाति में विधिवत विवाह का कार्य सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त विवाह की अन्य व्यवस्था भी पाई जाती हैं।

इदी ताई–मा वैवाहिक व्यवस्था – पाट क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति के लोगों में परिवार का भेद परिवार के सदस्य की संख्या पर किया जाता है। नेतरहाट के पाट क्षेत्र में निवास करने वाले असुर जनजातियों में एक अनोखी विवाह व्यवस्था पाई जाती है जो कि अन्य जनजातियों में नहीं मिलती है। असुर जनजाति के लोग इसे इदी–ताई–मा, या इदी भी कहते है। इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है और न ही गाँव वालों को भोज दिया जाता है। लेकिन इस व्यवस्था से एक स्त्री, पुरूष को शादी–शुदा माना जाता है। पाट क्षेत्र के कुछ गाँवों में यथा सखुआ पानी, जो भी पाट, कुजाम–पाट आदि में 70 प्रतिशत लोग इसी व्यवस्था से विवाह करते है। 'इदी– ' विवाह प्रणाली में दम्पति को अपने जीवन काल में शादी की औपचारिकता कभी न कभी पूरी करनी होती है। यह औपचारिकता अपने बच्चे के शादी के पहले या शादी के समय ही पूरी करनी होती है। इदी भी व्यवस्था में बैनझोरी की औपचारिकता निभाई जाती है। इसमें लड़की को लड़के के बडे़ भाई के घुटने पर बैठाया जाता है। लड़के पक्ष और लड़की पक्ष के तीन आदमी एक दूसरे का आलिगन करते हुए कहते है कि लोटा का बन्धन छुटी, चाम का बन्धनन छुटी। कभी–कभी दो तीन पीढ़ी तक लोग आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विवाह की औपचारि काम पूरी नहीं कर पाते है। इसका एक उदाहरणः 'मोहना पाट' को जतनु असुर' का है। उसने अपने पोता की शादी में अपनी विवाह की औपचारिक पूरा किया। इस प्रकार की औपचारिकता अपने जीवन काल में नि भानी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह इस प्रकारकी औपचारिकता पूरी नहीं कर पाता है तो मृत्यु संस्कार के पहले यह पूरा करना होता है। असुरों में सिन्दूर का महल है अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पति उसे सिन्दूर लगाता है अगर पुरूष की मृत्यु होती है तो कोई दूसरा व्यक्ति मृतक के हाथ से इसकी पत्नी के माथे में सिन्दूर लगवाता है। इनके बाद मृत्यु संस्कार सम्पन्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि असुर ये विवाह का बहुत महत्व है और विवाह के इदी ताई मा प्रणाली सबसे अलग प्रणाली है।

ढुकू विवाह की व्यवस्था दृ असुर जनजाति में ढुकू विवाह भी पाया जाता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते है लेकिन इनके माता–पिता उनका विवाह नहीं करते है। तो ऐसी स्थिति में लड़की

अपने प्रेमी के घर जाकर रहने लगती है। घर वाले के कोशिश करने पर भी वो नहीं निकलती है। फिर अनंतः घर वाले दोनों का विवाह कर देते है। इस प्रकार मुख्य रूप से असुरो में तीन प्रकार के विवाह की व्यवस्थ रही है। इसके अतिरिक्त असुरो ने और विवाह का प्रचलन भी पाया है जैसे देवर भाभी विवाह, साली विवाह, विधवा विवाह,([11])

असुर जनजाति खुली हुई विचारों को महत्व देने वाली जनजाति है। इसलिए परिवर्तन को भी असुरो ने स्वीकारा है। वो परिवर्तन चाहे किसी भी क्षेत्र में बयों ना हो।

असुर जनजाति में परिवर्तन

परिवर्तन सामाज का वो पहिया है जो निरन्तर चलता है। परिवर्तन की इस धारा ने किसी सामाज को अछूता नहीं छोड़ा है। अर्थात जिस प्रकार परिवर्तन अन्य समाजों में होता है उसी तरह परिवर्तन आदिवासी सामाज में भी होता है। लेकिन ये परिवर्तन अन्य सामाज की अपेक्षा आदिम सामाज में धीमी गति से होती है।

परिवर्तित करने वाले कारक –

औद्योगिकरण विज्ञान एवं संचार क्रांति आधुनिक शिक्षा एवं मूल्य व्यवस्था तथा कानून के प्रभाव में विवाह रूपी संस्था के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों पक्षों में परिवर्तन को संभव बनाया है ।

परिवर्तन लाने वाले कारण निम्न हैं।

1) औद्योगिकरण ।
2)आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ।
3) आधुनिक मूल्य व्यवस्था जैसे स्वतंत्रता समानता धर्मनिरपेक्षता ।
4) आधुनिक कानून व्यवस्था ।
5) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास ।
6) संचार क्रांति ।
7) वैश्वीकरण एवं संस्कृति का प्रभाव ।

इन कारकों के प्रभाव में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

1) यौन संबंधों तथा मातृत्व एवं पितृत्व को वैधता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में विवाह के महत्व में कमी आई है।

2) विवाह के परंपरागत लक्ष्यों में परिवर्तन आया है जैसे पति–पत्नी की प्राचार्य का बड़ी है बिना विवाह परिवार के निर्माण को मान्यता मिल जाने के कारण परिवार के आधार के रूप में विवाह के महत्व में कमी आए हैं । जैसे वर्तमान में एक कुंवारा पुरुष या अविवाहित महिला बच्चे को गोद लेकर परिवार का निर्माण कर सकते हैं।

3) विवाह के रूप में परिवर्तन आ रहा है जैसे बहु विवाह से एक विवाह की और परिवर्तन हुआ है रितेश बीएन एवं के रूप में लैंगिक विवाह का उद्‌भव हुआ है।

4) विवाह की आयु में कम आयु से अधिक आयु की ओर परिवर्तन संभव हुआ है । [(12)]

5) वर्तमान समय में असुर जनजाति के बीच मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है

6) असुर जनजाति हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं अर्थात अधिकतर असुर जनजाति हिंदी भाषा बोल और समझ सकते हैं ।

7) असुर जनजाति में शिक्षा का प्रसार हो रहा है कुछ अनुचित होकर सरकारी नौकरी भी पा रहे हैं ।

8) लोगों के संपर्क में आने के कारण उनके रहन–सहन का तौर तरीका परिवर्तित हो रहा है , आधुनिक वस्तुओं का इस्तेमाल उनमें भी आंशिक रूप में प्रारंभ हो चुका है ।

निष्कर्ष

असुर आदिम जनजाति है जिसकी जनसंख्या बहुत निम्न है। असुर भारत का एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है।जिसको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी भी टी जी) की श्रेणी में सामिल किया गया है। पुराणों में उल्लेखित असुर जनजाति की बोली भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण नई पीढ़ी लरिया व छत्तीसगढ़ी समेत अन्य स्थानीय बोलियों तक सिमट गई है। इस जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के जशपुर, झारखंड और बिहार के पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी आबादी भी सिमटती जा रही है। असुर जनजाति अन्य जाति एवं जनजाति से भिन्न है। इनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में भी काफी निम्न है। परिवर्तन के इस धारा में असुर में भी परिवर्तन आया है परंतु इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में असुर जनजाति में से कुछ असुरों का विकास हुआ है परंतु कुछ असुर विकास के इस क्रम में पीछे रह गए हैं इसके पीछे मुख्य कारण शिक्षा है।

संदर्भ सूची–

1)https://www.youthkiawaaz.com/2021/03/culture-and-traditional-occupation-of-asura-tribe-on-the-verge-of-extinction-hindi-article/

2)https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0_(%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80

3) साहु चतुर्भुज, (2012),''झारखण्ड की जनजातियाँ'',के.के. पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 1.7–1.8

4) लालसोता सी.एवं उरांव प्रकाश चन्द्र,''आदिम जनजातियाँ'',बिहार सरकार कल्याण विभाग बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रोड, रांची, पृष्ठ संख्या –7

5) शर्मा बिमला चरण,(2014),''झारखण्ड की जनजातियाँ'',झारखण्ड झरोखा रांची, पृष्ठ संख्या 44–45

6) वही पुस्तक, पृष्ठ संख्या 47

7) वही पुस्तक, पृष्ठ संख्या–51–53

8) सिंह राजेश्वरी प्रसाद,(1993)'असुर'',बिहार सरकार कल्याण विभाग, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी रांची, संक्षिप्त मोनोग्राफिक सिरिज–8। पृष्ठ संख्या 16–17

9) उरांव प्रकाशचन्द्र,(1994),''बिहार के असुर'',बिहार सरकार कल्याण विभाग, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी, रांची,पृष्ठ संख्या 32–38

10) वही पुस्तक, पृष्ठ संख्या 10–12

11) वही पुस्तक, पृष्ठ संख्या 16–21

12) पाण्डेय एस.एस.(2010),''समाजशास्त्र (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिय)'',टाटा एम सी.ग्रो हील इजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, , पृष्ठ संख्या 9.5–9.7

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

समकालीन कविता

डॉ0 कंचन त्रिपाठी
असिस्टेंटप्रोफेसर (हिंदी)
ए0पी0एन0पीजी0कॉलेज,बस्ती

समकालीन कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की भाषागत संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है।कविता जहाँ समाज सापेक्ष रूप में रची जाती है वहाँ वह सामाजिक,नैतिक,बौद्धिक,सांस्कृतिक प्रक्रिया होने के साथ–साथ सौन्दर्यबोधी होती है।कार्ल मार्क्स के विचारानु सार मनुष्य एक सृजनात्मक प्राणी होता है, उसके द्वारा होने वाले सृजन का आधार सौन्दर्यशास्त्रीय नियम होते है।

मार्क्स ने कहा भी है कि, ''मैन देयरफॉर आल्सो कार्म्स थिंग इन एकार्डेन्सविद द लॉ आफॅ ब्यूटी।'' समकालीन कविता की रागात्मक व जीवन संघर्षी कृतियों का आधार साम्प्रतिक दौर का यथार्थ है। 1

समकालीन कविता में यथार्थ के कलात्मक प्रतिबिम्बन स्वरूप में गत्यात्मक परिदृष्य को तलाशा जा सकता है।समकालीन कविता अपने समय के मुख्य अन्तर्विरोधों की कविता है और इन प्राथमिकताओं को अपने जीवनानुभवो से पहचान कर उनके लिये लड़ने के संकल्पहै। 2

समकालीन कविता में जोहो रहा है, (बिकमिंग) का सीधा खुलासा है। आज की कविता में काल अपने गत्यात्मक रूप में ठहरे हुये है। समकालीन कविता में युगीन पात्र मनुष्य का द्वन्द्वशील स्वरूप वर्णित हुआ है। **विश्वंभरनाथनाथ उपाध्याय के अनुसार**,

'' समकालीन कविता में मनुष्य की प्रतिभा स्थिर, जड़, निष्क्रिय और दार्शनिक नही ंहै। इसमें चित्रित आदमी की शक्ल है जिससे आप यह जान सकते है जब कि नयी कविता के क्षणवादियों के जब तक कौंधते क्षणांशो में निमग्न मानव प्रतिमा को आप पूरी तरह से नहीं जानते। समकालीन कविता में द्वन्द्व दृष्टिकोण व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यथार्थवादी अभिव्यक्ति दर्शनीय है"।

स्मकालीन कवियों में सपाट बयानी में बोलचाल की भाषा, जीवन व्यवहार में उपयोग हो रही भाषा का प्रयोग मिलता है। कविता का जीवन की भाषा से रिश्ता ज्यादा सघन हुआ है। इसमें किताबीपन कम है। सामान्य लोग इसमें आये है और वो भी अपनी पूरी सामान्यता के साथ आये है। धूमिल की यह सपाट बयानी एक सार्थक वक्तव्य ही है–

'' एक आदमी रोटी बेलताहै,
दूसरा आदमी रोटी खाता है,
एक तीसरा आदमी भी है,
जो न रोटी बेलता है न खाता है,
रोटी से खिलवाड़ करता है,
मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है"।। 3

समकालीन कविता के कवियों ने पुराने घिसे–पिटे मुहावरों को नई अर्थवत्ता दी है। अधिकांशतः देखा जाता है कि इन कवियों ने लोकोक्तियों का प्रयोग तोड़–मरोड़ कर किया है।

धूमिल ने ''चेहरों का नंगा होना, धर्मशाला हो जाना ,हरी ऑख बनाना, गोबर करना।" 4 आदि मुहावरों व कहावतों का प्रयोग बहुलता से किया है–इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण भी दर्शनीय हैं–

'' जब पीडा बर्दाश्त के बाहर हो जाती है
तो पत्नियों की जली कटी सुनते हुये
खर्राटे भरने लगते है"।। 5

''एक अधेड़ उम्र का
शिक्षक नुमा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ और जिसने
ऊँची डिग्रियाँ ली, अपने खाते में
अनेक किताबें दर्ज की
अपना और अपने कॉलिज का नाम रोशन किया
अपने लेखन से।
कॉलिज की व्यवस्था के कानों में
इस बारे में
कोई जूँ तक नहीं रेंगी"।। 6

समकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में भाषा के नये रूप के साथ उसमें नये उपमान भी शामिल किये हैं। इन कवियों ने आज की यथार्थ स्थिति का बयान करने के लिये उपमान भी ऐसे चुने हैं जिनका सम्बन्ध हमारी यथार्थ जिन्दगी से है–

''बस हम दोनों यूँ ही बैठे है पास–पास
मुझे अपना मन एक टीन के
खाली टब सा लग रहा है,
जिसमें सुख की एक आध बूंद
आवाज के साथ टपकती मालूम होती है"।। 7

समकालीन कवियों ने व्यंग्य द्वारा वास्तविक स्थितियों का बोध कराया है। शासक वर्ग द्वारा होने वाली अनीति, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। 'शहर के नाम' कविता में कुमार विमल मूल्यहीनता की गर्त में गिरे आदमी पर तीखी चोट करते हैं।– ''

दुनिया का सबसे सुखी आदमी
सुअर
और दुखी जानवर
आदमी
प्रार्थना गृहों में दुखी जानवर
प्रार्थनाएं करते है
सुखी आदमी बनने के लिये"।। 8

धर्म की आड़ में किस तरह लोग अपना उल्लू सीधा करते है इस पर व्यंग्य करते हुये डॉ0 सुखबीर सिंह ने लिखा है–

''रेहड़ी वाली किसी पार्क की घास
कूड़ाघर की गंदगी
खाने वाली गाय किसी की नहीं है
लेकिन जैसे ही इस पर छुरे का वार होता है
वह करोडों की हो जाती है।
यह गाय पूरे हिन्दुस्तान की हो जाती है
अपनी बल शाली पीठ पर करोड़ों लोगों की
भावनाओं को ढो सकती
वैसे, अभी यह किसी की नहीं "।। 9

''जब किसी समाज के गर्भ में नया समाज कुलबुलाने लगता है तो शक्ति इस जन्म में दाई का रोल अदा करती है"।। 10

समकालीन कविता यही भूमिका अदा करती है। आजादी के पचास साल बाद भी जन–सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचितहै। परिवार भूख की आग में जल रहा है।–

''बच्चे भूखे है
माँ के चेहरे पर पत्थर
पिता जैसे काठ
अपनी ही आग
अपनी ही आग में
जल रहा ज्यों सारा घर"।। 10

बेकारी चारों तरफ अपना साम्राज्य फैलाये हुये है। यहाँ नौकरी मिलती है भी तो मंत्री की सिफारिश से। गरीबी, बेकारी केवल नेताओं के भाषणों में ही हटायी जा रही है। गरीबों, श्रमिकों, मजदूरों का ही खूनचूसकर शोषक अपने बागों की सिंचाई कर रहे हैं–

''तुम्हारे रक्त को सींचकर गुलाबों की
बगवानी करते वे कुछ लोग"।। 11

वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था की शिकार स्त्री भी है। जो मजबूर होकर वेश्यावृत्ति कर रही है। उच्च वर्ग इनकी मजबूरियों का लाभ उठाने से नहीं चूकता–

''तुम्हारी उठती छाती पर उनकी नजर है लड़की
रसगंध से भरे पृथ्वी के तमाम फलो पर
जिनके दांत गड़े हैं"।। 12

स्त्री को अपनी अस्मिता बरकरार रखने के लिये अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, तभी जाकर वह समाज में अपना स्थान पा सकेगी। रमणिका गुप्ता ने 'नये सीतायन' की आवश्यकता है, कह कर पुराने चक्रव्यूह को तोड़ने की बात पर बल दिया है–

''लेखन का संकल्प तोड़कर,
राम की मर्यादा छोड़कर,
जानकी को वन से मोड़

अग्नि की सब रीते तोड़
रामायण का पुनः रचना
मुझे भी है आज चलना,
सीतायन का नव युग सृजना"।। 13

लीलाधर जगूड़ी , रधुवीर सहाय, राजीव सक्सेना, कुमार विकल, उदय प्रकाश आदि समकालीन कवियों ने समाज से जुड़े इन्हीं निम्नवर्गों की जिन्दगी के सरोकारों को अपनी कविताओं में रूपायित किया है। समकालीन कविता के कवियों ने मध्यवर्ग के जीवन की यातनाऐं झेली हैं, उनकी भूख प्यास के साथ साक्षात्कार किया है–

''मैं जो जानता हूँ भूख रोटियों की,
नमक और मधु की, मैं जो
जानता हूँ पीड़ा आदमियो के बीच निर्वस्त्र
घूमने की, मैं जानता हूँ करोड़ों की भूख
और प्यास मैं जो करोड़ों जीवों के साथ कालापड़
डूबता उतरता हूँ
इस सागर में
टटोलता हूँ अंधकार की, परतों को,
महसूस करते हुए सारे तारे"।। 14

स्वतंत्रता के पचास साल बाद भी जिस समाजवाद की कल्पना की गई थी, आज भी वह एक नारा बन कर रह गया है। समाजवाद की आड़ में पूंजीपति और नेता, राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, समाजवाद शब्द निरर्थक है, धूमिल लिखते है–

"समाजवाद
उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का
एक आधुनिक मुहावरा है
मेरे देश का समाजवाद
माल गोदाम में लटकी हुई
बाल्टियों की तरह है,
जिन पर आग लिखा है,
और उनमें बालू और पानी भरा है"।। 15

लेकिन जब व्यवस्था की कार गुजारियॉ असह्य हो उठती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है, तब व्यवस्था विरोध के स्वर भी सुनाई देते है। किन्तु ये स्वर भिन्न–भिन्न होने के कारण व्यवस्था का बाल भी बाँका नहीं कर पाते और तब कवि को अपनी उपेक्षा कुंठित कर देती है, विद्रोह का स्वर दब जाता है–

''कोई बवंडर उठताहै
व्यवस्था के खिलाफ
तब हर बार
रेशमी मसहरी लगाकर

सो जातेहैं व्यवस्था के तन्तु"।। 16

रघुवीर सहाय ने समकालीनता को बहुत ही व्यापक अर्थ में परिभाषित किया है– ''मेरी दृष्टि में समकालीनता मानव–भविष्य के प्रति पक्षधरता का दूसरा नाम है"। पुनः मनुष्य की प्रतिभा और सामर्थ्य की अनंत संभावनाओं का द्वार अपने अनुभव के लिये खुला रखकर सप्रयत्न उसके वर्तमान को बदलने में जो संलग्न होता है वही समकालीनता का धर्म निर्वाह करता है। 17

वस्तुतः समकालीन कविता का दौर ऐसा दौर है जिसमें पुरानी पीढ़ी के प्रगतिशील भी कविता के मोर्चे पर सक्रिय है – नई कविता के लोग भी और बिल्कुल नये लेखकों की भीड़ है।18 समकालीन कविता किसी विशेष विचारधारा की कविता न होकर एक भाव समुच्चय बोध की कविता रही है। छायावादी रुझान से लेकर क्रान्तिदर्शी चेतना की प्रवृत्तियां, कोई भी काव्य पाठक समकालीन कविता में पा सकता है।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि ''समकालीन कविता अपने समय के मुख्य अन्तर्विरोधो और द्वन्द्वों की कविताहै..... समकालीन कविता में काल गत्यात्मक रूप में ठहरे हुये है..... समकालीन कविता क्षण या क्षणांश के रूप की नहीं काल प्रवाह की आघात और विस्फोट की कविताहै..... समकालीन रेडिकल कविता की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो रही है, वह बढ़ रही है..... इसके तीखेपन के आगे रोमानी, और प्रयोगात्मक या संप्रेषण विरोधी ''एण्टी कम्युनिकेटिव" कविता अप्रासंगिक हो गयी है, और यह नवीन विद्रोह, क्रांति की चेतना, जनाक्रोश, जनवेदना, जनभावना को गहरा रही है, क्रांति के बोध को आंतरीकृत करती जा रही है"।। 19

संदर्भ सूची–

1–समकालीन कविता और सौन्दर्य बोध–रोहिताश्व (पृ0–10)

2–इकोनॉमिक एण्ड फिलॉसफी मेनूस्क्रिप्ट्स–मार्क्स (पृ0–1844)

3–साक्षात्कार–डॉ0 शोभानाथ यादव परिधि से बाहर– सं0 नरेन्द्र प्रसाद नवीन

4–दूसरा सप्तक–अज्ञेय (पृ0–61)

5–द मीनिंग आफ कान्टेम्पेररी रियलिज्म–जार्ज लूकाच (पृ0–188)

6–साथ चलें हुए–विश्वनाथ प्रसाद तिवारी (पृ0–28)

7–एक दिन बोलेंगे पेड़–राजेश जोशी (पृ0–74)

8–वैयाकरण अभिधा एकैव शब्द शक्ति रितिमन्यते/लक्षणामपि तेनांगी–कुर्वन्ति/साहिती जगती–कालूरि हनुमंत राव (पृ0–08)

9–दीवारों पर खून–चन्द्रकांत देवताले (पृ0–82)

10–समसामयिकी हिन्दी कविता वर्तमान साहित्य–सं0 राजेश जोशी, ब्रजनाथ गर्ग (पृ0–356)

11–रचनाधर्मिता के आधारः आम आदमी या खास पार्टी – धर्मयुग (पृ0–27)

12–कल सुनना मुझे– धूमिल (पृ0–68)

13–सुनो कारीगर–उदय प्रकाश (पृ0–31)

14 शब्द लिखने के लिये ही यह कागज बनता है–ज्ञानेन्द्रपति (पृ0–31)

15–फिलहाल – सं0–अशोक वाजपेयी (पृ0–114)

16–गर्म हवायें – सर्वेश्वर दयाल सक्सेना (पृ0–15)

17 समकालीन हिन्दी कविता– डॉ रविन्द्र भ्रमर (पृ0–19)

18–समकालीन कहानी की भूमिका– डॉ विश्वंभरनाथ नाथ उपाध्याय (पृ0–02)

19–समकालीन सिद्धांत और साहित्य– डॉ0 विश्वंभरनाथ नाथ उपाध्याय (पृ0–132)

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

झारखण्ड में कल्याणकारी योजनाएँ

वीणा कुमारी,
पीएच0डी0 शोध छात्रा,
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग,
रॉची, विश्वविद्यालय रॉची।

राज्य में समूहों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना राज्य शासन का उत्तरदायित्व है। समाज कल्याण विभाग अपने सीमित संसाधनों से निःशक्त व्यक्तियॉ, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों के लिये योजनाओं का क्रियान्यवन करता है। विभाग द्वारा जहां एक और वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु नियमों का क्रियान्वयन कराया जाता है वही दूसरी और जो बच्चे परिस्थितियॉ वश आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं अथवा जिन्हें देखरेख की अपेक्षा है, उनके पुनर्वास के लिये योजनाएं संचालित की जा रहीं है। झारखण्ड राज्य के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम इस प्रकार से हैं।

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजनाः

बेटियों के बारे में समाज में पाई जानेवाली नकारात्मक सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या बालिका शिक्षा की कमजोर स्थिति बेटियों की जल्दी ब्याह देने की प्रवृति जैसी समस्याओं का निराकारण आदि को देखते हुए लक्ष्मी लाडली योजना राज्य में 15 नवम्बर से चालू किया गया है। योजना वर्तमान वर्ष 2011 के झारखण्ड स्थापना दिवस अर्थात 15 नवम्बर 2011 से सम्पूर्ण राज्य में लागू हूआ। वर्ष उक्त तिथि से एक साल पहले तक यानि 15 नवम्बर 2011 तक जन्मी बालिका को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार क्या करेगी।झारखण्ड राज्य के प्रत्येक परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न प्रथम प्रसव की पुत्री अथवा द्वितीय प्रसव की पुत्री अथवा दोनो प्रसवों से उत्पन्न पुत्री के नाम से जन्म के वर्ष से लेकर लगाातार 5 वर्षो तक प्रतिवर्ष 6000/—रूपये की दर से यानि कुल 5 वर्षो में 3000/— रूपये डाक जाम योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विनियोग किया जायेगा। क्या फायदा हैः—

- बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2000/—रूपये का एकमुश्त भुगतान बालिका को होगा।
- बालिका के कक्षा 9 में प्रवेष करने पर बालिका को एकमुश्त 4000/— रूपये का भुगतान होगा।
- बालिका के कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर मो0 7500/— रूपये का एकमुश्त भुगतान होगा।
- 11वीं तथा 12वीं में उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं के अलावे प्रतिमाह 200/— रूपये का स्कॉलरशिप का भुगतान बालिका को इस मद से किया जायेगा।
- बालिका की आयु 21 वर्ष होने तक 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर लगभग 1,08,000/— एक लाख आठ हजार) रूपये का एकमुश्त भुगतान बालिका को कर दिया जायेगा किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर समयपूर्ण किया जा सकेगा

योजना के मध्य यानि 21 वर्ष की आयु वर्ष होने के पूर्व भी बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देय समस्त राशि का भुगतान समयपूर्ण किया जा सकेगा बशर्ते किः—

क) बालिका की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो।
ख) बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित हो।
ग) उसका विवाह 18 वर्ष की आयु अथवा उसके बाद हुआ हो।

घ) उसका जन्म संस्थागत हुआ।

1. गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो अथवा वार्षिक आय 72000/– रूपये तक हो।
2. अधिकतम दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन दम्पति द्वारा अपना ली गई हो।
3. दिनांक 15 नवम्बर 2010 को अथवा इसके बाद जन्मी बालिका है।
4. यदि माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो परिवार नियोजन की शर्त शिथिल हो जायेगी परन्तु मृत्यु प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
5. यदि अनाथ/गोद ली गई बालिक है, तो प्रथम बालिका मानी जायेगी।
6. यदि जुड़वा हो तो भी मान्य होगा यदि दोनों बच्चियॉ होगी तो दोनों को मान्य होगा।
7. दूसरी पुत्री के मामले में यह तभी मान्य होगा।
8. अनाथ बालिका होने पर जन्म के 5 साल तक किया गया पंजीकरण मान्य होगा।
9. जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन देना अनिवार्य होगा, एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं हो पायेगा।
10. योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष यानी 2011–12 मै वैसे मामलो संज्ञान में लिये जायेंगे जिनका जन्म एक साल पहले यानि 15.11.2010 या इसके बाद हुआ हो परन्तु यह शिथिलता सिर्फ प्रथम वर्ष होगी।
11. प्रसव संस्थागत हो तथा जन्म प्रमाण पत्र सम्बन्धित अस्पताल तथा सक्षम पंचायत/नगर निकाय द्वारा निर्गत हो।
12. बालिका के कक्षा 6वी में पहुचने पर होने वाले प्रथम भुगतान के पूर्व संबंधित परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक बालिका के लिए आधार पहचान पत्र। किसी भी भुगतान के समय लाभार्थी एवं उनके परिजनों का आधर पहचान पत्र संख्या होना अनिवार्य होगा।

अपवादः

- यदि बच्ची का निबंधन सही हुआ हो परन्तु योजना के किसी भी स्तर पर वह निर्धारित आहर्ती प्राप्त नहीं कर पाती हो यानी 5 वी, 8वी, 10 वी या 12वी कक्षा के पूर्व विद्यालय परित्याग कर देती है तो तत्काल प्रभाव से योजना का लाभा उसे नहीं दिया जा सकेगा।
- बच्ची का विवाह 18 वर्ष से कम आयु होने पर आगे किसी भी प्रदाय की हकदार वह नहीं होगी।
- यदि बालिका की असमय मृत्यु हो जाती है तो प्रदाय का हकदार उसका परिवार नहीं होगा।
- ऐसी किसी भी स्थिति में समस्त राशि/अवशेष राशि राजकोष में जमा कर दी जायेगा।
- अभ्यर्थी को अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा।
- जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी0पी0एल सूची में शामिल होने संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।
- अनाथ बालिका के मामले में अनाथालाय/संरक्षणालय के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालाय में प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर एवं बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व तक संबंधित परियोजना के अधिकारी को आवेदन देना होगा।
- द्वितीय प्रसव से उत्पन्न बालिका के मामले में माता या पिता द्वारा बन्ध्याकारण/नसबंदी करा लेने संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

स्वामी विवेकान्न्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजनाः

योग्यताः

1. वह झारखण्ड राज्य का निवासी हो।
2. लाभान्वितों की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
4. निःशक्त व्यक्ति (सामान अवसर अधिकारी का संरक्षण एवं पूर्ण) भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा–2 के अन्तर्गत निर्धारित निःशक्त की परिभाषा के अनुसार निःशक्तता श्रेणी के अन्तर्गत आता हो।
5. लाभान्वित अथवा उसके माता/पिता/अभिभावक की आय आयकर हेतु निर्धरित सीमा से अधिक नहीं हो।
6. जिला चिकित्सा पर्षद द्वारा उसे निःशक्त प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो।
7. वह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रमों/केन्द्रों एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं का सेवा कर्मी नहीं हो।

इस योजना के अन्तर्गत अहर्ताप्राप्त लाभान्वितों के चयन तथा उनके नाम के अनुमोदन हेतु प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्न रूप से किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी अध्यक्ष

वरीय कार्यपालक दण्डाधिकारी – संयोजक

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनुमण्डल मुख्यालय–सदस्य

प्रभारी चिकित्सा अनुमण्डलीय अस्पताल – सदस्य

इस योजना के अन्तर्गत राशि के भुगतान की व्यवस्था इस तरह विकसित की जायेगी कि निःशक्तों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। कालांतर मै स्थयी व्यवस्था के तहत इस राषि का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑसि के माध्यम से किया जायेगा। नाबालिग तथा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए राशि का भूगतान उन्हें किया जायेगा जिन पर वे आश्रित है। शेष निःशक्तों को राशि का भुगतान सीधा किया जायेगा। जब तक बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से राशि के भुगतान की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक प्रखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर जिला स्तर से प्रतिनियुक्त किसी वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त लाभान्वितों को इस योजना के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा कि वे सरकार की अन्य किसी कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हुए हैं या हो रहे हो।

इस योजना अन्तर्गत 40 प्रतिशत या उससे उपर के सभी विकलांग व्यक्तियों को 200/दो सौ रूपया) प्रति माह सहायता स्वरूप सम्मान राशि दिया जाता है। इस योजना अन्तर्गत 9455 लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है।

महिलाओं के दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षणः

इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन स्तर को सुधाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवसाय के माध्यम से धन उपार्जित कर सकें और अपनें परिवार के बेहतर जीवन–यापन हेतु वितीय आधार दे सकें।

स्वयं सेवी संस्था अनुदानः

सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से उनको अनुदान देकर होल्ड एंज होम, महिला हेल्प लाईन, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय, मंद बुदधि बच्चों के लिए विशेष स्कूल के माध्यम से पढ़ाई एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है।

राजीव गांधी (सबला) योजनाः

इस योजना अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को (11 वर्ष से 18 वर्ष) सशक्तिकरण हेतु दिन पोषाहार स्वास्थ शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है एवं विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन उपयोगी प्रशिक्षण दिये जाते है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः

1. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार की कन्या का लाभ–प्रदान किया जाता है।
2. लाभान्वितों के चयन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा पूर्व से विवाहित न हो।
3. वह वहां का स्थाई निवासी हो जिस प्रखण्ड में वह निवास करता हो।
4. इस योजना के तहत लाभुको को दिनांक 01.11.2011 के प्रभाव से आर्थिक सहायता 15,000/–

सिद्धू कान्हू आवास योजनाः

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान पर आधारित ''सिदध कान्हू आवास योजना'' नाम से एक नई योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।
2. इस योजना के तहत प्रति आवास 45,000/– रूपये की मानक दर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण स्वयं कराया जाता है।
3. जिला स्तर पर इस योजना का कियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों के माध्यम से कराया जाता है।
4. लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तथा लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है। इस योजना के लिए गांवों के चयन हेतु निम्नलिखित शर्ते होती है–
 क. चयनित गांवों मे परिवारों की संख्या 50 से कम न हो तथ इसकी जनसंख्या 200 से कम न हो।
 ख. अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो ।
 ग. लाभुको के चयन में यह सुनिश्चित किया जाना है कि उन्हें पूर्व में इंदिरा आवास योजना/दीनदयाल योजना या किसी भी प्रकार की सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं प्रदान किया गया हो।
5. इस योजना के तहत आवासों का निर्माण इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप ही होता है। इसमें न्युतम राशि सफाई की व्यवस्था अपरिहार्य है।

अनुजाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए कल्याणकारी योजनायेंः

चिकित्सा अनुदानः

गंभीर रोग से पीडित व्यक्तियों को अनुजाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के गरीब सदस्यों को इलाज हेतु चिकित्सा सहायता राशि अधिकतम 3000/– रूपये तक दिया जाता है। अत्यन्त गंभीर मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु 10,000/– मात्र वैधिक सहायतासिविल, क्रिमिनल फौजदारी एवं राजस्व मुकदमों को खर्च वहन कने हेतु गरीब अनु0जाति/जनजाति के सदस्यो को प्रति मुकदमा पर सुनवाई के लिए प्रति दैनिक शुल्क अलग–अलग दैनिक न्यायालयों के लिए अलग–अलग दर निर्धारित किया गया है अत्याचार से राहतगैर अनु0जाति/जनजाति द्वारा अनु0जाति/जनजाति के सदस्यों पर अधिनियम के तहत् अत्याचार का मामला होने पर अत्याचार का विभिन्न श्रेणियों में सरकार के मापदण्ड के अनुसार पीडित अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को आर्थिक सहायता कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है।

छात्रावासः

अनु0 जनजाति/अनु0 जाति/पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल/कॉलेज तथा विश्वविद्यालय तक के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित है। इसमें रहने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कार एवं बर्तन तथा खेल–कुदकी सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

विद्यालय छात्रवृतिः

कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार, द्वारा सरकारी विद्यालय, मान्यता प्राप्त एवं स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के छात्र/छात्राओं के कल्याण एवं शैक्षणिक विकास की दृष्टि से विद्यालय छात्रवृति की राशि आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र/छात्राओं को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रदान की जाती है एवं जिला स्तर पर छात्रवृति का वितरण ग्राम शिक्षा समिति/विकास समिति के माध्यम से प्रगति पर है।

साइकिल वितरणः

सरकारी विद्यालयों में अष्टम वर्ग में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले छात्र/छात्राओं को उच्च विद्यालय में नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ने से रोकने के उद्देश्य से कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क साइकिल दिया जाता है।

मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजनाः

सभी अल्पसंख्यक जनजाति एवं आदिम जनजाति परिवारों को प्रति परिवार प्रत्येक माह 35 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता हे। झारखण्ड के संबंधित जिलों में योजना के तहत परिवारों को इस योजना से लाभन्वित किया जा रहा है।

प्रवेशकोत्तर छात्रवृतिः

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति के छात्र छात्राओं जो विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थानों में अध्ययनरत है को पोस्ट मैटिक योजना अन्तर्गत, छात्रवृति एवं शिक्षण शुल्क विविध शुल्क का भुगतान किया जाता है।

गैर सरकारी संस्था द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमः

विभाग द्वारा प्राप्त गैर–सरकारी, संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों का जॉच जिला स्तर पर की जाती है तथा जॉच प्रतिवेदन एवं परियोजना प्रस्ताव उपायुक्त की अनुशंसा से कल्याण विभाग को भेजा जाता हैं। निदेशालय स्तर पर उक्त प्रस्ताव की स्क्रिनिंग समिति की बैठक में पारित करने के उपरांत संस्थाओं को सीधे राशि मुहैया करायी जाती है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कार्यक्रमः

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता (अधिनियम,2006) अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं सामुहित दावे जैसे वन भूमि में परमपरागत चारागाह, कन्द्र, मूल, चारा, वन्य खाद्य फल और अन्य लघु वन उत्पाद उपयोग तथा जमा करने के क्षेत्र, मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां मानव तथा पशुघन के उपयोग के लिए जल स्त्रोत औषधीय पौधों का संग्रह तथा जड़ी–बुटी औषधी व्यवसायिक क्षेत्रों सामुदायिक दावे के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने का प्रावधान हैंइस योजना से अल्प संख्यक आदिम जनजाति के सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास कियाजा रहा है।

योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर भी कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनायें:

इदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजना:

राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों का लक्ष्य बी0पी0एल परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया एवं तत्काल केन्द्रांश 75/– पचहतर रूपये एवं राज्यांष 25/– पचीस रूपये कुल एक सौ रूपये प्रतिमाह के दर से प्रति पेंशनधारी को पेंशन भुगतान किया जाता रहा है।

वर्ष 1998 में पेंशन राशि 200/– दो सौ रूपये के दर से केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता था।वर्तमान 19 नवम्बर 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजना लागू किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2002 के सर्वेक्षित बी0पी0एल परिवार के 65 वर्ष एवं अधिक आयु के सीधी वृदधों को केन्द्रांश 200/– दो सौ रूपये एवं राज्यांश 200/– दो सौ रूपये कुल 400/– चार सौ रूपये के दर से मासिक पेंशन भुगतान पेंशनधारियों के बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से किया जाता हे। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में व्यय होता है। योजनान्तर्गत जनजातीय उपयोजना एवं अनुसूचित जाति के विशेष अंगीभूत उप–योजना का अलग–अलग मद में राशि का व्यय किया जाता हैं।

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:

योजनान्तर्गत वर्ष 2002 में सर्वेक्षित बी0पी0एल परिवार के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के असहाय विधवा जिनकी आयु 40 वर्ष से 64 वर्ष क अन्तर्गत हो। प्रत्येक विधवा को 400/– चार सौ रू0 मासिक पेंशन राशि भुगतान करने का प्रावधन है। केन्द्र प्रयोजित योजनान्तर्गत योग्य लाभुकों का चयन अंचल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। असहाय एवं निर्धन विधवा जो योजना के आहर्ता को पूर्ण करते है वे अपने अंचल कार्यालय में आवेदन देगें।

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना:

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। योजनान्तर्गत वर्ष 202 में सर्वेक्षित बी0पी0 एल परिवार (ग्रामीण/शहरी) क्षेत्र के अत्यनन्त विकलांग जिनका आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के अन्तर्गत हो एवं वार्षिक आय 5000/– पॉच हजार के अन्तर्गत हो वैसे लाभूकों को 400/– चार सौ)रूपये मासिक पेंशन बैंक खातो/डाकघर बचत खाता के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान है। योजनार्न्गत आहर्ता पूर्ण करते हैं वे अपने अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः

योजनान्र्गत गरीबी रेखा के अन्तर्गत जीवन–यापन करने वाले परिवार के अर्जनकर्ता सदस्य जिनका आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम हो प्राकृतिक कारण या दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित हो एक मुक्त कुल 10,000/(दस हजार) रूपये अनुदान भुगतान किया जाता है।

योजनान्तर्गत जनजातीय उपयोजना एवं अनुसूचित जाति के विशेष अंगीभूत उप योजनान्तर्गत अलग–अलग श्रेणी के लाभूकों को अनुदान भुगतान किया जाता है।

बन्धुवा मजदूरी प्रथम उन्मूलन एवं पुनर्वास योजनाः

बन्धुवा मजदूरी प्रति उन्मूलन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को बन्धुआ मजदूरी के रूप से कार्य कराना गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध हैं। बन्धुआ मजदूर के रूप में कार्य कराते हुए पाया जाएगा तो ऐसे नियोजक के विरूद्ध जुर्माना एवं दंड की कार्रवाई किया जायगा। बशर्ते मालिक द्वारा किसी मजदूर को कार्य कराने हेतु बाध्य करता हो एवं मजदूर को स्वेच्छा से अन्यत्र कार्य करने नहीं देता एवं न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करता हो।

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाः

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वर्ष 1979 में राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया एवं जिला के उपायुक्त को स्वीकृति एवे व्ययन पदाधिकारी अधिसूचित किया गया। पुनः सामाजिक सुरक्षा नियमावली 1983 सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। नियमावली के अर्न्गत पेंषन स्वीकृति हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया। योजना के प्रारम्भ से ही पेंशन राशि 30/– तीस रूपये मासिक के दर से पेंशन भुगतान किया जाता रहा। राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजनान्तर्गत पेंशन राशि में वृद्धि के साथ 15 अगस्त 1995 से 100/– एक सौ रूपये पुनः वर्ष 1998 से दो सौ रूपये योजनान्तर्गत असहाय एवं निर्धन वृद्ध विधवा विकलांग एवं मुक्त बन्धुआ मजदूर जिनका वार्षिक आय 5000/– पॉच हजार) रूपये ग्रामीण क्षेत्र एवं वार्षिक आय 5500/– पॉच हजार पॉच सौ) रूपये शहरी क्षेत्र में हो ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा 400/– चार सौ) रूपये नवम्बर 2007 से मासिक पेंशन भुगतान किया जाता है। बशर्ते वृद्ध (महिला/पुरूष) का आयु 60 वर्ष से अधिक हो। विधवा विकलांग एवं बन्धुवा मजुदरी के आयु सीमा में प्रतिबन्ध नहीं है। पेंशनधारियों के निकटतम बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से मासिक पेंशन भुगतान किया जाता है।

आम आदमी बीमा योजनाः

ग्रामीण भूमिहीन मजदूर जिनका आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो तथा वास की जमीन रहित 50 डिसमिल से अधिक जमीन नहीं हो परिवार के अर्जनकर्ता मुखिया का सरकार द्वारा मुक्त बीमा किया जाता है। अंचल कार्यालय या हल्का कर्मचारी के पास उपलब्ध विहित प्रपत्र के सर्वेक्षण पत्र में नाम भरा जाता है। बीमा की राशि 200/–दो सौ) रूपये का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया जाता है। बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु होने या दो अंगों का स्थायी अंग भंग होने पर 75,000/– पचहत्तर हजार) रूपये एक अंग स्थायी रूप से भंग होने पर 37,500/– सैतिंस हजार पांच सौ) रूपये एवं स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000/– तीस हजार) रूपये बीमा राशि भुगतान किया जाता है। बीमित व्यक्ति के दो पुत्र/पुत्री जो वर्ग 9वां से वर्ग 12वां में अध्ययन करते हैं तो उन्हे 100/– एक सौ) रूपये मासिक छात्रवृति भुगतान किया जाता है।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कल्याण कार्यक्रमः

अन्तर्राज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 एवं झारखण्ड राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 2005 के आलोक में 5 या अधिक मजदूरों को किसी नियोजक/ठेकेदार द्वारा राज्य के बाहर नियोजन हेतु ले जाने

या राज्य के बाहर के 5 या 5 अधिक मजदूरों को राज्य में नियोजित करने के लिए जिला के उपायुक्त से लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है। नियोजन हेतु लाईसेंसे के आवेदन में मजदूर को देय सुविधा का ब्यौरा देना है ताकि नियोजक द्वारा मजदूरों का शोषण नहीं हो एवं उचित मजदूरी भुगतान हो। लाईसेंस प्राप्ति के बिना नियोजना करने एवं अधिनियम 1979 के प्रावधान का उल्लंघन करना गैर कानूनी एवं स्रोत राज्य सरकार का समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

कृषि व्यापार की प्रगति का आजादी के अमृतमहोत्सव अवसर पर मूल्यांकन

डॉ0 आशा कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गंगापुर, राजातालाब, वाराणसी।

देश की आजादी के 75वें अमृतमहोत्सव अवसर पर देश की कृषि पद्धति, कृषि उपज, उद्योग, व्यापार और आत्मनिर्भर भारत के रूझान का मूल्यांकन करना देश के बदलते आर्थिक व्यवहार को जानने के लिए उपयोगी है। देश में कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की आय में कृषि का 14.5 प्रतिशत का योगदान है तथा देश की 58 प्रतिशत जनसंख्या की निर्भरता कृषि पर है। वस्त्र, जूट, चीनी, वनस्पति, जल, जंगल, जानवर आदि कृषि उद्योग के साधन हैं तथा विदेशी व्यापार में इन उद्योगों की हिस्सेदारी है। भारत कृषि प्रणाली में एकल कृषि (Mono Culture), एकल सस्यन (Mono Cropping) में वैज्ञानिक बदलाव लाकर सस्यन क्रम (Cropping Pattern) अर्थात् फसल चक्र (Crop Rotation) की प्रगति कर रहा है। भूमि, जल और सौर विकिरणों के समुचित उपयोग का प्रबंधन कृषि क्षेत्र की प्रगति में शामिल है। भारत की कुल भूमि की कृषि योग्य भूमि 52.6 प्रतिशत है। सद्यः कृषि क्षेत्र की प्रगति के मूल्यांकन की दुविधा कृषि पर जन निर्भरता और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों की आय में दुगुनी वृद्धि की नीति पर हो रही तर्क–वितर्क के कारण है। देश की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय सापेक्ष तर्कसंगत अपेक्षित आय की चर्चा देश के सामाजिक जरूरतों की पूर्ति हेतु अबतक हुए प्रयत्न ने आर्थिक संरचना के मूल्यांकन का प्रदर्शन गरीबी एवं गरीबी उन्मूलन के साथ किया गया। यह बात सही है कि देश में अति निर्धनता के प्रतिमान को आधार मानकर प्रगति की समीक्षा करना उचित नहीं होगा। देश में भूमि सुधार योजना का प्रयत्न और सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण 2009–10 में विदेशी कृषि व्यापार में 9.9 प्रतिशत का योगदान हुआ। इस दिशा में आपरेशन ग्रीन योजना (2018–19) आसानी से प्राप्य उचित मूल्य की पहल हो चुकी है। अभिप्राय इस स्कीम में शीघ्र खराब होने वाली उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले दिनों के हुए प्रयत्न और किसानों को नेतृत्व देकर तद्विषयक एक लम्बे आंदोलन के कारण मूल्य उपलब्धता (Procurement Prices) और निर्गमन मूल्य (Issue Prices) कृषि बाजार का एक नवीन परिदृश्य बना। इन्हीं संदर्भ में यह चर्चा आवश्यक है।

वर्ष 2000 से संचालित नई कृषि नीति पर कितनी पहल हुई एवं कितना लाभ मिला का मूल्यांकन उचित होगा। केन्द्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कृषि क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से नवीन कृषि नीति एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन का अत्यधिक महत्व है। इसका कारण कृषि निर्यात एवं घरेलू आपूर्ति में कृषि को बढ़ावा देने में मदद का विस्तार करना था। इसका लाभ यह हुआ है कि देश में पांच सिंचित क्षेत्र में गेंहू 94.19 प्रतिशत, गन्ना 90.2 प्रतिशत, जौ 80.3 प्रतिशत, चावल 60.09 प्रतिशत एवं कपास 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–20 में भारत के कृषि निर्यात का मूल्य 35012 मिलियन अमेरिकी डालर का था। तुलनात्मक दृष्टि से निर्यात में भी 0.6 प्रतिशत की भी कमी आयी तथा निर्यात 11.2 प्रतिशत के मुकाबले इसी वर्ष में कृषि आयात (Agricultural Import) का अंश 3.5 प्रतिशत का रहा है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी में लॉकडाअन के कारण सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ। वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला

बाधित हुई। किंतु बजट 2021–22 के बजट में ग्रामीण भारत के लिए जहां पूरी अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की गिरावट आयी वहीं कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कृषि से जुड़ा एक अन्य पक्ष कृषि–क्षेत्र, उत्पाद, रोजगार एवं कृषि को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न भी महत्वपूर्ण है। देश की स्वाधीनता की आधारभूत अर्थव्यवस्था में कृषि को स्वीकार किया गया। फलतः देश की स्वाधीनता के तुरंत पश्चात कृषि को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने एवं रोजगार निर्माण करने एवं रोजगार प्रदान करने से जोड़ा गया। इनका उल्लेख निम्नांकित है :–

1952 – सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP)
1960 – 61 – सघन विकास कार्यक्रम (IADP)
1973 – सूखाग्रस्त क्षेत्र योजनायें (DPAP)
1974 – 75 – विकास योजनान्मुखी नियंत्रण क्षेत्र (CADP)
1977 – 78 – काम के बदले अनाज की योजना
1977 – 78 – अन्तयोदय योजना
अगस्त 1979 – ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वयं सहायता
अक्टूबर 1980 – प्रशिक्षण (TRYSEM)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (IRDP)
1983 – 84 – शिक्षित नवयुवक बेरोजगारों के लिए स्वतः योजना (SEEUY)
फरवरी 1984 – ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय निधि (NFRD)
सितम्बर 1986 – आम लोगों को कार्य के लिए तैयार करने और ग्रामीण तकनीकि के लिए परिषद का गठन (CAPART)
अप्रैल 1989 – जवाहर रोजगार योजना
अक्टूबर 1989 – नेहरू रोजगार योजना
अप्रैल 1999 – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
फरवरी 2008 – महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी ऐक्ट (MANREGA)

इसी समयावधि के दौरान केन्द्र सरकार का ध्यान गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से 2004 में ग्रामीण और शहरी आबादी के प्रति व्यक्ति माहवारी आय क्रमशः रू0 446.68 और रू0 578.80 के व्यय अनुमान को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आय में भागीदारी को अनुकूलन के उद्देश्य से भी विचार किया गया। यह अवश्य है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक भारतीय कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में निम्न और अस्थिर वार्षिक विकास दर का क्रम प्रारम्भ हुआ। यहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.72 प्रतिशत से घटकर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 प्रतिशत, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2.4 प्रतिशत हो गया। 11वीं योजना में वृद्धि होकर 3.7 प्रतिशत तथा 12वीं योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का विकास दर का लक्ष्य 4.0 प्रतिशत रखा गया। उल्लेखनीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सकल विकास प्रतिशत का लंक्ष्य 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया किंतु वास्तविक वृद्धि दर 7.9 प्राप्त की जा सकी। कृषि विकास दर का लक्ष्य 4.0 प्रतिशत का था जबकि वास्तविक विकास दर 3.7 प्रतिशत ही प्राप्त हो सका। रोचक तथ्य यह है कि योजना वर्षों के दौरान वर्ष 1951–52 में अन्न उत्पादन मात्र 52 मिलियन टन था जो बढ़कर वर्ष 2016–17 में 275.11 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2018–19 की अंतिम अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285.2 मिलियन टन तथा वर्ष 2019–20 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में 296.7 मिलियन टन निर्धारित की गई। कृषि बाजार की उपलब्धता की राह आसान नहीं थी। बाजार कठिनाईयों को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में जून

2020 में तीन ऐतिहासिक सुधार अध्यादेश लाए गए। इन सुधारों के परिणाम द्रष्टव्य भी हैं। कारण किसान संगठनों के विरोध के कारण अध्यादेश वापस लेना पड़ा।

यह अवश्य है कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की आयत मदों में (2019–20) खाद्य तेल (2.0 प्रतिशत), दालें एवं काजू (0.3 प्रतिशत) में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। कृषि में एकल पूंजी निर्माण की सकारात्मक प्रवृत्ति का एक पक्ष इस कारण महत्वपूर्ण है कि खेती के विकास को बजट में कृषि उत्पादन, दूध, सब्जी आदि उपयोगी पदार्थों को रेल मार्ग किसान रेल से जोड़कर कृषि तथा किसान ट्रेड तथा डिजिटल ढंग उनकी मांगों की जानकारी एवं जरूरत पर उपलब्ध आधुनिक यंत्रों के सहारे कृषि को हाईटेक डाटा से जोड़कर उच्च स्तरीय अर्थरूप देने का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रायः सड़क कार्य के त्वरित विस्तार के कारण गांव के किसानों को उनके जमीन का मुआवजा तो मिलता है किंतु शेष जमीन को महंगे दर पर बेचकर कुछ समय के बाद वे गरीब हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए सड़क के दोनों किनारे के 10 मीटर चौड़ी जमीन को साथ गंगा नदी के किनारे की जमीन को प्राकृतिक खेती प्रारम्भ करने का प्रस्ताव *12* करोड़ वर्ग मीटर फिर भी लम्बा होगा। इतना ही नहीं ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार रूपये करने का बजट में प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रूपये कर दिया गया ताकि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के प्रति रूझान बढ़े। चिन्ता है कि भारत कृषि प्रधान देश है किन्तु देश में अकेले 80 हजार करोड़ रुपये का खाद्य तेल का आयात करना होता है। ऐसी स्थिति दाल की जरूरत को पूरा करने की भी है। कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से पर्वतमाला, नदी के किनारे, एक्सप्रेसवे सड़क के किनारे के खेतों सोलर पैनल और सोलर पम्प का प्रयोग कर बिजली के खर्च बोझ से बचा जा सकता है, का प्रस्ताव है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे कुछ किसान नेता सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में प्रदत क्रय राशि से सहमत नहीं हैं। बजट में भरोसा दिलाया गया है कि गतवर्ष में सरकार की ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित 1.50 लाख करोड़ रूपये का धान क्रय किया गया तथा वर्ष 2022–23 में 2.30 लाख करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित किया गया है। किसान को भरोसा प्रधानमंत्री की ओर से यह कहकर दिलाया गया कि जब वे सत्ता में आये ंतो गांव में पेयजल की सुविधा तथा सिंचाई की सुविधा न्यून थी। गरीब की हालत सुधार के लिए जनधन योजना तथा कृषि एवं किसान की हालत में सुधार के नल से जल की पहुंच बढ़ाकर जीवन सुविधा की बात कही। 9 करोड़ ग्रामीण घर में जल पहुंच रहा है। इस कार्य पर 5 करोड़ रूपये जल जीवन मिशन के द्वारा खर्च हुआ है। ऐसे गरीब जिनके पास घर नहीं था, उनमें 3 करोड़ गरीब लोगों को घर की सुविधा देकर उन्हें लखपति बनाया गया। इसपर 41000 करोड़ खर्च हुआ है तथा आगे योजना वर्ष के लिए 6000 करोड़ व्यय करने का बजट में प्रस्ताव है। किसानों को उनकी खेती को सहायता देने के उद्देश्य से प्रत्येक किसान को छ हजार रूपये उनके खाते में सरकार दे रही है। सुखा, वर्षा, पाला, बाढ़ या अन्य दैवीय आपदा से सुरक्षा की दृष्टि से कृषि बीमा योजना पर पर्याप्त बल है तथा किसान की भागीदारी बढ़ रही है। रसायनिक उर्बरक की निरन्तर बढ़ रही चुनौती का समाधान जैविक एवं उत्पादक खाद के उपयोग के लिए प्रावधान बनाये जाने से जल, जंगल, गोधन एवं सम्पूर्ण पर्यावरण की संरक्षा पर विशेष बल है। हर गरीब घर उजाला, गैस एवं अब तो पाइप से गैस आपूर्ति के विस्तार से ग्रामीण समाज को राहत मिलेगी। कृषि अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के उद्देश्य से बजट में किसान कल्याण की अनेक योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान की प्रमुखता दी गई है। संक्षेप में आत्मनिर्भर भारत का अभियान तथा कृषि एवं खाद्य प्रबंधन की योजना मात्र घोषणा नहीं बल्कि कृषि एवं कृषि व्यापार के परिणाम द्रष्टव्य हैं।

सन्दर्भ सूची–

1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
2. कृषि एवं प्रौद्योगिकी ; बौद्धिक प्रकाशन, प्रयागराज, पृ0 52 उद्धृत (USDA Feb. 2021)
3. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्रतिवेदन।
4. स्त्रोत केन्द्रीय बजट 2021–22।
5. कृषि एवं प्रौद्योगिकी ; बौद्धिक प्रकाशन, प्रयागराज, पृ0 16–17।
6. वही।
7. केन्द्रीय बजट 2021–22।
8. वही।
9. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय – आर्थिक समीक्षा 2020–21।
10. वही।

Folk Art and Classical Art

Rajneesh Gautam
Asst. Prof.
Dept. of Drg. & Ptg.
D.A.V.College, Muzaffarnagar U.P.

Abstract :

Folk Arts are the basis of Indian culture. Cultures are preserved through folk arts in different cultural, religious and geographical environment.

This article, based on the specialty of Folk Arts and Classical Arts, looks at the religious rituals used on the rituals and festivals prevailing in the society. And by enlivening various practices, it gives life to these folk arts.

Key Words : Folk Art, Classical Art, Festivals, Decoration, Trend, Tradition and Religious Rituals.

The meaning of folk-art is the spontaneous expression of folk-mind or public-life. By folk arts, I mean those performing folk arts which are prevalent in the villages, towns and tribal areas and which are generally related to social festivals, customs and tribal aesthetics.

In other words, the beautiful, aesthetic objects and materials which are made by the common people with their own hands with the help of indigenous tools through local materials in a traditional way, all of them are included in folk arts.

According to another statement, 'Folk-art is the expression of the collective feeling of the people in general, especially the rural people. We consider all the arts to be embodied in folk art. In which the absence of traditional ego-consciousness and the elements of folk mentality are contained, which make it from art to folk-art.

Folk art originated from primitive art. When man started farming in his primitive state, his arts became stable. At the same time folk sentiment was born in him. For a long time primitive art and folk art went on side by side.

Although local and caste characteristics are targeted in folk art, but in general it has the acceptance and attachment of the organized mass society. It is his inherent individuality that sets him apart from many other forms of art.

Due to geographical and political crises, sometimes there has been a hindrance in this development. But wherever their order will be broken. There, on getting proper opportunities, he has developed further from that point.

The characteristics of folk art also clarifies its meaning.

Characteristics of Folk Art :

Folk-art, under which folk painting has a major place, is full of many characteristics. Folk art is created for public use. That's why simplicity and simplicity are its life. Folk-art shines in the flow of tradition and is decorated with simplicity, it looks a bit vague due to being created by superficial understanding and resources.

A slight ugliness, grossness and simplicity mixed with ambiguity are visible in it. Since Lokman is often simple. Therefore, the expression of folk art is also often simple. This simplicity is the reason for its power and dynamism. Being simple, it has the predominance of the heart element and also the depth of emotions. Due to the free and natural expression of folk art, it easily attracts others.

There is also locality in folk art. The habits of the people living in an area are made according to the climate there. In this way, the habits and ideologies that are formed due to being affected by the climate have an impact on the social organization, customs and religious beliefs. Local characteristics give rise to morphological, technical and thematic characteristics in art.

Due to the locality, the conduct, rituals, dance songs and deities in the folk society are different according to the region. There are also caste characteristics in folk art. The fixed occupations of the people living in different areas give rise to their caste sentiments. People engaged in a particular business have their art forms related to the tools of nature.

Due to the Indian caste system, these local folk-arts have been preserved in their families according to tradition till date and such castes also have a very proud place in the Indian society. The women of *Kayasthas* are proficient in looming i.e. torn old clothes in a colorful and artistic way, while Kathiawar women have their own special skill in the work of embroidery and knotting of pearl *toran, indoni* (round cloth ring to be placed on the head) etc. Is. The Indian *varna*-system and caste-system have protected many arts.

Folk arts are also traditional. For example, in rural areas, potters get the art of crafting utensils and toys from their father in a traditional way.

Another characteristic of folk art is that it moves slowly. Folk art develops gradually. Due to being stereotyped for a long time in the form of tradition, it does not change soon. The beliefs associated with it also remain constant.

The technique of folk art is also very simple. Folk-artist does not get education by going to any painting, does not get into the complexity of any difficult principle and style, stays away from the attraction of new creation.

When necessary, the use of one type of art form is not limited to only one material, artists using different materials copy the art form in their own way. 'Folk-art is heavily influenced by religion and supernatural sentiments and superstitions. For this reason, imitations of ancient figures keep on happening in the folk society for generations.

If we see with the description received in the scriptures, then their proofs etc. and the classical references seem to have a lot in common. It cannot be said clearly that the writers have written proofs etc. after seeing the visual forms or the painters have created after reading the scriptures. Seeing the illustration method being implemented in the work form, it seems that the combined form of both is being implemented in visible form. Instead of being educated scribes, artists used to be stone-cutting masons or color-decorating artisans. It is another matter that the *Shastri* should explain to these workers through education and fill their mind with the knowledge of evidence etc. and leave them free to create. In between, Shastri may also do the work of

observation and inspection of classical proofs, but the main and important work of creation must be done by the painter and sculptor.

Theoretical Knowledge

Classical art can never be understood without scripture. In ancient times, the utility of art is also a necessity for civilization and culture. There are evidences of the utility of painting in the pre-historic, Vedic and early Buddhist periods. Information related to painting is also found in Mahabharata and *Puranas*. Information related to painting is also found in Jai *Vinay Vitak, Vatsayan's Kama-Sutra, Kautilya's Arthashastra, Bhasa's Natak Lihas and Ashvaghosha's* epic. In ancient times, art was made the medium for the means of acquiring knowledge to preach to the public. Pictures made of stone in the caves of the mountain were very beautiful means of propagating all the three religions. In many *Chaitas* and *Viharas* (Ajanta etc. Buddha *Peetha*) of Buddhists, wall paintings were made to teach Buddhism and to give visual knowledge to the viewer and to explain the sermon. In ancient times, pictures were the only means for religious teachers and preachers, in which they used to preach to ordinary people and children.

In ancient times there was a sect of Brahmins whose number was *'Nakha' (Nakha Brahmins*). With the help of *Kundli*-pictures, they used to provide knowledge of religion and unrighteousness, sin and virtue, fortune and misfortune in a way. Pictures and sculptures related to Buddhism which are found in *Chaitya Vihara* and caves. It seems that they have been made for the propagation of religion. Pictures and idols related to Hindu religion were made in the temples only. Indian scriptures are full of many details related to artistic creation. In chapter forty-two of *Vishnu Dharmottara Purana*, it has been mentioned in detail how to express form and shelter in the picture.

What is the main purpose of the picture has also been told. In the forty-third chapter of this book, *Navaras*, the method of their use, the qualities of the picture have been explained. Five symptoms of organ extension have also been described. Apart from mural painting, painting on iron stone wooden statue, painting on leather cloth is found. In *Vrihatsahita* also, there is a description of the parameters of different parts of the figure in the pictures and idols.

From the classical point of view, there are five types of arts: architecture, sculpture, painting, music and literature. But the folk artist went far ahead of the classical art and created many forms of art. These are architecture, sculpture, dance and drama, painting, *mandala*, printing, tattooing, etc. various arts.

The folk mind does not disregard the art forms performed at the time of various festivals and rites of life due to the fear of evil.

Compared to the public mind, the element of fear of evil is relatively less in a confined or upper class society. According to scholars, two classes are found in every society.

1. Cultured or Civilized class
2. Illiterate or Rural Class

Many superstitious traditions and legends are prevalent in the uneducated rural class. In the material of folklore, the uncivilized belief traditions found in the civilized society are enumerated. This element of tradition differentiates folk art from the refined art. Traditional

elements are relatively less in the defined art and different elements keep on being incorporated with time and place. On the contrary, the elements in folk art continue to be hereditary. Every thing is accepted on the basis of logic in the refined art and there is dominance of intellectuality in it, but the folk society keeps on following the traditional elements without making any change in them.

Well-known scholars do not consider *Raso* folk art to be inferior to classical art in any way. The utility and importance of folk art is proved by the fact that it is self-evident. It is so intertwined in day-to-day life that it is rare to even see it in isolation. In the Indian society, every day folk-art is visible all around in the courtyard of the house carrying folk auspicious juice. *Diwali, Karva-Chauth, Ahoi, Athe, Dev Uthan, Nangpanchami* etc. are seen in the juice of celebrating every religious ritual, Teej festival, festival or festival. Symbols of *Ganesha, Lakshmi, Satiye, Conch, Chakra, Khake,* entertaining pictures and stories are seen embodying the wishes of the nation's happiness and prosperity and public welfare.

The pure state of the folk psyche has been reflected in the folk art. The material obtained in folk-art is of that *Manas* remnant when it was far away from civilization. Under folk-art comes the property of all that conduct, in which the natural juice of human being is revealed.

Folk-art is a collection of history and social life from *Aryeta* history and social life till now. Therefore, the compilation of these art juices is useful for maintaining the ancient culture as it is and for both art. Folk works are the storehouse of human's flawless and every moment's experience. Truthfulness and simplicity of experience, deep and wide juice of feelings means every part of the society is contained in them.

Some characteristics of folk art are found in the art works of all the countries. First of all it is necessary to separate folk art from high art. Fine arts are a part of fine arts but folk art is associated with the rural community. Folk art is completely different from high art. Folk works are the storehouse of human's flawless and every moment's experience. Truthfulness and simplicity of experience, deep and wide juice of feelings means every part of the society is contained in them.

Some characteristics of folk art are found in the art works of all the countries. First of all it is necessary to separate folk art from high art. Fine arts are a part of fine arts but folk art is associated with the rural community. Folk art is completely different from high art.

Classical (high art) is in the possession of a few talented people. Other people may be happy to see them, but not all people are interested in art. The principle of different interests is also applicable in the context of folk art. But folk art is the natural expression of the human heart. Here the question of interest does not arise; in different circumstances, on *Teej*, festivals and auspicious occasions, in the state of emotionality in the mind, the human heart starts expressing itself by taking the form of colored lines. For them, there is no neglect of artistic skills and classical knowledge. In the course of time, these arts which have been passed on from generation to generation, keep getting refined by incorporating the wisdom, understanding and natural skills of many people. The art that emerges from the public mind is fully and automatically inspired by the inner feelings and rituals which naturally prevail in different juices of public life.

Folk art is mostly made in the traditional form. Emotional *artefacts* are found according to the time of each ritual subject. In the opinion of Prof. *Kitteridge, Shikha* is the enemy of this oral (traditional) art collection.

Civilization destroys it with speed. As soon as any person or caste learns to read and write, it starts considering its traditional fund as inferior. Undoubtedly, with the growth of education and civilization, we are seeing folk *artefacts* disappearing for the same reason.

The value of folk-art is not so much important from the point of view of art as it is from the point of view of those traditions which throw light on some aspect of human science. This art can be called the treasure of the primitive instincts of the primitive man.

Individuals are not important in folk art. It is made by the group. That's why there is absence of individual and characteristics of group or caste characteristics. On the basis of caste element found in folk art, scholars consider it as a helper of caste division.

The specialty of folk-art is namelessness and its being timeless. This is what has kept its miracle and charm intact. Folk-art imagines the imprint on the consciousness of the masses. That's why it gets so much expansion from public life. Many flavors of this artistic expression are visible in public life.

References :

1. Parmar, Dr. Shyam - Folk arts and their meaningful continuation - Page-61 Folk art value and context Page No. 36

2. Rai, Sudhanshu Kumar - The Folk Art of India, Page -1

3. Statement Shailendra Nath De (Folk art and its components Ishwardev Egypt Daily Navbharat Times 20 December 1958, page-5

4. Kulshrestha, Prof. Vijay - Disruption and Distortion of Folk Art - (Folk Art Values and References page -72)

5. Agarwal, Dr. Giriraj Kishore - Art Review - Page 189

6. Parmar, Shyam - Digital folk expression of Manav Janpad - (Conference magazine, Lok Sanskriti issue, Page 384

7. Primitive Art Franz Boas (Preface) P-12

8. Chandarwakar, Prof. Pushkar - Folk Art - Then, Now and Beyond - (Folk Art Values and References page 56

9. Jim General and V.Umtapbins Thavaswatm. Ch.282

10. Agarwal, Giriraj Kishore - Art Review - Page-190

11. Agarwal, Giriraj Kishore - Art Review - Page-190

12. Chanderwakar, Prof. Pushkar - Folk Art, Then, Now and Further - (Folk Art: Value and Reference page 57)

13. Agarwal, Giriraj Kishore - Art Review- page 191

14. Aggarwal, Dr. RA - Art Vilas - Page 196

15. Agarwal, Giriraj Kishore - Art Review - page 191

16. Agarwal, Giriraj Kishore - Art Review - page 191

17. Dr. Shukla DN Smarangan Sutradhar page 90

18. Dr. Shukla D.N. Sansarangam Sutradhar Page-97

19. Dr. Jha Shashi- The form of women in Indian painting and sculpture Q. 121

20. Sampurnanand - Quoted from the introduction of Bhojpuri folk songs written by Sridhar Egypt, page 7-9

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 **ISSN : 2394-2878**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

आधुनिक समाज में जनसंचार माध्यमों की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अमित मालवीय
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है जन्+संचार जन का अभिप्राय या तात्पर्य जनता या समान्य नागरिकों से है और संचार का अभिप्राय प्रचार फैलाव या सूचना पहुंचाने से है इस प्रकार जनसंचार सामान्य जनों तक सूचना पहुंचाने की एक विस्तृत विधि है आधुनिक समाज में जनसंचार के अनेक माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन, कार्यक्रमों, फिल्मों, इंटरनेंट, मोबाइल, रेडियो, विज्ञापनो, कम्प्यूटर आदि के द्वारा ही जनसंचार सम्पन्न होता है जनसंचार सांस्कृतिक गतिविधियों को गतिशील बनाने में या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में प्राचीन समय से ही क्रियाशील रहा है जनसंचार के साधन जैसे–जैसे विकसित होते जा रहे है ठीक वैसे–वैसे समाजों की संस्कृतियों में भी बदलाव आ रहा है पिछले तीन दशकों में जनसंचार में हुई प्रगति के फलस्वरुप जनसंचार में विविध गतिशील और प्रभावशाली साधनों का विकास हुआ है इसलिए जनसंचार का प्रभाव आधुनिक समाजों की संस्कृतियों पर पड़ना स्वाभाविक है देश के कोने–कोने में जनसंचार के साधनों की चहल–पहल देखी जा सकती है कहने का भाव यह है कि सूचना क्रांति के आधुनिक समाज में हम लोग रह रहें हैं जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन–साधारण के जीवन के विविध पक्षों को परिवर्तित करने की भारी क्षमता विद्मान है आज जनसंचार हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग बन गए हैं आज देश के अधिकांश मध्यवर्गीय घरों में लोग सुबह उठते ही सबसे पहले प्रातः कालीन अखबार में समाचार देखते हैं इन्हीं परिवारों के युवा बच्चे उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल पर आए मैसेज देखते हैं इसी क्रम में जनसंचार माध्यमों की भूमिका निम्न रूपों में अलग–अलग होती है ।

मुख्य शब्द : जनसंचार, छात्र–छात्राएँ, समाज

रेडियो :– रेडियो आम जनता तक अपनी बात पहुचाने का एक प्रमुख साधन माना जाता है मन की बात से आम जनता तक यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचते हो या 5 सितंबर 2018 शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थियों से परम आदरणीय एसोसीयट प्रोफेसर जयप्रकाश यादव जी पहुचे हों अपनी बातों को आम जनता तक पहुँचाने का यह एक मुख्य जनसंचार माध्यमों में से एक है रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है वह चाहे देश का किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो या आम जनता हों रेडियों के माध्यम से भिन्न–भन्न क्षेत्रों के लोगों से भिन्न भिन्न मुद्दों पर बात करके एक दूसरे से जुड़ा जा सकता है इसी क्रम में कृषि दर्शन प्रोग्राम जो आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित होता है जोकि खेतीहर किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी होता है जिसमें फसलों की बुवाई, कटाई, रखरखाव और पैदावार बढ़ाने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है एक अन्य प्रोग्राम के माध्यम से जो युव वाणी के नाम से प्रसारित होती है उसमें रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मनोरंजन पूर्ण तरीके से उपलब्ध कराई जाती है विविध भारती से प्रसारित होने वाला एक प्रोग्राम हमारे देश की रक्षा में लगे जवानों के लिए प्रसारित होती है जिनसे वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार से संगीत के माध्यमों से जुण पाते हैं सखी सहेली महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम जो हर रोज एक रोचक विषय तथा जानकारी के साथ प्रसारित होता है इन सब प्रोग्रामों के माध्यमों से हम सीधे समाज से जुड़ते है रेडियो देश की 99.13 प्रतिशत जनसंख्या और 93.47 प्रतिशत क्षेत्र के दायरे में आता है शार्ट वेब सेवा के जरिये आकाशवाणी कवरेज पुरे देश में अपना नेटवर्क स्थापित कर

चुका है भारतीय रेडियो आज 24 भाषाओं और 149 से जादा बोलियों के माध्यम से 99.13 प्रतिशत लोगों तक पहुंच रहा है आकाशवाणी बहुजनहिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है देश में 28 मई 1935 से एफ एम चैनल तथा 25 फरवरी 1998 से आल इंडिया रेडियों न्यूज आन फोन सेवा पर उपलब्ध है समय के इस बदलते दौर में अब इसे इंटरनेट से भी जोड़ दिया गया है आकाशवाणी या रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम राष्ट्रीय व ग्रामीण विकास में एक अहम भूमिका अदा करता है।

दूरदर्शन :– दूरदर्शन जनसंचार माध्यमों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है आधुनिक युग में मनोरंजन के साथ–साथ सूचनाओं की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन भी है आज यह हर घर की आवश्यकता बन गई है उपग्रह सम्बन्धी प्रसारण की सुविधाओं के कारण इस पर कार्यक्रमों की भरमार सी हो गई है कभी मात्र दो चैनलों तक सीमित रहने वाले दूरदर्शन पर आज अनेकानेक चैनल हो गये है बस रिमोट कंट्रोल उठाकर अपना मन पसंद चैनल लगाने और रूचि के अनुसार कार्यक्रमों को देखने की देर मात्र है आज दूरदर्शन पर फिल्म, धारावाहिक, समाचार, गीत–संगीत, लोक–गीत, लोक–वार्ता, खेल के प्रसारण, बाजार भाव, मौसम का हाल, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे– एन.सी.आर.टी, ईगनू शैक्षिणीक के विभिन्न कार्यक्रम, रोजगार, व्यवसाय, कृषि दर्शन इत्यादि से सम्बन्धित जानकारियां क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होने की सुविधाओं के कारण यह महिलाओं युवाओं और हर आयुवर्ग के लोगों में काफि लोकप्रिय है दूरदर्शन पर प्रसारित समाचार विश्व के किसी भी कोने में घट रही घटनाओं को चित्रों के साथ प्रसारित की जाती है अधिकांश टी.वी चैनलों का प्रसारण 24 घंटे होता रहता है समाचारों की शैली अब आखों देखा हाल प्रस्तुत करना और औपचारिक तथ्यों का खुलासा करना जिससे हम देश दुनिया का हाल जान पाते हैं तो दूसरी ओर कल्पनातीत स्थानों, प्राणियों, घाटियों, वादियों, पहाड़ियों जैसे दुर्गम स्थानों का दर्शन हमें रोमांचित कर जाता है इस तरह जिन स्थानों को हम पर्यटन के माध्यम से साक्षात नहीं देख पाते है या जिन्हें देखने के लिए हमारी जेब अनुमति नहीं देती है और नहीं हमारे पास समय है को साक्षात दूरदर्शन हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देता है भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन विश्व की सबसे बड़ी स्थानीय प्रसारण संगठनों में से एक है दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में हुआ था 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गय भारत में पहले श्वेत श्याम दूरदर्शन था परंतु 1982 के बाद दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान रंगीन प्रसारण का प्रारम्भ हुआ जो यथावत कार्यशील है।

प्रिंट मीडिया :– प्रिंट मीडिया आज देश के विभिन्न श्रेणियों के कुल 55 हजार से ज्यादा समाचार पत्र निकलते हैं उत्तर–प्रदेश राज्य में ही 2.8 करोड़ अखबार बिक जाते हैं टेलिविजन चौनलों ने जरूर कुछ अखबारों का राजस्व प्रभावित किया है पर बड़े अखबार इनसे एकदम भी प्रभावित नहीं हुए हैं एन.आर.एस सर्वे के अनुसार दैनिक जागरण के पास 1.57 करोड़ पाठकों के कारण सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र हो गया है समाचार पत्र एक विशाल संरचनात्मक संगठन होता है जो जनसंचार माध्यमों का मुख्य स्रोत है देश दुनिया की हर छोटी बड़ी घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करके यह हर सुबह लोगों को रूबरू कराता है अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से समाचार पत्र भी हर वर्ग के लिए उनकी रूचियों के अनुरूप सामाग्री प्रस्तुत कर रहे हैं खेल, फिल्म, कला, बाजार भाव, राजनैतिक उठा–पटक जीवन के हर क्षेत्र से सम्बन्धित समाचार, समाचार वार्ता के द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं प्रिंट मीडिया ने राष्ट्रीय आन्दोलन और सामाजिक सुधार आन्दोलनों को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खीचो न कमानो को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो मिडिया ने अपनी सजग और प्रहरी की भूमिका निभाने में कड़ी चुनौतीयों का भी सामना किया है 1975 में सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने के कारण मिडिया पर सेन्सरशिप लागू कर दी गई थी आगे चलकर 1977 में लोकतन्त्र बहाल हुआ और

मिडिया से सेन्सरशिप हटी 19वीं शताब्दी के मध्य टेक्नोलॉजी यातायात के साधनों तथा साक्षरता दर में पुन विकास होने से समाचार पत्र जन–जन तक पहुचने शुरू हो गए थे आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान समाचार सग्लन हेतु मोबाइल फोन से लेकर लेपटॉप तक धड़ल्ले से उपयोग कर रहा है समाचार पत्रों के कार्यालय कम्प्यूटर व इंटरनेट से लैस है संवाद–दाता से लेकर संपादक तक अपनी पिसी से जुड़े हुए है जिनकी मदद से समाचारों को तकनिकी भाषाई तथा संस्थान की नितीयों के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है समाचार पत्रों और समाचार चैनलों ने अपनी वेबसाइट भी स्थापित की है जिन्हें पोर्टल के रूप में जाना जाता है एवं जिस पर ई–न्यूज उपलब्ध रहते हैं जिन्हें देखा और पढ़ा जा सकता है।

मैगजीन :– मैगजीन जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में से एक है मैगजीन की संख्या सामग्री की प्रकृति उपयोगिता आदि उसे जनसंचार माध्यमों से जोड़ती है प्रत्येक मैगजीन अपने निश्चित पाठकों को आकर्षित करता है तथा पाठक भी अपनी पसंद के अनुसार मैगजीन का चयन करते हैं मैगजीन जनसम्पर्क संगठनों, सरकारी एजेंसिया, शैक्षणिक, संस्थानों शोध कर्ताओं, जनरल जानकारी और ज्ञान को फैलाने के लिए होती है मैगजीन मिडिया ग्रुप प्रकाशन संस्था समाचार पत्रों छोटी संस्थाओं संगठनों व्यापारिक मैगजीन मुख्यतः संस्थानों और धार्मिक संगठनों द्वारा छापी जाती है

मैगजीन मुख्यत : सप्ताहिक (सारंग, नैवरंग, यात्रा, रूपायन)

मासिक (योजना, कुरुक्षेत्र, प्रतियोगिता–दर्पण, क्रॉनिकल)

अर्धमासिक (दृष्टि, घटना सार, घटनाचक्र)

वार्षिक (भारत, क्रॉनिकल, मनोरमा)

इत्यादि के रुप में आती है जो भिन्न–भिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराती हैं आज देश की हर प्रांत क्षेत्र और भाषा में दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन तेजी से हो रहा है हर वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है मैगजीन एक निश्चित समय के बाद फिर से नई जानकारियों को अपने साथ लेकर आती है इसकी हर नई प्रति में नई जानकारियां नये विषय व मनोरजन होते हैं मैगजीन को स्टार हाऊस का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें विभिन्न ज्ञानों का भंडार होता है।

विज्ञापन :– विज्ञापन किसी भी सूचना को जन–जन तक पहुचाने का प्रमुख माध्यम है विज्ञापन केवल संदेश एक शब्द चित्र पत्रिका दूरदर्शन आदि के द्वारा देना ही नहीं है बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के कार्य करने के उद्देश्य से किया जाता है यदि आप समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को किसी कार्य के लिए जोड़ना चाहते हैं तो विज्ञापन उन सभी को अपने अनुरूप उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है अतः विज्ञापन जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन है यह उपभोक्ता को ऐसी सूचनाएं प्रदान करती है जिससे उपभोक्ता खरिदने के सम्बन्ध में निर्णय ले सके अतः विज्ञापन एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम है जिसके आधार पर उत्पादित वस्तु के सम्बन्ध में जनता की स्वीकृति निर्मित की जा सकती है विज्ञापन आज रेडियो टी.वी समाचार पत्रों मैगजीन इत्यादि के माध्यमों के द्वारा लोगों को जानकारी उपलब्ध करा रही हैं जिससे लोगो को जागरूकता तथा वस्तु की उपयोगिताओं का सही रूपों में जानकारी उपलब्ध हो रही है भारत में विज्ञापन का इतिहास बहुत पुराना है विज्ञापन के क्षेत्र में सबसे पहला विज्ञापन 1780 में जेम्स अगस्टस हिकि के समाचार पत्र बंगाल गजट में छपा तदोउपरान्त कलकात्ता गजट 1784 व बंगाल जनरल 1785 में विज्ञापनों का दौर शुरू हुआ।

सोशल मिडिया :– वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है देश–विदेश में कोई भी कहीं भी जो भी घटना घट रही है उसका तेजी से प्रचार–प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्थान से देश–विदेश के कोने–कोने तक किया जा रहा है वर्तमान समय में यह हमारे जीने के नजरिए को एकदम बदल कर रख दिया है जिसे देखे वह सोशल मीडिया पर व्यस्त है

मोबाइल फोन, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, वाट्सप्प, टेलीग्राम, जीमेल इत्यादि पर हमारी एक अलग ही दुनिया बन गई है सुबह की शुरुआत से रात के सोने तक सोशल मीडिया पर सक्रियता बनी रहती है हर पांच–दस मिनट पर मोबाइल देखना सामान्य सी बात हो गयी है सोशल मीडिया के लाभ एवं हानी दोनों में हम सोशल मीडिया को जिस संदर्भ में देखेगे वैसे ही दिखेगी अगर उसका प्रयोग हम जानकारी के लिए करें तो वह कारगर सिद्ध होगी और अलग इसका प्रयोग व्यर्थ में समय गवाने के लिए करे तो यह नकारात्मक प्रभाव डालेगी सोशल मीडिया का प्रभाव उच्च शिक्षा के मद्देनजर छात्रों पर भी पड़ रहा है सोशल मीडिया की उच्च शिक्षा में स्वीकार्यता बढ़ी है यह छात्रों और शिक्षकों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है सोशल मीडिया के जरीये छात्र–छात्राएँ व शिक्षक कक्षा समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे से आसानी से संवाद स्थापित कर रहे हैं और अपनी कठिनाइयों का निवारण एक दूसरे से दूर बैठकर भी किया जा रहा है आज फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से छात्र–छात्राएं व शिक्षक एक दूसरे से जुड़े हैं कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लास हो या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का वेबिनार हम सब अपने–अपने घरों में रहकर एक–दूसरे से आसानी से जुड़कर विद्वतजनों के व्याख्यानों को सुन और देख रहे थे वर्तमान समय में यह जरूरी नहीं रह गया कि छात्र महगे शहरों में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय में रहकर भी गुणवत्तापूर्ण कक्षाओं में भाग लेकर ही शिक्षा ग्रहण करें बल्कि वर्तमान समय में विभिन्न सोशल साइटों पर विभिन्न समूहों के माध्यम से शिक्षकों के कक्षा व्याख्यान को चलचित्र के माध्यम से मोबाइल कम्प्यूटर इत्यादि पर कहीं भी देखा या सुना जा सकता है जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और शैक्षिक रूप से गम्भीर छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

पुस्तके :– पुस्तके जनसंचार का पूर्ण माध्यम है पुस्तकें अपने अन्दर बहुत सी जानकारी को संजोये हुए होती हैं और यह लम्बे समय तक चलने वाली तथा लम्बे समय तक सम्भाल कर रखने वाली जनसंचार माध्यम है यह मैगजीन और समाचार पत्रों से ज्यादा विश्वसनीय होती है कुछ किताब हजारों साल पहले छापी गयी थी जैसे रामायण, महाभारत, वेद–पुराण, पंचतंत्र इत्यादि पुस्तकों में उपस्थित विचार काफी लम्बे समय से चलती आ रही है बहुत सी पुस्तके एक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुचाती हैं पुस्तकें लम्बे समय तक बनी रहती हैं परन्तु मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है मार्शल मैकुलहान के अनुसार पुस्तके मनुष्य के व्यक्तिगत सुडौल व तर्कपूर्ण विचारों को बढ़ाती हैं। विभिन्न संचार माध्यम जो कि हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग बन गये हैं इन में जन साधारण के जीवन के विविध पक्षों को परिवर्तित करने की भारी क्षमता विद्यमान है।

संदर्भः–

1 रेडियों वार्ता 5 सितम्बर 2018 आकाशवाणी वाराणसी ।
2 दैनिक जागरण 17 नवम्बर 2018।
3 मन की बात 26 अगस्त 2018।
4 शर्मा अचल, 2017 नए जन–संचार और हिन्दी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
5 भानावत डॉ.संजीव, 2018 भारत में संचार माध्यम राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

गर्भवती महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधी जानकारी में आंगनवाड़ी केन्द्रो की भुमिका

जयन्त गुप्ता
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवन्त सिंह पी0जी0 कालेज
गंगापुर, वाराणसी

प्रो0 आलोक कुमार कश्यप
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवन्त सिंह पी0जी0 कालेज
गंगापुर, वाराणसी

जीवन की सभी अवस्थाओं में सही और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि विकास और वृद्धि सही दिशा में हो सके और दैनिक दिनचर्या करने हेतु स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहे। यह बात सर्वविदित है कि सही पोषण की आवश्यकता किशोरी और गर्भवती महिलाओं में सबसे अधिक होती है। एक महिला का पोषण आगे चल कर उसके स्वयं के स्वास्थ्य तथा पैदा होने वाले शिशु के विकास का आधार बनता है। पर्याप्त पोषण के अभाव में कुपोषण के पनपने की संभावना जच्चा–बच्चा दोनों में बढ़ जाती है। कुपोषण, पीढ़ी–दर–पीढ़ी चलने वाला चक्र है। जन्म से कमज़ोर बालिकाएं जिन्हे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता वह आगे चलकर कुपोषित किशोरियां और फिर कुपोषित मातायें बनती हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण, महिला व बच्चे में जटिलता की संभावना को और बढ़ा देता है। इस प्रकार, कुपोषण के चक्र को तोड़ना अत्यन्त कठिन हो जाता है। गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति पर ध्यान देना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

शब्द कुन्जी- गर्भवती महिला, पोषण, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी केन्द्र

विवाह के पश्चात तथा गर्भधारण से पूर्व की अवस्था (Pre-conception) अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस समय योग्य दम्पती को गर्भधारण का संयुक्त निर्णय लेना चाहिए तथा विवाहित जीवन की अवधि, बच्चे की वांछित संख्या एवं महिला की स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुये ही निर्णय लेना चाहिए। सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि वह अपना वज़न व लंबाई आंगनवाड़ी केन्द्र पर करवाते हुये बी.एम.आई. का पता लगा सकती हैं। इससे उसे अपनी पोषण स्थिति ज्ञात हो सकेगी। इन बातों पर ध्यान देने से, पोषण की महत्वता समझने से व परिवार नियोजन की सही जानकारी होने से दम्पती स्वयं व आने वाले शिशु को स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं।

यदि योग्य दम्पती परिवार आरम्भ करने का निर्णय लेते हैं तो आंगनवाड़ी होने के नाते उन्हें स्वास्थ्य व पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त करायें। इसमें आशा का भी सहयोग लें। प्रोटीन, आयरन व फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन Pre-conception में करना लाभकारी होता है। 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही किशोरियां मानसिक और शारीरिक रूप से गर्भधारण व जन्म देने के लिए परिपक्व होती है। इस आयु के पश्चात विवाह व गर्भधारण करना महिला के स्वास्थ्य व पोषण की दृष्टि से उचित रहता हैं। सुखद गर्भावस्था के अनुभव के लिए महिला को गर्भधारण के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक हैं। यह

एक ऐसा निर्णय है जो दम्पती को मिलकर लेना चाहिए। यदि दम्पती गर्भधारण को विलम्ब करना चाहते है तो उन्हें परिवार नियोजन के विकल्पों को अपनाना चाहिए। सभी दम्पती को यह जानकारी दें कि पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम तीन वर्ष का अंतराल रखना चाहिए। यदि किसी के पहले से ही दो बच्चे हैं, तो उस दम्पती को छोटे परिवार के महत्व और लाभ एवं बड़े परिवार के होने के हानि के बारे में जागरूक करें और ऐसे दम्पती को परिवार नियोजन के विकल्प के बारे में जानने व प्रयोग करने के लिए आशा से संपर्क करने को कहें। कम आयु में विवाह, कम अंतराल पर गर्भधारण और अधिक बच्चे, सभी कुपोषण के कारण हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री ए.एन.एम. के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करें कि सभी नयी चिन्हित गर्भवती महिलाएं जिनका मासिक धर्म ठहर गया है, उनको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निश्चय किट (गर्भावस्था परीक्षण किट) उपलब्ध करा दी जाये, ताकि गर्भधारण की पुष्टि हो सके। गर्भावस्था का शीघ्र पता लगने से गर्भावस्था के दौरान संभावित प्रतिकूल परिणाम की समय से पहचान व उससे बचाव करने में मदद मिलती है।

गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता

नौ माह का गर्भकाल, महिला एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस दौरान गर्भवती महिला को बहुत सारी आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु एवं गर्भवती महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल का उत्तरदायित्व केवल महिला का ही नहीं, अपितु परिवार के अन्य सदस्य जैसे पति, ससुर, सास, भाभी या ननद सभी का होता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिला को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त आवश्यकता बढ़ते भ्रूण की मांग तथा पर्याप्त स्तनपान कराने के लिए आवश्यक होती है। सही पोषण तथा समय से स्वास्थ्य सेवायें लेने से गर्भावस्था के दौरान महिला का वज़न उचित दिशा में बढ़ता है, गर्भ में शिशु का विकास सही होता है। यदि महिला को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिले तो ना केवल महिला का स्वास्थ्य प्रभावित होगा बल्कि कमज़ोर शिशु पैदा होने की भी संभावना भी बढ़ जाती है। कमज़ोर शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास भी कमज़ोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण संक्रमण की संभावना अधिक होती है और बच्चा स्कूल में पढ़ने–लिखने में पिछ़ड़ सकता है। महिला को अपने भोजन में प्रोटीन एवं आयरन युक्त भोजन पदार्थ जैसे बाजरा, रागी, दालें, मेथी के पत्ते, पालक का साग, चौलाई पत्ते, काला चना, राजमा, सोयाबीन, किशमिश, सम्मिलित करना चाहिए। यदि गर्भवती महिला मांसाहारी भोजन का सेवन करती है, तो उसे अपने भोजन में अंडा, मछली एवं चिकन लिवर को सम्मिलित करना चाहिए।

गर्भावस्था के दौरान देखभाल– आवश्यक जानकारी

किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित समय/तिथि की जानकारी होना आवश्यक है जिससे कि वह गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में प्राप्त की जाने वाली सेवाओं तथा आवश्यक तैयारी के बारे में जागरूक रहे।

प्रसव की संभावित तिथि की गणना करने का तरीका ।

महिला की अन्तिम माहवारी के पहले दिन से गिनते हुये इसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ देने से प्रसव की सम्भावित तिथि निकाली जा सकती है। यह सामान्यतः 280 दिन, 40 सप्ताह, या लगभग 9 महीने और 7 दिनों के बराबर होती हैं।

गर्भावस्था में महिला की वज़न वृद्धि

9 माह के गर्भकाल को तीन–तीन माह के तीन तिमाही में बांटा गया है क्योंकि हर तिमाही में गर्भवती महिला की आवश्यकता अलग–अलग होती है। पूरे गर्भावस्था के दौरान महिला का 10–12 किलो वज़न बढ़ना आवश्यक है। यदि गर्भवती महिला का वज़न गर्भावस्था के दौरान 10–12 कि.ग्रा. नहीं बढ़ता है तो कम वज़न वाले शिशु के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। यह वज़न वृद्वि अलग–अलग तिमाही में अलग होती है

शीघ्र पंजीकरणः

गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था के पहले महीने में आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाना चाहिए क्योंकि समय से पंजीकरण होने पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य एवं सम्बंधित सभी आवश्यक सेवायें मिलने लगती हैं तथा किसी भी प्रकार की संभावित जटिलता की समय से पहचान हो सकती है।

मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (एम.सी.पी.कार्ड):

पंजीकृत होने के बाद गर्भवती महिला को ए.एन.एम. से संपर्क कर अपनी पहली प्रसव पूर्व जांच भी करवानी चाहिए। ए.एन.एम. से प्राप्त एम.सी.पी. कार्ड गर्भावस्था व 5 वर्ष तक के शिशु की स्वास्थ्य व पोषण डायरी के समान है। एम.सी.पी. कार्ड को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें गर्भवती महिला के प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच की जानकारी ए.एन.एम. द्वारा भरी जाती है। इसमें गर्भावस्था संबंधित देखभाल के आवश्यक संदेश भी होते हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के लिए तथा प्रसव के समय एम.सी.पी. कार्ड को लेकर स्वास्थ्य केन्द्र/ आंगनवाड़ी केन्द्र/अस्पताल में जाना चाहिए जिससे कि कोई भी स्वास्थ्य कार्यकत्री/चिकित्सक गर्भावस्था कि प्रगति के बारे में जानते हुये परामर्श दे सकें।

प्रसव पूर्व जांचः

प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह देनी चाहिए। इनमें से पहली तिमाही में एक, दूसरी तिमाही में एक तथा तीसरी तिमाही में कम से कम दो बार। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के समय निम्नलिखित सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जाती हैं – टेटनस की जांच, रक्तचाप की जांच, वज़न की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच और पेट की जांच।

यह जांच चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में ही करवानी चाहिए। सरकारी अस्पताल में प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच स्वास्थ्य इकाई में की जाती है। अस्पताल में एक प्रसव पूर्व जांच करवाने से गर्भ की स्थिति का पता चलता है और साथ–ही–साथ गर्भ में पल रहे शिशु के विकास की जानकारी भी प्राप्त होती है।

वज़नः

गर्भवती महिला को प्रत्येक माह एक बार आंगनवाड़ी केन्द्र पर जाकर वज़न अवश्य करवाना चाहिए और एम.सी.पी. कार्ड के पृष्ठ 4 में वज़न के कॉलम में रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्भ में शिशु का विकास ठीक से हो रहा है अथवा नहीं। प्रथम तिमाही में वज़न वृद्धि बहुत कम होती है। इस तिमाही में महिला का पंजीकरण करने के समय उसका वज़न अवश्य लें और एम.सी.पी.कार्ड में रिकॉर्ड करें क्योंकि वज़न का यह माप गर्भावस्था के दौरान हुई वज़न वृद्धि का आधार बनता है।

खून की जांचः

एनीमया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर जानना आवश्यक है। इसके लिए खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 g/dl से कम हैं तो यह गंभीर एनीमिया का सूचक है एवं उपचार हेतु तुरंत नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) पर अवश्य जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7–11 g/dl के मध्य है तो भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

भोजनः

गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाएं जी मचलना एवं उल्टी जैसे लक्षणों का अनुभव करती है, जिससे खाने में अनिच्छा होती है। फिर भी उन्हें दिन में तीन बार भोजन ज़रूर लेते रहना चाहिए क्योंकि यह गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। गर्भावस्था की इस तिमाही में शिशु की हड्डियों के विकास के लिये, गर्भवती महिला को अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, रागी, तिल के बीज, बथुआ एवं मेथी के पत्ते सम्मिलित करने चाहिए। गर्भवती महिला को भारी कार्यों से परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान, महिलाओं को दोपहर में भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए।

कैल्शियमः

गर्भावस्था की प्रथम तिमाही से गर्भवती महिला को कैल्शियम युक्त भोजन के साथ–साथ कैल्शियम की दो गोली प्रतिदिन शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तिमाही में प्रतिदिन कैल्शियम की दो गोली–एक गोली नाश्ते/दोपहर के भोजन के बाद लेनी चाहिए और दूसरी गोली शाम/रात के भोजन के बाद। कैल्शियम की गोली को पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना चाहिए।

डीवर्मिंगः

पहले तिमाही में एक बार पेट के कीड़े मारने वाली दवा 400 मिलीग्राम की एल्बेण्डाजोल की एक गोली खानी चाहिए। यह एनिमिया से बचाव करती है। साथ में कीड़ो के कारण संभावित, भोजन के अवशोषण अथवा पाचन संबंधित समस्याओं से भी बचाती है।

स्तनपानः

गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को स्तनपान के महत्व तथा स्तनपान कराने की तकनीक के बारे में बताना बहुत आवश्यक होता है। गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को शिशु के जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान से संबंधित चार बातें हमेशा याद रखनी चाहिए।

- मां का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे खीस/कोलो स्ट्रम कहते हैं। शिशु के लिए पहला पूरक आहार होता है। इसे भूल से भी ना फेंकें।
- शिशु के जन्म के एक घंटे के अंदर उसे अपना स्तनपान ज़रूर करायें क्योंकि यह शिशु के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसे शिशु के लिए पहला प्राकृतिक टीकाकरण भी माना जाता है, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। दूध पिलाने की बोतल या फिर कोई फार्मूला फीड शिशु को नहीं देना चाहिए।
- यदि प्रसव आपरेशन द्वारा भी हो ता है तो स्तनपान घरवालों के सहयोग से करायें।
- नवजात शिशु को मां के दूध और खीस (कोलो स्ट्रम) के अलावा ना ही कुछ चखाएं ना ही कुछ चटाएं जैसे शहद जन्म घुट्टी या अन्य तरल पदार्थ। यहां तक कि पानी भी ना दें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

- Annual progress report (2018 -19)MWCD,GOI ,New Delhi
- Niti .gov.in
- www.nipccd nic .in
- Wcd.nic.in
- Icds-wcd.nic.in
- Kant l. and other,profile of anganwadi workers and their knowledge about ICDS, Indians journal of peadiatrics

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

छायावाद और निराला

पंकज पुंडीर
असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,मुनस्यारी, उत्तराखंड

हिंदी साहित्य अनेक कालों से सुशोभित होता आया है। आदिकाल की वीरगाथा और श्रृंगारिकता का स्थान भक्तिकाल में भक्ति और ईश्वरीय प्रेम ने ले लिया। रीतिकाल आते आते पुनः घोर श्रृंगारिकता ने साहित्य में अपना विशेष स्थान बना दिया और आधुनिक काल में अनेकों युग दृष्टिगोचर होते हैं, जो समयानुसार परिवर्तित होते रहे। यथा – भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन साहित्य आदि। भारतेंदु काल से वर्तमान तक आधुनिक काल निरंतर उन्नति के पथ में अग्रसर है।

प्रत्येक काल और युग का अपना अलग औचित्य है जिसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता लेकिन आधुनिक साहित्य का छायावादी काल अपने आप में विशेष महत्व रखता है। द्विवेदी युगीन इतिवृतात्मकता और वस्तु वर्णन की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य ने जन्म लिया। जिस प्रकार, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी प्रकार, छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सर्वप्रथम "श्री मुकुटधर पाण्डेय" ने छायावाद शब्द का प्रयोग अपने निबंध 'हिंदी में छायावाद' में किया। छायावाद को आत्माभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद, स्वछंदतावाद आदि अनेक नामों से जाना जाता है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। जिन्होंने अपने अपने तरीकों व तर्कों से छायावाद को अंकुरित– पल्लवित– पुष्पित व फलित किया है और व्यक्तिगत रूप से मैं निराला से बहुत प्रभावित रहा हूं। मेरे लिए हिंदी साहित्य और छायावाद में उनका विशेष स्थान है। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता का स्थान छायावाद में आकर भावना ने ले लिया। छायावाद को अनेकों कवियों, लेखकों और समीक्षकों द्वारा परिभाषित किया गया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से समीक्षक नामवर सिंह से पूर्णतः सहमत हूं। वह लिखते हैं कि ष्छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है, जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई।'1 वे आगे लिखते हैं कि 'छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से।'2 वास्तव में छायावाद मुक्ति की चेतना का काव्य है।

मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रकृति चित्रण, नारी प्रेम की नई चेतना, आत्मानुएभूति, राष्ट्रीय एवम् सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता, रहस्यवाद आदि छायावाद की प्रमुख प्रवृतियां रही हैं। छायावाद में मुझे मुख्यतः तीन काव्यधाराएं दिखाई देती है। पहली रहस्यवाद, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण काव्य। दूसरा दलित, दबे – कुचले सर्वहारा एउवम् शोषण का शिकार हुए लोगों की आवाज बनता यथार्थवादी काव्य और तीसरा सामाजिक – सांस्कृतिक चेतना तथा स्वाधीनता और स्वाभिमान की भावना से ओत – प्रोत कविताएं। वस्तुतः ये तीनों ही काव्यधाराएँ निराला के काव्य (1916–1961) में पल्लवित हुई। उनके काव्य में रहस्यवाद और प्रेम की मौलिक अभिव्यक्ति भी है, सामाजिक आर्थिक असमानता पर आक्रोश और निर्धन व दलित वर्ग से सहानुभूति भी तथा स्वाधीनता व आत्मगौरव के लिए छटपटाहट भी।

निराला ने लगभग हर विषय में अपनी लेखनी चलाई है। विषयों की विविधता की भावनात्मक अभिव्यक्ति उनके काव्य और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। शुरुआत में उन्होंने नारी प्रेम और सौंदर्य को अपने काव्य का आधार बनाया जिसमें उन्होंने जूही की कली, संध्या सुंदरी, नरगिस, तुम और मैं, चुम्बन, बांधों न नाव इस थांव, बंधु जैसी श्रृंगार परक कविताओं लिखी।

आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात,
फिर क्या? पवन
उपवन– सर– सरित, गहन– गिरी– कानन
कुंज लता पुंजों को पारकर
पहुंचा जहां उसने की केलि
कली– खिली– साथ।(जूही की कली) 3

(1916 में अतिशय श्रृंगारिकता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी ये कविता लौटा दी तत्पश्चात मतवाला में 1922 में प्रकाशित हुई)

"सरोज स्मृति" में सरस्वती के दरवाजे से लौटी 'जूही की कली' के लिए निराला लिखते हैं कि – 'लौटी रचना लेकर उदास,

ताकता रहा मैं दिशाकाश' 4

तुम और मैं कविता की निम्न पंक्तियां दृष्टव्य है, जहां तुम और मैं विपरीत होते हुए भी एक ही है।

तुम नंदन– वन– घन– विटप/ और मैं सुख– शीतल– तल– छाया/
तुम प्राण और मैं काया/ तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म/ मैं मनमोहिनी माया।। 5

प्रेम की मादकता से उतर कर जब निराला यथार्थ के पथरीले मार्ग पर चले तो उनके हृदय से भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, दान, विधवा, बादल –राग, प्रेम संगीत, तुलसीदास, गर्म पकोड़ी, कुकुरमुत्ता, समर करो जीवन में जैसी कविताओं ने जन्म लिया। जिसमें जातिवाद, सड़ी– गली मान्यताओं, किसानों की दुर्दशा, स्त्री अस्मिता और संघर्ष, सामाजिक आर्थिक असमानता का स्वर मुखरित था।वह तोड़ती पत्थर कविता साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की जंजीरें तोड़ रही है।बादल राग में वे किसानों की दयनीय स्थिति इन शब्दों में बयां करते हैं –

जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर।
ऐ विप्लव के वीर!
चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार,
ओ जीवन के पारावर!।। 6

कुकुरमुत्ता और बादल राग पूंजीपतियों और शोषक तंत्र को बेनकाब करती है, में कवि कहते हैं –"अबे सुन बे गुलाब!/ भूल मत जो पायी खुशबू, रंग–ओ–आब/ खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट/ डाल पर इतरा रहा है केपिटलिस्ट।"7

प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उपनिवेश विरोधी विचारधारा का प्रचार होने लगा, शनैः – शनैः इस विचार ने स्वाधीनता और देशप्रेम का रूप धारण कर लिया। राम की शक्तिपूजा, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, बापू के प्रति, बुद्ध के प्रति, यमुना के प्रति, शिवाजी का पत्र आदि कविताएं ब्रिटिश हुकूमत का खुलकर विरोध करती है।

शेरों की मांद में / आया है आज स्यार / जागो फिर एक बार।।
सिंही की गोद से / छीनता रे शिशु कौन? / एक मेषमाता ही /रहती निर्निमेष 8

निराला ने लीक से हटकर मौलिक और नवीन विषयों को काव्य सृजन के लिए चुना। पुरानी मान्यताओं को छोड़ कर नए रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं होता, जितना लगता है। नवीनता हमेशा अपने साथ विरोध लेकर आती है और ये विरोध निराला को जीवन भर झेलना पड़ा।

"धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध,
धिक साधन जिनके लिए किया सदा ही शोध।" 9

आलोचकों ने उनका क्रांतिकारी, यथार्थवादी और स्पष्टवादिता वाला रूप तो देखा लेकिन पूर्वानुमान से पीड़ित होने के कारण वे उनकी मृदुल भावनाओं को अनदेखा कर गए। "राम की शक्तिपूजा" के नायक राम ही नहीं अपितु निराला भी हैं। जो संघर्ष, निराशा, वेदना राम को मिली, उसी दुःख और वेदना को नीला ने अपने जीवन में जिया है। राम की निराशा और पीड़ा वास्तव में निराला की निराशा और पीड़ा है।
'अन्याय जिधर, है उधर शक्ति? कहते छल – छल हो गए नयन/ आया न समझ में यह दैवी विधान/ रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर'10
तो "सरोज स्मृति" में निराला लिखते हैं कि –
"धन्ये! पिता मैं निरर्थक था,
कुछ भी तेरे हित न कर सका।"
"दुःख ही जीवन की कथा रही/ क्या कहूं आज जो नहीं कही।" 11

निराला का दुःख उनके जीवन के परिवेश से संघर्ष की प्रक्रिया में पनपा था ।निराला संघर्ष के कवि हैं उनका सम्पूर्ण काव्य उनके संघर्ष का प्रतिफल था । डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखा है "काव्य की श्रेष्ठता उसके ट्रैजिक होने में है, पैथेटिक होने में नहीं. जहां संघर्ष है, परिवेश का विरोध सशक्त है, उससे टक्कर लेने वाले व्यक्ति का मनोबल दृढ़ है, वहां उदात्त स्तर पर मानव–करुणा व्यक्त होती है. वही ट्रैजडी है. शेष सब पैथेटिक है।"12

उन्होंने सबसे बड़ा साहस का कार्य कविता को छंदमुक्त करकर किया। उदारता, करुणा, सरलता, स्पष्टता, निष्कपटता, तर्कशीलता, अन्याय विरोधी, भावुकता आदि चारित्रिक विशेषताएं स्वतः ही उनके काव्य में समाहित हो जाती हैं।

डॉ० बच्चन सिंह अपनी पुस्तक "क्रांतिकारी कवि निराला" में लिखते हैं कि "निराला ने जिस मुक्त छंद उद्याम भावधारा और दार्शनिक ओजस्विता के साथ हिंदी में प्रवेश किया, वह हिंदी वालों के लिए सर्वथा नवीन वस्तु थी। अभी तक हिंदी भाषा– भाषी ब्रजभाषा की मिठास, अवधी की सरसता और खाड़ी बोली के अंत्यानुप्रासो से ही परिचित थे। निराला का छंद हीन नवीन काव्य उनके लिए अद्भुत वस्तु थी, जिनसे उनकी रूढ़िबद्ध रुचियों का में तो दूर रहा, उसका संपर्क भी उन्हें प्रिय न था। यही कारण था कि न तो इनकी कृतियों का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन हुआ और न ही लोगों ने इन्हें समझने का प्रयास किया। इसी भांति एक श्रेष्ठ, प्रतिभासंपन्न कवि की अवहेलना और विरोध होने लगा। यह निराला का ही व्यक्तित्व था कि अनेक विरोधों और संघर्षों के बीच से होते हुए भी ये इतने ऊंचे पहुंच पाए।"13

निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में औदार्य के ऐसे दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है मानो अनेकानेक सद्प्रवृत्तियों ने एकत्र हो मानव शरीर पा लिया हो। निराला के व्यक्तित्व को जानकर मुझे संत कबीर याद आते हैं। ऐसा लगता है मानो कबीर ने निराला के रूप में दूसरा जन्म पा लिया हो। निराला और कबीर में एक छोटा अंतर मुझे दिखता है और वो ये है कि कबीर पहले संत हैं, बाद में कवि। तो वहीं निराला कवि पहले हैं और बाद में संत। अक्खड़, अलमस्त, बेपरवाह, फकीर, विलक्षण, अद्भुत प्रतिभा के धनी ये उनका व्यक्तित्व था, जो निराला को प्रसाद, पंत और महादेवी से अलग बनाता है। यही संघर्ष, निराशा, जीवटता और जीवन की तपस्या निराला का हिंदी का "महाप्राण" बनाती है। निराला का मानना था कि "चाह का

समाप्त होना, होश में आने जैसा है।" (इच्छाएं कम होने पर ही दूसरों के दुखों को देख पाने की दृष्टि मिल पाती है) समय की धार के विपरीत कार्य कगार में खड़े आलोचकों के लिए आलोचना का विषय(छंदमुक्त कविता) बन गया। भावनाओं की प्रबलता उन्हें यथार्थवादी जीवन को शब्दबद्ध करने के लिए प्रेरित करती रही। प्रसाद, निराला के बारे में लिखते हैं कि षनिराला हिंदी को ईश्वर की देन है।" निराला हिंदी के स्वर्णिम हस्ताक्षर और अमर राग हैं। निराला ने हिंदी की अस्मिता के लिए अनेकों संघर्ष किए, जिसे शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और न ही उनका ऋण चुकाया जा सकता है। निराला की जन्मभूमि इलाहाबाद के दारागंज चौराहे में लगे स्मृति चिह्न पर लिखी निम्न पंक्तियां उन्हें समर्पित की गई हैं– "क्रांति और करुणा के उस मूर्धन्य महाकवि की स्मृति में जिसने जीवन और साहित्य के धरातल पर न केवल जीर्ण परंपराएं तोड़ी बल्कि जो स्वयं अपनी परंपरा में भी कभी न बंधा और जिसने अपनी सिद्धावस्था का जीवन इस दारागंज मुहल्ले में ही बिताया।"14

संदर्भ ग्रंथ–

1. छायावाद ,नामवर सिंह, राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली,पृष्ठ –16
2. छायावाद ,नामवर सिंह, राजकमल प्रकाशन ,नई दिल्ली,पृष्ठ– 17
3. निराला रचनावली भाग –1,नंदकिशोर नवल (संपा०),राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,पृष्ठ–31(जूही की कली)
4. राग विराग ,रामविलास शर्मा(संपा०),लोकभारती प्रकाशन,इलाहाबाद,पृष्ठ– 83
5. निराला रचनावली भाग –1,नंदकिशोर नवल (संपा०),राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,पृष्ठ–37(तुम और मैं)
6. राग विराग ,रामविलास शर्मा(संपा०),लोकभारती प्रकाशन,इलाहाबाद,पृष्ठ –58(बादल राग)
7. राग विराग ,रामविलास शर्मा(संपा०),लोकभारती प्रकाशन,इलाहाबाद,पृष्ठ–128(कुकुरमुत्ता)
8. निराला रचनावली भाग –1,नंदकिशोर नवल (संपा०),राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 5वां संस्करण ,पृष्ठ–153
9. निराला रचनावली भाग –1,नंदकिशोर नवल (संपा०),राजकमल प्रकाशन,प्रथम संस्करण,नई दिल्ली,पृष्ठ–318(राम की शक्ति पूजा)
10. वही, पृष्ठ –315
11. वही, पृष्ठ– 297(सरोज स्मृति)
12. निराला की साहित्य साधना , खंड 2,रामविलास शर्मा(संपा ०),राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,पृष्ठ– 241
13. क्रांतिकारी कवि निराला,बच्चन सिंह(संपा ०),विश्वविद्यालय प्रकाशन ,वाराणसी,पृष्ठ–1(कवि परिचय)
14.स्मृति चिन्ह निराला,दारागंज चौराहा, इलाहाबाद

Digital Painting

Rajneesh K. Gautam
Asst. Prof.
Dept. of Drg. & Ptg.
D.A.V. (PG) College,
Muzaffarnagar, U.P.

Abstract :

At present, in the era of digitization, where computer has affected almost every field. At the same time, the field of painting also did not remain untouched by this. Painting is also being digitized with the help of various tools through various softwares. In various artistic activities, whether it is film industry or advertising world, the demand of digital artists is increasing day by day in giving special effects, as a result many painters are working in digital medium leaving traditional mediums.

Key Words : Digital, Painting, Computer, Software, Tools, Studio, Film Industry, Advertising.

Digital Painting is one of the current techniques of painting. In this technique we paints without using traditional tools such as Brush, Colour Palette, Knife, Roller, colour (Oil, Acrylic, Water, Poster & Tempera), etc. and without canvas or other surfaces for painting. In place of all these things we use only a computer installed with various softwares that provide the facility of using various tools, by using these softwares we achieve up to a great extent the same effect as was achieved by using traditional tools of paintings. One of the chief qualities of Digital Painting is that the size of the canvas is no longer a hindrance, the computer screen serves for the canvas, after the completion of the work the painting is printed in its original size.

This technique was developed mainly in 1990s. The first commercial program that allowed users to design, draw, and manipulate object was the program MacPaint[1]. Thomas knoll The research scholar at Michigan university developed a programme in 1987 which could show the grey scale images in monochrome, this work arrested the attention of his brother John Knoll who worked in a company dealing with lighting effects, Thomas with his brother named this programme as Full Flagged Image Editing Programme. In the year 1988 Thomas named his programme Image-Pro, later it was named as Photoshop. In the same year Thomas demonstrated this programme to the famous computer manufacturing company Apple & a software company Adobe. Thomas got appreciation from both the companies and finally Adobe purchased the programme, thus the first edition of Photoshop was launched by Adobe.[2] Photoshop functions with various ad on programmes called plugins, Thomas's brother John started working on these plugins.

In the beginning Photoshop was used to create different effects, Photo restoration, Colour Correction & editing of images, later on different plugins that were used to create various effects

[1] Wikipedia, Digital Painting
[2] Wikipedia, Digital Painting

on images, created some effects by which the painting was also possible. Apart from this software there are many softwares available in the market today that are used for digital painting & photo editing such as Corel Painter, Paint Shop Pro, Photo Impact & Photo Paint, Autodesk Sketchbook Pro, Pixara Twisted Brush, Art Rays Studio Pro, Serif Photo Plus, Xara Photo and Graphic Designer, ACDSee Photo Editor, Cyberlink Photo Director Ultra etc. All these softwares are for digital painting.

Different Tools that have been provided by these software are : Surface Taxturing, Layering Functionality, Resizing Functionality, Canvas Positioning and Rotation, Auto Painting, Tracing, Colour Mixing Palette, Brush Costomization, Air Brush, Pencil, Pen, Felt Pen, Markers, Charcoal, Watercolours, Crayons, Chalk, Oils, Pastels, Acrylic, Blender, Sponge, Colour Pencils etc.

To draw digital sketches some artists use Graphic Tablets in place of Mouse, these tablets are the tools of choice by digital painters. WACOM is the industry leader in tablets which can range in size from 4" x 6" all the way to 12" x 19" and are less than an inch thick. Other brands of graphic tablets are Aiptek, Monoprice, Hanvon, Genius, Adesso, Trust, Manhattan, Vistablet, DigiPro, etc[3].

Today the painters are producing various effects with the help of these tools & softwares, thus they are creating new dimensions in digital painting day by day. In fact digital painting is the medium by which collage and photo editing paintings can be made precisely. The growing use of Digital Cameras have made working in this field all the more easier. Now the images can be downloaded right from the cameras putting aside the scanners, the originality of the images is maintained and the best result is achieved.

Inspired by the immense facilities of this medium a number of artists have been attracted to digital medium securing the economy of cost, time, place, though they gave this medium an indifferent look in the beginning.

Digitalization of art has created millions of career opportunities for artists and art apprentices. The artist is creating his imagination through the computer in such a detailed way that could never have been imagined. Lively creations are being created from sketching to large colors, which are in great demand in the international art market, now the time has come when the artist will have to make his art multidimensional through the medium of computer, not just limited to the brush.

There is immense future potential in the current market for artists working in the digital medium. There is a huge demand for professionals who are art experts and visual arts experts in the fields of book publishing, e-publishing, printing and packaging, advertising, print and electronic media,

[3] http://0.tqn.com/d/performingarts/1/0/9/7/-/-/GraphicsTabletComparisonChart.jpg

film making, gaming, etc. Presently there is a huge demand for Visualizer, Illustrator, Art Director, Graphic Designer, 2-D and 3-D Animator and Digital Video Editor etc.

For the youth who are students of drawing and painting and fine arts, the field of animation and visual effects and graphic designing is proving to be helpful in making a brilliant career. These fields have increased the demand for artists today. The international market for animation and visual effects is growing rapidly. By 2010, the international market of animation was 75 billion dollars, which became 135 billion dollars by 2015 and by 2019, this market had become 300 billion dollars. Many prestigious film production companies of America and Europe are turning towards India to do high quality and low cost film production work, due to which there is a huge demand for technicians and artistes in the Indian market, for the next five years. About 45 lakh animation artists will be required.

Socio-Economic Status of Tribal (Gujjar and Bakarwal) of Jammu and Kashmir: An Overview

Ankur kumar Pandey
Research Scholar
Iswar Saran Degree College,
Allahabad Central University, Prayagraj

There is no precise definition of "tribe" in the constitution, and there is no definition anywhere that is complete or error-free. For the average person, the term conjures up images of simple people living in hills and forests with their "exotic" customs and practises; for those who are a little "better" educated, it conjures up images of "colourful" people with their folk music, dance, and medicine; for a manager, it conjures up an image of a group of citizens who fall under the exclusive purview of the president of India; and for an anthropologist, it conjures up an image Each of these impressions is true in its own way. Kachroo (2007) A tribe, as defined by Oxford Dictionary, is a collection of people who are in a primitive or barbaric stage of development and who recognise the authority of a chief while typically believing they share a common progenitor. According to Verrier Elwin, the word "tribe" has a Latin basis, and the middle English word "Tribuz," which referred to the three divisions that the early Romans were divided into, eventually developed into the present English word "tribe." (Singh, 1959) Tribes have been described differently by various anthropologists, sociologists, economics, and administrators.

The tribes were described by Bardhan as "a series of socio-cultural entities at a specific historical stage of development." It is a singular, endogamous community, with a psychological makeup and cultural composition that date back to a certain historical period. The tribe is described by Mujumdar as "a collection of families or common groups bearing a common name, occupying the same territory, speaking the same language, and observing certain taboos regarding marriage, profession/occupation, and have developed a well assured system of reciprocity and mutuality of obligationsOnly the phrase "Scheduled Tribe" is defined under the Indian Constitution as "the tribe or the tribal communities or sections of or groups within tribes or tribal communities," as determined by the President by public announcement (Article 342). ILO Convention 107 (1957) defines the term "tribals" or "aboriginals" as "tribals or semi-tribal communities of the Independent countries having their own customary laws/conventions and being impoverished socially or economically." Hence, (1958; Majumdar)

Gujjar- The Gujjars also go by the names Goojar, Gujar, and Gurjara. The history of this tribe is highly intriguing; it is believed that during the Huna raids, the Gurjara tribes went into Himachal Pradesh and northern India. The Gujjar tribe is thought to have descended from the Khazar

tribes. Gujjar is a term that has Khazar roots. Gujjar populations can be found primarily in Delhi, western Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, and Haryana in India. In the states of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, and northwest Uttar Pradesh, there are semi-nomadic Gujjar people.The word "Gurjar" is where the state of Gujarat gets its name. When it comes to cultural heritage, Gujjars are wealthy. They speak GOJRI, a branch of the Indo-Aryan language, and have unique rituals, eating and living habits, as well as specialties in their craft and workmanship. (2012) Farhat.

Bakarwal - The word "Bakarwal" is a mixture of the phrases "Bakri," which means "goat or sheep," and "wal," which means "one who takes care of." The word "Bakarwal" essentially denotes "high-altitude goat and sheep herders." In the summer, Bakarwals raise goats and sheep at high elevations in the Greater Himalayas, while in the winter, they live in the lowlands and foothills of the Shwalik Mountains. The Pirpanjal mountain range, which separates the states of Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh, is home to these unique nomadic tribes. Additionally, Bakarwals can be found throughout the Northern Himalayan regions, specifically in the states of Uttrakhand, Himachal Pradesh, and Punjab. Kashmir, Jammu, and In all three regions of the state of Jammu and Kashmir, there are several bakarwals.

Jammu and Kashmir - Jammu and Kashmir is a state in northern India. It shares a border with the states of Himachal Pradesh to the south and is largely in the Punjab. The Line of Control divides Jammu and Kashmir from the areas that are under the control of Pakistan in the west and northwest, respectively. Jammu and Kashmir shares an international border with China in the north and east. Article 370 of the Himalayan Mountains Azad Kashmir constitution of India grants the state particular autonomy. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jammu and Kashmir) Jammu & Kashmir has a total population of 1, 25, 41,302 (1.25 million) and a territory of 2,22,236 square kilometres, or around 3.20% of the entire country.According to the 2011 Census, the Gujjars and Bakerwals, the third-largest ethnic group in Jammu and Kashmir, make up more than 11.9% of the state's total population. The only group that has preserved its culture and heritage over the years is the Scheduled Tribe. Rajouri and Poonch districts in the Indian state of Jammu & Kashmir have the highest concentration of Gujjars, followed by Ananatnag, Udhampur, and Doda districts. Gujjars are thought to have moved from Gujarat (through Rajasthan) and the Hazara district of NWFP to Jammu & Kashmir. Intermarriages between the Bakarwal and Gujjar ethnic groups take place freely in that region. In the state, there are ten different tribal classifications: Balti, Shin, Changpa, Garra, Mon, Purigpa, Gujjar, and Bakerwals, gaddi and shimpi.

Gujjars and Bakerwals make up the majority of them, making up 69% of the tribal population. Scheduled tribes can be socially represented in moving, religious practises, and other ways. They completely adopt their previous customs and practises. Sheep, goats, and buffalo are herded by the indigenous people. Semi-nomadic Gujjar people have a custom of moving to the upper Himalayas during the summer with their cattle and returning to the plains as soon as the chilly winter weather arrives.

Review of Literature-

The material that is currently available on the socioeconomic education status of tribal people in Jammu and Kashmir confirms that their situation is not suitable when compared to other groups in society. Suri (2014) demonstrates in her research that the socioeconomic and educational condition of Gujjar and Bakarwal is subpar in comparison to other societal groups. She adds that one of the main causes of Gujjars and Bakarwals' poverty, ignorance, and general backwardness is their educational backwardness. In his study, N.K. Ambasht (1970) notes that social distance between the teacher and the student in tribal areas is the primary factor contributing to the illiteracy of Gujjar and Bakarwal people.

S.M. Dubey (1972) studied education, social transformation, and political consciousness among tribal communities in north-eastern India and came to the conclusion that these communities needed to develop political consciousness because they were undeveloped and illiterate. In Jammu and Kashmir, R.P. Khatana (1976) studied marriages and kinship among the Gujjar and Bakerwals and came to the conclusion that these scheduled tribes strictly practise intra-community and intra-clan marriages. He also looked at some aspects of transhumance in mountainous traits in 1976. K.S. Chalam, who conducted research on educational policy for human resource development in 1993, came to the conclusion that educational reforms are necessary for the advancement of scheduled tribes. An overview of the 20th-century tribal development policies is provided by P.C. Mehta (2000). He continues by saying that their socioeconomic and educational standing is inadequate and that they are falling behind in all facets of social life.

Origin and Significance-

In particular, the Gujjar and Bakarwal tribes should have their origins determined. In reality, these tribes originated in Jammu and Kashmir state and have since spread throughout the entire state. It is believed that the word Gujjar first appeared in Indian literature around the seventh century. It is thought that Gur and Ujjar are the ancestors of the word "Gujjar." Gur means "enemy destroyer," and Ujjar signifies "destroyer" when used together. While the term "Bakarwal" comes from the Indic words for "one who takes care of" and "goat" or "sheep," respectively. The word "Bakarwal" essentially denotes "high-altitude goatherds/shepherds."These tribes have a strong cultural legacy and get along with one another well because of their shared traditions. Both literally originate in the Pir Panjal region of the north Himalaya. However, moving from a mountainous location to a low-lying area or vice versa in pursuit of pasture, animal rearing, and carrying out the people's seasonal rearing.

Significance-

The free exercise of human will appears to be subject to some restrictions and demanding circumstances provided by nature (via heightened relief seasonal rhythms of climate and varying luxuriance of pasture). The finest thing a man can do is modify his lifestyle and method of resource development in accordance with the plan's general guidelines.would provide his efforts the greatest rewards. Seasonally, the transhumance moves closer or farther away from the lush forest covers, but they often settle in the forest areas rather than plain ones.The two main animals

used in transhumance are sheep and goats. Only a supporting role is played by cattle. Animal feeding is one of the fundamental issues in transhumance, and it's not always simple to resolve. Due to their extremely high food needs per head, cattle are essentially constrained to areas of such particular arrangements. It should be emphasised that the transhumance environment places restrictions on the quality and breed in addition to limiting the stock to sheep and goats.

Economy:The Gujjar and Bakerwal tribes in Jammu and Kashmir primarily rely on animal husbandry, with a small percentage being engaged in handicraft enterprises. However, these tribes mostly work at raising animals, such as sheep, goats, and buffalo. They never alter their occupation as the seasons shift in their different regions, from summer to winter. Animals are therefore these tribes' major source of income and their main resource.

Culture: The Gujjar and Bakerwal nomadic tribes are best known for their traditional cultural heritage. They preserve their rich cultural heritage, and not just in India but also around the world, they are highly distinctive in terms of cultural heritage.

Language: They mostly speak Gojri in their ancient style of government. The Parhi people speak the Parhi language. The other group of Gojri speakers are the Parhi; they also speak Urdu and Hindi, but Gojri and Parhi are these tribal nomads' primary and mother tongues.

Festivals: Regardless of one's religious affiliation, everyone participates in cultural celebrations of festivals. All holidays, including Eid, Holi, Diwali, and Lohri, are observed by Gujjars and Bakerwals. All holidays are enjoyable for the entire country, and Gujjar Bakerwals nomads are one of the ethical tribal tribes that takes part in all holidays in their immediate area.

Food and Clothes: Each of these tribal groups has its own distinct eating and dressing customs. They dress significantly differently from the rest of the world, with long woollen blouses and large ear rings. However, their eating habits resemble those of other people in many ways.

Marriage Ceremonies: All societal labels place a high value on this industry. Every community group participates in the unique representation of the Gujjar and Bakarwal wedding ceremonies. Within the community, they all interact and participate in the entire ceremony. In actuality, they are already married to one another.

Socio-Economic conditions of Gujjar and bakerwals of Jammu and Kashmir:

Social- In comparison to other communities in the state, the Gujjar and Bakrwals of Jammu & Kashmir are very socially backward. The Gujjar and Bakerwal people of the state of Jammu and Kashmir lead modest lives and reside in homes built of wood and mud with roofs made of paddy and forest grass. Gujjar and Bakerwals' social lives are primarily connected to their spiritual practises. In order to serve the Maulvi, they carry out vital tasks like marriage, death, etc. in a straightforward manner (priest). They are vibrant individuals who are free of wickedness and guilt.The community has experienced a variety of changes brought on by nature, but the state government has done nothing to alter their politico-economic and socio-cultural existence. Poverty and sluggishness are the flagellum around which the community revolves. The tall, conservative Gujjar and Bakerwal inhabitants of the hilly region. The Gujjar and Bakerwal families are also referred to as "lords of the forest" and "nature's own children." In comparison to other communities in the state of Jammu and Kashmir, the Gujjar and Bakerwal

communities are socially backward. In Jammu and Kashmir, the Gujjar and Bakerwal people still reside in mud homes with paddy and forest grass roofs. Village homes are now occasionally fashioned of bricks and stones. During In the winter, they travel to the plains, and in the summer, they arrive at the places where there are pastures. Wintertime concerns for them include issues with the cattle's diet and their way of life. Compared to Gujjars, bakerwals have different living situations. They trek to the highlands with their sheep and goats while carrying their trade products and luggage on horseback.

Culture-Before discussing the Gujjar and Bakerwal cultures, it is necessary to understand what culture is. Culture, according to Taylor, is a multifaceted concept that encompasses all of the skills and behaviours that a person develops over the course of his or her life as a part of a society. The Gujjar people's cultural practises and In many facets of his life, Bakerwals is the same as well as different. During the summer, Bakerwals move to high altitudes, whereas Gujjars do not. The guideline states that Bakerwals must dress in cosy wool clothing. However, the Gujjars and Bakerwals are both dressed in a common "lungi" (headgear), shirt, and shawlar. The Gujjars also don a colourful turban with a distinctive wrapping design. The elderly Gujjar guy is dressed in an Afgani hat. Gujjar and Bakerwal culture is very highly represented through dancing, religious rites, andtaxes, etc. Gujjar and Bakerwal communities in the state of Jammu and Kashmir have quite different lifestyles from other communities, and they also have different needs and issues. The community's speech pattern differs from that of other communities and is technologically, economically, politically, and socially backward.

Language- The Gujari (Gojri) language, which has influences from other languages like Punjabi, Urdu, Hindi, and Phari, is spoken by the Gujjar and Bakerwal community in the state of Jammu and Kashmir. It originated in Rajasthan. The Gujjar people The interaction with bakerwal people is facilitated by the Gojri language. Due to its widespread use across the Indian subcontinent, the Gujjar and Bakerwal communities of Jammu and Kashmir State have demanded its inclusion in the 8th schedule of the Indian Constitution. Ten radio and television stations in Pakistan and India transmit and telecast programmes in the Gojri language, which is a common tongue. After Dogri and Kashmiri, which are the two major linguistic groups in the state of Jammu and Kashmir, Gojri speakers occupy the third-largest position.

Festivals- Festivals are particularly prevalent among Bakerwals and Gujjars. Gujjars and Bakerwals have a strong religious belief, and they celebrate their holidays with fervour, panache, and affluence. They celebrate all of the holidays with unreal joy and vigour. Gujjars and Bakerwals commemorate these holidays with distinctive music, delectable cuisine, tradition, and rich culture.

Customs and Rituals- Another significant aspect of Gujjar and Bakerwal culture is its customs and rituals. Custom has developed on its own. According to Davis, it refers to customs that have been passed down through many generations. These procedures are being followed just because they have been in the past. Most Gujjars and Bakerwals adhere to these closely follow conventions and ceremonies.

Marriage Ceremonies- Marriage rites vary greatly across various communities. An important aspect of society is represented by marriage. In the Gujjar and Bakerwal cultures, guys must be 17–18 years old and girls must be 14–15 years old before they can get married. The Gujjar and Bakerwal families conduct their weddings in traditional ways using traditions. The household celebrating the weeding receives curd as a gift from family and neighbours. The weeding family cooks with a lot of salt and curd, or dahi. The bride is adorned with silver jewellery, including necklaces, chains, earrings, bracelets, rings, and necklaces. In addition to red handkerchief in his hands and "SHERA" on his forehead, the bridegroom also dons headgear such lungis, waistcoats, shirts, and shawlars. The bridegroom's attire, which includes a crimson handkerchief in his hands, a "SHERA" tattooed on his forehead, waistcoat, shirt, and shawlar, adds to his grace and majesty.

Folk Games-Most Gujjars and Bakerwals play games in accordance with their manners. They participate in a variety of activities, including stone lifting, arm holding, pan geet, and others.

Dress Pattern-The Gujjar and Bakerwal dress patterns have not changed and have remained the same, despite the fact that society has changed as a result of industrialization and advances. Gujjars primarily dress in their traditional attire and jewellery. Women in the community don a black shawlar, a duppata, and a shirt embroidered with a variety of buttons. circular cap, various colours, and a test of course over thread. Women often wear necklaces with triangle pendants that are adorned with lovely stones in the middle. It is used primarily to ward off ill luck, has religious significance, and depicts the evil eye.

Food Habits- The main sources of food for Gujjar and Bakerwals are milk, cereals, wheat, and maize. They are both vegetarians and are not. Gujjars' favourite foods are maki ki roti, ganhar, sarsoon ka sag, lassi, kalari, etc.

Occupation- Sheep, goats, and buffalo are herded by Gujjars and Bakerwals. During the summer, they moved to the upper Himalayas with their cattle, returning to the plains during the winter. There is a shortage of competent labourers in several trades and crafts. Gujjar and Bakerwal rely primarily on the upbringing of The items made from cattle. This neighbourhood has completely retained and conserved its character.

Education- When they relocate to their separate Dhokes, these mobile schools are essential and necessary. At the time of the 2001 census, the STs' overall literacy rate was 37.5%. This is well below the overall national average of 47.1% for all scheduled tribes. rates of literacy for men and women (48.2% and 25.5%) are much lower than those recorded by all STs at the national level (59.2 per cent and 34.8 per cent). According to the 2011 census estimate, out of the country's overall population of 72.99 percent, 58.96% of scheduled tribes are literate. The Gujjar and Bakerwal literacy rates are meaningless and insufficient. The lack of schools, parental attitudes about education, and migration make it more challenging for parents to enrol their kids in school. The government should pay particular attention to the education of Bakerwals and Gujjars with the construction of mobile schools. When they relocate to their separate Dhokes, these mobile schools are essential and necessary. At the time of the 2001 census, the STs' overall literacy rate was 37.5%. This is well below the overall national average of 47.1% for all

scheduled tribes. The literacy rates for men and women (48.2% and 25.5%, respectively) are significantly lower than the national average for all STs. (34.8 percent and 592.2%). According to the 2011 census estimate, out of the country's overall population of 72.99 percent, 58.96% of scheduled tribes are literate.

Economy- The Gujjar and Bakerwals of Jammu And Kashmir State also called roaming tribe is economically dependent upon cultivation and rearing of cattle. They heard animals like sheep, goats and buffalos. The Gujjar and bakerwals may use the buffalos for the purpose of cultivation. They rear cattle for commercial purpose and make it their livelihood. The community lives under the pastoral economy. Due to the climatic conditions, the Gujjars and Bakerwals do not live a stable life; instead, they practise a nomadic lifestyle, moving with their cattle to the plains during the winter and to the mountains during the summer. Gujjar's primary business is milk. as their livestock, productivity. The state of Jammu and Kashmir produced 1515.29 thousand metric tonnes of milk in 2007–08, according to the integrated sample survey (ISS). In lower, medium, and upper mountain regions, Gujjar and Bakerwal subsistence is mostly derived on animal husbandry. For commercial purposes, animals including sheep, cows, and goats are kept. The state's animal husbandry industry is a major contributor to its economy.

Recommendation:

1-Water, power, and other essential amenities should be available to them and their families.

2-As soon as possible, build homes and roads for the bakerwal and gujjar families.

3-The creation of permanent and mobile schools, and the enrolment of all enrolled students there.

4-The creation of outlets for the sale of wool, dairy, and mutton goods with the intention of improving their economic situation.

5-supplying the Gujjar and Bakerwal tribes with superior breeds of sheep, goats, buffaloes, and horses.

Creating fresh empowerment programmes and opening them out to anyone.

6-Offering gujjars and bakerwals subsidised access to fertile agricultural land as well as feed and fodder.

7-Offering gujjars and bakerwals subsidised access to fertile agricultural land as well as feed and fodder.

8-The introduction of contemporary technology to the Gujjar people, who depend on agriculture for their livelihood.

9-Giving illiterate Gujjar men and women professional training so they can found their own units.

10-Giving educated Gujjar and Bakerwal candidates access to government positions.

11-Giving Gujjar and Bakerwal support and an easy term loan for their improvement.

12-Building veterinary hospitals specifically for them.

13-An increase in the number of seats available to Gujjar and Bakerwal candidates in technical and professional institutions.

Conclusion: There are nomads from Jammu and Kashmir called Gujjar and Bakerwal who live in practically every part of the state. They engage in pastoralism and transhumance with their

livestock as nomadic tribes. They are a community that sells milk. Gujjars and Bakerwals are extremely destitute economically. Both men and women handle the gujjars' livestock economy. Due to a variety of issues in their lives, they lead pitiful lives. For their improvement, the government and other development organisations must act right away.

Reference:

[1] Ajay, S. Rawat., Man and Forest: The Khatana and Gujjar Settlements of Sub Himalayan Tarai, Indus Publications, Delhi, (1993).

[2] Ambedkar, S.N., Gurjars and Reservation: A Socio-Economic and political Study, Abd Publications, (2008).

[3] Bhardwaj, A. N. History and Culture of Himalayan Gujjars, Jay Kay Book publishers, Jammu &Kashmir, (1994).

[4] Chadha Behera., State, Identity and Violence: Jammu, Kashmir and Ladakh, Manohar Publications , Dehli, (2000).

[5] Chauhan, Rana Ali Hassan., A short History of the Gurjars, Begum Akbar Jehan Foundation, Jammu, (2001)

6] Dr. R. P. Khatana., Gujari language and identity in Jammu and Kashmir, Kashmir News Network: Language
Section, (2007).

[7] DR. Rahi Javaid., The Gujjar Tribe of Jammu & Kashmir, Gulshan Books, Srinagar, (2011).

[8] Jasbir Singh., The Economy of Jammu and Kashmir, Radha Krishan Anand and Co.,Delhi, (2004).

[9] Kapur, M. L., History of Jammu & Kashmir State, New Delhi: Ratna Nagar, 1966.

[10] Keenan, Brigid., Travels in Kashmir: A Popular History of its people , places and Crafts, Oxford University Press, Delhi, (1989).

[11] Khanadalavala, Karl., Pahari Miniature Painting, New Book Company, Delhi, (1958).

[12] Khatana, R.P., Tribal Migration in the Himalayan Frontiers: A Study of Gujjar & Bakerwal Transhumance Economy, Vintage Publishers, Gurgaon, (1992).

[13] Magray, B. Mohammad. Tribal Geography of India: Jammu & Kashmir, Oberoi Publishers, Jammu, (2003).

[14] Majid Siraj., Towards Peace in Jammu Kashmir And Ladakh, Manas Publications, Delhi, (2003).

[15] Mir Ali. Mohammad. Geography of Jammu: A regional Analysis, Dilpreet Publications, Delhi, (2002).

[16] Nagendra. Kr., Cultural Heritage of Jammu, Kashmir And Ladakh, Anmol Publications, Delhi, (1997).

[17] Neve, F. Ernest., Beyond The Pir Panchal- Life among the Mountains and valley of Kashmir, Gulshan Books, Srinagar,(2003).

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 **ISSN : 2394-2878**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

डॉ. अर्चना सिंह
असि0 प्रो0, राजनीति शास्त्र
महाराज बलवंत सिंह पी0जी0 कॉलेज,
गंगापुर (राजातालाब), वाराणसी

भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। भारत में वैदिक काल में ग्राम प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर था भारत ऐसा पहला देश है जहाँ पर स्थानीय स्वशासन के प्राचीनकालीन प्रमाण मिलते है। प्राचीन समय से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी जिसमें प्रशासनिक सुविधा के लिए क्षेत्र विभाजित किए गए थे। विभिन्न ऐतिहासिक स्त्रोतों से इस व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ग्रामीण जीवन और ग्रामसभा का वर्णन वैदिककाल के विभिन्न ग्रन्थों में भी मिलता है। ग्राम पंचायत राज के वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए सदियों के प्रयास का हाथ है धीरे–धीरे विकास के विभिन्न चरणों से होते हुए पंचायती वर्ण संस्था आम इस स्वरूप में हमारे सामने मौजूद है।

मुख्य शब्द– पंचायती राज, गाँव, महिला, आरक्षण।

पंचायती राज संस्था अचानक अस्तित्व में नहीं आई बल्कि इसके पीछे दशकों की मेहनत, प्रयास और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने काम किया। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान भी देश में विभिन्न स्वशासन की वकालत की जाती रही थी। महात्मा गाँधी का इस दिशा में अहम योगदान रहा। उन्होंने गाँव के महत्व को व्यापक रूप में रेखांकित किया और स्थानीय स्वशासन तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता बतायी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी इसकी आवश्यकता को बखूबी समझा। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। भारत में पंचायती राज की शुरूआत का श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को जाता है। उन्होंने पंचायती राज और सामुदायिक विकास दोनों पद्धतियों का जोरो से समर्थन किया था। स्वतन्त्र भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की नींव पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा डालने के साथ ही इस दिशा में प्रगति की एक महत्वपूर्ण राह खुली। इस व्यवस्था को और भी मजबूत किया 73वें संविधान संशोधन में जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ग्राम पंचायतों के वर्तमान स्वरूप का श्रेय जाता है 1957 में गठित बलवन्त राय मेहता समिति को जिसने त्रिस्तरीय पंचायती संरचना बनायी। देश में पंचायतों को सुदृढ़ व विकसित करने के उपाय सुझाने के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाता रहा है और यथा सम्भव उनकी सिफारिशों को अमल में लाने का प्रयास भी किया गया है। महत्वपूर्ण समितियां हैं–

1. अशोक मेहता समिति (1977)
2. डा0 जी0वी0के0 राव समिति (1985)
3. एल0एम0 सिधवी समिति (1986)

पंचायती राज कानून 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। ग्रामीण भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 दिसम्बर 1992 को और राज्यसभा में अगले दिन सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इसकी पुष्टि कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस पर अपनी मंजूरी को मोहर लगा दी थी। इस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया साथ ही ग्रामसभा को भी संवैधानिक

मान्यता मिली। इसके तहत प्रत्येक गाँव एक ग्रामसभा होगी जो राज्य विशेष के विधानमंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयेाग तथा निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह गाँव स्तर पर करेगी। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था के तीन स्तर बनाए गए है। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

1. पंचायत स्तर – ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की संस्था पंचायत
2. ग्राम स्तर – इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट गावों का समूह
3. माध्यमिक स्तर – गाँव या जिला स्तर के बीच

यह इस तरीके से बनाया गया है जो देशभर में एक समान पंचायती राज संस्था की स्थापना करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पंचायत में एक ग्रामसभा का गठन किया जाता है। इस निकाय में गाँव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति सदस्य होते है। ग्रामसभा उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है जो इस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। पंचायतों को उनकी आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां व अधिकार देता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इसके तहत पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार करने से सम्बन्धित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी ने गाँवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी अर्थात् गाँव समाज को अपने बारे में स्वयं सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। उन्होंने लिखा–''सच्चा लोकतंत्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। स्वतन्त्रता नीचे से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक प्रजातन्त्र अथवा पंचायत होगा जिसके हाथ में सम्पूर्ण सत्ता होगी। यह पंचायत अपने कार्यकाल में स्वयं ही ग्रामसभा, न्याय सभा और व्यवस्थापिका सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। अगर भारत के हर गाँव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होगे या यह कहिए कि न कोई पहला होगा और न कोई आखिरी।

डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान का ढ़ांचा ग्राम पंचायतों तथा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अनुसार खड़ी की गई मंजिलों पर आधारित होने की बात कही। लोकनायक जय प्रकाश नारायण गाँवों में सहभागी लोकतंत्र के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि पंचायतें ग्रामसभा की कार्यकारिणी के रूप में कार्य करें।

पंचायती राज में महिला भागीदारी भारतीय शासन व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है। महिला सशक्तिकरण में पंचायतों में प्रतिनिधित्व के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ही एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है महिलाओं की बढ़ती कार्यक्षमता एवं भूमिका को देखते हुए कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक सीटे आरक्षित की है। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पीआरओ में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक भारतीय लोकतंत्र का आधार कहा जा सकता है। यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनमानस में एक चेतना और जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के प्रति भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अतः इसके सफल संचालन, व्यवस्थित कार्यवाही तथा इससे सकारात्मक संदेश जाए, इसके प्रति सरकार और आम जन दोनों को हमेशा सचेत प्रयास करना होगा। पंचायतां के सशक्तीकरण के लिए नवगठित पंचायती राज मंत्रालय ने अनेक उपाय भी किए है। इनमें से एक है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष। इस योजना के तहत उन जिलों को अनुदान दिया जाता है जो विकेन्द्रीकृत सहभागी तथा समग्र नियोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने की शर्तों को पूरा करते हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि विकास का अंतर मिटे तथा पंचायती राज संस्था को सशक्त किया जाए। पंचायतों के सशक्तीकरण और विकास के

लिए एक अन्य प्रयास है– राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की सभी पंचायतों को मजबूत करना और उन कमियों को दूर करना जिससे इसके सफल संचालन में बाधा आती हो। इसके लक्ष्य थे–ग्रामसभा और पंचायतों की क्षमता और प्रभाव को बढ़ाना, लोगों को लोकतांत्रिक और सहभागी स्वशासन के लिए जागरूक और सक्षम बनाना। इसके अलावा सरकार ने लोगों को नीति निर्माण में सहभागी बनाने, शासन को पारदर्शी बनाने के प्रयोजन से वर्ष–2006 में नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान जारी किया। इसी के तहत ई–पंचायत एक मिशन मोड़ प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य पंचायतों के लिए निर्णय लेने में सहायक बनना, आम जन के लिए सूचना प्रदान कराना, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना आदि है। इसके अलावा अन्य कई उपाय किए गए हैं ताकि ग्राम पंचायती राज संस्था या कहें कि जमीनी लोकतंत्र सशक्त मजबूत और सक्षम बन सके। अन्य तरीकों और योजनाओं में प्रमुख है–पंचायतों विशेषकर ग्रामसभाओं के सशक्तीकरण हेतु आवश्यक नीतिगत, वैधानिक व कार्यक्रम परिवर्तन, पंचायतों में अधिक कार्यकुशलता पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित एवं बेहतर प्रणाली व प्रक्रिया को बढ़ावा देने व जागरूकता फैलाने के विशिष्ट उपाय आदि। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निगरानी सीधे ग्राम–पंचायतों को सौंप दी गई है जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना आदि। जहाँ अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। संविधान द्वारा निषेधित अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायती प्रणाली को पहुंचाने और 73वें संशोधन के लाभों को आदिवासियों तक पहुंचाने के विषय में कानून का प्रारूप तैयार करने हेतु जून 1994 में सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने 1995 में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी सिफारिशों के तहत 'अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार 'पेशा' विधेयक संसद में पेश किया गया जिसे राज्यसभा ने 12 दिसम्बर तथा लोकसभा ने 19 दिसम्बर 1996 को पारित किया जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 24 दिसम्बर, 1996 से लागू है।

पंचायतों की कार्यशैली में नौकरीशाही की बजाए जनप्रतिनिधियों का प्रभाव बढ़ा है यानी मौजूदा स्वरूप में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण भारत को पुनर्जीवन प्रदान कर देश को दो–तिहाई से अधिक आबादी का सशक्तीकरण किया है। गांवों को विकासोन्मुख कर विषमता की तमाम खाईयों को सतही कर दिया है। इन सबके बावजूद पीआरआई के समक्ष समस्याएं भी कम नहीं है। ये अभी भी वित्त के लिए राज्यों की अनुकम्पा पर निर्भर है, कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि अपने दायरों में सीमित दिख रहे हैं, अधिकांश राज्यों में स्थानीय सरकारी सेवकों व कर्मचारियों पर इन संस्थाओं का नियंत्रण अप्रभावी रहा है, देश की विशाल ग्रामीण आबादी विकास की मुख्यधारा से अभी भी बाहर है जिसे स्वच्छ पेयजल और बुनियादी चिकित्सा जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि पंचायती राज को अधिकतम शक्तियां दी जाए जो विकास के साथ स्थानीय स्वशासन की इकाई भी हों, पीआरआई में बढ़ते भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो और प्रभावी पारदर्शिता, नागरिक अधिकार–पत्र एवं सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था लागू हो, स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ायी जाए और राजनीतिक दलों की भूमिका सीमित की जाए, पिछड़ों एवं महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि के साथ योग्य प्रत्याशियों के चयन को प्रोत्साहित किया जाए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ की जाए तथा कार्य प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाए, तभी यह अपने यथार्थ स्वरूप को चित्रित कर पाएगी। पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्राप्त होने से चुनावों में नियमितता और आम जनता की स्थानीय शासन में सीधी सहभागिता स्थापित हुई है। विकास और प्रशासन में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की भागीदारी से इनका सशक्तीकरण हुआ हैं। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक–सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। सच पूछिए तो गांव नए भारत के नए बाजार के केन्द्र बनते जा रहे हैं और यह सब सम्भव हो पाया है पंचायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं

सीधे–सीधे गांव और ग्रामीणों से जुड़ रही है। अब सरकार की कोशिश इन संस्थाओं को ज्यादा अधिकार देना ही नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और बेहतर कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि देश के आर्थिक विकास में गांव ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें। ग्राम पंचायत की आत्मा एवं स्थानीय स्वशासन का आधार ''ग्रामसभा'' है। निःसंदेह रूप से ही वह सशक्त माध्यम है जिससे द्वारा ग्रामीण जनों की सक्रिया सहभागिता सुनिश्चित करके देश की वास्तविक तस्वीर बदली जानी संभव है। इन तमाम संवैधानिक और राजनैतिक प्रयासों के बावजूद आज पंचायती राज संस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। प्रायः देखने में आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई ग्रामसभा की नियमित बैठकें नहीं हो पाती है। इसमें होने वाले विचार–विमर्श, नीति निर्माण, कार्य योजनाएं आदि बनाने के लाभों से से इसी कारण हम वंचित रह जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामसभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में संस्थापित किया। यह तारीख राजनीतिक शक्ति के जनता तक विकेन्द्रीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पंचायतों की गरीबी मिटाने, स्थानीय अवसंरचना और सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मानवशक्ति, कार्यालय, अंतरिक्ष, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए पंचायतों का सशक्तीकरण अत्यावश्यक है।

भारत में महिलाओं का स्थान विषय पर गठित समिति ने 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाऐं जिनमें केवल महिलाएं ही हों। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन, 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को पंचायतीराज संस्थानों में राव समिति द्वारा प्रस्तुत संतुतियों की सबसे महत्पूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। वर्तमान सृजनशील समाज में नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वशासन के लिए सामाजिक रूपांतरण की मांग प्रबल हुई है। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद में 110वें व 112वें संविधान संशोधन विधेयक, 2009 के रूप में हुई, जिनका संबंध क्रमशः पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत सीटों को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से था। भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रैल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आये। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोडे गए। अनुच्छेद 243 (5) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया है।पंचायतों की संख्या की स्थिति 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34,676 मध्यवर्ती पंचायत 6,097 जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्थाएं 2,41,310। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है– जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्ती पंचायत में 43 प्रतिशत और ग्राम पंचायत में 40 प्रतिशत। पंचायतों में माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा

है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं। तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं। पंचायत में पहुंची महिलाएं निःशुल्क भूमि आंवटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में बढ़–चढ़कर योगदान दे रही हैं। आरक्षण के कारण सैद्धान्तिक रुप से शक्ति महिलाओं के हाथों में आ गई है। परन्तु यह भी कि आज पुरुष ही सत्ता पर वास्तविक नियन्त्रण रखे हुए है। अज्ञानता एवं अनुभवहीनता, पुरुषों पर निर्भरता महिलाओं के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है। अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं में जागरुकता लाई जाये। उनको राजनीतिक जानकारी से अवगत करवाया जाए। जहां तक सम्भव हो उन्हे नई भूमिका को निभाने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय–समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है इसकी जानकारी भी दी जाए तभी वे ग्राम के लिए प्रभावशाली योजनाएं बना सकेंगी व विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली उनकी भूमिका पर समय–समय पर मीडिया, पत्र–पत्रिकाओं द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाए व रेडियो, व टी.वी. प्रसारणों में वार्ताओं व विशेष रुप से ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची–

1. कटारिया, डॉ0 सुरेन्द्र 2003, क्यों जरूरी है न्याय पंचायते?, ग्राम स्वराज उद्‌बोधन, फरवरी, जयपुर
2. माथुर, बी.एल. 1997, न्याय पंचायत एज इन्सट्रूमेण्ट ऑफ जस्टिस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एण्ड कन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली
3. उपाध्याय, ब्रिजेश 2011, ए स्टडी टू रिव्यू एण्ड स्ट्रेंगथन न्याय पंचायत्स इन इण्डिया समर्थन, मई
4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 भारत सरकार
5. कुरूक्षेत्र नवम्बर 2015, वर्ष–62, अंक–01
6. द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन न्याय पंचायत, 28 अक्टूबर 2007, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

प्रो0 अभय प्रताप सिंह
प्राचार्य
ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज, बस्ती

सारांश

भारतीय समाज में सदैव नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है सामाजिक व्यवस्था की जब भी बात हुई नारी की गरिमा, इज्जत, सम्मान और उसके वैधानिक अधिकारों को उसके पक्ष में रखा गया। घर की महिलाएं गृह दासी नहीं बल्कि गृह स्वामिनी थी। गृह के अन्दर उनका सम्पूर्ण साम्राज्य होता था यहाँ तक की राजाओं को भी अन्तःपुर में प्रवेश करने से पहले रानियों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कुलबधुयें नगरबधुओं और गणिकाओं तक को भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। तब भारत की महिलाओं की भूमिका सामान्य जीवन से लेकर शासन व्यवस्था तक में थी शासक के साथ उसकी पत्नी भी राज्यसभा में बैठती थी और यहाँ तक कि गूढ़ मसलों पर अपनी सलाह भी देती थी। वैदिक काल में भी नारी को समस्त सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। वे पुरुषों के सामान यग्योपवीत धारण कर सकती थी। वे पुरुषों की तरह शिकार करती थी और स्वयंबर के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी पुरुष का चयन जीवन साथी के रुप मे चयन कर उसके साथ जीवन व्यतीत कर सकती थी। बीसवीं शताब्दी को क्रान्ति, स्वतंत्रता व आत्म निर्भरता का युग कहा जा सकता है।

मुख्य शब्द– भारतीय समाज,सामाजिक,पारिवारिक,समस्याओं,महिलाओं।

प्रस्तावना

आज सारे युग में नारी उत्थान तथा जागरण का नारा बुलन्द किया जा रहा है, परन्तु इतने प्रयत्नों के बाद भी क्रान्ति की जननी अवनति की ओर ही अग्रसर हो रही है। वह अपने आप में स्वयं समस्या बनती जा रही है। यद्यपि हमारी सरकार ने समय–समय पर अनेक अधिनियम पारित किये हैं परन्तु हमारी परम्परा का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। समूह रूप में महिलाएं आर्थिक दृष्टि से भले ही आत्म निर्भर व सन्तुष्ट हो, पर सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण को अपने अनुकूल न कर पाने से वह बुरी तरह कुंठित और अशान्त है। कार्यभार के अलावा अनेक मानसिक तनावों से घिरी हुई घर बाहर, दफ्तर सभी जगह शंकाओं, कुट्टष्टियों, कुचर्चाओं का शिकार हो रही हैं समाज उसके प्रति क्रूर है और वह समाज के प्रति आक्रोशमय। दिनों दिन बढ़ती कामकाजी महिलाओं की संख्या भी अभी सहकर्मी का सहज वातावरण लाने में सफल नहीं हो पायी शायद इसी लिए कि नारी की ओर से ऐसा कोई योजनाबद्ध प्रयास हुआ ही नहीं,। महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान किसी भी रूप में कम नहीं हैं, किन्तु यह एक समूह मे ज्वलन्त प्रश्न है कि महिलाओं को रोजगार में नियुक्त करने वालों से उचितं न्याय मिलता है या नहीं निःसंदेह रूप से कार्यरत महिलाओं को उन समस्याओं का सामना करता पड़ता है जो उनके लिए अद्वितीय होती है। घर की चाहरदीवारी से बाहर निकल कर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में अनेक नियम और व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को अपनी शिक्षण संस्थाओं के नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। समूह मे कार्यरत महिलाओं को पुरूष सहकर्मियों के साथ काम करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उन्हें कभी भावुक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के विषय में सामाजिक परम्पराओं एवं उनकी आदतों के कारण उनको और भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। समूह मे कार्यरत महिलाये आज भी अपनी भूमिकाओं के बारे में भलिभाँति समझ नहीं पायी है वह जब केवल मां एवं पत्नी की भूमिका निभाती थी तब विवाहित महिलाओं की भूमिका में तनिक भी अस्पष्ट एवं परस्पर विरोध न था। इस परिवर्तित परिस्थिति ने समूह मे कार्यरत महिलाओके लिए भूमिका सम्बन्धी नयी जटिलताओं को पैदा कर दिया है। जिन परिवारों में स्त्रियाँ समूह से जाती हैं वहाँ अन्य सदस्यों के कर्तव्य कुछ बढ़ जाते है उनकी भूमिकाएँ कुछ अतिरिक्त होती हैं, परन्तु इस दृष्टिकोण से आज उनकी भूमिकाओं का निर्धारण नहीं हो पाया है फलतः ऐसी स्थिति में संघर्ष की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है। भारतीय नारी जब समूह के क्षेत्र में कदम रखती है तब सिर्फ कार्योजन तक ही सीमित नहीं रहती वरन् उन्हें कई क्षेत्रों का दायित्व संभालना पड़ता है जिससे उनेक समूह का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ता है। अनेको संघर्ष उनके मन एवं शरीर मस्तिष्क को झकझोर देते हैं जिससे सन्तुलन स्थापित करना महिलाओं की प्रथम आवश्यकता हो जाती है।

महिलाओं की व्यावसायिक गतिशीलता को प्रतिबन्धित करने में उनकी दोहरी भूमिका का भी महत्वपूर्ण योगदान है। परम्परागत मान्यताओं के अनुरूप नारी गृहिणी, परिचारिका सेविका एवं दासी जैसे के साथ जीवित रहती है। कामकाजी महिलाओं अपनी परम्परागत भूमिकाओं का यथावत निर्वाह करते हुए अपनी नौकरी के फलस्वरूप अपनी आर्थिक गतिशीलता को उस मात्रा में उन्नत नहीं कर पाती, जिस मात्रा में पुरूषों को इसे प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदा से विवादास्पद रही है नये रोजगारों में महिलाओं के समुहहोने से उनकी भूमिका की नयी परिभाषा होने लगी है। कार्योजित महिलाओं की भूमिका दोहरी होती है एक ओर वह गृहिणी और दूसरी ओर स्वम साहयता समूह मे कार्य मे कार्य करने से महिलाओं में दोहरी भूमिका के कारण वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में सामंजस्य के नये प्रारूपों की समस्या उठ खड़ी होती है।

हमारी सामाजिक चेतना और मानसिकता से जैसे–जैसे मध्यकालीन सामंती विचार और मान्यतांए निकलकर नवीन, वैज्ञानिक एंव समानतावादी आधुनिक चेतनांए विकास करती जा रही है। आज का जीवन अर्थ–प्रधान है। आर्थिक स्वाधीनता के अभाव में अन्य सभी प्रकार की स्वाधीनताओं का कोई अर्थ एंव महत्व नहीं रह जाता। सो एक मान्यता यह है कि नारी नौकरी करके आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। नारियों द्वारा नौकरी करने का एक अन्य कारण भी माना जाता है। वह यह कि कई बार पारिवारिक गरीबी से छुटकारा पाने के लिए वह नौकरी किया करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि माता–पिता चल बसते हैं। तब परिवार की बड़ी बहन होने के नाते छोटे–बहनों का पालन करने के लिए वह नौकरी करती है। इसी तरह कई बार बाप या बड़े भाई आदि के बेकार, नाकारा या बेवफा अथवा कर्तव्यहीन होने पर भी किसी नारी को घर–परिवार का लालन–पालन करने के लिए विवश भाव से नौकरी करनी पड़ जाती है। नौकरी करने के ये सभी कारण वास्तविक हैं। इनमें से किसी के भी चलते यदि वह नौकरी करती है, तो अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत, संपन्न घरों या बड़े–बड़े अफसरों की बेटियां–बीवियां अपनी पहुंच और सिफारिश के आधार पर यदि महज समय बिनाने के लिए नौकरी करती हैं, तो इसे स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं कहा जा सकता। यह तो वास्तविक ओर योज्य व्यक्तियों के अधिकारों पर डाका डालने के समान ही कहा जा सकता है। इससे व्यापक समाज का भला कभी भी संभव नहीं हो सकता। संपन्न परिवारों की नारियों की नौकरी करने पर पाबंदी लगाकर जरूरतमंदों की सहायता का द्वार खोला जाना चाहिए, ऐसी हमारी स्पष्ट मान्यता है।

स्वयं सहायता समूह की संकल्पना एवं अवधारणा,

महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिये स्वयं सहायता समूह एक अभिनव एवं आधुनिक विचार है। इच्छुक महिलाओं को प्रशिक्षण एवं आय अर्जन के लिये किसी एक स्वयं सहायता समूह में सम्मिलित होना पड़ता है, जिससे वह भविष्य में कुशल श्रमिक एवं उद्यमी के रूप में उभर सके। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह है कि भारत में महिलाओं के पास उद्यमशीलता के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। जब स्वयं सहायता समूहों के लिए, कुछ निश्चित प्रकार के कार्या हेतु, जो कि भारत में महिलाओं के लिए उपयुक्त होता है, प्रशिक्षण सुविधा आयोजित की जाती है तथा विनिर्माण, व्यापार गतिविधियों, विपणन प्रणाली की व्यवस्था हेतु बैंक द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की अधिप्राप्ति (खरीददारी) करना, महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना, जिससे उनके अन्तर्गत नेतृत्त्व क्षमता विकसित हो सके तथा स्वयं सहायता समूह एक आन्दोलन का रूप ले सके। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को सहयोग एवं प्रोत्साहित करने का उद्देश्य यह है कि वह समाज के विकास का अभिन्न अंग बन सके।यद्यपि सूक्ष्म–वित्त के लिए अनेक मॉडल उपलब्ध है, जिससे स्वयं सहायता समूह–बैंक लिंकेज प्रोग्राम एक महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म–वित्त कार्यक्रम के रूप में देश में उभरा है। इसका क्रियान्वयन व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा किया जाता है।

भारत में स्वयं सहायता समूह

भारत में स्वाधीनता के तुरन्त पश्चात एक समन्वित प्रयास सरकार के स्तर पर किया गया, जिसका सम्बन्ध ग्रामीण गरीबों की औपचारिक ऋण तंत्र तक पहुंच बढ़ाना था, जिसमें से कुछ संस्थागत थे तथा दूसरे ग्रामीण गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को संचालित करने पर निर्भर था। ग्रामीण क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में समाज के वंचित वर्गों को ऋण एवं बैंक की दूसरी सुविधाएं पहुंचाना भारतीय बैंकिंग प्रणाली की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है। मुख्य जोर बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ाने तथा नये तंत्र को विकसित करने का था जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सुविधा देने के लिये वित्तीय संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके अन्तर्गत छोटे एवं सीमान्त किसानों, ग्रामीण हस्तशिल्पी, भूमिहीन कृषक एव अकृषक मजदूरों तथा दूसरे उधार लेने वाले, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, पर मुख्य जोर था। इस नीति के संचालन का उद्देश्य भारत सरकार की विकासात्मक योजनाओं द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों को ग्रामीण विकास के समन्वित प्रयास के अन्तर्गत साख हस्तक्षेप द्वारा मजबूत करना तथा ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि को सुनिश्चित करना था। औपचारिक ऋण संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि साम्यता के साथ विकास के सिद्धान्त के अनुसार ऋण का अधिकांश हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों की तरफ विभिन्न गतिविधियों में बांटने के लिये लगाया जाय।

इस प्रकार विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटी, जो 1984–85 में 272.7 मिलियन था, वह 1989–90 में 210.8 मिलियन तथा 1991 से 2000 में जनसंख्या का 21 प्रतिशत रह गया। क्रियात्मक जोत की संख्या 100 मिलियन पार कर गयी, जिसमें 80 प्रतिशत छोटे एवं सीमान्त कृषक थे। संस्थागत वित्त व्यवस्था के समक्ष ग्रामीण लोगों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु औपचारिक ऋण प्रदान करने की चुनौती से पार पाने की आवश्यकता थी, जिसके लिये जमीन स्तर तक संरचना को पुनः संगठित करने तथा ग्रामीण गरीबों तक पहुंच बनाने के लिये नये उपायों की आवश्यकता थी।परिणाम रूप में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुभव 02 अक्टूबर, 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये आया। ऐसे परिवारों को बैंकों से ऋण सुविधा एक महत्त्वपूर्ण आदान के रूप में उनकी आर्थिक एवं लाभकारी गतिविधियों के लिये दिये जाने का प्राविधान रखा गया।

स्वयं सहायता समूह के गठन

हेतु आवश्यक तत्वों एवं उसके कार्यों का विवरण निम्नवत् हैडिसूजा के अनुसार स्वयं सहायता समूह सामान्यतः छोटा अनौपचारिक समूह होता है जो स्वैच्छिक सहायता, लोकतांत्रिक एवं आपसी सहमति, संरचना, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, शिक्षण एवं प्रशिक्षण और गरीबों से संबंधित होता है। बहुत सी चीजों के अलावा सदस्य समूह के रूप में कार्य करने से अपनी बचत को एकत्रित करते हैं तथा समूह के सदस्यों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। सदस्यों के नियमित सहयोग से समान पूंजी का सृजन होता है तथा न्यूनतम कागजात और बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्राप्त होने की गारन्टी होती है।इन समूहों में प्रारम्भ में पूजी सृजन कम होता है और बाहरी संसाधनों मुख्य रूप से बैंक से ऋण और गैर सरकारी संगठन के अनुदान से इसकी पूर्त्ति की जाती है। स्वयं सहायता समूह प्रारम्भिक रूप से मूल्य प्रभावी, लचीला एवं डिफाल्ट से मुक्त होता है। समूह की बैठकों में सदस्यों की ऋण आवश्यकता का आंकलन किया जाता है। ऋण के दावों को समूह द्वारा सहमति से निश्चित किया जाता है। अधिक बचत की धनराशि को बैंक या डाकघर में जमा किया जाता है। डिफाल्टर पर अधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है जो कि प्रायः कम ही होती है। समूह के सदस्यों का दबाव संबंधित पर होता है जो कि उन्हें डिफॉल्ट होने से बचाता है। समूह का प्रभाव सदस्यों पर अत्यधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह डिफाल्टर पर कठोर कार्यवाही करता है। सदस्यों के व्यवहार को मासिक किश्त अदायगी के संबंध में मानीटर किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण

परिवार, समाज एवं सत्ता संस्थानों में महिलाओं की साझेदारी एवं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना। समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों में महिलाओं को समान अवसर, राजनैतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि प्रदान करना महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, सरकार, सामाजिक संगठनों एवं स्वयं महिलाओं की बहुत अधिक भूमिका है। इनके साथ–साथ गत वर्षों से स्वयं–सहायता समूहों की भूमिका भी बढ़ती जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत अपने अधिकारों की रक्षा, शोषण से मुक्ति, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के साथ महिला कल्याण के समस्त पहलुओं को सम्मिलित करना है। महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक नीति, योजनायें, कार्यक्रम एवं कानून बनाये गये हैं, जिनका प्रभाव एक सीमा तक समाज में महिलाओं की स्थिति परिवर्तन में हुआ है, परन्तु महिलाओं के समग्र विकास हेतु उल्लेखनीय कार्य करने के लिए स्वयं सहायता समूह एक सशक्त माध्यम है; जिसके द्वारा महिलाओं में अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है; जिससे महिलायें स्वयं के प्रति आश्वस्त हो सकें एवं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत महिलाओं में आयु, जाति, वर्ग, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति तथा अन्य प्रकार की समानतायें होने के कारण उनमें अपने आपको एक समूह या दल के रूप में संगठित करने की स्वाभाविक भावना एवं रूचि उत्पन्न होती है; जिसका मुख्यरूप आर्थिक स्वावलबंन होता है; क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता से न केवल सामाजिक एवं राजनैतिक समानता उत्पन्न होती है, अपितु स्वरोजगार उत्पन्न होने से मानसिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलायें ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार की गतिविधियां अपने हाथों में लेती हैं जिसके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह भी देखा गया है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं की ऋण अदायगी दर 92 प्रतिशत से भी अधिक है। स्वयं सहायता समूह आपसी विचार–विमर्श तथा चर्चा के लिये एक सहज, सार्थक, सरल एवं सुलभ मंच है जिसके द्वारा बेरोजगारी, निर्धनता एवं

असुरक्षा की भावना से छुटकारा पाने में सहायता सिद्ध होती है। इसके द्वारा लुप्त होती कलाओं, परम्परागत ज्ञान कौशल, परम्पराओं, संस्कृति एवं पर्वों का संरक्षण एवं संवर्द्धन होता है। स्वयं सहायता समूह एक आन्दोलन के रूप में महिला अधिकारों की स्थापना, आत्मनिर्भरता, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के कौशल विकास के रूप में स्थापित हुआ है।

इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे रणनीतिक कार्यक्रमों जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए रणनीति विकसित करते हैं, से सम्बन्धित कुछ कार्यक्रम महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के लिए संवेदनशील तथा महिलाओं के परम्परागत ज्ञान को प्रथम चरण में प्रयुक्त करते हैं। मुख्य रूप् से महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उन्हें अपने आत्म सम्मान एवं महत्व को बढ़ाने के लिए उनके अन्दर अपिरायर्ता एव भय के विरूद्ध लड़ने के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि उन्हें अपने ऊपर आत्म नियंत्रण रखना। आर्थिक रूप् से आत्मनिर्भर होना भूमि एवं सम्पत्ति जैसे संसाधनों पर नियंत्रण होना तथा कार्यों के बोझ को कम करना, एक समाज या कार्यक्रम जो महिलाओं के सशक्तिकरण उद्देश्य में रखते हैं उन्हें आवश्यकता है उत्पन्न करने की तथा उनके अन्दर वहनत्व की भावना मजबूत करने तथा सम्पन्न रूप् से सेवा अध्ययन देना एवं सज्जनता विकसित करना है। पैक्स महिलाओं के स्वयं सहायता समूह पर जोर देता है, जोकि उनका एक सामूहिक प्रयास है। 1995 के विजिंग कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गुणात्मक एवं संख्यात्मक मानकों को निर्धारित किया गया है।

नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह शुरूआत

नाबार्ड ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा एवं सहायक के रूप में प्रदान किया, जिसके अन्तर्गत सहायक नीति, वातावरण बनाना, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास जो कि वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के अलावा स्वयं सहायता समूह–बैंक सम्बद्धता कार्यक्रम के स्वस्थ विकास के लिये कई वर्षों में किया, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कदम उठाये गये, जो निम्नवत् हैं।संकल्पनाकरण एवं प्रारम्भिक स्तर पर पायलट कार्यक्रम फरवरी, 1992 में 500 स्वयं सहायता समूह की सम्बद्धता हेतु बैंकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा गैर सरकारी सगंठनों की सलाह से किया गया।नाबार्ड द्वारा 1992 में प्रारंभ किया गया स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म–विकास कार्यक्रम है, जिसमें वर्ष 2007–08 तक 29-249 लाख गठित समूहों को 18041 करोड़ रु. की बैंक सहायता उपलब्ध कराई गई है। देश में दो मुख्य सहायता समूहों के नेटवर्क को संस्थागत साख तक पहुंच सुनिश्चित कराई गई है। इसमें से एक नाबार्ड समर्थित एस0 एच0 जी0 बैंक संपर्क कार्यक्रम है और दूसरा ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती स्वरोजगार कार्यक्रम है। वर्तमान में लगभग 75 ऋण आपूर्ति स्वयं सहायता बैंक कार्यक्रम के माध्यम से है, जिसे मुख्यतः नाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा शेष भाग Finance Institutions से आता है, जिनका उत्तोरोत्तर वित्तिय प्रबन्धन वाणिज्य बैंकों द्वारा किया गया है। नाबार्ड समर्थित कार्यक्रम–जिसमें 41-60 लाख समूह हैं–में एस0 जी0 एस0 वाई0 की तुलना में अधिक तीव्रता से वृद्धि हुई है। इनमें भी 90 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह हैं। दक्षिण भारत में खास तौर से आन्ध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूह एक आन्दोलन का रूप ले चुका है। दक्षिण भारत में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में लोगों, सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के सच्चे उत्साह और रूचि से आगे आने से स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा बेहद सफल रही है। बैंक सम्पर्क से आच्छादित स्वयं सहायता समूहों का 71 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आदि दक्षिणी राज्यों से है। यद्यपि विगत वर्षों में दक्षिणी राज्यों के अंश में लगातार कमी हुईहै।

यह कि नारी एक ओर नौकरी के समुचित अवसर न मिल सकने के कारण कुंठा का जीवन बिताती है तथा दूसरी ओर नौकरी मिलने पर परिवार वालों के व्यवहार के कारण क्लेश पाती है तथा दफ्तर के अधिकारीयों के आचरण से मानसिक यातना भोगती है।नारी का स्थान सम्मानीय होना चाहिए उसके प्रति पुरुष प्रधान समाज को सम्मान की दृष्टि रखना चाहिए, उसकोपैर की जुती नहीं समझना चाहिए। आज पूरे विश्व में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि महिलओ के नाम जानजता है। नारी का धरती पर सबसे सम्मानीय रूप है माँ का माँ जिसे ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है। उस सम्मान को कम नहीं होने देना चाहिए। माना आज की संतान अपने माँ को इतना महत्त्व नहीं देती जो कि गलत है।आज की महिलाये घर के कामकाज के अलावा पढ़–लिख कर हर जिम्मेदारी निभा रही है घर के कामकाज और नौकरीकरना महिलाओंके लिए दाएं हाथ का काम है। फिर पुरुष क्यो नहीं समझता कि जो महिलये अपने घर आपने बच्चे और अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन दे देती है। तो उसका सम्मान करे ना कि अपमान करके नारी को और अपने आप को शर्मिंदा ना करें। छोटी बच्चिय जो कि देवी का रूप होती हैं तो उसे उसी रूप में स्वीकारें। ना कि अपनी मानसिकता को गिरा कर ऐसे काम करे कि बाद में न्याय और माफी की कोई गुंजाइश ही ना बचे ऐसे गिरे हुए लोगो को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।आजकल ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और शर्म आती है कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती है उसी देश में पूरी दुनिया में ही नारी का अपमान किया जाता है। इसके प्रति सरकार को कड़ा कानून बनाना होगा जिससे ऐसा व्यकित कुछ करने से पहले ही डरे। इसलिए हर क्षेत्र और जाति समाज और धर्म में महिलाओं का सर्बोच्च होन चाहिए। और महिलाओं को किसी भी रूप में बस सम्मान की दृष्टि से देखना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

- फर्नान्डिस,ए0(1994) 'द माइराडा एक्सपीरियन्स, अल्टरनेटिव मैनेजमेन्ट सिस्टम्स फार सेविंग्स एण्ड क्रेडिट फार रूरल पुअर', बंग्लौर, इन्डिया ।
- महाजन,विजय एण्ड भारती रमोली (1996)फाइनेन्सियल सर्विसेज फॉर द रूरल पुअर एण्ड वीमेन इन इन्डियाएक्सेज एण्ड सस्टेनेबिलिटी, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेन्ट।
- गण्डेकर, एस0 (1998)'द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप बेस्ट क्रेडिट प्रोग्राम ऑन पुअर हाउसहोल्ड्स इन बांग्लादेशइन द जेन्डर ऑफ पार्टीसिपेन्ट्स मैटर जर्नल ऑफ पालिटिकल इकॉनामी।
- यूनूस, मोहम्मद विद एलेन जॉलिस, (1998) बैंकर टू द पुअर द आटोबायोग्राफी ऑफमोहम्मद यूनूस, फाउन्डर ऑफ द ग्रामीण बैंक ओरम प्रेस, लन्दन।
- आलमगीर, डी0, एच0 (1999) माइक्रो–फाइनेन्सियल सर्विसेज इन बांग्लादेश, रिव्यू ऑफ इनोवेसन्स एण्ड ट्रेन्ड्स, क्रेडिट एण्ड डेवलपमेन्ट फोरम, ढाका।
- फिशर थॉमस, मेलकम बुश एण्ड क्रिस्टोफरजीन (2001) रेगुलेटिंग माइक्रो–फायनेन्स, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, न्यू इकॉनामिक फाउन्डेशन, लंदन।
- फिशर थॉमस, श्रीराम एम0एस0 (2002) बीयोन्ड माइक्रो–क्रेडिट – पुटिंग डेवलपमेन्ट बैंक इन्टू माइक्रो–फायनेन्स, न्यू इकॉनामिक फाउन्डेशन, लन्दन।
- चक्रवती के0सी0 (2005) रोल आफ बैंक्स इन इन्टरप्रीन्यूरियल डेवलपमेन्ट एण्ड माइक्रो–फायनेन्स इन आई0बी0, बुलेटिन (अगस्त 2005), मुम्बई।

- बुर्रा नीरा, देशमुख जाय एण्ड मूर्थी0 के0 (2005) माइक्रो–क्रेडिट पावर्टी एण्ड इम्पावरमेन्ट लिंकिग दि ट्रायेड, सेज पब्लिकेशन्स प्रा0लि0नई दिल्ली।
- वर्मा एस0बी0 एवं पॅवार वाई0टी0 (2005) रूरल इम्पावरमेन्ट दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- त्रिपाठी के0के0 (2006) माइक्रो–क्रेडिट इन्टरवेन्सन एण्ड पावर्टी एलीवियेसन इनकुरूक्षेत्रजर्नल ऑन रूरल डेवलपमेन्ट (सितम्बर, 2006), नई दिल्ली।
- सिंह,वी. एन. और जनमेजय सिंह (2010) आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- के. जी. करमाकर,ग्रामीण साख एवं स्वयं सहायता समूह–भारत में सूक्ष्म–वित्त कीआवश्यकता एवं संकल्पना, सेज पब्लिकेशन इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली, 2003।

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

महात्मा जोतिराव फुले के सामाजिक विचारों का मूल्यांकन

प्रियंका पासवान
शोध छात्रा–समाजशास्त्र
का०सु०साकेत स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अयोध्या।

समाज मे व्याप्त प्रत्येक कुरीतियो से जोतिराव फुले भलि भांति परिचित थे जिसमे मुख्य रुप से धार्मिक पाखंडवाद अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी विचारों से वशीभूत होकर हवन पूजा–पाठ धार्मिक अनुष्ठान आदि करवाया जाता था। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई न कोई अनुष्ठान अवश्य होती थी जिससे गरीब मजदूरो किसानों पिछड़े वर्गों की स्थिति चिंताजनक बनी रहती थी फिर भी कर्मकांड के नाम पर ये लोग गरीबी के दलदल से बाहर निकलने में असक्षम थे।

किसानो की दयनीय स्थिति को सुधारने हेतु जोतिराव फुले ने स्वयं किसान का कोड़ा नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करके समाज मे किसानो की स्थिति से न केवल अवगत करवाये बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबतू करने का रास्ता भी दिखाए। गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से समाज मे फैली रुढ़िवाद व पाखंडवाद को दूर करने का प्रयास भी किए। तालाब और बांध निर्माण हेतु सुझाव देते हुए जोतिराव फुले ने सरकार को सुझाव दिया कि जगह –जगह पर बांध का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे किसानो के खेतों एवं बगीचो में पानी की समस्या नहीं होगी। उन्होने कहा कि प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर अच्छे उत्पादन करने वाले किसान को पुरस्कार स्वरूप उपाधियां प्रदान किया जाना चाहिए। देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने इस कुप्रथा की आड़ मे पुजारियो के द्वारा उनके शारीरिक शोषण एवं व्यभिचार को उजागर किए। उस समय अधिकांशतः छोटी जाति के लोग अज्ञानता व अंधविश्वास के कारण अपनी बडी बेटी को बाल्यावस्था मे ही मन्दिरों मे भगवान से शादी करवाने के बाद आजीवन उन्हें देवता को प्रसन्न करने उनकी सवेा करने हेतु अर्पित कर देते थे। उन दिनों कुछ पाखंडी पुरोहितो के द्वारा यह मान्यता स्थापित की गयी थी कि जो भी अपनी बड़ी बटी को भगवान के शरण मे अर्पित करेगा भगवान उसकी मनोकामना पूरी करगेा। मन्नत पूरी करने के लालच मे अधिकांश पिछड़े तबके के लोग अपनी मासमू बच्ची को आजन्म मन्दिरों मे त्याग देते थे।

उन्होने विधवा प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि यदि पुरुष विधुर हो जाता है तो वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बारहवे दिन ही दुबारा दूसरी शादी करलेता है और यहां तक कि अपनी बेटी की उम्र की लडकी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। वही महिलाओं पर आजीवन वैधव्यता का बोझ लादा जाता है। उन्हे अच्छा खाने रंगीन कपड़े पहनने शादी व्याह व शुभ अवसर पर शामिल होने की पाबंदी लगाने जैसे अनेकों बंदिशो का सामना करना पड़ता है समाज भी उन्हे हेय दृष्टि से देखता है। इस कुप्रथा का विरोध करते हुए जोतिराव फुले ने विधवा पुनर्विवाह का न सिर्फ विचार दिए अपितु अपने द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह का आयोजन भी किये। उन्होने पर्दा प्रथा का भी विरोध किये। जिस समाज मे स्त्रियो को बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, उन्हे अपना मत रखने का अधिकार नहीं था। ऐसी विकट सामाजिक स्थिति मे भी जोतिराव फुलेने न केवल महिलाओ को शिक्षा सम्मान और पुरुषो के बराबर अधिकार दिलाने हेतु भाषण दिए अपितु अपने ही घर की महिलाओ को शिक्षा का अधिकार

एवं अध्यापक शिक्षण के उपरांत उनके कंधे से कन्धा मिलाकर चले। सावित्रीबाई फुले को भारत देश की प्रथम महिला अध्यापिका का सम्मान भी दिलाये। जोतिराव सती प्रथा का विरोध किए उनका कहना था कि पति के मरने के बाद यदि स्त्री पति के साथ सती होती है तब पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसका पति क्यो सता नहीं होता? यह भेदभाव आखिर क्यो हो रहा है? आज तक एसेा एक भी पति हमने नहीं देखा जो अपने पत्नी के साथ सता हुआ हो। केवल महिलाओ को ही क्यो सती होने के लिए विवश किया जाता है? महिला और पुरुष दोनो के लिए धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक नियम एक समान नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसे सभी प्रथाओ का विरोध किया था जो उन्हें गलत लगा था।

बाल विवाह

बाल विवाह तत्कालीन समाज मे ऐसी मान्यता थी कि अधिक उम्र का पुरुष जितनी कम उम्र की लडकी से व्याह करेगा उसकी उतनी अधिक लम्बी होगी। इसके साथ ही यह भी भ्रान्ति विद्यमान थी कि यदि रजस्वला होने से पूर्व ही बालिकाओ का विवाह न हुआ तो कन्यादान फलित नहीं होगा। ऐसी अंधविश्वास पूर्ण मान्यताओ के कारण बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता गया और खेलने खाने की उम्र में लड़िकयों को सास ननद और पति के इशारों पर नाचने के लिए विवश होना पडत ा था। सत्य शोधक समाज के द्वारा जोतिराव फुलेने बाल विवाह का विरोध कर विवाह की निश्चित आयु के निर्धारण एवं उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किये। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि 60 वर्ष की वृद्धावस्था मे मरने वालो की 9 वर्ष 11 एव 13 वर्ष की भी बाल विधवाएं है जिन्हें बाल्यावस्था से वैधव्यता का नरकीय जीवन यापन करने पर विवश होना पड़ा। इनको ऐसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ही जोतिराव फुलेने सत्यशोधक समाज की स्थापना किये और विवाह की उम्र भी निर्धारित किए।

बहुपत्नी प्रथा का विरोध

जोतिराव ने अपने पिता गोविंदराव फुले से भी किए थे। बच्चा न होने पर जब वे ज्योति को दुसरी शादी करने का सुझाव दिए थे तब जोतिराव फुले जी ने अपने पिता से कहे कि यदि आप मेरे लिए कोई लडकी देख रहे हैं दूसरी शादी हेतु तो आपको सावित्रीबाई फुले के लिए भी वर की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि यह कहां का नियम है कि बच्चा ना होने पर केवल स्त्री को ही दोषी करार दिया जाए और केवल पुरुष ही दूसरी शादी करें? स्त्री को दूसरी शादी करने का अधिकार क्यो नहीं है? बच्चा ना होने के लिए जितनी जिम्मेदार महिला है उतना ही पुरुष भी है। यह कोई कैसे निर्णय कर सकता है कि किस में कमी है अतः व्याह करने के लिए दोनो को बराबर का अधिकार होना चाहिए। जिसकी वजह से इनके पिताजी चुप हो गए तथा उन्होने दूसरे ब्याह करने का इनपर दवाव नहीं डालें। उन्होने कहा कि यह प्रथा समाज मे धनाढ्य और उच्चवर्ण से होते हुए निम्न वर्ग तक फैली हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियो की स्थिति बहुत ही दारुण हो चुकी है और किसानो की स्थिति तो और भी दयनीय हो चुकी है। क्योंकि एक से अधिक पत्नी और फिर उनके बच्चो के बीच होने वाले कलह के कारण बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनका जीवन बिल्कुल नरकीय हो जाता है। जोतिराव फुलेने न केवल अपना विचार व्यक्त किए अपितु वे स्वय अपने जीवन मे इसका जीता जागता उदाहरण भी बने। उन्होने कहा कि पुरुषो को एक से अधिक ब्याह करने की ही आजादी क्यो होती है? भारतीय स्त्रियो को ही क्यो एक से अधिक शौत को बर्दाश्त करने हेतु विवश होना पडता है? उसी स्थान पर यदि पत्नियां भी एक से अधिक पुरुष रखे तब भी क्या उनका पति शौता बर्दाश्त कर पाएगा? जोतिराव फुले ने केवल अपने तर्क के माध्यम से उस समय की प्रचलित मनोवैज्ञानिक धारणाओ का खण्डन किया और उसे समाप्त करने हेतु अथक प्रयास भी किया।

केश मुंडन प्रथा का विरोध

जोतिराव फुले ने महाराष्ट्र मे प्रचलित इस प्रथा का ना केवल विरोध किया अपितु महाराष्ट्र के सभी नाई समाज को इकट्ठा कर उन्हे विधवाओ के केस मुंडन हेतु मना भी किए। उन्होने कहा कि पुरुष विधुर को समाज ने ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं बनाई जिसमे उन्हे बाध्य होना पड़े। सारे नियम और कानून केवल महिलाओ के लिए ही क्यो बने हैं? महिलाओ को भी जीने का अधिकार है वे भी इन्सान है और उन्हें सजने सवरने तथा आत्म सम्मान के साथ जीवन यापन करने का अधिकार है। उनके साथ जानवरों जैसा सलकू नहीं किया जाना चाहिए। वह स्त्री पुरुष को जन्म से ही स्वतंत्र मानते थे उन्हे पुरुषो के बराबर समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। उन्होने सभी प्राणियों मे मनुष्य को श्रेष्ठ माना और नारी को मनुष्य से भी श्रेष्ठ माना क्यो कि नारियां ही नर को जन्म देती हैं।

बिना पंडित पुरोहित के विवाह

जोतिराव ने बिना पुरोहित विवाह कराने का एक अनोखा रास्ता बनाया और उन्होने इस बात पर विशेष बल दिया कि सुसंस्कृत भाषा मे मंत्र उच्चारण का भावार्थ अनपढ़ और अज्ञानी मजदूर किसान के समझ के परे रहता था। शादी के पहले ही शुभ मुहूर्त निकलवाने एवं विवाह के समय भी कन्या पक्ष तथा वर पक्ष से अनेको रस्मों के तहत नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते समय भी ये मोटी दक्षिणा लेते थे। विवाह के लम्बे खर्च के लिए साहुकारो से लिए गए कर्ज का आजीवन ब्याज चुकाते हुए गरीब मजदूर किसानों तथा शूद्र पुस्त दर पुस्त बंधुआ मजदूर बने रहते किंतु मूलधन ज्यों का त्यों बरकरार ही रहता था। जोतिराव फुलेने सत्यशोधक विवाह के माध्यम से एक के बाद एक अनेको विवाह को संपन्न करवाते हुए समाज मे चली आ रही सदियो पुरानी परंपरा को धराशाई कर दिया। इस प्रकार के विवाह मे स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार देने और दोनो को एक दूसरे के साथ शपथ दिलाने हेतु स्वयं कन्या पक्ष वर पक्ष से आजीवन एक पत्नीव्रत व वैवाहिक जीवन में बराबरी का अधिकार हेतु प्रतिज्ञाएं लेने व अपने प्रति जिम्मेदारियों का शपथ दिलायी जाती थी।

मदिरालय पर प्रतिबंध

जोतिराव फुले सन् 1880 तक नगर पालिका समिति के सदस्य रहे और इस दौरान सरकार मदिरा की दुकानो की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही थी। उन्होने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पुणे नगर मे पहले से ही मदिरालय है और यदि इनकी संख्या और अधिक बढ़ा दी गई तो पुणे के आम नागरिको के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा इसके साथ ही बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जायेंगे। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपना सुझाव देते हुए कहा कि मेरा विचार है कि नगर पालिका मदिरालयों पर कर लगाए जिसके कारण नशाखोरी अनैतिक आचरण से लोगो को बचाया जा सकता है।

बाल हत्या प्रतिबंध गृह

जोतिराव फुले ने महाराष्ट्र मे व्याप्त रुढ़ि और अंधविश्वास तथा पाखंड को समाप्त करने का अथक प्रयत्न करते हुए बाल विवाह विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भ्रूण हत्या पर भी न केवल अपना विचार दिए अपितु बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कर इसे रोकने का भी अथक प्रयत्न किए। महाराष्ट्र में अधिकांश ब्राह्मण वर्ग की विधवाओ को अपने ही परिवार के ससुर अथवा देवर के हवश का शिकार हो जाती थी या कौमार्यावस्था के कारण अपने पड़ोसियो के झांसे में आकर उनके द्वारा शोषण का शिकार होती और अनचाहे गर्भ को धारण कर लेती तथा लोक लाज के डर के कारण आत्महत्या अथवा भ्रूण हत्या करने पर विवश हो जाती थी। ऐसी अवस्था को देखते हुए जोतिराव फुलेने बाल हत्या प्रतिबंध गृह स्थापित कर अनेको स्त्रियों की जान को बचाया।

कृषि सुधार हेतु प्रयास

जोतिराव फुले ने जमीदारी प्रथा और सामंती व्यवस्था को गलत ठहराते हुए किसानो के श्रम का मुआवजा दिलाने एवं आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक रूप से कृषि करने एवं बांध के पानी का प्रयोग करने के लिए लोगो को प्रेरित किए। क्योंकि उस समय किसानो को यह डर था कि यदि वे बांध का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उनके खेतो को सरकार उनसे ले लेगी। इसलिए जोतिराव फुलेने मांजरी नामक गांव मे खेत लेकर और उनमें बांध के पानी से सिंचाई कर अच्छी फसल एवं बागवानी पैदा कर एक उदाहरण पेश किए जिससे अन्य किसान भी बांध का पानी प्रयोग करने लगे और उनकी ऊपज अच्छी होने लगी। जोतिराव फुलेभी एक ऐसे समाज सुधारक विचारक थे उन्होंने तत्कालीन सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कृ षि सुधार के उपाय सुझाये थे और किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कई कारण स्पष्ट किये थे। उन कारणों की संख्या तत्कालीन समाज में बहुत थी। उन्होंने कृषि और किसान की दुर्दशा के कारण जो उस समय बताये थे उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें से कुछ को छोड़कर शेष सभी कारण आज भी प्रासंगिक हैं।

सन् 1877–78 में महाराष्ट्र प्रान्त में सूखा पड़ने पर तो वहां के किसानों की हालत विकट हो गई। वहां पर किसानों के शोषण की चरम सीमा थी। पेट की आग बुझाने के लिए और सरकारी लगान चुकाने के लिए किसानों को अपने पशु आदि बेचन पड़े तथा भूमि के टुकड़े भी बंधक रूप में जमींदारों और महाजनों को सौंपने पड़े। ऐसी विकट परिस्थिति में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी पौ–बारह हो गई उन्होंने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। जाली बंधक पत्र बनाकर किसानों की भूमि के टुकड़ों को हथिया लिया। किसान जब इसके विरूद्ध अदालतों में गए तब वकीलों द्वारा भी फीस आदि के रूप में उन्हें खूब लूटा–खसोटा गया। आज भी अगर देहाती क्षेत्रों की कृषि भूमियों के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी की जाँच की जाए तो उस समय के किसानों पर किये गये शोषण की नंगी तस्वीर मिल सकती है। महाराष्ट्र प्रान्त के किसी भी गाँव की कृषि भूमि के आलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो यह खुलासा हो जाएगा कि आज अच्छी भूमि का बड़ा भू–खण्ड़ वंश परम्परा से जिस–जिस उच्च वर्गीय व्यक्ति के पास है उसके दादा–परदादा अवश्य सरकारी कर्मचारी या अधिकारी थे, या जिनकी पीढ़ी का व्यवसाय महाजनी करना था। किसानों की यह दुर्दशा जोतिराव फुले फुले से देखी नहीं जाती थी। पूणे जिले की जुन्नार तहसील के जमींदार और महाजन के अत्याचार के विरूद्ध जब वहां के पट्टेदार किसानों ने अपना संगठन बनाया तो फुले ने उन्हें भरपुर सहयोग दिया। उन्होंने किसानों को समझाया कि जब तक किसानों के विरूद्ध हो रहे अन्याय को रोका नहीं जाए तब तक कोई भी किसान खेतो को न जोते। किसानों ने जोतिराव की इस बात का समर्थन दिया और खेतों को जोतना बन्दकर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि कृषि भूमि परती होने लगी। इससे जमींदारों और महाजनों की विभिन्न तरीकों से होने वाली आमदनी प्रभावित होने लगी। तब जमींदारों और महाजनों ने उस संगठन का नेतृत्व करने वाले जोतिराव फुले के विरूद्ध शोर मचाया। कुछ जमींदारों ने तो कुछ काश्तकार किसानों को प्रलोभन देकर संगठन के विरूद्ध हो जाने के लिए भड़काया, परन्तु वे अपनी इस चाल में सफल नहीं हो सके अन्त में जमींदारों और काश्तकारों के मध्य के इस झगड़े को जोतिराव फुले की मध्यस्थता में सुलझाया गया।

किसानों के भूमि स्वामित्व पर बल

जोतिराव ने सदैव किसानों के हित की बात की। उन्होंने सदैव किसानों के भूमि स्वामित्व पर बल दिया। उनका कथन था कि जब तक हल चलाने वाले किसानों को खेतो का स्वामी नहीं बनाया जाता तब तक भारत जैसे कृषि प्रधान देश की उन्नति नहीं होगी और न ही उपज बढ़ेगी। जोतिराव फुले किसानों के सर्वांगीण विकास के पक्षधर थे। शहर में निवास करते हुए भी वे हमेशा किसानों की देखभाल करते रहते थे। उनकी इच्छा सदैव यही रहती थी कि किसान अपनी उपज के प्रति जागरूक रहकर रूचिपूर्वक कार्य

करता रहे और उपज को बढ़ाता रहे। इसी उद्देश्य से ज्योतिबा ने कृषि सुधार विषय पर निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इन प्रतियोगिताओं में जो अच्छे निबंध होते थे तथा जो अच्छी उपज देने वाले किसान थे उन्हें पुरस्कार प्रदान किये जाते थे। वे समय–समय पर किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए सुधरे हुए हलों के प्रयोग तथा अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करने के लिए सुझाव देते रहते थे। वे कृषि विकास के लिए पशुधन विकास पर भी जोर देते रहते थे। सरकार को भी उन्होंने पशु चिकित्सालय खोलने के लिये सुझाव दिये। उनका विचार था कि किसान सुखी तो विश्व सुखी जोतिराव फुले के विचारों से प्रभावित व उनसे प्रेरणा प्राप्त उनके निकट सहयोगी समाज सुधारक श्री भालेकर ने किसान कि एक विशालकाय प्रतिभा खड़ी करवाई यह राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सामान्य जनता की न होकर मुट्ठी भर सफेद पोश और पूँजीपति व्यापारियों की है। इसमें देश के बीस करोड़ किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है।

श्रमिक और उनकी स्थिति पर जोतिराव फुले का दृष्टिकोण

भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रमिक वर्ग की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक क्रांति का बीड़ा उठाने वाले समाजसुधारकों का ध्यान इस वर्ग की ओर न जाए यह कैसे संभव हैं? इसीलिए समाज के इस वर्ग की और भी हमारे चरित्रनायक जोतिराव फुले का ध्यान कृषि के साथ–साथ (श्रमिक वर्ग की स्थिति की ओर भी) समान रूप से था। श्रमिक वर्ग भी हमारे समाज का ही एक महत्वपूर्व अंग है जिस पर समाज और देश की उन्नति निर्भर करती है। भारत जैसे देश में श्रमिकों की स्थिति शुरू से ही दयनीय रही हैं। यहां तक श्रमिक सदैव शोषण का शिकार रहा है। श्रमिकों को सदैव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम करने के बावजूद भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा है। अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण वे न तो अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी शिक्षा दिला सकने में सक्षम रहे हैं और न ही सामाजिक प्रगति कर सके है। मजदूरों और श्रमिकों की इस वास्तविकता को जोतिराव फुले ने सबसे पहले और बारीकी से महसूस किया। उन्होंने मजदूर और श्रमि वर्ग की श्रेणी में आने वाले भिन्न–भिन्न कार्यों को करने वाले कारीगरों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार को उनकी शिक्षा आदि के सम्बन्ध में इस प्रकार सलाह दी कि अपनी दयालु सरकार को इस बलिस्थान मे किसानों के स्कूलो के अलावा घिसाड़ी लुहार बढ़ई बेलदार बुनकर चमार सुनार माली नाई धोबी दर्जी आदि कारीगर जातियों के बच्चों के लिए तरह–तरह के स्कूल खोलने चाहिए उन स्कूलों में सभी के हुनर के लिए आवश्यक सभी प्रकार की शिक्षा देने के लिए साधारण खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए। उन सभी स्कूलों मे कर्मकुशल कारीगरों के बच्चों जैसे संस्कार प्राप्त करके निकलेंगे उनमें शायद ही कोई चोर बने इस बात को मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ। श्रमिक कारीगरो के बच्चों के स्कूलों की स्थापना करने में आने वाले खर्च के सम्बन्ध में जोतिराव फुले सरकार को सुझाव को अज्ञानी किसान और कारीगरों ने अपने अपने बच्चों को उनके (सरकारी) स्कूलों में यदि समझदारी से नहीं भेजा तो सरकार को ऐसे नासमझ लोगों के बच्चों के स्कूल में भेजने के बारे में बेशक जबरदस्ती करनी चाहिए और उस तरह कानून भी बनाना चाहिए। उसी तरह सरकारी अधिकारियों के द्वारा उन सभी लोगों में इस तरह की समझ बनानी चाहिए कि यदि आपने अपने बच्चों को उनके स्कूलों में नहीं भेजा तो वे बच्चे खाली रहने से निठल्ले बन जाएंगे और अपने पेट पालने के लिए वे फिर चोरी जैसे कामों मे लग जाएंगे।

जोतिराव फुले आगे इसी सन्दर्भ में किसानों और श्रमिक कारीगरों को उनके बच्चों के भविष्य के विषय में बताते हुए कहते है कि शिक्षा के अभाव में हुनर हीन तुम्हारे बच्चे खाली दिमाग शैतान का घर कहावत को परितार्थ करते हुए शैतानी प्रवृति को अपनाते हुए अपराधी बन जाएंगी। जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे घर परिवार समाज और देश पर पडे़गा। वे बच्चों के भविष्य का खाका

खींचते हुए अपने ग्रंथ सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक में किसानों श्रमिकों को समझाते हुए इस प्रकार लिखते हैं कि तुम्हारे बच्चे खाली रहने से पक्के चोर होने के बाद पास–पड़ौस के लोगों के घरों पर डाका डालेंगे और ऐसा करके यदि सरकार को चोट पहुंचाएंगे तो सरकार उनको काले पानी की सजा भी दे सकती है।

जोतिराव फुले चाहते थे कि श्रमिक वर्ग की जातियाँ समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। सरकारी कामकाज में हिस्सेदारी बंटाए और अपना सामाजिक स्तर सुधारें तथा अपनी समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखें एवं उनके हल निकलवाने का प्रयास करें। इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार से और सरकारी कर्मचारियों से श्रमिकों की सरकारी कामकाज में हिस्सेदारी न होने के बाबत प्रश्न पूछते हुए कहा अरे तुम्हारे इन सभी म्यूनिसिपैलिटियों में ब्राह्मणों के राज में नीच समझे गए चमारों बुनकरों मातगों लुहारों सुनारों महारो बढइयों धोबियों धनगरों आदि लोगों में से एक भी आदमी इसका सदस्य है। अगर हो तो बताइये? उन्हें यह चेताया कि सरकार में भी श्रमिकों की भागीदारी होना आवश्यक है और सरकार को इस ओर भी विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए।

महात्मा फुले द्वारा सामाजिक क्रांति को गति प्रदान करने के लिए सत्यशोधक समाज नामक जो संस्था स्थापित की गई थी उस संस्था द्वारा समाज सुधार के लिए आन्दोलन चलाया गया। उस सत्यशोधक समाज के आन्दोलन में अनेक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता आगे आये उनमें श्री नारायण मेघाजी लोखंडे का ऊँचा स्थान है। लोखंडे को महात्मा जोतिराव फुले की विचार प्रणाली मे मानव जीवन का सच्चा हित दिखाई पड़ा। उनके सान्धि में आकर उन्होंने यह जाना कि अपने जीवन को मानव हित में लगाना ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी में अपना अपने समाज का और देश का कल्याण निहित है। इसीलिए जोतिराव फुले द्वारा जलाई गई समाज सेवा की ज्योति से आलोकित हो वे सत्यशोधक समाज के सदस्य बन गये और अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ वे समाजसेवा के कार्य मे जुट गये। जोतिराव फुले के एक अन्य सहयोगी श्रीकृष्ण राव पांडुरंग भालेकर ने अपने सम्पादन में एक साप्ताहिक पत्र दीनबन्धु सन् 1877 में निकाला इस पत्र के प्रकाशन की प्रेरणा उन्हें जोतिराव फुले से ही मिली थी। सन् 1880 में श्री लोखंडे इसी पत्र के सम्पादक बने। इस पत्र के माध्यम से वे सामाजिक लगे। इसका प्रभाव यह हुआ कि तत्कालीन सरकार सचेत हुई और सन् 1884 में सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस समय भी लोखंडे ने मुम्बई में मजदूरों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया और लगभग छह हजार मजदूरों के हस्ताक्षर वाला एक निवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। उस निवेदन में मजदूरों की कई समस्याओं का वर्णन किया गया था और संबंधित अन्याय के निराकरण के लिए मांग की गई थी।

सन् 1890 में श्री लोखंडे द्वारा मजदूरों का एक और विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की विशेष बात यही थी कि एक बड़ी संख्या में महिला मजदूरों ने भी भाग लिया। इसी सम्मेलन के दौरान सरकार से रविवार की साप्ताहिक छुट्टी का फैसला करवा लिया गया। सम्मेलन में दो मजदूर महिलाओं ने महिला श्रमिको के उत्पीड़न और कष्टों का ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत किया। आज से सौ साल पहले किसी भी सार्वजनिक सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी व भाषण देना भारतीय इतिहास में सम्भवत पहला ही उदाहरण था। यह सब महात्मा जोतिराव फुले द्वारा महिलाओं में लाई गई जागृति का ही फल था। भारतीय ओद्योगिक मजदूरों की स्थिति की जाँच करने हेतु और उसके बारे में सरकार को सिफारिशें करने हेतु सन् 1890 में ही एक बोर्ड का गठन किया गया। उस बोर्ड की सहायता करने हेतु श्री लोखंडे को नामांकित किया गया। तब उन्होंने मुम्बई के मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष के नाते उक्त बोर्ड को मजदूरों का मांगपत्र प्रस्तुत किया। उस मांग पत्र द्वारा यह पता चलता है कि इस प्रथम मजदूर नेता को श्रमिकों और मजदूरों से व्यापक सहानुभूति थी और उनके प्रति इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण था। उसके बाद सन्

1891 में फैक्ट्री एक्ट बना जिसके अन्तर्गत मजदूरों के काम का समय निर्धारित हुआ और उनकी सुरक्षा के उपाय भी किये गये। इस एक्ट के द्वारा श्रमिक मजदूरों को जो सुख–सुविधायें मिली, उसका श्रेय श्री लोखंडे और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं को ही जाता है।

उपर्युक्त विवरण पूर्णतः स्पष्ट करता है कि मजदूरों की समस्याओं को गहराई से समझने और उनके प्रति सच्ची सहानुभूति रखने एवं उनके हितों की वकालत करने वाले व मजदूर (श्रमिक) आन्दोलन की नींव डालने वाले अगुवा नेता महात्मा जोतिराव फुले फुले ही थे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति सुधारने में महात्मा जोतिराव फुले फुले ने कार्य किया। इसका प्रभाव गुजरात और राजस्थान में भी पड़ा। इस समय राजस्थान में किसानों की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय थी। गुजरात में गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लेकर अहमदाबाद मिल आन्दोलन एवं खेड़ा आन्दोलन सफल बनाकर किसानों को अपने हक के प्रति जागरूक कर एक नवीन चेतना जागृत की। जिस प्रकार राजस्थान में सामाजिक बुराईयाँ व्याप्त थी उसी प्रकार सामन्तवाद प्रणाली के कारण प्रदेश का आम आदमी आर्थिक बोझ से दबा था। बन्धवा मजदूर प्रथा विभिन्न करों से निम्न किसान की स्थिति खराब थी। राजस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पाश्चात्य शिक्षा एवं समाजसुधारों के सहयोग से धीरे–धीरे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हुआ। महात्मा जोतिराव फुले फुले ने जो आर्थिक सुझाव दिये वे गुजरात एवं राजस्थान में भी इनका प्रभाव देखने को मिला।

सन्दर्भ–

- कीर, धनंजय – महात्मा फुले फादर ऑफ इण्डियन सोशल रिवोल्यूशन, बम्बई, 1974,
- नवशक्ति 24 सितम्बर, 1872,
- शुभ वसियतनामा पत्र, 1873
- विविध ध्यान विस्तार पत्र 8 सितम्बर, 1873
- जोशी, लक्ष्मण शास्त्री – नेशनल बायोग्राफी जोतिराव फुले फुले, नई दिल्ली, 1992,
- जैन, देविका – इण्डियन विमन, 1976
- सुबोध पत्रिका, 21 फरवरी, 1881
- शर्मा, शांता रानी – सोसायटी एण्ड कल्चर इन राजस्थान 700 से 900 ई., दिल्ली, 1996,
- शर्मा, दशरथ – लैक्चर्स ऑफ राजपूत हिस्ट्री, दिल्ली, 1970,
- इरविन, डब्ल्यू – लेटर मुगल स. भाग 1–2, 1922
- टॉड, कर्नल जेम्स – एनल्स एंड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान, आक्सफोर्ड, 1920
- खारडे, 12. डी.के. – महात्मा जोतिराव फुले, दिल्ली, 1990,
- शर्मा, डॉ. जी.एन. – सोश्यल लाइफ इन मिडीवल राजस्थान, आगरा, 1978,
- महात्मा जोतिराव फुले रचनावली भाग–1
- महात्मा जोतिराव फुले रचनावली भाग–2,
- ओझा, जी.एच. – राजपूताने का इतिहास, अजमेर, 1937,
- महात्मा फुले यांचे राजकीय विचार (मराठी) कोल्हापुर, डॉ. सदानन्द थोरे अनुवाद मुरलीधर जगताप, बम्बई, 1993,
- गुलामगिरी पुस्तक (1873) महात्मा जोतिराव फुले फुले, बम्बई,

- जोशी, एन.बी. – पूना एनिशियेन्ट एण्ड मार्डन, पूना, 1970,
- हरिजन– 29 अगस्त, 1936
- स्वराज थ्रू चरखा कानु गांधी द्वारा संकलित, 1945
- स्वराज थ्रू चरखा – कानु गांधी द्वारा संकलित, 1945
- शर्मा, एम. एल. – हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट, 1962,

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

शौचालय से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव

संजय कुमार
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।

सारांश

ग्रामीण भारत में शौचालयों का अभाव बहुत पहले से रहा है। महात्मा गाँधी जी का सपना यह था, कि हमारा ग्रामीण भारत स्वस्थ एवं स्वच्छ रहे। इसलिए उनकी सोच यह थी, कि ग्रामीण भारत एवँ शहरी क्षेत्रों को किस प्रकार से स्वच्छ एवँ शौच मुक्त बनाया जाये। इस गम्भीर समस्या को अमल में लाने के लिए गाँधी जी ने कहा था, कि स्वतंत्रता से अधिक स्वच्छता जरूरी है। जहाँ वातावरण स्वच्छ है, वहाँ ही स्वस्थ, सामाजिक, आर्थिक विकास एवँ समृद्धि समाज में हो सकता है। हमारा भारत देश स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष पूर्ण होने के बाद भी शौच मुक्त नहीं हो सका। इन सभी बातों को अमल में लाते हुए माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वच्छ एवं शौच मुक्त बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को गाँधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम योजनाएं लागू किए और स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान को प्रारम्भ किये, और लोगों में जन जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया। योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपने आस–पास सड़कों, गलियों, नालियों, शौचालयों आदि में निवास करते हैं लेकिन स्वच्छ नहीं रख पाते हैं। तो हमारा वातावरण दूषित व प्रदूषित रहेगा। और इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर शौचालयों का निमार्ण कर लोगों को शौच मुक्त बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, कि लोग शौचालय का प्रयोग कर ग्रामीण वातावरण को स्वच्छ रख सकें। विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए क्योंकि महिलाओं को परिवार व समाज का इज्जत समझा जाता है। जब शौचालय नहीं था तो महिलाओं को शौच क्रिया में बहुत समस्याएं उनके समक्ष होती हैं।

इन समस्याओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने घर–घर में एक–एक शौचालय मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है ताकि शौचालय देश के हर घर में बन सके। इसके पहले ग्रामीण भारत में शौचालय नहीं था तो महिलाएं जिस तरह से पुरुष शौच के लिए खेत–खलिहानों में, सड़कों, नदियों आदि के किनारे करते थे। महिलाए भी चाहे रात हो, दिन हो बारिस, आँधी–तूफान हर मौसम में उनको शौच क्रिया के लिए बाहर का मुख देखना पड़ता था।

महिलाएं किसी अवस्था की हो जैसे– युवती, पौढ़ा, वृद्धावस्था आदि सबके समक्ष एक गम्भीर समस्या व चुनौती थी क्यों कि शौच के लिए उन्हें रात का इन्तजार करना पड़ता था। कभी भी उनको शौच क्रिया महसूस होती थी तब तक उनको सहन करके सायं या रात होने का इन्तजार करना पड़ता था। परन्तु यदि उनको बर्दाश्त नहीं होता था तो उन्हें किसी प्रकार से आड़ देखकर शौच क्रिया करके शारीरिक शान्ति का अनुभव करती थी। उनके शरीर को कितनी पीड़ा होती है और कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें शुरु होती होगी। माँ, बहनों के इज्जत के लिए कम से कम शौचालय होना चाहिए ।

खुले रुप में शौच न जाओ, माँ बहनों की लाज बचाओ, बीमारी को पास न लाओ ।

हो सभ्य सुसंस्कृत यह देश, प्रधानमंत्री का है यह संदेश ।
शौचालय है तो स्वच्छता है, स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है ।

स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छता का महत्व है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य गरिमा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए स्वच्छता तक पहुँच बहुत जरुरी है। क्योंकि संयुक्त प्रयासों के बावजूद लोगों तक बेहतर स्वच्छता सुविधाओं अर्थात शौचालय तक पहुँच नहीं है। खुले में शौच को मानव मल के उचित निपटान के बिना खुले मैदानों, जलमार्गों, खेत–खलिहानों, खुले गढ्ढों व खाइयों में शौच करने के प्रथा को परिभाषित किया गया है। खुले में शौच शब्द का श्रेय **2008** में संयुक्त निगरानी कार्यक्रम को जाता है। खुले में शौच को असिंचित स्वच्छता के रुप में वर्गीकृत किया गया है। आज की दुनियाँ में विशेषतः ग्रामीण परिवेश में, पुरुषों के साथ महिलाएं भी खुले में शौच का अभ्यास कर रही हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शौच करती हैं। उनमें से लगभग **70** से **80** प्रतिषत ग्रामीण परिवेश में पुरुष के साथ सहभाग बनकर खुले में शौच करने का प्रयास कर रही हैं। खुले में शौच करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोखिम प्रभाव प्रभाव पड़ता है । मानव मल से जुड़े संक्रामक रोग संक्रमित मल में कई हानिकारक जीव होते हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े होते हैं। संक्रमित मानव मल के एक ग्राम में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। जिनमें अनेक प्रकार के वायरस और संक्रामक विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ अण्डे शामिल हैं।

अनुचित मानव अपशिष्ट निपटान भी इन रोग जनित के सम्पर्क के जोखिम को बढ़ाता है। संक्रमणीय रोग दस्त, टायफायड, एवं हैजा व वायरल संक्रामक जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। दृष्टि हानि का मूल कारण जो मक्खिओं के माध्यम से फैलता है। जो संक्रमित व्यक्ति के आँखों का निर्वहन के माध्यम से फैलने की प्रवृत्ति के साथ मानव मल पर प्रजनन करते हैं। इसी तरह से स्नेल फीवर से संक्रमित हैं। एक पुरानी परजीवी बीमारी है जो मानव मल के माध्यम से मीठे पानी के घोंघे से फैलता है। यह संक्रमण मनुष्य में तब फैलता है जब त्वचा संक्रमण ले जाने वाले घोंघे या दूषित भोजन के सेवन के सम्पर्क में आती है। पानी और उनकी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को व्यवस्थित करते हैं । खुले में शौच एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को प्रभावित कर सकता है लेकिन महिलाओं को अक्सर हिंसा और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने का अधिक जोखिम होता है।

खराब स्वच्छता सुविधा वाली महिलाएं हुक्म वर्ग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिसके परिणामस्वरुप मातृ एनिमिया होता है जो सीधे गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों से जुड़ा होता है। शौचालय तक सीमित या बिना पहुँच वाली महिलाएं मुख्य रुप से डायरिया की बीमारियों से पीड़ित होती हैं। जो कि उनकी प्रजनन के आयु के दौरान महिलाओं में कुपोषण का एक प्रमुख कारण है । बीमारी और कुपोषण के बीच परस्पर क्रिया बिगड़ते संक्रमण और महिलाओं के स्वास्थ्य में गिरावट के दुष्चक्र को आगे बढ़ा सकती हैं खासकर गर्भवती महिलाओं में बेहतर स्वच्छता हस्तक्षेप बीमारी के रोकथाम में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है ।

जिलेल बाऊर एट अब– जिसमें डायरिया और मिट्टी से फैलने वाले संक्रमण शामिल हैं। खुले में शौच करने से मौखिक, शारीरिक और यौनिक हिंसा जैसे समस्याएं बढ़ सकती हैं जो महिलाओं को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रुप से प्रभावित करती है । जो अपने निजी घर से शौच के लिए खुले स्थानों पर बहुत ही दूर की यात्रा करने के लिए मजबूर होती हैं । अपनी मासिक धर्म सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रबन्ध करने लिए जाना पड़ता है । जो कि हिंसा के लिए संवेदनशील करती है

। गोपनीयता के विचार, सांस्कृतिक, मानदण्ड या धार्मिक प्रथाएं भी कई महिलाओं को सुबह या सायं तक इन्तजार करने के लिए बाध्य करती हैं। ताकि शौच क्रिया को करते समय दिखायी न दे ।

भारत जैसे देश में भी आज युवा लड़कियों एवं निम्न घर की महिलाएं खुले में शौच से अत्यधिक भय, शर्म और लाचारी आयी है। मानव अधिकार का एक प्रमुख पहलू शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है। खुले में शौच से जुड़े स्वास्थ्य निहितार्थ के अतिरिक्त महिलाओं और शारीरिक सुरक्षा के निहितार्थों पर विचार करते हुए खुले में शौच वाली महिलाओं को हिंसा का अधिक खतरा होता है। केवल स्वच्छता को स्वास्थ्य, शिक्षा, आपस के विचार तक समाहित तक समाहित नहीं करना चाहिए। बल्कि मानवीय गरिमा के सन्दर्भ में माना जाना चाहिए खुले में शौच से शर्म की भावना पैदा होती है। खुले में शौच करने से स्वास्थ्य के परिणामों को प्रभावित करती है। और सामाजिक परिणामों की जाँच भी करती है।

विषय–

खुले में शौच करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके ऊपर माँ के साथ विकासशील भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है । ग्रामीण भारत के गर्भवती महिलाएं खुले में शौच करने से गर्भ अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण समय से पहले जन्म और कम जन्म दर होती है । खुले में शौच करने वाली गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का प्रसार और शौचालय का प्रयोग करने वाली संक्रमण का प्रसार के अपेक्षा अधिक जोखिम होता है। खराब स्वच्छता के साथ मातृ सम्बन्धित खतरा अधिक बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं में मल मौखिक संक्रमण के कारण खराब पोषण के प्रभाव को बढ़ा देता है। महिलाएं जो खुले में शौच करती हैं उसके अपेक्षा जो महिलाएं शौचालय का प्रयोग करती हैं हीमोग्लोबिन की कमी होती है । खुले में शौच करने वाली महिलाओं की अपेक्षा खुले में शौच करने वाले पुरुषों में संक्रमण अधिक होता है ।

ग्रामीण महिलाओं के प्रति खतरा– खुले में शौच करने से महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति हिंसा एवं बलात्कार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। क्योंकि जिस घर में शौचालय का अभाव है उस घर की महिलाएं जब बाहर शौच करने के लिए रात या दोपहर या सायं और भोर में निकलती हैं तो अपने घर से शौच करने के लिए बहुत ही दूर की यात्रा तय करना पड़ता है। यहाँ तक की चारों ओर खुला वातावरण रहता है। तो वह आड़ की चक्कर में बहुत ही दूर का चक्कर काटने के पश्चात झाड़ियो, जंगलों, नदी, तालाबों आदि सुन–सान क्षेत्रों में जाने के लिए विवश होती है। उनके मजबूरी का फायदा उठाकर अगल–बगल महिलाओं के प्रति हिंसा अंजाम देने के लिए बलकारियों एवं अपराधिक प्रकृति के लोग उनसे फायदा उठाने के मकसद से उनके ऊपर टूट पड़ते हैं असहाय एवं मजबूर महिलाएं हिंसा की शिकार हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब रात के समय आँधी, तूफान, बारिस होती है, तो उस समय भी उनको अंधकार में शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता है जिससे उनके साथ अनेक प्रकार का खतरा एवं जीवन समाप्त होने वाला खतरा बरकरार रहता है। जैसे बारिस, गर्मी के दिनों में, आँधी–तूफान में चप्पल या नंगे पैर से खेतों, जंगलों, पहाड़ों में जाने से उनके साथ जैसे सर्प, बिच्छू, चुड़ैल, जंगली जानवरों से खतरा बना रहता है। इसलिए शौचालय के अभाव में विशेषतः ग्रामीण महिलाओं के प्रति खतरा बना रहता है।

सुझाव –

राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ एवं शौच मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच प्रक्रिया रोकने में अभियान नाकाम साबित हो रहा है। क्योंकि खुले में शौच की सामाजिक मान्यता मिली हुयी है।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय को महंगी एवं विलासिता की वस्तु माना जा रहा है । शौचालय निर्माण के फैसले प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। जिनका स्वास्थ्य की चिन्ता से वास्ता है। आज भी जो लोग सामाजिक एवं आर्थिक रुप से उच्च स्थिति में हैं साथ ही वे शौचालय से लाभ के विषय में जागरुक हैं। निम्न व मध्यम वर्ग के लोग न तो स्वास्थ्य के प्रति जानकारी और न शौचालय के निर्माण से सहमति है। उनके घर के पुरुष एवं बच्चे तथा महिलाएं खुले में शौच क्रिया को चुनौती देने में सक्षम हो रही हैं। क्योंकि शौचालय न था तो वे मजबूरी में खुले में शौच के लिए जाती थी। लेकिन घर–घर में शौचालय निर्मित होने के बावजूद भी ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष चुनौती देने में आगे हैं। क्योंकि न तो उनको स्वास्थ्य का खयाल है और न ही स्वच्छ वातावरण का ध्यान है।

इसलिए विशेशतः आज भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्थानों पर शौच क्रिया करने में माहिर हैं। लेकिन इतना कहना जरुर है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जागरुकता आयी है। और अपने मान–सम्मान एवं मान– मर्यादा को ध्यान में रख कर अब कुछ सुधार हुआ है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा खुले में शौच क्रिया में कमी आयी है। जैसे–जैसे ग्रामीण महिलाओं एवं लड़कियों में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार हो रहा है वैसे ही महिलाओं में स्वास्थ्य व शौचालय के प्रति जागरुकता बढ़ी है। अब वे नहीं चाह रही हैं कि शौचालय रहते बाहर खुले स्थानों में शौच क्रिया करें लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएं पूर्ण रुप से खुले में शौच नहीं कर रही हैं।

सुझाव यह है कि अभियान के द्वारा लोगों में स्वच्छता एवं शौचालय के प्रति प्रसार एवं प्रचार करके ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे कोई भी पुरुष, महिला व बच्चे हों उनमें इसके प्रति सोच विकसित करने और स्वास्थ्य के प्रति अमल करने तथा वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए उन्हें शिक्षा, उपदेश, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान करें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1- दैनिक समाचार पत्र **28** नवम्बर **2019**

2- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मेरी कविताएं सादर समर्पित– डॉ0 विन्देश्वर पाठक

3- ncbi.nim.nin.gov/pmc/

4- drishtiias.com

5- ni.vikash.pedia.in (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड दिनेश चन्द्र भारती)

सोशल मीडिया एवं शिक्षाः एक विमर्श

अमित मालवीय
शोध छात्र समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

सोशल मीडिया पारस्परिक सम्बन्ध के लिए अन्तर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों को सन्दर्भित करता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहता है आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया है फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो राजनैतिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र,तकनीकी क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र सोशल मीडिया ने प्रत्येक क्षेत्र को अपने में समाहित कर लिया है सोशल मीडिया ने वैचारिक क्रांति को जन्म दिया है

शब्दकोश :– सोशल,मीडिया,संदेश,शिक्षा,क्लास।

सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके माध्यम से लोग उक्त माध्यम में सम्मिलित सदस्यों के साथ विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं विश्व भर में 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब टेलीग्राम जूम मीटिंग जीमेल ईमेल स्काईप ब्लाक सबसे अधिक लोकप्रिय हैं नवीन एवं उभरती हुई तकनीकी सुविधाओं के प्रयोग से अधिगम प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तकनीकी के प्रयोग से शिक्षा का सार्वभौमीकरण हुआ है एवं शिक्षा का प्रसार जन–सामान्य तक सुचारू रूप से होने लगा है वर्तमान समय में छात्र विश्व के किसी भी भाग से किसी विषय पर तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग कर अधिगम प्राप्त कर सकते हैं यह सिर्फ अधिगम हेतु उपलब्ध तकनीकों के प्रयोग से ही सम्भव हो सका है

शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले सोशल मीडिया साधन :–

ई–मेल :– प्राचीन समय में हम पत्रों या अन्य दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डाक पोस्ट का इस्तेमाल करते थे परन्तु आज इंटरनेट की सेवा ई–मेल द्वारा यह कार्य अधिक आसान हो गया है आज हम तुरन्त एक सेकंड में ही अपनी पोस्ट देश–विदेश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं ई–मेल में संदेश किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पहुंचाया जाता बल्कि इंटरनेट के नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है इस तरह संदेशों को आसानी से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है

स्काइप :– इंटरनेट कॉलिंग में स्काइप तकनीकी का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है स्काइप एक ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति जो कि स्काइप का प्रयोग कर रहा है को निःशुल्क वॉइस कॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है आज स्काइप के माध्यम से बातचीत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्काइप का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है

वेबिनार :– वेबीनार को तकनीकी भाषा में अम्ब्रेला टर्म के नाम से भी जाना जाता है इसके प्रयोग से इंटरनेट द्वारा विभिन्न विषयों पर बहुभाषीय व्यक्तियों को एक साथ एक ही समय में अलग–अलग स्थानों पर भी अपने विचारों को एक दूसरे से आदान–प्रदान किया जाता है अतः वेबिनार शब्द का प्रयोग व्याख्यान कार्यशाला एवं एक समूह के रूप में किया जाता है

ब्लॉक :– यह एक प्रकार का व्यक्तिगत वेबसाइट होता है जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है जिनमें कुछ लेख चित्र एवं बाहरी कड़ियां होती हैं ब्लॉक किसी विशेष विषय से संबंधित होते हैं ये ब्लॉक उस विषय से संबंधित समाचार जानकारी विचारों इत्यादि से परिचित करवाते हैं जो की वीडियो संगीत छाया चित्रों आदि पर केंद्रित होते हैं

जीमेल :– जीमेल सोशल मीडिया का एक आधुनिक एवं सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माध्यम है जिसमें संदेश का आदान–प्रदान केवल कुछ मिनटों में हो जाता है व्यक्ति एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य जीमेल के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं किसी भी लेख को प्रकाशित कराने के लिए अध्ययन करने के लिए उस व्यक्ति को जीमेल के माध्यम से अपने सन्देश को उपलब्ध कराया जाता है

व्हाट्सप्प :– सोशल मीडिया में व्हाट्सप्प एक क्रांति का स्वरूप है व्हाट्सप्प की उपयोगिता समाज में एक दूसरे को संदेश के माध्यम से जोड़ने का कार्य सर्वाधिक रूप से किया जाता है जिसमें शिक्षा की उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है आज व्हाट्सप्प को शिक्षाविद व्हाट्सप्प यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारते हैं व्हाट्सप्प पर किसी भी संदेश को लिखित एवं चलचित्र के माध्यम से बड़ी आसानी से एक स्थान से देश–विदेश के किसी भी स्थान तक पहुंचाया जा सकता है स्कूल कालेज एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्य जैसे सेमिनार लेख प्रकाशन अवकाश एडमिशन परीक्षा की तिथि इत्यादि का संदेश बड़ी आसानी से एक से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है

टेलीग्राम :– सोशल मीडिया में टेलीग्राम आज एक ऑनलाइन क्लास रूम के रूप में जाना जाता है अधिकांश शिक्षक अपने ऑनलाइन क्लास को चलाने के लिए टेलीग्राम प्लेट–फॉर्म का उपयोग करते हैं जिनमें अधिकांश अध्यापक अलग–अलग विषयों के अलग–अलग टाइम पर आकर अपना ऑनलाइन क्लास लेते हैं टेलीग्राम शिक्षा का वह माध्यम बन गया है जो दूरदराज में रह रहे छात्रों को गुण वत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही है जिन से अलग–अलग क्षेत्रों के बारे में घर बैठे जानकारी प्राप्त हो रही है

यूट्यूब :– यूट्यूब सोशल मीडिया का वह माध्य है जो विभिन्न प्रकार की जानकारी को आपके मोबाइल के माध्यम से कहीं भी कभी भी उपलब्ध करा दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में यूट्यूब के माध्यम से ही हम और आप देश के विभिन्न शिक्षकों को जान पाए हैं जिनमें डॉ विकास दिव्यकीर्ति,खान सर,अवध ओझा सर,फिजिक्स वाला इत्यादि शिक्षकों से हमारा परिचय यूट्यूब ने ही कराया है सिविल एवं एक दिवसीय परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए लाखों छात्र छात्राएं इन के व्याख्यानों को यूट्यूब के माध्यम से देखते और पढ़ते हैं जिनसे छात्रों का बौद्धिक विकास एवं कुछ बनने की चाहत उत्साहपूर्ण रूप से बढ़ती है

जूम मीटिंग :– सोशल मीडिया का यह वह माध्यम है जिस पर शैक्षिक स्तर के व्याख्यान एवं वेबिनार का आयोजन किया जाता है विभिन्न विद्वानों के द्वारा किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक स्तर पर अधिकांश लोग जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ करके उनके व्याख्यानों को सुन सकते है आदरणीय प्रोफेसर आलोक कश्यप सर के द्वारा जूम मीटिंग पर अनेकों बार कोरोना महामारी के दौरान वेबीनार का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से घर बैठे विद्वतजनों के व्याख्यानों को सुना गया जिनमें कोविड–19 के कारणो और लक्षणो व उनसे बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई एवं अनेक सिर्सको पर विद्वतजनों के व्याख्यानों को सुना गया जिनके इस पहल से घर बैठे क्लासरूम का अनुभव होता रहा एवं कोविड–19 महामारी के दौरान भी ऑनलाइन शैक्षणीक कार्य होते रहे।

संदर्भ सूची–

1. वेबिनार वार्ता 4 जून 2020 महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर वाराणसी
2. योजना फरवरी 2022 नई शिक्षा नीति 2020
3. दैनिक जागरण 2 मार्च 2023
4. शर्मा अचल 2017 नए जन–संचार और हिन्दी राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
5. सिंह डॉ मीन शिव प्रकाश 2019 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य ठाकुर पब्लिकेशन प्रा. लि. लखनऊ

भारतीय लोकतंत्र : प्रकार्य और चुनौतियां

कमला यादव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय सलेमपुर, देवरिया
Email id: yadavkamal400@gmail.com

सारांश

लोकतंत्र समझौता सहयोग और मध्यस्थता पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें सहमति एवं असहमति साथ–साथ चलती हैं, जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी और समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। एक स्तर तक नागरिकों में आर्थिक समानता और शिक्षा का होना लोकतंत्र के अस्तित्व एवं कार्यशीलता की मूलभूत शर्त है। स्वस्थ जनमत लोकतंत्र की ऑक्सीजन होता है। नियंत्रण एवं संतुलन के लिए स्वस्थ न्यायिक प्रणाली एवं अभिव्यक्ति के साधन के रूप में स्वतंत्र मीडिया का होना आवश्यक है। बढ़ती असमानता और वैचारिक मतभेद का शत्रुता में बदलना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। झूठी एवं भ्रामक सूचनाओं द्वारा निर्मित दूषित जनमत लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। तकनीकी का प्रयोग लोकतंत्र खिलाफ खतरनाक हथियार के रूप हो रहा है। मूलभूत राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का लोक विमर्श के मंच से हट जाना या हटाया जाना, अनियंत्रित पूंजीवादी के साथ–साथ पूंजीवाद एवं राज्य का मीडिया पर बढ़ता नियंत्रण लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रस्तुत शोध पत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव तथा कारपोरेट और मीडिया का सरकार से संबंध और उसका लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने तथा लोकतंत्र पर तकनीकी के प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा शोध पत्र में खुला बाजार और पूंजीवाद का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द–लोकतंत्र, पूंजीवाद,, जनमत, लोक विमर्श, मीडिया, असमानता, समझौता, सहयोग ,सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, शिक्षा।

हम संबन्ध भरोसा और समझौते में जीते हैं, लोकतंत्र एक समझौता है। संबन्ध और भरोसा समझौते को जन्म देता हैं। मानव जीवन का अस्तित्व आपसी समझौते से निकले सहयोग पर टिका होता है । वैचारिक असहमति के साथ सहयोग की प्रवृत्ति लोकतंत्र का मूल तत्व है। लोकतंत्र सहमति और असहमति के गतिशील संतुलन पर टिका होता है। जहां एक तरफ सहमति के बिना व्यवस्था का निर्माण हो नहीं सकता वहीं दूसरी तरफ असहमति आने वाले खतरे का पूर्वानुमान होता है ,ताकि सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके।

समानता की चेतना से निकली सहयोग की भावना और संगठित होने की क्षमता मानव को धरती पर सबसे ताकतवर प्राणी बनाती है, सहयोग और संगठित होने की क्षमता ही उसकी ताकत का आधार है। इजराइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी के इतिहासकार युवाल नोह हरीरी अपनी किताब Sapiens में कहते है कि मानव ने धरती पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसके पास सहयोग करने की क्षमता थी, उसमे जटिल सामाजिक सरचना के निर्माण करने की क्षमता जो जानवरों में नहीं थी, इस क्षमता ने मानव को धरती पर सबसे ताकतवर प्राणी बना दिया। लोकतंत्र कमजोरों का हथियार और सुरक्षा कवच है जो उसे अपनी बात कहने तथा आगे बढ़ने का मौका देती है, ग्रीक विचारक अरस्तु ने अपनी किताब द पॉलिटिक्स मे कहा है कि लोकतंत्र गरीबों की सरकार है। ताकतवर को लोकतंत्र की जरूरत नहीं होती, वह हमेशा अल्पतंत्र का समर्थक होता है यही कारण है कि दुनिया के किसी भी देश में यह संभव नहीं है कि सम्पूर्ण जनमानस

डेमोक्रेसी का समर्थन करता हो। समाज में हमेशा ही एक तबका होता है जो लोकतंत्र का विरोध करता है वह अल्पतंत्र का शासन चाहता है। यही कारण है कि यह मान लेना कि एक बार स्थापित होने के बाद डेमोक्रेसी हमेशा बनी रहेगी एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिए स्थाई नहीं होती चाहे मजबूत से मजबूत लोकतंत्र ही क्यों न हो समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिससे डेमोक्रेसी पर हमले होते है, उसमें बदलाव आता है, वह खत्म हो जाती है। समाजशास्त्र की प्रकार्य वादी विचारधारा मानती है कि किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए उसके अंगों का सफलतापूर्वक व्यवस्था के लिए काम करना, योगदान देना आवश्यक है, अन्यथा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र के जिंदा रहने और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसके नागरिकों का एक स्तर तक शिक्षित होना तथा एक स्तर तक आर्थिक समानता का होना आवश्यक है अन्यथा अशिक्षा और असमानता ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगी जो लोकतंत्र को खत्म कर देगी। समानता के बिना हम की भावना पैदा नहीं हो सकती, समाज विभिन्न हित समूहों में बंट जाता है तथा लोगो के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाएगी। वही दूसरी तरफ शिक्षा का होना आवश्यक है ताकि लोग लोकतंत्र को समझ सके, उसको जी सके तथा उसके लिए लड़ सके ।

लोकतंत्र बनी रहे और वह क्षमता पूर्वक कार्यशील रहे इसके लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के अंग के रूप में चुनावी संस्थाएं सफलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से काम करें ताकि लोकप्रिय जनमत को लोक नीति बदला जा सके जो आम लोगों में लोकतंत्र के प्रति भरोसा पैदा कर सकें। लोगों का लोकतंत्र के प्रति भरोसा ही लोक तंत्र की उम्र का निर्धारण करता है। राजनीतिक विचारक Robert Dahl लोकतंत्र में चुनावी संस्थाओ की अहमियत की ओर संकेत करते हुए कहते है कि स्वतंत्र , निष्पक्ष और प्रतियोगात्मक चुनाव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ जनमत का होना आवश्यक है तथा स्वस्थ जनमत के लिए नागरिकों के पास सही सूचना का पहुंचना आवश्यक है । झूठी और भ्रामक सूचनाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त दूषित जनमत का निर्माण करती है जो लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। सोशल इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दावा करते है लेकिन वास्तविक हकीकत ठीक इसके विपरित दिखाई देती है, आज तकनीकी आधारित मीडिया खासकर मुख्य धारा की मीडिया की झूठी भ्रामक और खास मकसद से निर्मित सूचनाओं को फैलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। कॉरपोरेट और स्टेट से प्रभावित और काफी हद तक नियंत्रित मीडिया आभासी/मैन्युफैक्चर्ड जनमत का निर्माण कर रहा है जिससे लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गयी है।

लोकतंत्र और मीडिया–

लंबे समय से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता रहा है, लेकिन समय के साथ मिडिया के स्वरूप में बदलाव आया है। तकनीकी आधारित टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया खासकर फेसबुक ट्वीटर, व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के उदय ने समाज के परिदृश्य को बदल कर रख दिया अपने आरंभिक दिनों में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप ने आम आदमी के हाथ में अपनी आवाज को उठाने, लोगों को संगठित करने, विरोध प्रदर्शन और अपनी बात रखने का एक ताकतवर मंच प्रदान किया। अरब स्प्रिंग अर्थात् ट्यूनीशिया, मिश्र, लीबिया, सीरिया में हुए राजनीतिक उथल पुथल, बदलाव और तख्तापलट में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी , मिस्र के होस्नी मुबारक, लीबिया के गद्दाफी और सीरिया के बशर अल असद को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन वही सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहा एक तरफ मिस्र में तख्ता पलट के बाद होस्नी मुबारक के बाद एक दूसरे तानाशाह सेना अध्यक्ष फतह अलसिसी सत्ता पर काबिज हो गए। वही लीबिया मे आज भी गृह युद्ध जैसी स्थिति है और सोशल मीडिया परिदृश्य सें गायब है। ऐसे में प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है की क्या इसने लोगो की आवाज को मजबूत किया या तख्ता पलट में सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप इस्तेमाल किया गया।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सद्दाम हुसैन के पास डब्ल्यूएमडी होने का दावा मीडिया दावा किया गया तथा इराक पर अमेरिका ने हमला किया और तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया जिनकी बाद मे नीलामी कर दी गई। बड़े ऑयल कॉर्पोरेट ने इसे खरीद लिया । सीरिया के बसर अल असद के पास केमिकल हथियार होने का प्रचार भी मीडिया द्वारा किया गया लेकिन बाद की स्वतंत्र जांच में दोनो दावे जो इराक और सीरिया को लेकर किए गए थे झूठे साबित हुए, न ही इराक के पास WMD था न ही सीरिया के रासायनिक हाथियार थे। लेकिन प्रिंट और टेलीविजन मीडिया पर चलाई गई खबरों को आम जनमानस ने सच मान लिया, जो पूरी तरह से झुठी, भ्रामक और उद्देश्य निर्मित खबरे थी जिसने आभासी जनमत तैयार कर दिया और सैन्य हस्तक्षेप को जायज ठहरा दिया, जिसे मीडिया ने पैदा किया था जिसके पीछे राज्य और कारपोरेट की सहमति थी।

मीडिया के भीतर का अपना अलग संकट है जिसे टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है जिसने मीडिया के स्वरूप और भूमिका में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। तकनीकि की ताकत पर आधारित सोशल और टेलीविजन मीडिया ने प्रिंट मीडिया खासकर अखबार और पत्रिकाओं के सामने कठोर आर्थिक चुनौती प्रस्तुत किया सोशल और टेलीविजन मीडिया की खबर की कीमत कम है। ऐसे में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रिंट मीडिया को भी बाजार का रुख करना पड़ा क्योंकि समाचार पत्रों ,पत्रिकाओं की प्रतियों को बेच कर मिले धन से अखबार या पत्रिका का संचालन संभव नहीं रहा । इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया पर सस्ती कीमत में उपलब्ध खबरों के कारण प्रिंट मीडिया को अपनी प्रतियों की कीमत कम करने का बढ़ता दबाव और अस्तित्व की रक्षा के लिए आर्थिक संसाधनों की तलाश में विज्ञापन की तलाश ने प्रिंट मीडिया एक धंधे में परिवर्तित कर दिया जहां इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया पहले से मौजूद थे। यही समय था जब कॉरपोरेट ने प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया के स्वामित्व में हिस्सेदारी और अधिग्रहण करना आरंभ कर दिया।

Naom Chomsky ने अपनी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में अमेरिकी मीडिया का कुछ गिने–चुने औद्योगिक घरानों के हाथों में नियंत्रण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, अमेरिका की संपूर्ण सोशल मीडिया , फिल्म कंपनी, स्पोर्ट्स चौनल और प्रिंट मीडिया का 24 औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित किए जाने का वितरण प्रस्तुत किया है। कमोबेश यही स्थिति पूरी दुनिया भर में है। मीडिया का मालिकाना हक अधिकतर पूजीपतियो के पास है। ऐसी स्थिति में मीडिया की निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है। ऐसे मे मीडिया उन्हीं खबरों को छपता है जो कॉरपोरेट के हितों के अनुकूल होती है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं टीवी चौनल चुनाव के दौरान कुछ अपवादों को छोड़ दिया जय तो अधिकतर राजनैतिक दलों के एजेंट के रूप में खबरे निर्मित करने और फैलाने का काम करते है। इस तरह से आभासी और दूषित जनमत का मीडिया द्वारा निर्माण किया जाता है जो लोकतन्त्र के लिए खतरनाक है। S C Woolley and P N Howard अपनी किताब Automation] Algorithm and politics (2016) में कंप्यूटेशनल प्रोपोगेंडा (computational propaganda) शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते है की यह संप्रेषण का वह तरीका है जिसमे Algorithm, automation and fake account का प्रयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा झूठी ,भ्रामक खबरों सूचनाओं संदेशों को फैलाना , खबरों को तोड़ मरोड़कर पेश करना शामिल है, तथा इसमें स्वचालित सॉफ्टवेयर(Automated softwere) का उपयोग किया जाता है जो सूचना ग्रहण करने वाले को मानव की तरह प्रतीत होता है। ।

खबरों की तीव्रता और बड़े पैमाने पर कम समय में लोगों तक पहुंचने और जनमत को प्रभावित करने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म और टेलीविजन चैनल, प्रिंट मीडिया से ज्यादा प्रभावकारी है। ऐसे में यदि भ्रामक और झूठी सूचनाएं सोशल और टेलीविजन मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है तो वह ज्यादा खतरनाक होता है। कम पढ़े लिखे लोगों तक तेजी से बहुत ज्यादा सूचनाएं जब पहुंचते हैं तो ऐसे में उनके लिए इनकी सत्यता की परीक्षा करना कठिन हो जाता है, और झूठी सूचनाओं का खतरनाक असर होता है जिससे एक दूषित जनमत जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है का निर्माण हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए

खतरनाक है। प्रिंट मीडिया में खबरों की सत्यता के परीक्षण के अनेक स्तर होते हैं जिसके कारण प्रिंट मीडिया में झूठी खबरें छापने की संभावना कम होती है। लेकिन प्रिंट मीडिया कारपोरेट और राज्य के प्रभाव में या दल विशेष के प्रभाव में अक्सर ऐसी खबरें छापते हैं जिनका कोई जन सरोकार, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता है।

इस प्रकार सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया राज्य और कारपोरेट के प्रभाव में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को लोक विमर्श के मंच से ही गायब करके लोकतंत्र को अल्पतंत्र में बदलने का प्रयास करता है। David Runciman ने अपनी किताब How Democracy End मे मीडिया के राजनीति में इस्तेमाल के खतरनाक पहलू की तरफ संकेत करते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से झूठी, भ्रामक और मिलावटी खबरों को राजनीतिक खबर के रूप कुछ इस तरह से पेश किया जा सकता है कि चुनाव को अब खरीदा जा सकता है जिसकी एक तय कीमत है।

लोकतंत्र बनाम खुला बाजार और पूंजीवाद–

बढ़ती आर्थिक असमानता और गरीबी और भुखमरी दुनिया भर में आम लोगों तथा अर्थशास्त्रियों के बीच चर्चा का विषय है। तथा अब अनेक अर्थशास्त्री उदारीकरण खुला बाजार और ग्लोबलाइजेशन पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जब खुले बाजार उदारीकरण ,ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया गया तो इस बात का दावा किया गया कि इससे बड़ी तेजी से आर्थिक विकाश होगा तथा गरीबी और असमानता को कम करने में मदद मिलेगी । लेकिन परिस्थितियां आज ठीक इसके विपरीत आ करके खड़ी हो गई हैं जहां गरीबी और असमानता तेजी से बढ़ी है, वहीं जनसंख्या के एक छोटा सा हिस्सा सर्वाधिक संपत्ति का मालिक है। जॉन हापकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर Yascha Mounk अपनी किताब The People VS Democracy मे कहते है कि अनेक अर्थशास्त्री मानते हैं लोकतंत्र ग्लोबलाइजेशन और राज्य एक साथ नहीं चल सकते ।

महान जर्मन दार्शनिक हीगल ने कहा था पदार्थ के भीतर अंतर्विरोध मौजूद होता है । एक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र में भी अंतर्विरोध मौजूद होता है। लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरे और चुनौतियों के बीज लोकतंत्र के भीतर ही मौजूद थे । बढ़ती गरीबी और असमानता ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है जिससे आम जनमानस में लोकतंत्र के प्रति भरोसा कमजोर होने लगता है। ऐसी स्थिति में पापुलिस्ट सरकारों के उदय के लिए उर्वर जमीन तैयार होने लगती है। असमानता की बढ़ती खाई समाज को दो विरोधी समूहों में बांट देती है। और इस परिस्थिति का फायदा उठाकर पॉपुलिस्ट लोग एक समूह को खासकर वंचित और गरीब तबके को समाज के संभ्रांत तबके तथा उदारवादी लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ मौजूद व्यवस्था अर्थात् मौजूद उदारवादी लोकतंत्र और इससे जुड़े संभ्रांत लोग और सत्ता में मौजूद लोग हैं। ऐसे नेताओं को पापुलिस्ट कहा जाता है क्योंकि आम लोगों में पॉपुलर होने लगते है। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स के प्रोफेसर Andrew Gamble अपने एक लेख ग्लोबलाइजेशन एंड द न्यू पापुलिज्म में कहते हैं कि पापुलिस्ट वे नेता होते हैं जो मौजूदा व्यवस्था का विरोध करते हैं तथा आम लोगों को अमीरों के खिलाफ खड़ा करते हैं । तथा उनकी सारी समस्याओं को अमीरों और व्यवस्था पर थोप देते हैं, और अपने समर्थकों की आशा के विपरीत सत्ता में आने के बाद पॉपुलिस्ट लीडर व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने लगते हैं और वे खुद अमीरों के साथ खड़े हो जाते हैं,।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया भर में अनेक देशों में तानाशाही खत्म हो गई तथा कम्युनिस्ट विचारधारा वाले तथा सत्ता में मौजूद कम्युनिस्ट सत्ताधारी भी सत्ता से बाहर हो गए। तथा अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियों और डेमोक्रेसी की सफलता यह थी कि लगभग 1980 तक दुनिया भर में एक बड़ा middle–class अर्थात मध्य वर्ग निकल कर सामने आया। बड़ी संख्या में गरीबी कम हुई और आर्थिक असमानता में भी कमी आई। लेकिन समय

के साथ बदलाव आया और 1980 के बाद आर्थिक उदारीकरण की हवा चलने लगी पूंजीवाद के लिए बाजार चाहिए था। खुले बाजार की नीति अपनाई गई और यह भरोसा दिलाया गया कि इससे तेजी से आर्थिक विकास होगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जाएगा । लेकिन उदारवादी लोकतंत्र और उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति जो मार्केट थ्रैचर और रोनाल्ड रीगन के दौर से शुरू हुई। आज स्थिति यह है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था ने जो वादा किया था कि गरीबी और असमानता कम होगी, वादे के ठीक विपरीत दोनों बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया भर में उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले उदारवादी लोकतंत्र पर आम लोगों का खासकर गरीबों का भरोसा उठ रहा है। पापुलिज्म का उदय हो रहा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीत जाना, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन का चुनाव जीतना और यूरोपियन यूनियन से अलग होना, हंगरी में विक्टर ओरबान का उदय होना तथा टर्की में एर्दोगान का उदय होना, फिलीपींस में रॉड्रिगो ड्यूटेरे का जीत जाना, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, तथा में फ्रांस में चुनाव हार जाने के बावजूद मेरी ला पेन का लोकप्रिय होना इस बात के स्पष्ट संकेत है कि उदारवादी लोकतंत्र अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया है खास करके जो उसने आर्थिक नीति अपनाई उसकी घोर आलोचना तो हो ही रही है साथ–साथ खुद उदारवादी लोकतंत्र पर भी हमले हो रहे हैं। पॉपुलिज्म मजबूती से उभर रहा है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे गम्भीर और चुनौतीपूर्ण समय है।

Patrick Diamond अपनी किताब The crisis of globalisation: democracy capitalism and inequality in the 21st century मैं कहते हैं कि वित्तीय व्यवस्था और ग्लोबलाइजेशन पूंजी की गतिशीलता और प्रवाह में आने वाली सारी बाधाओं को खत्म कर दिया , राज्य द्वारा कर लगाने की विधि वैधानिकता का क्षरण हुआ और फल स्वरुप बड़ी संख्या में टैक्स हैवन पैदा हो गए जैसे पनामा और पैराडाइज पेपर सामने आए जिसने सामाजिक समझौते को तोड़ दिया। खुले बाजार और आर्थिक उदारीकरण की नीति ने कारपोरेट के लिए कर चोरी के नए–नए रास्ते खोल दिए। बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने अपना पैसा देश से बाहर रखना शुरू कर दिया लेकिन साथ–साथ चुनाव में सत्ताधारी दलों को अधिकतर चंदा भी देते हैं जो निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और अंततः लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। पूंजीवाद को लगातार मुनाफा कमाने के लिए बड़ा से बड़ा बाजार चाहिए ऐसी स्थिति में खुला बाजार दरअसल पूंजीवाद की जरूरत थी। आर्थिक विकास के नाम पर, मदद के नाम पर, पूंजीवाद और कारपोरेट हितों से प्रभावित वैश्विक वित्तीय संस्थाओं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अधिकतर मौकों पर वित्तीय कार्य मदद के बदले बाजार खोलने की शर्त रखते हैं । बाजार खुलते ही अंतरराष्ट्रीय कारपोरेशन उस देश के स्थानीय बाजार मे प्रवेश करते हैं। लेकिन किसी देश के बाजार पर कब्जा करने के लिए उस देश की राजनीति पर भी कब्जा करना जरूरी हो जाता है और ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय कारपोरेशन किसी भी देश की राजनीति पर कब्जा करने के लिए उस देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने लगते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और चुनावी चंदा का इस्तेमाल होता है। इराक सीरिया और लीबिया में अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैनिक हस्तक्षेप के लिए दुनियाभर को जो वजह बताया वह तानाशाही का खात्मा, विनाशक हथियारों का खात्मा तथा लोगों की रक्षा करना था। लेकिन सैनिक हस्तक्षेप के पीछे मुख्य वजह इन देशों में खनिज तेल के संसाधन थे जिन पर अंतरराष्ट्रीय कारपोरेशन कब्जा करना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर इराक में हस्तक्षेप के बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के बाद इराक के तेल के कुंओं की नीलामी कर दी गई तथा अधिकतर अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों ने जो अमेरिका या ब्रिटेन या यूरोप की थी उन्होंने उन तेल कंपनियों को खरीद लिया ।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि टेक्नोलॉजी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया है लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी घृणा और भ्रामक खबरें फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर करती है।

लोकतंत्र असमानता और शिक्षा लोकतंत्र एक समझौता है और समाज में बढ़ती असमानता लोगों को विभिन्न समूहों में कुछ इस तरह से बांट देती है कि लोग एक एक दूसरे को घृणा और शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं लोग आपस में अंतर क्रियाएं कम करते हैं। "अत्यधिक असमानता सामाजिक संबंधों को तोड़ देती है समाज में हिंसा बढ़ती है लोगों के बीच भरोसा कम होता है सामुदायिक जीवन कमजोर हो जाता है । किसी भी समाज में बढ़ती असमानता उस समाज के सदस्यों के बीच हम की भावना को बहुत कमजोर कर देती है लोग हर कीमत पर दूसरे समूह का विरोध करते हैं और उसको अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा सभी लोगों के लिए मुद्दा या परेशानी नहीं होता। बल्कि उसको लेकर के लोगों की राय इतनी ज्यादा बटी होती है कि कोई भी सार्वजानिक मुद्दा कभी भी चुनावी मुद्दा या राजनीतिक विमर्श का प्रश्न नहीं बनता। जैसे महंगाई और बेरोजगारी दुनिया भर के देशों की आम लोगों की समस्या है भारत इससे अलग नहीं है लेकिन भारत में कभी भी महंगाई और बेरोजगारी निर्णायक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। क्योंकि लोग अलग–अलग हित समूह मे बटे हुए हैं तो मुद्दे को लेकर राय भी बटी हुई है। भारत में बहुसंख्यक आम लोग, गरीब और वंचित लोगों ने तमाम परेशानियों के बावजूद नोटबंदी का समर्थन किया, सत्ताधारी दल की पुनः सत्ता में वापसी हुई । यह घटना राजनीति शास्त्र के पंडितों को हैरान करने वाली घटना थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का पूर्वानुमान था कि सत्ताधारी दल को चुनाव में नोटबंदी के फैसले का नुकसान होगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट, सत्ताधारी दल का नोट बंदी का फैसला उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ ,आम लोगों ने उसका समर्थन किया। वस्तुतः यह राजनीति का नहीं बल्कि समाजशास्त्र का प्रश्न था। नोटबंदी का आम गरीब और वंचित लोगों द्वारा समर्थन समाज में मौजूद अल्प संख्या में अमीर और संभ्रांत तबके के प्रति आम लोगो खास कर सीमांत और वंचित लोगों की विरोध की अभिव्यक्ति थी,। आम लोगों को यह पूर्ण विश्वास था की नोटबंदी में उनका कम जबकि अमीर लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है। यह घटना समाज में विभाजन की गहरी खाई और कमजोर होती हम की भावना तथा टूटते सामाजिक समझौते का प्रतीक है। जहां एक या कुछ समूह हर कीमत पर अपने नुकसान के बावजूद किसी दूसरे समूह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति हैं।

Seymour Martin Lipset viuh fdrkc political man मे कहते है कि अधिकतर विद्वानों का मानना है कि किसी देश की जनसंख्या की शिक्षा का स्तर जीतना ज्यादा होगा लोकतंत्र के जिंदा रहने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी,शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा होगा लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का उतना ही ज्यादा समर्थन करेंगे ,शिक्षा का उच्च स्तर होना लोकतंत्र के लिए मूलभूत शर्त है, यूरोपीय देशों जहा लोकतंत्र मजबूत है वह शिक्षा का स्तर उच्च है ,लैटिन अमेरिका में निम्न है वहां अधिकतर क्षेत्रों में लोकतंत्र कमजोर है या डिक्टेटर है , लेबनान अरब लीग का एक मात्र देश है जहा डेमोक्रेसी है ,लेबनान में शिक्षा का स्तर अरब लीग में सबसे ज्यादा है

निष्कर्ष–

तमाम खामियों के बावजूद लोकतंत्र सबसे बेहतरीन व्यवस्था है और अभी तक ऐसी कोई राजनैतिक व्यवस्था सामने नहीं आई है जो लोकतंत्र से बेहतर हो। किसी भी व्यवस्था के भीतर ही व्यवस्था के विरोध के बीज छुपे होते हैं। ऐसे में लोकतंत्र भी इसका अपवाद नहीं है, लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां और खतरे हैं कहीं ना कहीं वह अल्प मात्रा में लोकतंत्र के भीतर मौजूद थे। लोकतंत्र के विरोध में पापुलिज्म का उभरना लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर मौजूद वह खामी को दर्शाता है, जो गरीबी और असमानता को नियंत्रित नहीं कर पाई। उदारवादी लोकतंत्र द्वारा अपनाई गई उदारवादी नीतियों से पूंजीवादी और संभ्रांत अमीर तबके को फायदा हुआ जबकि बड़ी संख्या में आम जनमानस को आर्थिक विकास का कोई लाभ नहीं मिला। तो ऐसे में उनके लिए लोकतंत्र पर भरोसा करना कठिन था और खास करके उस लोकतंत्र पर जिसने उनको कुछ दिया ही नहीं बल्कि उल्टे उनको गरीबी और असमानता की नदी में फेंक दिया । बढ़ती

असमानता के कारण समाज में विभाजन तीव्र हो गया एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा हो गया। और पापुलिस्ट नेताओं ने इस विभाजन को और गहरा किया जिसमें सोशल मीडिया, तकनीकी, झूठी और भ्रामक खबरों का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर में पापुलिस्ट नेताओं ने आर्थिक विकास से वंचित बहुसंख्यक आम लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान का वादा करके सत्ता में आए और सत्ता में आते ही मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया और संभ्रांत तबके के साथ खड़े हो गए है। दुनिया भर में पापुलिस्ट नेताओं ने झूठी और भ्रामक खबरों को राजनीति में इस्तेमाल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया। अधिकतर नेताओं ने सोशल प्रिंट और टेलीविजन मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की है। लेकिन वर्तमान में लोकतन्त्र को वास्तविक खतरा पापुलिज्म या किसी विचारधारा से कम जबकि तकनीकी खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी ,टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया से ज्यादा है क्योंकि टेलीविजन और सोशल मीडिया दूषित और भ्रमित जनमत का निर्माण कर रहे हैं, खबरों को बनाते हैं और खास मकसद से प्रचारित करते हैं। तथा सबसे गंभीर मसला यह है कि सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया खास करके, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को लोक विमर्श के मंच से ही गायब कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, ऐसे में कभी भी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं चुनावी मुद्दा नहीं बनती। तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा को फैलाना चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा हो चुका है। कम शिक्षित या अशिक्षित आम जनमानस प्रोपेगेंडा और भ्रामक खबरों को भी सच मान लेता है। इस प्रकार प्रोपेगेंडा और भ्रामक खबरों पर आधारित जनमत लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। भारत के संदर्भ में यह बात काफी हद तक सही दिखाई देती है लेकिन अमेरिका और यूरोप के देश भी इससे अलग नहीं है डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन के दौरान सोशल और टेलीविजन मीडिया पर काफी मात्रा में प्रोपेगेंडा और भ्रामक खबरों का प्रसारण किया गया। ग्लोबलाइजेशन का फायदा कारपोरेट और अमीर तबके को मिला है, खुले बाजार की नीति से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। खुले बाजार और टेक्नोलॉजी के सम्मिलित प्रयोग से अपने खुद के स्थानीय बाजार में आम लोगों की सौदेबाजी की ताकत कम हुई है, मजदूरी कम हुई है जबकि बड़े कारपोरेशन ने भारी मुनाफा कमाया है, टेक्नोलॉजी ने संभ्रांत और अमीर तबके को ज्यादा फायदा पहुंचाया है जबकि आम लोगों तथा लोकतंत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

Reference-

1. Mounk Yascha (2019). “The people vs democracy” Harvard University press.
2. Runciman David (2018) “How democracy End” profile books Ltd.
3. Howard P N & Woolley S C (2019) , computational propaganda , Oxford University press.
4. Herman S. Edward, Chomasky Noam(1994), “Manufacturing Consent” Vintage book.
5. Diamond Pratik (2019). “The crisis of globalisation: democracy, capitalism and inequality in the twenty first century “ I.B. Taurus.
6. Wilkinson Richard &Pickett Kate (2018) “The Inner level” Penguin Random House UK EPUB
7. Lipset.S.M.(1960). “political man”, Doubleday & Company Inc.
8. Harari Y.N. “Sapiens” , vintage book/penguin Random House

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

ग्रामीण विकास में ग्राम विकास कार्यक्रमों का योगदान

डॉ0 अजय कुमार सोनकर
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़, उ0प्र0

भारत गावों का देश है, 2011 की जनगणना के अनुसार 69 प्रतिशत भारतीय गांवों में ही निवास करते है।[1] राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन है कि ''भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांवों में बसती है।'' इस प्रकार यदि कहा जाए कि ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास सम्भव नहीं है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय है ''गांवों का समग्र विकास करना।'' ग्रामीण विकास को सदैव कृषि विकास से जोड़ा गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं के निर्माण के साथ–साथ मानवीय विकास के विविध पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। बिना बुनियादी सेवा के निर्माण एवं विकास के समग्र ग्रामीण विकास की कल्पना करना निरर्थक है। इन बुनियादी सेवाओं में सड़क, परिवहन, दूरसंचार, पारम्परिक ऊर्जा का विकास, स्वच्छ जल आपूर्ति, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, आधुनिक सिंचाई सुविधा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की पहुंच, ठोस कचरा प्रबन्धन जैसी सुविधाएं शामिल है।[2]

भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने और लागू करवाने वाला शीर्ष निकाय है। जिस देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी मिट्टी से जुड़ी हो, उस देश का विकास निश्चित रूप से मिट्टी से जुड़ कर ही होगा। ग्रामीण भारत में कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां आजीविका का प्रमुख साधन है। भारत सरकार के इस दिशा में किए जा रहे किसान हितकारी प्रयास अत्यंत सराहनीय है। हाल ही में सरकार ने खेती से जुड़ी अनेक कृषि विकास योजनाओं की घोषण की है जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण कार्ड, पशुपालन और मछली पालन, बूंद–बूंद सिंचाई के महत्व, नीम कोटेड यूरिया आदि।[3]

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका अर्थ लोग अपने–अपने ढंग से लगाते है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना, ग्रामीण विकास है। इसके अंतर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि बाते सम्मिलित है।

गोयल ने 'ग्रामीण' शब्द को स्पष्ट करते हुए इसकी तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है–

1. प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता।
2. सीमित आकार और
3. सदस्यों के बीच घनिष्ट और प्राथमिक सम्बन्ध।[4]

ग्रामीण विकास शब्द का अर्थ किसी अल्प संकीर्ण आर्थिक वृद्धि की स्थिति से नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि ग्रामीण विकास एक ऐसा आन्दोलन है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र, समाज और देश की सम्पूर्ण व्यवस्था विकास कार्य से जुड़ती है अर्थात् विपुल जनशक्ति का विभिन्न विकास कार्यो में व्यापक उपयोग होता है, जिससे स्वयं जनता अपने भविष्य के निर्माण में सहभागी बनती है। इसके फलस्वरूप ऊँची

उत्पादन दर को प्राप्त करने के साथ–साथ समान आय वितरण व्यवस्था की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामीण विकास को ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास रूप में ग्रहण किया गया है। इस सर्वांगीण विकास में शिक्षा, साक्षरता, कृषि, अर्थव्यवस्था का विकास, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन आदि सम्मिलित है।

भारत में ग्रामीण विकास से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो निर्धन ग्रामीण के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए बनाई गई है। इस तरह ग्रामीण विकास त्रि–दिशायी कार्यक्रम है–

यह एक विधि है जिसके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों को सम्मिलित किया जाता है।

यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम्परागत ग्रामीण संस्कृति को तकनीकी एवं विज्ञान के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है।

यह एक उद्देश्य है जिसके द्वारा जीवन के गुणवत्ता के सुधार किये जाते है।

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता पश्चात देश के गाँवों के विकास के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि तथा गाँवों से शहर में हो रहे पलायन को रोकने, आदि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए प्रारम्भ की गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पूर्णः ग्रामीण विकास पर आधारित है और यदि भारत को विकास की ओर ले जाना है तो सबसे पहले भारत के गाँवों का समग्र विकास करना होगा, भारत के विकास की रीढ़ गाँवों का विकास है। गाँवों के बिना भारत के समग्र आर्थिक सामाजिक विकास की कल्पना अर्थहीन एवं राष्ट्र की प्रगति सिर्फ एक स्वप्न है क्योंकि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के समग्र चिन्तन एवं दर्शन का केन्द्र भी गाँव ही रहे हैं और ग्राम विकास के लिए ही गाँधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। इसी कल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की गयी, जिनका मूल उद्देश्य ग्रामों में निवासरत लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, स्वच्छ पेयजल, बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना व गाँव के वंचित तबकों, महिलाओं को शासन में भागीदार और नेतृत्व का संवैधानिक अवसर प्रदान करना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर गाँवों का तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास करना है। भारतीय संविधान की भी यही मंशा रही है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ की तरक्की के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।

ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण अर्थतंत्र का बहुमुखी विकास है। जिसके लिए विशेष साधनों जो ग्रामीणों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए वांछित है, का उचित प्रावधान आवश्यक है। इसमें न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि अपितु ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास निहित है।[6]

ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्यों में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण है–

1. ग्रामीण क्षेत्र के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
3. ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप तकनीकी ज्ञान का प्रयोग।
4. क्षेत्र के विकास के लिए आरम्भ किये गये अनेक सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों में स्थानीय व्यक्तियों को सम्मिलित करके क्षेत्रीय विकास के लिए प्रयास।

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था के आर्थिक अन्तर में कमी।
6. सभी ग्रामीण व्यक्तियों को एकसमान आर्थिक लाभ देने के लिए समान वितरण प्रणाली पर बल।
7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता।

ग्रामीण विकास के उद्देश्यों में सम्मिलित उपर्युक्त सभी बिन्दु आपस में सम्बन्धित है। ध्यातव्य है कि ग्रामीण विकास की परिधि कृषि विकास की तुलना में अधिक विस्तृत है और कृषि विकास ग्रामीण विकास का एक आंशिक क्षेत्र मात्र है।[7]

सन्दर्भ–सूची–

1. गोडीवाल, राकेश कुमार Dec. 2016,गांवों में बुनियादी ढांचा, कुरूक्षेत्र, वर्ष 63, अंक 2, पेज– 18
2. गोडीवाल, राकेश फरवीर 2014, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, कुरूक्षेत्र, वर्ष 60, अंक 4, पेज– 9
3. सिंघल, विनीता : 'प्रगति पथ पर ग्रामीण भारत' कुरूक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 8, जून 2018, पेज– 05
4. गोयल, सुनील, 1998, रूरल सॉयकोलाजी, आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर, पेज– 21–22
5. पाण्डेय, प्रेम नारायण 2000, ''ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली, पेज– 175–197
6. सिंह, दीनानाथ एवं सिंह, कृष्ण कुमार 1985, ग्राम्य क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन, रूरल इन्टिग्रेशन, अंक 4, सं0 7–8, पेज– 1–16
7. रशीद, अब्दुल 1992, ग्रामीण विकास क्या है?', कुरूक्षेत्र, वर्ष 37, अंक 5, पेज–1

JSECR, Vol. 8, No. 17, July-December, 2022 ISSN : 2394-2878
Peer Reviewed Journal, Impact Factor: 7 (IIFS)

इण्टरनेट के प्रयोग से युवाओं में विचलनकारी व्यवहारों एवं अपराध (साइबर अपराध) के नए स्वरूप का समाजशास्त्रीय अध्ययन

ज्ञान प्रकाश सरकार
शोध छात्र – समाजशास्त्र,
किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच उ0प्र0
प्रोफेसर सूर्यभान रावत
समाजशास्त्र विभाग
किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच उ0प्र0

सारांश–
आधुनिक समाज में इंटरनेट के व्यापक उपयोग की अपनी विशेषता है। आज सभी आयु वर्ग के लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है जो एक ओर उन्हें सूचना तक आसानी से पहुंच प्रदान कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें समाज के सामाजिक ताने–बाने को प्रभावित करने वाली साइबर आपराधिक गतिविधियों तक आसान पहुंच प्रदान कर रहा है। अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है और अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से कुछ मुद्दों जैसे– युवाओं में विचलनकारीप्रवृत्तियों का जन्म होना, गोपनीयता को नष्ट करना, डेटा चोरी, हैकिंग, अलगाव, बच्चों को ऑनलाइन शिकारियों के सामने लाना और एक जोखिम संस्कृति जहां एक छोटी सी टाइपिंग त्रुटि भी ऑनलाइन शिकार का कारण बन सकती है। आज, युवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जो वर्तमान समाज में न केवल सामाजिक संबंधों के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे जुड़े जोखिमों को भी उजागर कर रहा है। शोध पत्र बहराइच जिले के युवाओं के समायोजन और इंटरनेट के कारण युवाओं में विचलनकारीव्यवहार,अपराध के नए स्वरूप (साइबर अपराध) की जाँच करता है।

मुख्य शब्दः–विचलनकार प्रवृत्तियाँ, जोखिम, सामाजिक पैटर्न, साइबर अपराध, हैकिंग, गोपनीयता, नेटवर्किंग साइट्स आदि।

प्रस्तावना–

युवावस्था को बचपन की निर्भरता से वयस्कता की स्वतंत्रता में संक्रमण की अवधि के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है।इसलिए एक श्रेणी के रूप में युवा अन्य निश्चित आयु समूहों की तुलना में अधिक तरल होते है।फिर भी इस समूह को परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका है, विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार के संबंध में। क्योंकि युवाओं को अक्सर अनिवार्य शिक्षा छोड़ने और अपनी पहली नौकरी खोजने की उम्र के बीच के व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इंटरनेट आज की श्रेष्ठतम प्रौद्योगियों में से एक है, कोविड–19 महामारी में इंटरनेट का प्रभाव बहुत अधिक देखा जा सकता है। लेकिन विंडबना यह है कि जैसे–जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम एवं गतिशील बना रहा है वैसे–वैसे इससे जुड़े खतरों की आशंका भी बढ़ती जा रही है, तथा अनेक युवाओं के द्वारा वर्तमान समय में इंटरनेट का गलत दिशा में प्रयोग किया जा रहा है जिससे अनेकों विचलनकारीप्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से होने वाले आपराधिक कृत्यों को साइबर क्राइम या साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। आज के इंटरनेट युग में, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, दूरसंचार और अन्य

प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास ने साइबर अपराध के रूप में जाने जाने वाले अपराधों के नए रूपों का विकास किया है। साइबर अपराधों की वस्तुतः कोई सीमा नहीं होती और यह दुनिया के किसी भी देश को प्रभावित कर सकता है। वस्तुतः साइबर क्राइम को कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को प्रभावित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर और दूरसंचार प्रौद्योगिकी की मदद से कोई भी अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दुनिया भर में साइबर अपराधों के कारण होने वाले नुकसान की सीमा जबरदस्त है। इसके द्वारा व्यक्ति, संस्थान या संगठन की अनुमति बिना उन्हे काफी नुकसान पहुँचाया जाता है। अतः बिना पूर्व अनुमति के संसाधन और संचरण से संबंधित कोई भी गैर कानूनी अनैतिक व अनाधिकृत कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। आज इंटरनेट के दुरूपयोग के कारण ही साइबर बुलिंग,ऑनलाइन डेटा चोरी, साइबर क्राइम, हैकिंग, वायरस या स्पाईवेयर फैलाना, ई–मेल स्पूफिंग और फ्रॉड, पोनोग्राफी, चाइल्ड पोनोग्राफी, बच्चों एवं महिलाओं को तंग करना आदि घटनाएँ आज दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हालाँकि सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं और आईटी एक्ट में संशोधन करके सख्त धाराएं भी लागू की गयी है ताकि इंटरनेट के होने वाले दुरूपयोग को कम किया जा सके।

वर्तमान आधुनिक युग में इंटरनेट की दुनिया विश्व भर में युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। साइबर क्राइम दिन–प्रतिदिन की जिंदगी में तेजी पकड़ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी इसका शिकार हो रही है। युवा और कम उम्र के लड़के ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सामग्री देख रहे हैं जिसका युवाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, आगे चलकर यह युवाओं में अवसाद का कारण भी बनता है और उनके शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के लिए भी चिंता का कारण बनता है, और ऐसे युवाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

साइबर अपराध – साइबर अपराध एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क अपराध का स्रोत, लक्ष्य या उपकरण या स्थान होता है। कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार साइबर अपराध कंप्यूटर के उपयोग या कंप्यूटर से संबंधित अपराध हैं, खासकर इंटरनेट के माध्यम से। ऐसे अपराध जिनमें सूचना का उपयोग या अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग शामिल जो साइबर अपराध के दायरे में आते हैं। साइबर अपराध जिसे कंप्यूटर अपराध के रूप में भी जाना जाता ह।अवैध उद्देश्यों के लिए एक उपकरण का उपयोग होता है, जैसे कि धोखाधड़ी करना, बाल पोर्नोग्राफ़ी में तस्करी,और बौद्धिक संपदा, गोपनीयता का उल्लंघन। साइबर अपराध अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साइबर अपराध लगभग किसी के खिलाफ, कहीं भी किए जा सकते हैं। इससे न केवल अक्सर अपराध करने वालों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि अगर वे पाए भी जाते हैं तो यह सवाल उठता है कि अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। साइबर अपराध के मामले में भारत अन्य देशों से पीछे नहीं है जहां घटनाओं की दर दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है।साइबर अपराधों में ऐसी आपराधिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो प्रकृति में पारंपरिक हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शरारत, ये सभी भारतीय दंड संहिता के अधीन हैं। इसलिए इसका कारण यह है कि साइबर अपराध कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और आभासी वास्तविकता से संबंधित अपराध हैं।

अधिकांश साइबर अपराधों में हिंसा शामिल नहीं है, बल्कि व्यक्ति के लालच, अभिमान, या पीड़ितों की कुछ चरित्र की कमजोरियों पर खेल होता है। अपराधी की पहचान करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके द्वारा बिछाया गया धोखे का एक शातिर जाल तो होता ही है अपराधी अपने शातिर दिमाग से दुनिया के किसी भी हिस्से में घटना को अंजाम दे सकता है। साइबर अपराध को एक महत्वपूर्ण नई घटना के रूप में समझने के लिए, संभावित रूप से नए परिणामों के साथ, इसे व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक

पुनर्गठन के एक घटक पहलू के रूप में पहचानना आवश्यक है जो वर्तमान में दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रहा है। यह नई तकनीक न केवल एक अंतरराष्ट्रीय सूचना बाजार के लाभदायक विकास के अवसर प्रदान करती है बल्कि इसका फायदा उठाने के लिए नई आपराधिक गतिविधियों का दायरा भी बढ़ा है।

साइबर अपराध की शुरूआत अमेरिका से हुई, इसलिए वहाँ सबसे पहले सन् 1984में साइबर कानून बना। भारत में इसकी शुरूआत सन् 2000 में हुई। भारत में सर्वप्रथम 9जून 2000को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ परन्तु वह कानून अप्रभावी रहा। अतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसका संशोधित रूप सन् 2008में लागू हुआ। इसके बाद 12अक्टूबर 2010को भारतीय संचार उपग्रह इनसैट–4बी में स्टैग्सनेट (Stuxnet)नामक वायरस सामने आया जिसे चीन ने भेजा था, तत्पश्चात देश में 2013में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति–2013जारी की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी का गठन किया गया तथा साइबर अपराध से निपटने हेतु कानूनी ढाँचा तैयार किया गया।

साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं जैसे– स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना, ऑनलाइन डेटा चोरी, साइबर क्राइम, हैकिंग, वायरस या स्पाईवेयर फैलाना, ई–मेल स्पूफिंग और फ्रॉड, पोनोग्राफी, चाइल्ड पोनोग्राफी, बच्चों एवं महिलाओं को तंग करना,डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी,ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का उपयोग कर धोखाधड़ी,अज्ञात/असत्यापित मोबाइल ऐप्स के उपयोग के कारण धोखाधड़ी आदि। इन्हे विस्तार से हम इस प्रकार समझ सकते हैं–

स्पैम ईमेल– फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पर अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं जिसमें से कुछ ईमेल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं इस प्रकार के ईमेल को स्पैम ईमेल कहते हैं।

हैकिंग– यदि कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर डिवाइस, या नेटवर्क सिस्टम में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करता है और डेटा से छेड़छाड़ करता है तो ये घटना हैकिंग के अंतर्गत आती है।

साइबर फिशिंग– इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्थान की निजी जानकारी को जानने के लिए उसे स्पैम ईमेल भेजा जाता है ताकि उस व्यक्ति या संस्थान से निजी जानकारी प्राप्त हो सके या उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके।

जानकारी या डेटा चोरी– बिना अनुमति के किसी व्यक्ति, संगठन या संस्थान के सिस्टम से गोपनीय डेटा प्राप्त करना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है।

कॉपीराइट– वह कानूनी एकाधिकार जो किसी कृति या गीत आदि के रचयिता को अपनी रचना के प्रकाशन, प्रसार या प्रतिलिपि तैयार करने के लिए प्राप्त होता है; स्वत्वाधिकार; प्रकाशनाधिकार; छापने या प्रकाशित करने का अधिकार; स्वामित्व।

वायरस, स्पाईवेयर फैलाना– आज के प्रौद्योगिकी युग में वायरस बनाने वाले अपराधियों की तो पूरी इंडस्ट्री ही है। डाउनलोड, वाई–फाई कनेक्शनों और असुरक्षित फ्लैश ड्राइव आदि के जरिए भी वायरस फैल जाते हैं।

पहचान की चोरी– किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन की अनुमति के बिना उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर या सिगनेचर आदि का इस्तेमाल करके धन का गबन करना या कोई भी अवैध कार्य करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है।

ई–मेल स्पूफिंग और फ्रॉड– आज के ऑनलाइन युग में लॉटरी लगने, बिजनेस पार्टनर बनाने आदि के अनेक ईमेल इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में आते हैं ये मेल फर्जी ई–मेल के जरिए भेजे जाते हैं। गलत मकसद से किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन को फर्जी ईमेल भेजना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है।

पोर्नोग्राफी– आज के इंटरनेट के युग में अश्लीलता का व्यापार भी तेज गति से फल–फूल रहा है। किसी भी व्यक्ति का अश्लील वीडियो तैयार करना तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वायरल या दूसरों तक भेजना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी– बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करना भी भारतीय कानून के अंतर्गत क्राइम है। जिसके लिए सजा या फिर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।

बच्चों और महिलाओं को तंग करना– आज के इंटरनेट युग में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, मैसेज, ई–मेल या ह्वाटसेप के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के परेशान करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस तरह किसी भी व्यक्ति को परेशान करना साइबर अपराध के अंतर्गत आता है।

डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी–COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, भुगतान के डिजिटल तरीकों में बहुत अधिक आकर्षण देखा गया है। ग्राहकों को डिजिटल भुगतान से लाभ होता है क्योंकि वे वित्तीय लेनदेन को आसान बनाते हैं। हालांकि, इसने कई जालसाजों को डिजिटलभुगतान का उपयोग करने और ग्राहकों को विभिन्न तरीकों से ठगने के लिए आमंत्रित किया। बैंकिंग ग्राहकों को डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी से अवगत कराने के लिएऔर वित्तीय लेनदेन करने से पहले ग्राहकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पुस्तिका जारी की है जो ऐसे घोटालेबाजों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालती है।

ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का उपयोग कर धोखाधड़ी –हाल ही के दिनो में यह घटना बहुत ही अधिक पाया गया है कि ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर, ठग खरीदार के रूप में दिखावा करते हैं और विक्रेता के उत्पाद में रुचि व्यक्त करते हैं।विक्रेता को भुगतान करने के बजाय, वे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ऐप के "धन का अनुरोध करें" विकल्प का उपयोग करते हैं और मांग करते हैं कि विक्रेता यूपीआई पिन दर्ज करके अनुरोध को अधिकृत करे।जब भी विक्रेता पिन डालता है तो जालसाज के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।कई धोखेबाज विश्वास हासिल करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात रक्षा कर्मियों के रूप में पेश आते हैं।

अज्ञात/असत्यापित मोबाइल ऐप्स के उपयोग के कारण धोखाधड़ी –आरबीआई के अनुसार, जालसाज एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर आदि के माध्यम से कुछ ऐप लिंक प्रसारित करते हैं, जो अधिकृत संस्थाओं के मौजूदा ऐप के समान दिखाई देते हैं। जालसाज ग्राहक को ऐसे लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगलाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि पर अज्ञात/असत्यापित ऐप डाउनलोड हो जाते हैं।एक बार दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद, जालसाज ग्राहक के डिवाइस तक पूरी पहुंच प्राप्त कर लेता है। इनमें डिवाइस पर संग्रहीत गोपनीय विवरण और ऐसे ऐप्स की स्थापना से पहले/बाद में प्राप्त संदेश/ओटीपी शामिल हैं।

साहित्य की समीक्षा –

साहित्य समीक्षा का उद्देश्य वर्तमान ज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करना है जिसमें मूल निष्कर्षों के साथ–साथ किसी विशेष विषय में सैद्धांतिक और पद्धतिगत योगदान शामिल हैं। साहित्य समीक्षा द्वितीयक स्रोत हैं, और इसलिए, किसी भी नए या मूल प्रयोगात्मक कार्य की रिपोर्ट नहीं करते हैं।इंटरनेट के कारण युवाओं में विचलनकारीव्यवहार, अपराध के नए स्वरूप (साइबर अपराध) पर साहित्य की समीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि इस क्षेत्र में पहले से क्या किया गया है, इस नए तकनीकी अपराध के बारे में किस प्रकार की सैद्धांतिक व्याख्याएं दी गई हैं, जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है, इसके होने के पीछे क्या कारण रहे हैं और इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सबके अलावा, यह पता लगाना

भी सार्थक है कि इससे निपटने के लिए कौन से कानून और कानून मौजूद हैं और इसके लिए भविष्य में क्या करने की जरूरत है।

दुर्खीमः– दुर्खीम ने अपराध को समाज के अपरिहार्य पहलू के रूप में देखा, जिसमें लोगों के बीच धन का असमान वितरण और अन्य अंतर थे। औद्योगीकरण के साथ श्रम का एक व्यापक और अधिक गहन विभाजन आया क्योंकि कारखाने के काम को कम कौशल की आवश्यकता वाले छोटे दोहराव वाले कार्यों में विभाजित किया गया। दुर्खीम द्वारा चर्चा की गई कि सामाजिक संबंधों के पुराने पैटर्न में आमूल–चूल परिवर्तन ही श्रम के एक विस्तारित विभाजन का परिणाम है। उन्होंने इसे यांत्रिकएकजुटता के अचिंतन, अभ्यस्त रूपों से दूर एक जैविक एकजुटता की ओर एक बदलाव के रूप में वर्णित किया, जो अन्योन्याश्रितताओं में निहित है। यह वास्तव में एक अधिक ठोस और व्यवस्थित प्रकार की मानव अन्योन्याश्रयता थी जो भौगोलिक रूप से विविध समुदायों (साइबरस्पेस) और समाजों में लोगों की गतिविधियों को एक साथ जोड़ने में सक्षम थी। साइबर अपराध इस वैश्विक अन्योन्याश्रयता का परिणाम है। दुनिया के कोने–कोने में बैठकर साइबर अपराध किसी भी भौतिक या कानूनी बाधाओं के बिना किसी भी अन्य हिस्से में किया जा सकता है जिसने साइबर आतंकवाद को जन्म दिया है।

मैक्स वेबरः– वेबर ने निराशावादी रूप से तर्कसंगतता और नौकरशाही को एक लोहे के पिंजरे के बारे में लिखा कि यह हम सभी को कैद कर देगा। यही बात उन अपराधों पर भी लागू की जा सकती है जो उत्तर–आधुनिक युग में सामने आए हैं। तर्कसंगतता के कारण अधिक तकनीकी अपराध हुए हैं। नौकरशाही की ओर एक कदम (एक प्रक्रिया जिसे रिट्जर (2002) ने मैकडॉनलाइज़ेशन कहा है, जिससे फास्ट–फूड उद्योग के सिद्धांत–दक्षता, गणना, पूर्वानुमेयता और नियंत्रण–सामाजिक जीवन के सभी रूपों पर तेजी से लागू हो जाते हैं)। जैसा कि हम सामाजिक जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। नए अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार अपने साथ अपराध के नए पैटर्न–साइबर अपराधों से लेकर मोबाइल फोन की चोरी तक लाता है। साइबर अपराधियों के पास तर्कसंगत दिमाग होता है क्योंकि उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन इसका उपयोग सामाजिक उत्थान के लिए करने के बजाय वे अपने पीछे अलग–अलग उद्देश्यों के साथ ऐसे कृत्यों में शामिल होते हैं। वेबर की आदर्श प्रकार की अवधारणा साइबरस्पेस द्वारा बनाए गए आभासी वातावरण पर काफी लागू होती है। जहाँ तक वेबर का प्रश्न है, आदर्श प्रकारों को स्वप्नलोक या कल्पना माना जाता है और दूसरी ओर उन्होंने बताया कि आदर्श प्रकार वास्तविकता से ही लिए गए थे।

कार्ल मार्क्सः–प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के बारे में अकादमिक प्रवचनों में सबसेउल्लेखनीय कार्ल मार्क्स (1961) द्वारा औद्योगिक समाजशास्त्र के संस्करणों में व्यक्त की गई लंबे समय से चली आ रही चिंताएं थीं। उनके अनुसार, प्रौद्योगिकी के कार्य को मुख्य रूप से पूंजी की शक्ति को युक्तिसंगत बनाने के साधन के रूप में माना जाता था। मार्क्स के विचारों के अनुसार, अकेले नियंत्रण की तकनीकों का उपयोग प्रक्रिया में अविश्वास पैदा करता है। ऐसा करने से यह विश्वास संबंधों के टूटने की ओर जाता है क्योंकि वे आश्वस्त करने में विफल होते हैं। इससे निपटने के लिए विश्वास के नए रूपों के लिए नई मांगें पैदा करना और फिर उन्हें संस्थागत बनाना आवश्यक है। वास्तव में ऐसा लगता है कि नियंत्रण की प्रौद्योगिकियां अक्सर उन समस्याओं को बहुत खराब कर सकती हैं जिन्हें हल करने के लिए उन्हें डिजाइन किया गया था।

मर्टन :– मर्टन ने विसंगति की एक ऐसी स्थिति के रूप में जांच की जो तब होती है जब सामाजिक लक्ष्यों और उनकी उपलब्धि के लिए उपलब्ध साधनों के बीच विसंगतियां मौजूद होती हैं। आकांक्षाओं और उपलब्धि के बीच इस विसंगति या तनाव के परिणामस्वरूप मर्टन की अवधारणा को तनाव सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया गया है। वास्तव में सफलता प्राप्त करने के अवसर या साधन सभी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

इसका परिणाम लक्ष्यों और साधनों (तनाव) के बीच विसंगति है जो साधनों और लक्ष्यों को स्वीकार या अस्वीकार करने में व्यवहार के विभिन्न संयोजन पैदा करता है। इस दृष्टिकोण का एक आवश्यक आधार यह है कि समाज में संगठन और अव्यवस्था परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जिनमें वांछित परिणाम हैं।

गिडेन्स :– गिडेन्स ने गिडेन के स्ट्रक्चर थ्योरी के तीन आवश्यक पहलुओं द्वारा आधुनिकता को गतिशीलता दी है– डिस्टैन्सिएशन, डिसबेडिंग और रिफ्लेक्सिविटी। हालांकि, आधुनिकता से जुड़े नए और खतरनाक जोखिम हैं जो हमेशा हमारे भरोसे को खतरे में डालते हैं और असुरक्षा की ओर ले जाते हैं। उदाहरण– कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग से होने वाले अपराध का जोखिम वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था से उपजा है। लोग इन खतरों से वाकिफ नहीं हैं। ये जोखिम ही हैं जो आधुनिकता को एक भगोड़े बाजीगर की भावना देते हैं और हमें असुरक्षा से भर देते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से अनुपस्थित हैं और हमसे लगातार दूर होते जा रहे हैं, उनके साथ संबंध भी साइबर अपराधों को जन्म देते हैं।

बेक :– बेक समाज के उत्पादन और वितरण के संबंध की बदलती प्रकृति की जांच करते हैं जो पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित है क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के आधार पर एक समग्र, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था सामाजिक संगठन और सामाजिक संघर्ष के लिए अधिक केंद्रीय हो जाती है। बेक नए, या बेहतर अभी तक नए उभरते हुए रूप को रिफ्लेक्टिव आधुनिकता के रूप में लेबल करते हैं। समकालीन दुनिया में औद्योगिक समाज और जोखिम समाज दोनों के तत्व हैं, क्योंकि उनमें से कई जोखिम उद्योग के लिए उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैश्वीकरण भी हुआ है। पश्चिम में वैयक्तिकरण की एक प्रक्रिया हुई है जिससे अपराधों में वृद्धि हुई है। समाज की जटिलता के कारण नए अपराध विशेष रूप से साइबर अपराध सामने आए हैं जो फिर से व्यक्तियों, संगठनों और राज्य के लिए एक जोखिम है।

हॉथोर्न एंड क्लेन :– हॉथोर्न एंड क्लेन एक साइबर संस्कृति बनाने में महिलाओं के बढ़ते उपयोग के बारे में बात करते हैं जो महिलाओं को साइबर बार्बी और साइबर सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाती है। ऑटोर्स ने पोर्नोग्राफी पर भी विस्तार से चर्चा की है जो अपने आप में एक सामाजिक आघात है। पहले सफल ई–कॉमर्स में से एक के रूप में पोर्नोग्राफी उत्पाद इंटरनेट पर सबसे बड़ा अपराध रहा है।

आहूजाः– आहूजा डिफरेंशियल ऑपर्च्युनिटी थ्योरी जैसे विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, स्पेस ट्रांजिशन थ्योरी जो साइबर अपराध के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसकी घटना के साथ अच्छी तरह से फिट होते हैं। साइबर अपराध सफेदपोश होने के साथ–साथ पेशेवर अपराध है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ–साथ कुशल भी हैं। अंतरिक्ष संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट रूप से नए प्रकार के अपराधों की घटना में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आभासी अंतरिक्ष की चर्चा करता है।

क्रॉस एंड शिंदरः– क्रॉस एंड शिंदर का विश्लेषण है कि कानून प्रवर्तन और आईटी सुरक्षा समुदाय अब साइबर अपराध के मामलों की सफलतापूर्वक जांच और मुकदमा चलाने के लिए ज्ञान, कौशल और उपकरण विकसित करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में कंप्यूटर अपराधों को कैसे अंजाम दिया जाता है और बाद में इसकी जांच कैसे की जाती है, इसमें काफी बदलाव आया है। इसके अलावा, आईटी सुरक्षा और कानून प्रवर्तन समुदायों ने बड़े पैमाने पर बढ़े हुए खर्च और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप साइबर अपराध से निपटने की अपनी क्षमता में नाटकीय रूप से सुधार किया है। 2006 के कंप्यूटर सुरक्षा संस्थान और एफबीआई की संयुक्त साइबर अपराध रिपोर्ट के अनुसार 52% कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में कंप्यूटर सिस्टम के अनधिकृत उपयोग की सूचना दी। इनमें से प्रत्येक घटना एक साइबर अपराध है जिसके लिए एक निश्चित स्तर की जांच और उपचार की आवश्यकता होती है।

जेमिसन :– जेमिसन मानते हैं कि उत्तर–आधुनिकतावाद आमतौर पर एक क्रांतिकारी विराम से जुड़ा होता है। वह इस नए रूप को सांस्कृतिक प्रभुत्व के रूप में वर्णित करता है। सतहीपन और गहराई की कमी की उनकी अवधारणाएं साइबर स्पेस के लिए प्रासंगिक हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों का उदय सतहीपन के साथ मेल खाता है क्योंकि इन नेटवर्कों के माध्यम से जुड़े लोगों में बुनियादी कनेक्शन और भावनाओं की कमी होती है जो मानव होने के लिए आवश्यक हैं। तीव्रता तब होती है जब ष्शरीर को नए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्लग किया जाता हैष्। लोग ऑनलाइन सर्फिंग और चौटिंग में इतने डूबे हुए हैं कि वे वास्तविक जीवन के बारे में भूल जाते हैं। इंटरनेट हम आदमी के अतीत को भी खा जाता है। चूंकि उपयोगकर्ताओं के लिए एक–दूसरे के अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगाना असंभव है, इसलिए उन्हें दी गई जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्तर आधुनिक व्यक्तिगत घटनाओं के लिए खंडित हैं।

बॉडरिलार्ड :– बॉडरिलार्ड उत्तर–आधुनिक दुनिया का वर्णन सिमुलेशन द्वारा करते है, हम अनुकरण के युग में रहते हैं। सिमुलेशन की यह प्रक्रिया सिमुलाक्रा या वस्तुओं या घटनाओं का पुनरुत्पादन के निर्माण की ओर ले जाती है। संकेतों और वास्तविकता के बीच अंतर के साथ, वास्तविक और कठिन के बीच का अंतर बताना मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण– सॉफ्टवेयर पाइरेसी में, वास्तविक कार्यक्रमों की अवैध नकल या मूल के लिए उत्पादों का जालसाजी और वितरण अंतिम उपयोगकर्ता की नकल, हार्ड डिस्क लोडिंग और इंटरनेट से अवैध डाउनलोड द्वारा किया जाता है। बॉडरिलार्ड इस दुनिया को अतिवास्तविकता के रूप में वर्णित करता है। उदाहरण–स्पूफिंग, आमतौर पर एक विशेष एक्सेस विशेषाधिकार के साथ जो नेटवर्क पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर की पहचान का दिखावा करने के लिए बनाता है,उसकी चश्मे से असली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

ह्यूवेन एंड बॉटरमैनः– ह्यूवेन एंड बॉटरमैन का मत है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर हमलों से आर्थिक नुकसान हुआ है और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हुआ है। इसके अलावा, दुनिया भर के अपराधी वित्तीय धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, और कॉपीराइट चोरी जैसे पारंपरिक अपराधों को करने के लिए कंप्यूटर का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। निजी क्षेत्र, सरकारों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच हैकर्स, कंप्यूटर वायरस फैलाने वालों, सेवा हमलों से इनकार करने, और अवैध उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम साधन खोजने के लिए आम सहमति की आवश्यकता है।

वॉल :– वॉल इंटरनेट को हाल के समय की सबसे बड़ी संवेदनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। यह हमारी तकनीकी सरलता का प्रतीक बन गया है और मानव जाति को कई तरह के लाभ प्रदान करता है। हालांकि, उन संभावनाओं के रोमांच के साथ–साथ आपराधिक अवसरों के संभावित पैमाने के बारे में सार्वजनिक भय भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए सबूतों का एक समूह स्पष्ट रूप से उभर रहा है कि इंटरनेट की आपराधिक वास्तविकता पूरी तरह से साइबर–सुनामी नहीं है, बल्कि, स्थलीय दुनिया की तरह, अक्सर होने वाले छोटे–प्रभाव वाले अपराधों की एक बड़ी श्रृंखला है। कोई यह तर्क दे सकता है कि क्रिमिनोलॉजिस्ट इन उभरते भय और नए आपराधिक व्यवहारों का पता लगाने में धीमें रहे हैं, और ज्ञान के उपयोगी निकायों को विकसित करने के लिए उनके बारे में बहस में संलग्न हैं जो जनता को प्रबुद्ध कर सकते हैं और सूचित नीति के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं। अपराधियों के बचाव में, हालांकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि सावधानी बरतने और व्यवहार के विश्वसनीय रुझानों के उभरने की प्रतीक्षा करने में समझदारी है।

ज्यूकेसः– ज्यूकेस साइबर अपराध के प्रकारों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। वह ऑनलाइन उत्पीड़न, सामाजिक निर्माण और इंटरनेट अपराध के नीतिगत निहितार्थ, साइबर स्पेस की द्विभाजित प्रकृति, आभासी ब्रह्मांड की अभेद्य गुमनामी और विनियमन और नियंत्रण की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं।

विलियम्सः– विलियम्स ऑनलाइन विनियमन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए साइबर अपराध की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत और अनुभववाद को एकीकृत करते हैं। साइबर विचलन के कारण, अपराध और इसका नियंत्रण, मैथ्यू विलियम्स के अनुसार, इंटरनेट को सामाजिक और सांस्कृतिक (पुनः) उत्पादन की साइट के रूप में लेता है, और साइबर विचलन और अपराध की उत्पत्ति और विनियमन में ऑनलाइन सामाजिक/सांस्कृतिक संरचनाओं के महत्व को स्वीकार करता है। आपराधिक नेटवर्क पर अपराध में शोधकर्ताओं के बीच बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है कि सार्वभौमिक प्रयोज्यता के साथ कोई एकल, प्रभावशाली संगठनात्मक संरचना नहीं है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यह अहसास है कि वे संगठित अपराध के पैटर्न देख रहे हैं जो पारंपरिक पदानुक्रम में फिट नहीं हैं इस संरचना को समझना महत्वपूर्ण है।

फेयरः– फेयर कहते हैं इंटरनेट वाइल्ड वेस्ट का नहीं है, जैसा कि एक बार अमेरिकी पश्चिमी फिल्मों में चित्रित किया गया था। यह सिर्फ एक और सार्वजनिक स्थान है और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन वातावरण में काम करते समय वास्तविक दुनिया की संवेदनशीलता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके बयान के तुरंत बाद आसन्न कयामत का गहरा संकट आ जाता है; ई–कॉमर्स गतिविधियों पर भरोसा करने वाले समुदाय समय के साथ धीरे–धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता या तो ऑनलाइन अपराध का शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका शिकार हुआ हो इसके बाद उन्होंने संक्षेप में साइबर अपराध अपराधियों की रूपरेखा का उल्लेख किया और बताया कि कैसे प्रतिसंस्कृति हैकिंग पूरी तरह से आपराधिक सिंडिकेट के सुव्यवस्थित और पदानुक्रमित समूहों में बदल गई है, जिन्होंने महसूस किया है कि ऑनलाइन आपराधिक गतिविधि द्वारा पर्याप्त पैसा बनाया जाना है।

मैकक्वाडेः– मैकक्वाडे ने कहा, हाल के वर्षों में जहां पारंपरिक प्रकार के अपराध के आंकड़े गिर रहे हैं, वहीं साइबर अपराध का ऐसे माहौल में विस्फोट हुआ है जहां पारंपरिक कानून प्रवर्तन काफी हद तक तैयार नहीं है। वह साइबर अपराध के समाजशास्त्र की चर्चा के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त के साथ शुरू होता है। लेखक विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों और अपराधों की भी समीक्षा करता है। साइबर अपराधियों और दुर्व्यवहार करने वालों के मनोविज्ञान की समीक्षा की जाती है जो सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत विस्तृत वर्गीकरण प्रदान करता है, और डॉन पार्कर के एसकेआरएएम (कौशल, ज्ञान, संसाधन, पहुंच, प्रेरणा) मॉडल के लिए हमलावरों का आकलन डबफनंकम कंप्यूटर दुर्व्यवहार करने वालों के लिए एक प्रोफ़ाइल पर सहमति प्राप्त करने में कठिनाई को नोट करता है, लेकिन समय के साथ हमलों और हमलावरों की बदलती शैली को संबोधित नहीं करता है। उनके द्वारा पोर्नोग्राफी, हैकिंग, बुलिंग, साइबर टेररिज्म पर विस्तार से चर्चा की गई है।

दुग्गलः– दुग्गल भारत में साइबर कानून परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं, वर्तमान साइबर कानून अधिनियमों के उन्नयन के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं, और भारत में साइबर कानून के वास्तविक रिपोर्ट किए गए मामलों के संबंध में इन विकासों को संदर्भित करते हैं। लेखक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, और एक विपुल लेखक और वक्ता हैं। साइबर कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंटरनेट से संबंधित लेनदेन और गतिविधियों के लगभग सभी पहलुओं को छूता है। साइबर कानून सभी को चिंतित करता है।1999 का बिल जिसे 17 अक्टूबर 2000 में आईटी अधिनियम 2000 के रूप में लागू किया गया था। यह ला अनुबंध, दंड संहिता और साक्ष्य के तीन मौजूदा क्षेत्रों को लक्षित करता है, और 1860 के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करता है। आईटी अधिनियम 2000

के कई सकारात्मक पहलू हैं, यह ई–कॉमर्स लेनदेन के लिए कानूनी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को पहचानता है कानूनी संस्थाओं के रूप में, डिजिटल प्रमाणपत्र कंपनियों के लिए व्यावसायिक अवसर खोलता है, ई–सरकारी लेनदेन का मार्ग प्रशस्त करता है, और साइबर अपराध के खिलाफ प्रावधान बनाता है। लेखक साइबर अपराध की पेचीदगियों पर पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक शिक्षा और अभिविन्यास का आह्वान करता है।

रिचर्ड क्लार्कः– रिचर्ड क्लार्क साइबर आतंकवाद पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें साइबर स्पेस से भौतिक आयाम तक पहुंचने की क्षमता है, जिससे विशाल विद्युत जनरेटर खुद के टुकड़े–टुकड़े कर देते हैं, रेलगाड़ियों को पटरी से उतार देते हैं, उच्च–तनाव वाली बिजली–ट्रांसमिशन लाइनों को जलाने के लिए, गैस पाइपलाइन विस्फोट करने के लिए, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए, हथियार खराब होने के लिए, गायब होने के लिए धन और दुश्मन इकाइयों पर हमला करने के लिए सक्षम हैं। साइबर युद्ध के साथ, हमारे पास दुनिया के दूसरी तरफ हमले शुरू करने का एक और साधन है।

घोषः– घोष ने कई विषयों (कंप्यूटर विज्ञान, कानून, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, आदि) के दृष्टिकोण से जटिल साइबर अपराधों की जांच की है और वैज्ञानिक रूप से व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रों पर उनके प्रभाव का समग्र रूप से मूल्यांकन किया है। लेखक ने विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया है कि कैसे कई विषय एक साथ साइबर अपराधों की जटिल, सूक्ष्म और मायावी प्रकृति को सामने लाते हैं, साइबर अपराध हर मानव प्रयास को कैसे प्रभावित करेंगे, व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों के स्तर पर सक्रिय साइबर कानूनों को कैसे लागू किया जाए। कंप्यूटर और नेटवर्किंग की एक बुनियादी समझ पर निर्माण करना, और हर नए साइबर हमले पर प्रतिक्रिया देना बंद करना, कैसे पारंपरिक कानून और पारंपरिक सोच हमें साइबर अपराधों से बचाने में कम आती है।

डॉ पावी रमहोटा :– डॉ पावी रामहोटा का कहना है कि हमारे युवा जिन मुख्य खतरों का सामना कर रहे हैं उनमें से एक पोर्नोग्राफी है।अश्लीलता इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है और इसका प्रभाव युवा लोगों पर पड़ा है, जिसके कारण अविवाहित माताओं, बाल माताओं, बलात्कार और ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कई सेक्स टॉय समाज में प्रवेश कर रहे हैं। युवाओं में तलाक और लिंग आधारित हिंसा की दर बढ़ रही है। दूसरा मुद्दा वेश्यावृत्ति है । कई युवा वेश्यावृत्ति में शामिल हैं, उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी श्रमिकों के साथ यौन संबंध बनाना है। सेक्स वर्कर्स को किसी भी कीमत पर पैसा कमाना पड़ता है। यहां देह व्यापार बहुत सस्ता है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य –

इस शोध का लक्ष्य जनपद बहराइच के किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय पॉलिटेक्निक में अध्ययन करने वाले युवाओं पर इंटरनेट के प्रभाव से उनके व्यवहार में विचलनकारी प्रवृत्तियों, अपराध के नए स्वरूप (साइबर क्राइम) के कारण उनके व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों को संबोधित करना–

•बहराइच जिले में साइबर आपराधिक गतिविधियों की सीमा और परिमाण का पता लगाना।

•साइबर अपराध के सामाजिक–आर्थिक कारणों की पहचान करना।

•पीड़ित और समाज पर साइबर अपराध के प्रभाव का विश्लेषण करना।

•आय के स्तर, आयु, लिंग और इंटरनेट उपयोग की अवधि के साथ–साथ साइबर अपराध को समझने के लिएमहत्वपूर्ण नियम विधान का पता लगा।

• युवा पीढ़ी के सामाजिक जीवन, शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधियों पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के प्रभाव कीपहचान करना।

• आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए साइबर अपराध द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का आकलन करना और साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायोंकीजानकारीकरना।

• यह पता लगाना कि युवा इंटरनेट पर अपनी गोपनीयता और सुरक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं।

• युवाओं में इंटरनेट के उपयोग के कारण विचलनकारीप्रवृत्तियों की पहचान करना।

परिकल्पना–

उपकल्पनाएं शोधार्थी को शोध अध्ययन विषय क्षेत्र से हमेशा जोड़े रहती हैं। वह उपकल्पना के माध्यम से इधर–उधर के भटकाव से बच जाता है। शोध में समस्या का वस्तुनिष्ठ समाधान प्राप्त करने तथा तथ्यों को नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करने में उपकल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच अनुभवमूलक सम्बंधो की भविष्यवाणी है। परिकल्पना अनुसंधान विषय के संबंध में पूर्वकल्पित विचार है जिसका परीक्षण करना अभी बाकी है। जिसे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करने से पहले ही विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनुमान के रूप में कल्पित करता है।प्रस्तावित अध्ययन एक अनुसंधानात्मक कार्य है। अतः परिकल्पना का निर्माण आवश्यकता से परे एवं औपचारिकता भाव है। औपचारिक अभिपूर्ति एवं शोध को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने की दृष्टि से निम्नलिखित परिकल्पनाओं की परख प्रस्तावित है–

1सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने की आवृत्ति और तीव्रता औरविचलन महत्वपूर्ण रूपसे संबंधित हैं ।

2 आय का स्तर और साइबर अपराध महत्वपूर्ण रूप से संबंधित नहीं हैं।

3युवा लड़के महिलाओं की तुलना में साइबर अपराध करने में अधिक शामिल होते हैं।

4 16–32 आयु वर्ग के लोगों में अन्यआयुवर्ग समूह लोगों की तुलना में साइबर अपराध करने की संभावना अधिक होती है।

तथ्य संकलन की प्रविधियाँ :–

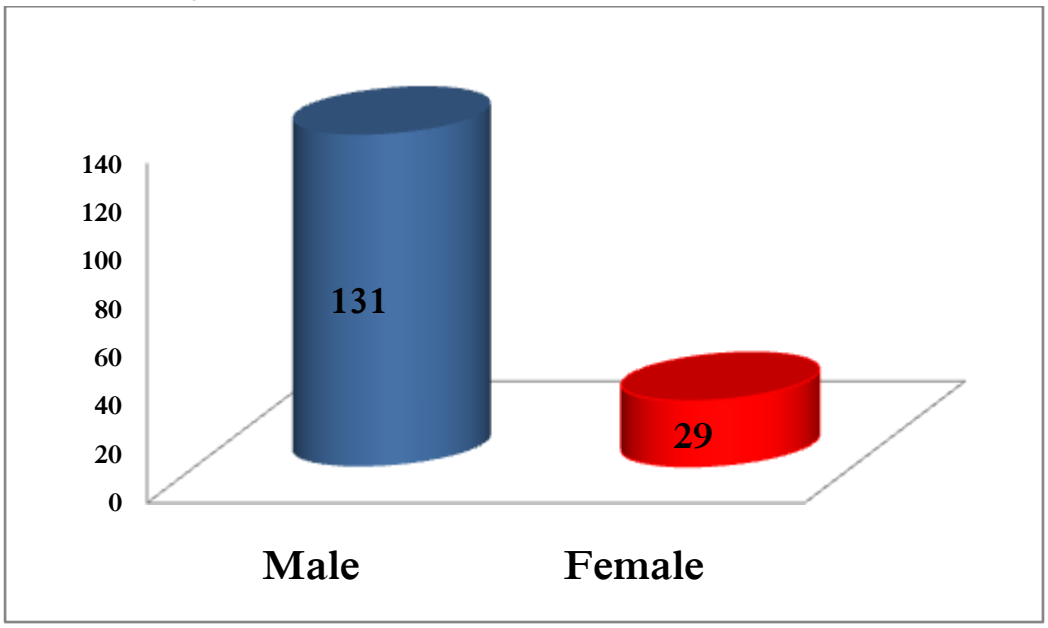
प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिएदो स्रोत हैं :– प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों से प्रश्नावली और साक्षात्कार जैसे दो अलग–अलग उपकरणों को नियोजित करके एकत्र किया गया डेटा है। द्वितीयक स्रोत साहित्य अध्ययन से लिया जाएगा, जैसे समाचार पत्र, शोध पत्र और इंटरनेट। समस्या को एकत्रित करने, सामान्यीकरण करने, प्रमाणित करने और समझने के लिए साहित्य की गहराई और विवरण का अध्ययन किया गया है। हमने अपने अध्ययन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों के संयोजन का उपयोग किया है। जनपद बहराइच के किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय पॉलिटेक्निक में अध्ययन करने वाले युवाओं में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का चयन करने के लिए सुविधाजनक प्रतिदर्श तकनीक का उपयोग किया गया हैं। अध्ययन के लिए चुने गए कुल 160 प्रतिदर्श हैं। डेटा उनके जनसांख्यिकीय चर जैसे लिंग, आयु समूह आदि के आधार पर एकत्र किया गया हैं। इस अध्ययन के लिए, 16–32 आयु वर्ग समूहों और दो लिंगों के बीच 160 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का साक्षात्कार लियागया हैं। इसलिए सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए दैव निदर्शन प्रविधि और उपयोगकर्ता जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग किया गया। गुणात्मक डेटा के हमारे मुख्य स्रोत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ संरचित और क्लोज–एंडेड इंटरव्यू शेड्यूल से है । अध्ययन मई 2022 से नवम्बर 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। डेटा का विश्लेषण सरल सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके किया गया है।

विश्लेषण और परिणामः–

अध्ययन का यह खंड इसके आनुभविक परिणामों पर चर्चा करता है तथा निम्न तालिकाओं के आधार पर परिकल्पना की जांच करता है।

तालिका 1

तालिका जनपद बहराइच केकिसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय पॉलिटेक्निक में अध्ययन करने वाले युवाओं के लिंग आधारित उत्तरदाताओं की संख्या को दर्शाती है।



उपरोक्त तलिकालिंग के आधार पर16–32 आयु वर्गके उत्तरदाताओं के विभाजन को दर्शाता है और यह आंकड़े से स्पष्ट हैकि प्रतिदर्ष में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है।

तालिका2

16–32आयु समूह और संकाय वार के अनुसार उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तर –

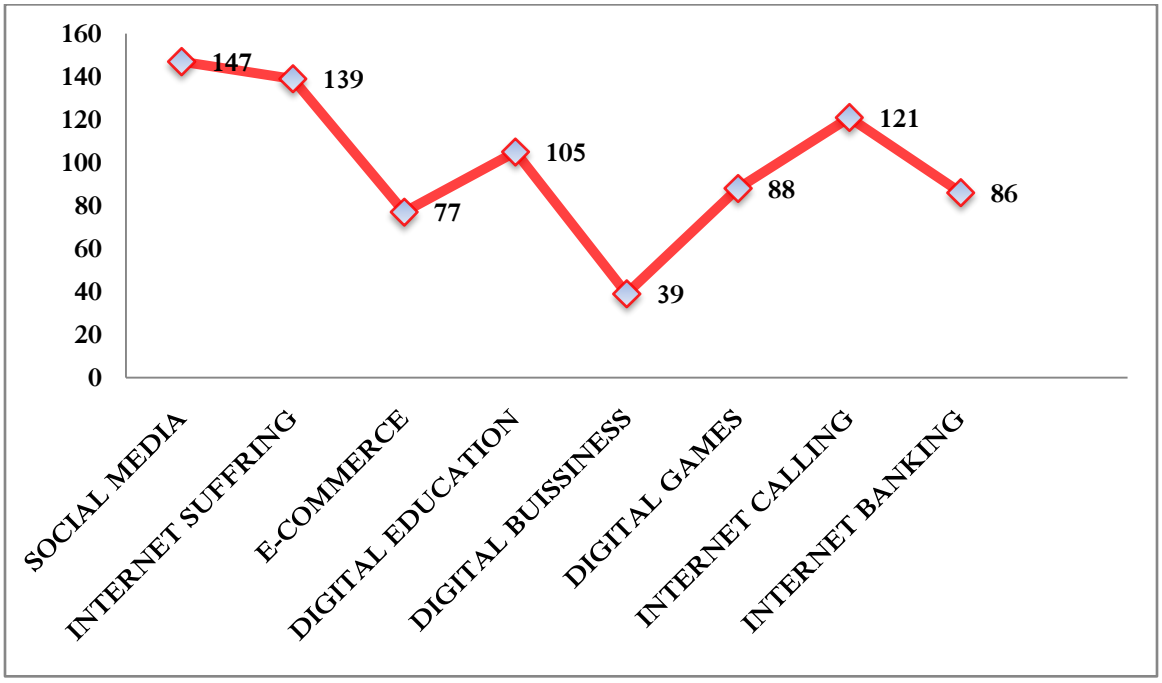
प्रतिदर्ष को विभिन्न संकायों में वर्गीकृत करने से शोध को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या उनके विषय के आधार पर साइबर अपराध की जागरूकता और उपयोग में कोई अंतर है।

क्रम संख्या	संकाय	पुरुष	महिला	कुल संख्या	प्रतिशत
1	कला संकाय	29	06	35	21.87
2	वाणिज्य संकाय	28	05	33	20.62
3	विज्ञान संकाय	45	08	53	33.12
4	प्रौद्योगिकी संकाय	29	10	39	24.37

उपरोक्त तालिका 160 उत्तरदाताओं में से विभिन्न संकायों से प्राप्त संकायवार प्रतिक्रिया दर्शाती है, 35 (21. 87%) कला संकाय से संबंधित हैं, 33 (20.62%), वाणिज्य से संबंधित हैं, 53 (33.12%) विज्ञान से संबंधित हैं, 39 (24.37%) प्रौद्योगिकी संकाय से संबंधित थे।

तालिका 3

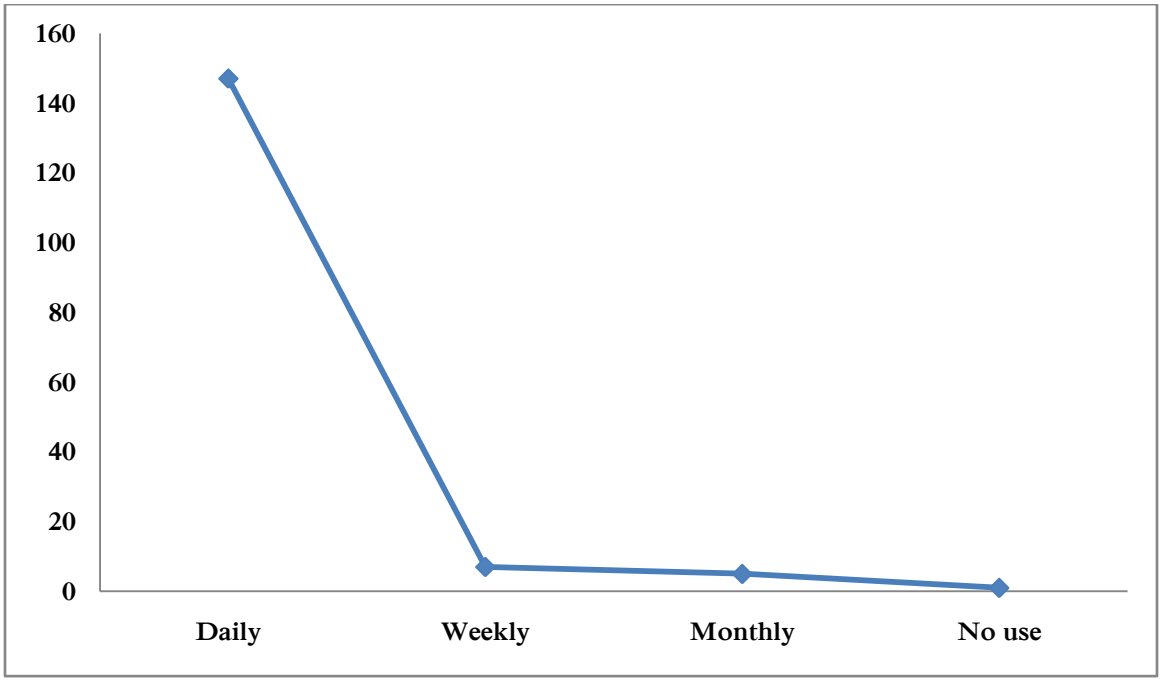
डिजिटल प्लेटफॉर्म का विभिन्न प्रकार का उपयोग –



उपरोक्त रेखा चार्ट दर्शाता है कि 160 उत्तरदाताओं में से 147 (91.87%) सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, 139 (86.87%) उत्तरदाता इंटरनेट का उपयोग करते हैं, 77 (48.12%) ई–कॉमर्स, 105 (65.62%) डिजिटल शिक्षा, 39 (24.35%) डिजिटल व्यापार, 88 (55%) खेल, 121 (75.62%) ऑनलाइन कॉल, 86 (53.75%) इंटरनेट बैंकिंग। यह जानने में रुचि है किसोशल मीडिया की संख्या सबसे अधिक है जो जिला बहराइच केकिसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय पॉलिटेक्निक में अध्ययन करने वाले युवाओं द्वारा उपयोग की जाती है।

तालिका 4

डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की आवृत्ति –



लाइन ग्राफ से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी उत्तरदाता इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन अधिकांश उत्तरदाताओं ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है।

तालिका 5

विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का उद्देश्य –

विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को अपनी शिक्षा में सुधार करने, शैक्षणिक और सामाजिक विचारों को भरपूर अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। वे वैश्विक ज्ञान प्रदान करते हैं।

क्रम संख्या	विभिन्न प्रकार के इंटरनेट प्लेटफॉर्म के उपयोग का उद्देश्य	पुरुष	महिला	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	संचार करने के लिए	130	25	155	96.87
2	जानकारी साझा करने के लिए	119	14	133	83.12
3	ज्ञान प्राप्त करने के लिए	127	24	151	94.37
4	सामाजिक समूह की गतिविधियाँ	93	10	103	64.37
5	शैक्षणिक उद्देश्य के लिए	79	26	105	65.62
6	ऑनलाइन शॉपिंग के लिए	56	21	77	48.12

7	मनोरंजन का उद्देश्य	75	18	93	58.12
8	मूवी, वेबसीरीज देखना और संगीत सुनना।	84	19	103	64.37
9	डिजिटल व्यापार के अवसरों का उद्देश्य	36	03	39	34.37
10	इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग	78	08	86	53.75
11	शोध के लिए इंटरनेट का उपयोग।	11	14	25	15.62
12	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार	33	09	41	25.62
13	डिजिटल गेम	29	04	33	20.62
14	ऑनलाइन वीडियो और वॉयस कॉलिंग	93	18	111	69.37

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि उत्तरदाता विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। उपरोक्त तालिका के लिए शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि युवाओं के शैक्षणिक उद्देश्य में विभिन्न प्रकार के इंटरनेट प्लेटफॉर्म की बड़ी भूमिका है।

तालिका 6

युवाओं में विचलनकारी व्यवहारों औरअपराध (साइबर अपराध)में शामिल होने का **कारण–**

क्रम संख्या	**विचलनकारी व्यवहारों और अपराध (साइबर अपराध) में शामिल होने** का **कारण**	**पुरुष**	**महिला**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	इंटरनेट इस्तेमाल करने का सही ज्ञान का ना होना	130	28	158	98.75
2	अत्यधिक आपत्तीजनक सोशल मीडिया कंटेंट को देखना	111	12	123	76.87
3	इंटरनेट के माध्यम से गलत लोगो के साथ संबंध रखना।	40	04	44	27.5
4	अनधिकृत नेटवर्किंग साइटों का उपयोग	49	06	55	34.37
5	स्पैम मेल का उपयोग करके	43	02	45	28.12
6	आपत्तीजनक नेटवर्किंग साइट का प्रयोग	67	08	75	46.87
7	इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी	29	06	35	24.87

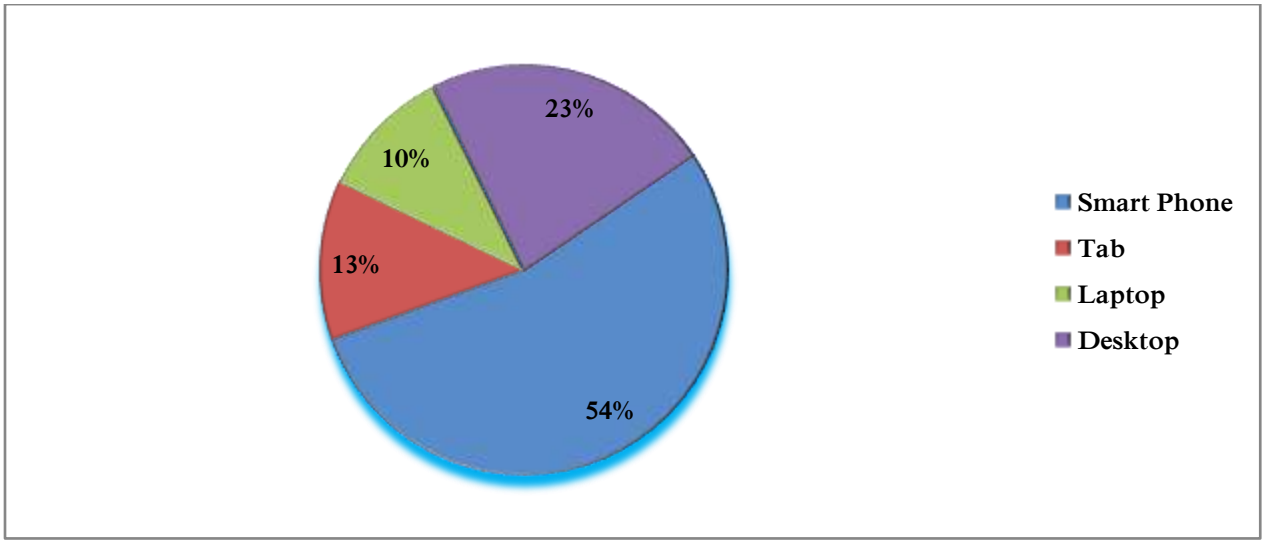
8	धोखाधड़ी खरीदारी साइट	26	05	31	19.37
9	लालच की वजह से अजनबी लोगों के साथ संबंध रखने से	13	04	17	10.63
10	समय–समय पर अपने पासवर्ड अपडेट करना।	27	06	33	20.62
11	अवैध डाउनलोड करना।	104	09	113	70.62
12	वेबसाइट को हैक करके	11	00	11	6.87
13	साइबर कानूनजागरूकताना होना	117	06	123	76.87

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कियुवाओं में विचलनकारी व्यवहारों और अपराध (साइबर अपराध) में शामिल होने का कारणइंटरनेट इस्तेमाल करने का सही ज्ञान का ना होना, अत्यधिक आपत्तीजनक सोशल मीडिया कंटेंट को देखना,आपत्तीजनक नेटवर्किंग साइट का प्रयोगकरना शमिल है।

तालिका7

नेटवर्किंग साइट के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण –

विभिन्न उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट साइटों तक पहुंचना आसान और सुविधाजनक है। विचलनकारी प्रौद्योगिकी की प्रगति के रूप में, युवा मोबाइल उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग पसंद करते हैं। वे पोर्टेबल और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। कोई भी नेटवर्किंग साइटों (बस, ट्रेन, अस्पताल, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान) तक कहीं भी पहुंच सकता है। आज मोबाइल डिवाइस युवाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरनेट साइटें शिक्षा के साथ–साथ साइबर अपराध और विचलनकारीके लिए प्रभावी शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।



उपरोक्त पाई चार्ट ने इंटरनेट साइटों तक पहुँचने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को चित्रित किया।

अध्ययन के निष्कर्ष –

- प्रतिदर्ष में महिला उत्तरदाताओं की तुलना में पुरुष अधिक हैं।

- यह जानना दिलचस्प है कि अधिकांश उत्तरदाता इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
- अधिकांश उत्तरदाता इंटरनेटपर सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग करते हैं।
- अधिकांश उत्तरदाता स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
- 158 (98.75%) उत्तरदाता विचलनकारी व्यवहारों और अपराध (साइबर अपराध) में शामिल होने का कारण इंटरनेट इस्तेमाल करने का सही ज्ञान का ना होना मानतेहैं।

अध्ययन से साबित होता है कि युवाओं में इंटरनेट यूजर्स साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। बहराइच जैसे जिले में नेट की लत बढ़ती दिखाई दे रही है। स्मार्ट फोन और इंटरनेट का अभिसरण प्रगति पर है और काफी लोकप्रिय है। इसका मतलब है, साइबर क्राइम की गुंजाइश ज्यादा है। हालांकि कई इंटरनेट उपयोगकर्ता ऐसे अपराधों के बारे में जागरूक होने का दावा करते हैं, फिर भी अधिकांश साइबर अपराध को बड़े संगठनों पर हाई–फाई राजनीतिक रूप से प्रेरित हमले मानते हैं। वे यह समझने में विफल रहते हैं कि यह किसी भी इंटरनेट उपयोगकर्ता को प्रभावित कर सकता है। हैकिंग के अलावा, अधिकांश उपयोगकर्ताओं को साइबर स्टाकिंग, हैकिंग, वेब अपराध, कॉपीराइट उल्लंघन, साइबर बुलिंग, फ़िशिंग, चाइल्ड सॉलिसिटिंग और दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी की परेशान करने वाली सामग्री साझा करना, चोरी की पहचान करना आदि जैसे अपराधों के बारे में पता नहीं है। बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यह भी पता नहीं है कि साइबर अपराधों से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए किससे संपर्क किया जाए या रिपोर्ट की जाए।

अपने व्यक्तिगत पीसी और लैपटॉप के प्रति सुरक्षा के मामले में भी जागरूकता की कमी काफी हद तक देखी गई है। समय–समय पर अपने पासवर्ड अपडेट नहीं करते हैं, और अपने डाटा साझा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरों के साथ व्यक्तिगत जानकारी। अवैध डाउनलोड के बारे में, हालांकि इंटरनेट उपयोगकर्ता परिणामों के बारे में जानते हैं, फिर भी वे इस गतिविधि को हल्के में लेते हैं और विभिन्न टोरेंटों से फिल्में, गेम और संगीत आसानी से डाउनलोड कर रहे हैं। अगर सरकार इस संबंध में नियमों और विनियमों को लागू करने में गंभीर प्रयास करने में विफल रहती है तो इस मुद्दे पर अज्ञानता और बढ़ सकती है।

सुझाव –

- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते समय किसी भी व्यक्तिगत डेटा का खुलासा नहीं करना चाहीए और इस प्रकार, किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन साझा करते समय सावधान रहना चाहिए।
- यह जरूरी है कि नकली ईमेल संदेशों पर नजर रखी जाए और ऐसे ईमेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए जो व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं।
- ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने के दौरान यह जरूरी है कि वेबसाइटों पर गोपनीयता नीतियों पर ध्यान दिया जाए और व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से दूर रहें।
- महिलाओं के खिलाफ इंटरनेट पर अपराधों की प्रतिक्रिया को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ व्यापक आंदोलन के रूप में देखा जाए।व्यापक प्रयास शुरू किए जाने चाहिए क्योंकि यह अंततः एक जन–केंद्रित चुनौती है।
- शिक्षा प्रणालियों को ऑनलाइन अपराधों के बारे में समसामयिक मुद्दों की शुरुआत करनी चाहिए और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

- महिलाओं को ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उनके द्वारा पर्याप्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। उन्हें साइबरस्पेस में अपने अधिकार के बारे में जागरूक होने की जरूरत है।
- सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) पर लागू करने के लिए और अधिक कठोर नियम बनाने चाहिए क्योंकि उनके पास वेब पर सर्फिंग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा लगाए गए डेटा का पूरा रिकॉर्ड होता है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधियों के मामले में उनके द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए ताकि प्रारंभिक चरण में अपराधों को रोका जा सके।
- पायरेसी सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बचें।
- साइबर कानून और विनियमों के बारे में जागरूकता।

संदर्भ सूची :–

- एंथोनी गिडेंस(1990), आधुनिकता के परिणाम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैलिफोर्निया।
- उलरिच बेक (1992), एक नई आधुनिकता की ओर जोखिम समाज, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली।
- पी.जे अलेक्जेंडर, (2002), साइबर क्राइम एंड पुलिसिंग, एलाइड पब्लिशर्स, दिल्ली।
- वी.जॉन ब्लेन (2003), साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद : वर्तमान मुद्दे, नोविंका बुक्स, न्यूयॉर्क ।
- डेविड वॉल (2004), साइबर अपराध और इंटरनेट, बार्न्स एंड नोबल, न्यूयॉर्क।
- अमित वर्मा (2009), साइबर अपराध और कानून, जैन बुक डिपो, नई दिल्ली।
- एम दास गुप्ता(2009), भारत में साइबर अपराध, जैन बुक डिपो, नई दिल्ली।
- सुमित घोष (2010), साइबर अपराध : एक बहुविषयक विश्लेषण, स्प्रिंगर प्रकाशन, न्यूयॉर्क।
- द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट ***2022***।
- मैगजीन एण्ड जर्नल्स।
- गूगल नेट।